लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 24 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXIV contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 4, गुरुवार, 20 फरवरी, 1969/1 फाल्गुन, 1890 (शक)
No. 4, Thursday, February 20, 1969/Phalguna 1, 1890 (Saka)

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS			
ता० प्र० संख्या			
S. Q. Nos.			
61. केरल में बीड़ी मजदूर	Beedi Workers in Kerala	..	1—7
62. सूती कपड़ा उद्योग सम्बन्धी द्वितीय मजूरी बोर्ड	Second Cotton Textile Wage Board	..	7—14
63. भारतीय रेलवे सम्बन्धी राष्ट्रीय श्रम आयोग का अध्ययन दल	Study Group of National Commission on Labour on Indian Railways	..	14—15
64. चीन को सवा (मिलेट) का निर्यात	Export of Millet to China	..	15—17
65. मछली पकड़ने के लिए माल्पे पतन का विकास	Development of Malpe Port for Fishing	..	17—18
67. खाद्य क्षेत्र	Food Zones		18—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS			
ता० प्र० संख्या			
S. Q. Nos.			
66. उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में विकास परियोजनाएं	Development Projects in Etawah District, U. P.	..	21
68. आरवी (पूना) में उपग्रह केन्द्र	Satellite Station at Arvi (Poona)	..	22
69. एक समान व्यवहार संहिता	Uniform Civil Code	..	22
70. कृषि के लिए कृषि यंत्रों सम्बन्धी सीमा-शुल्क सेवा की योजना	Scheme of Customs Service in Agricultural Machinery for Farms	..	23—24
71. कृषि हेतु वित्त व्यवस्था सम्बन्धी गोष्ठी	Seminar on Agricultural Finance	..	24
72. लक्कद्वीव द्वीपसमूह में डाकखाने	Post Offices in Laccadive Islands	..	24

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
73. पाकिस्तान से आये शरणार्थी	Refugees from Pakistan	25
74. श्रम न्यायालय द्वारा पंचाटों का लागू किया जाना	Enforcement of Awards by Labour Courts ..	25
75. केरल सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों के लिए दिये गये अनुदानों का दुरुपयोग	Misuse of Grants for Scheduled Castes and Scheduled Tribes by Kerala Government..	26—27
76. गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की योजनाएं	Schemes for Deep Sea Fishing	27—28
77. राष्ट्रीय श्रम आयोग का प्रतिवेदन	Report of National Commissions on Labour	28
78. राज्यों को चावल का आवंटन	Allotment of Rice to States	29
79. केन्द्रीय भाण्डागार निगम	Central Warehousing Corporation	29
80. अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on Untouchability ..	30
81. होप टी गार्डन (पश्चिम बंगाल) के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by the Workers of Hope Tea Garden, West Bengal ..	30—31
82. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनन्द	National Dairy Development Board, Anand..	31
83. गन्ने का मूल्य	Price of Sugarcane	31—32
84. औद्योगिक श्रमिकों को पारिवारिक पेन्शन	Family Pensions to Industrial Workers	32
85. मध्यावधि चुनाव	Mid Term Elections ..	32—33
86. भिक्षा वृत्ति के उन्मूलन के लिए अध्ययन दल	Study Group for Eradication of Beggary ..	33—34
87. कृषि विकास तथा अनुसंधान कार्यक्रम	Agricultural Development and Research Programme ..	34
88. उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में डाक सेवाओं में विलम्ब	Delay in Postal Services in Hilly Areas of U. P. ..	34
89. भारतीय खाद्य निगम के गुजरात एकक के प्रबन्धक की गिरफ्तारी	Arrest of Manager, Gujarat Unit of Food Corporation of India ..	34—35
90. वनस्पति में रंग देने सम्बन्धी समिति	Committee on Colourisation of Vanaspati ..	35

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
361. केरल को चावल का आवंटन	Allotment of Rice to Kerala ..	35—36
362. मध्य प्रदेश में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के लिए फोर्ड प्रतिष्ठान की सहायता	Ford Foundations aid to Madhya Pradesh for Intensive Agricultural District Programme ..	37—38
363. प्रोग्रेसिव मुस्लिम लीग दल का चुनाव-चिह्न	Election Symbol of Progressive Muslim League Party ..	38—39
364. प्रत्येक जिले के लिए टेलीफोन सलाहकार समिति	Telephone Consultative Committee for each District ..	39
365. चीनी की उत्पादन लागत	Cost of Production of Sugar ..	39—40
366. कलकत्ता में अन्नपूर्णा अल्पहार गृह	Annapurna Cafeteria, Calcutta ..	40
367. राज्यों में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को छात्र वृत्तियां	Scholarships to Students of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes in States ..	40—41
368. सहकारी समितियां	Cooperatives ..	41
369. नैनीताल जिले में चकबन्दी अधिनियम की क्रियान्विति	Implementation of Land Consolidation Act in Naini Tal District ..	41
370. नैनीताल में सरकारी भूमि पर कब्जा	Forcible occupation of Government Land in Naini Tal ..	42
371. कुमाऊं क्षेत्र उत्तर प्रदेश में भूमिहीन लोगों के लिए भूमि का नियतन	Allotment of Land to Landless People in Kumaon Region (U. P.) ..	42
372. अल्मोड़ा जिले में तारघर	Setting up of Telegraph offices in Almora District ..	42—43
373. सहकारी समितियों का प्रबन्ध	Management of Cooperative Societies ..	43
374. केरल को अनाज का सम्भरण	Supply of Foodgrains to Kerala ..	43—44
375. चीनी का उत्पादन	Sugar Production ..	44—45
376. निर्धारित आयु से कम आयु के स्नातकों को मतदान का अधिकार	Right of Voting to Graduates below the prescribed Age ..	45
377. उत्तर प्रदेश में जिला निर्वाचन अधिकारी को विशेष वेतन	Special Pay to District Election Officer in U. P. ..	46

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
378. अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में तीन भाषाओं में मनीआर्डर फार्म (धनादेश प्रपत्र)	Trilingual Money Order Forms in non-Hindi Areas ..	46
379. चाय बागान उद्योग में मजूरी ढांचा	Wage Structure in Tea Plantation Industry..	46—47
380. लक्कदीव द्वीपसमूह की समाज कल्याण योजना	Social Welfare Scheme of Laccadive Islands	47
381. भारतीय भाषाओं में कानून की शिक्षा	Education of Law in Indian Lauguages ..	47
382. बेबिंग एण्ड बैल्टिग कम्पनी, गाजियाबाद	Bebbing and Belting Company, Ghaziabad ..	48
383. श्रम कल्याण समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on Labour Welfare ..	48
384. अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति के बारे में सरकार का उपेक्षा-पूर्ण रवैय्या	Indifferent Attitude of Governmentto wards Committee on Untouchability ..	49
385. कोयला खानों के लिये आदर्श स्थायी आदेश	Model Standing Order for Coal Mines	50
386. चीनी उद्योग की समस्याएं	Problems of Sugar Industry ..	51
387. डाक व तार सेवाओं के लिये पाकिस्तान की ओर बकाया राशि	Amount Outstanding against Pakistan for P and T Services ..	51—52
388. चावल मिलें	More Rice Mills ..	52
389. चारे की कमी	Shortage of Fodder ..	52
390. चुनाव में मोटरगाड़ियों का दुरुपयोग	Misuse of Vehicles in Election	53
391. उर्वरक के उत्पादन तथा खपत के लक्ष्य	Fertilizer Production and Consumption targets ..	53
392. एस्सो में आवश्यकता से अधिक घोषित किये गये कर्मचारी	Surplus workers in Esso ..	54
393. कृषकों की प्रति व्यक्ति आय	Per Capita Income of Agriculturists ..	54—55
394. कृषि उत्पादन	Agricultural Production ..	55—56

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

395. अन्दमान विकास निगम	Andamans Development Corporation	..	56
396. मंत्रालय में अधिकारियों के सेवाकाल में वृद्धि	Extension to Officers in the Ministry	..	56—57
397. मंत्रालय द्वारा विदेशों में भेजे गये शिष्ट मंडल	Delegations Sent Abroad by Ministry	..	57—58
398. चीनी का आंशिक विनियंत्रण	Partial Decontrol of Sugar	..	58
399. डाक विभाग आसाम के केन्द्रीय डिवीजन का दो भागों में विभाजन	Bifurcation of Central Assam Division of the Postal Department, Assam	..	58
400. भारतीय खाद्य निगम द्वारा कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Employees of Food Corporation of India	..	58—59
401. गोरक्षा समिति का प्रतिवेदन	Report of Cow Protection Committee	..	59—60
402. मद्रास तथा उत्तर प्रदेश के लोक सभा के स्थान	Lok Sabha Seats from Madras and U. P.	..	60
404. शिक्षित तथा निरक्षर बेरोजगार	Educated and Uneducated Un-employed Persons	..	60—61
405. डेलचड़ी (पौड़ी गढ़वाल) शाखा डाकघर को उप-डाकघर बनाना	Conversion of Delchouri (Pauri Garhwal) Branch Post Office into Sub-Post Office	..	61
406. कार्मिक संघों में बाहरी व्यक्तियों पर रोक	Ban on Outsiders in Trade Unions	..	61
407. ट्रैक्टरों के बांटने की पद्धति	System of Distribution of Tractors	..	62
408. मध्यावधि चुनावों में निर्वाचन आन्दोलन के दौरान धार्मिक स्थानों का उपयोग	Use of Religious Places for Election Campaigns in Mid-term Elections	..	62
409. भारतीय आहार में विविधिता	Diversification of Indian Dietary	..	62—63
410. पहाड़ी क्षेत्रों में लघु सिंचाई कार्य	Minor Irrigation Works in Hilly Areas		63—64
441. बेरोजगारी पर सम्मेलन	Convention on Employment	..	64
412. खेतिहर मजदूरों को ऋण	Loans to Agricultural Labourers	..	64
413. कपास का उत्पादन	Production of Cotton	..	64
414. नई चीनी मिलों की स्थापना	Setting up of New Sugar Mills	..	65

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

415. विदेशों में भारतीय डाक-टिकटों को लोक प्रिय बनाना	Popularisation of Indian Stamps in Foreign Countries ..	65—66
416. चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कपास का उत्पादन बढ़ाना	Development of Cotton Production During Fourth Plan ..	66—67
417. दिल्ली में गेहूं का चोरी छिपे लाया जाना	Smuggling of Wheat into Delhi	67—68
418. गत हड़ताल में भाग लेने वाले डाक व तार कर्मचारियों की रिहाई	Release of P & T Workers who Participated in Last General Strike ..	68
419. रबी सीजन में चावल की फसल	Rice Crop During Rabi Season ..	69
420. सहकारी समितियों के माध्यम से फार्म उपज तथा उर्वरकों का विपणन	Marketing of Farm Produce and Fertilizers through Cooperatives ..	69—70
421. राज्य फार्मों के लिये निगम	Corporation for State Farms ..	70
422. डाक तथा तार क्षेत्रों में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के मामलों में केन्द्रीय जांच विभाग की जांच	C.B.I. Investigation into Medical Reimbursement Cases in P & T Regions ..	70—71
423. कोयम्बटूर में नये टेलीफोन कनेक्शन	New Telephone Connections in Coimbatore ..	71
424. आयातित गेहूं की बिक्री	Sale of Imported Wheat ..	71—72
425. दिल्ली में सुपर बाजार	Super Bazars in Delhi	72—73
426. संसद् की अनौपचारिक सलाहकार समितियां	Informal Consultative Committees of Parliament ..	73—74
427. ग्वालियर में टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत का निर्माण	Construction of Telephone Exchange Building at Gwalior ..	74
428. किसानों के लाभार्थ रेडियो टेलीफोन एक्चेंज	Radio Telephone Exchanges for the Benefit of Farmers ..	74—75
429. अनाज के भावों में वृद्धि	Increase in Prices of Foodgrains ..	75—76
430. मध्यावधि चुनाव	Mid term Elections ..	76
431. बिहार में पशुपालन सम्बन्धी कार्यक्रम	Animal Husbandry Programme in Bihar ..	76—77

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
432. जम्मू और काश्मीर के रिटर्निंग अफसर के विरुद्ध धोखाधड़ी और झूठा साक्ष्य बनाने के आरोप	Charges of Forgery and Fabrication of Evidence against Returning Officer, Jammu and Kashmir	..	77
433. अनाज का रक्षित भंडार	Buffer Stock of Foodgrains	..	78
434. चीनी मिलों को लाभ	Profit by Sugar Mills	..	78—79
435. आसाम में बड़े टमाटरों का उपजाना	Growing of Giant Tomatoes in Assam	..	79
436. आसाम में शरणार्थी	Refugees in Assam	..	79—80
437. कृषि भूमि के विकास के लिये अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Scheduled Caste/ Tribes for Development of their Agricultural Lands		80—82
438. कच्छ प्रदेश में भेड़ पालन केन्द्र	Sheep Breeding Centre in Kutch Region	..	82
439. अनाज का निर्यात	Export of Foodgrains	..	82—83
440. मंत्रालय में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों का सेवा काल बढ़ाना	Extension to Class I Officers in Ministry	..	83—85
441. एक वैज्ञानिक द्वारा इसरायली तरीके अपनाकर परती भूमि में खेती	Cultivation of Fallow Land by a Scientist by Applying Israeli Methods	..	85
442. आदिवासी लोगों के सम्बन्ध में श्रम नीति	Labour Policy for Tribal People		86
443. बेकार भूमि सर्वेक्षण तथा भूमि सुधार समिति	Waste Land Survey and Reclamation Committee	..	86—87
444. उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में तराई-भावर भूमि का वितरण	Distribution of Tarai-Bhawar Land in Hill Areas of U.P.	..	87—88
445. उत्तर प्रदेश में चीनी की सप्लाई	Sugar Supply in U. P.		88
446. बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ की स्मृति में टिकट	Commemorative Stamp in Memory of Maharaja Sayaji Rao Gaikwad of Baroda		89
448. कुछ क्षेत्रों में मछली पकड़ने के कार्य बढ़ाना	Intensification of Fishing Activity in Certain Areas	..	89—90

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

विषय	Subject		Pages
449. रबी की फसल के उत्पादन का अनुमान	Estimate of Production of Rabi Crop	..	90
450. गन्ना किस्म उत्पादक संस्था	Sugarcane Breeding Institute	..	91
451. गुजरात से दूध की वसूली	Procurement of Milk from Gujarat	..	91—92
452. बेलुरी, श्रीकृष्णपुरी, (पूर्णिया) में शरणार्थियों का बसाया जाना	Settlement of refugees at Belury, Shri Krishnapuri (Purnea)	..	92
453. मधुबनी कालोनी में शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Refugees in Madhubani Colony	..	92—93
454. सरगुजा जिले में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of East Pakistan Refugees in Sarguja District	..	94
455. मध्य प्रदेश में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी	East Pakistan Refugees in Madhya Pradesh	..	94—95
456. कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में वृद्धि	Increase in the Rate of Interest on Employees Provident Fund	..	95
457. टेलीफोन बनाने का दूसरा कारखाना	Second Telephone Manufacturing Factory	..	95—96
458. रायपुर (मध्य प्रदेश) में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र का निर्माण	Construction of Automatic Telephone Exchange at Raipur (Madhya Pradesh)	..	96
459. उड़ीसा के मैट्रिक उपरान्त कक्षाओं के विद्यार्थियों को छात्र-वृत्तियां	Scholarships to Orissa Students of Post Matric Classes	..	96—97
460. उड़ीसा में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र	Automatic Telephone Exchanges in Orissa	..	97—98
461. कटक और भुवनेश्वर में समाचार सामग्री और तारों का रोका जाना	Withholding of Press Despatches and Telegrams from Kuttack and Bhubaneswar		98—99
462. हरियाना में जाटूसाना निर्वाचन क्षेत्र में उप-चुनाव	Bye-Election in Jatusana Constituency in Haryana	..	99
463. मिठाई बनाने में दूध के प्रयोग पर प्रतिबन्ध	Ban on Use of Milk for Making Sweets	..	99—100

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
464.	पंजाब में टेलीफोन के खम्भों तथा तारों की चोरी	Theft of Telephone poles and wires in Punjab	100
465.	दिल्ली में सुपर बाजार	Super Bazars in Delhi ..	101
466.	जालन्धर में तांबे के तार की चोरी	Theft of Copper wire at Jullundur ..	101
467.	डाक तार विभाग में राजपत्रित अधिकारी	Gazetted Officers in the Posts and Telegraphs Department ..	101—102
469.	पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी	Refugees from Pakistan ..	102
470.	केरल में निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन	Delimitation of Constituencies in Kerala ..	102—103
471.	केरल क्षेत्र में नये सार्वजनिक टेलीफोन घर	New Public Call Offices in Kerala Region ..	103
472.	चावल के बीजों की अधिक उपज वाली किस्म	High yielding quality of rice seed ..	103—104
473.	गन्ने के रोग	Sugarcane disease ..	104
474.	गुड़ का बनाया जाना	Manufacture of gur ..	104
475.	पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयातित गेहूं	Wheat imported under PL 480 ..	104—105
476.	खाद्यान्नों की वसूली	Procurement of Foodgrains ..	105
477.	उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिवीजन में भारतीय निगम के भाण्डागार अथवा गोदाम	FCI Warehouses in Faizabad Division U. P.	105—106
478.	ओल्ड राजेन्द्र नगर कालोनी, नई दिल्ली	Old Rajinder Nagar Colony, New Delhi ..	106
479.	पटसन उद्योग सम्बन्धी राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशें	Recommendation of National Commission of Labour on Jute Industry ..	106
480.	अनाज की कीमत	Prices of Foodgrains ..	107
481.	किसानों को ऋण	Loans to Farmers ..	107
482.	केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा दिल्ली दुग्ध योजना की जांच	C.B.I. probe of Delhi Milk Scheme ..	108
483.	चावल का आयात	Import of rice ..	108—109

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
484. दक्षिण में संसद् का अधिवेशन	Parliament Session in South ..	109
485. मत पत्र जारी करने के लिए नई प्रक्रिया	New procedure for issuing Ballot papers ..	110
486. दरभंगा जिले (बिहार) के समस्तीपुर उपखण्ड में नलकूपों की व्यवस्था	Installation of tube wells in Samastipur sub-division of Darbhanga District (Bihar)	110
487. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा श्रम नीति की जांच	Scrutiny of labour policy by international labour organisation	110—111
488. मुजफ्फरनगर के सिसोली कस्बे में नाईयों द्वारा हरिजनों के बाल काटने से इन्कार	Refusal by barbers to cut hair of Harijans in Sisoli town of Muzaffarnagar.	111
489. दिल्ली में सहकारी समितियां	Cooperative societies in Delhi ..	112
490. राज्यों में अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भरता	Self-sufficiency in food production in States ..	112—113
491. दूर संचार सुविधायें स्थापित करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसेंजी द्वारा ऋण देने से इन्कार	Decline of Loan by IDA for Setting up Telecommunication Facilities ..	113—114
492. अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा दूर संचार सुविधाओं के लिये ऋण	Loan for Telecommunication Facilities International Development Agency ..	114—115
493. भारतीदसन की स्मृति में टिकटें	Stamp in Honour of Bharatidasan ..	115
494. भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्य विभाग के काम को अपने हाथ में लेना	Take over of food Department work by Food Corporation of India ..	115—116
495. समाज सेवा अनुभाग	Social Service Wing ..	116
496. बेरोजगारी के आंकड़े	Data on unemployment ..	116
497. शिक्षित व्यक्तयों में बेरोजगारी	Educated Unemployed ..	117
498. त्रिपक्षीय व्यवस्था	Tripartite Machinery ..	117
499. द्वितीय सूती कपड़ा मजूरी बोर्ड	Second Cotton Textile Wage Board ..	117—118
500. चावड़ी बाजार दिल्ली में रघुगंज से ताम्बे की तार की बरामदगी	Recovery of Copper Wire from Raghuganj in Chawri Bazar, Delhi ..	118

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
501.	सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सहायता	Relief in Drought affected Areas ..	118—119
502.	देश में डाकघरों की संख्या	Post Offices in the country ..	120
503.	बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में कमी	Fall in Employment Market ..	120
504.	कार्मिक संघों के नेताओं को विदेशों में भेजने का प्रस्ताव	Proposal to send Trade Union Leaders abroad ..	120—121
505.	पश्चिम बंगाल में चावल का समाहार	Rice Procurement in West Bengal ..	121
506.	पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को मुआवजा	Compensation to Refugees from East Pakistan ..	121—122
507.	पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों पर किया गया व्यय	Expenditure on Displaced persons from East Pakistan ..	122—123
508.	गेहूं की जमानत पर बैंक द्वारा ऋण	Bank credit against security of Wheat ..	123
509.	कृषि श्रमिकों की कर्जदारी	Indebtedness of Agricultural Labourers ..	123—124
510.	मैसर्स ब्रैडबरी मिल्स लिमिटेड बम्बई	M/s Bradbury Mills Ltd., Bombay ..	124
511.	उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति	Educated unemployed in U. P. ..	124—125
512.	उत्तर प्रदेश कृषि योग्य भूमि	Cultivable Land in U. P. ..	126
513.	कृषि सम्बंधी आयोग	Agricultural Commission ..	126
514.	फसल बीमा योजना	Crop Insurance Scheme ..	126—127
515.	गुजरात के ग्रामों के हरिजनों सम्बन्धी दासभाई नायक समिति	Dasabhai Naik Committee on Harijans of Gujarat Villages ..	127
516.	पत्तन तथा गोदी कर्मचारीयों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Port and Dock Workers ..	127—128
517.	बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी	Bennett Coleman and Company ..	128
518.	संग्रामपुर मुंगेर में सार्वजनिक टेलीफोन	Public call office for Sangrampur, Monghyr ..	128—129

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
519. पश्चिम बंगाल में कृषि ऋण	Agricultural credit in West Bengal ..	129—130
520. लावारिस बच्चे	Unclaimed Children ..	130
521. भारतीय मत्स्य पालन निगम तथा पश्चिम बंगाल मत्स्य पालन निगम	Fisheries corporation of India and West Bengal Fishery Corporation ..	130—131
522. पश्चिम बंगाल की गैर सरकारी कम्पनियों में कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Employees in Private Firms in West Bengal ..	131
523. चीनी मिलों को गन्ने की सप्लाई	Supply of Sugarcane to Sugar Mills ..	131—132
524. आन्ध्र प्रदेश में नलकूपों का लगाया जाना	Installation of Tube Wells in Andhra Pradesh ..	132
525. दण्डकारण्य परियोजना में बसाये गये भूमिहीन कृषक	Landless Peasants settled in Dandakarnaya Project ..	132—133
526. आन्ध्र प्रदेश में वेली वीला तथा वडूर में शाखा डाकघर	Branch Post Offices at Velivila and Vadur in Andhra Pradesh ..	133
527. दिल्ली दुग्ध योजना के लिये सलाहकार समिति	Advisory Committee for Delhi Milk Scheme ..	133—134
528. उत्तर प्रदेश में सहकारी आन्दोलन	Co-operative movement in U. P. ..	134
529. मार्डन बेकरी का उत्पादन	Production of Modern Bakeries ..	134
530. मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की खरीद	Food procurement by F. C. I. in Madhya Pradesh ..	135
531. बिहार में बिना बिके पड़े आयातित उर्वरक	Imported Fertilizers lying unsold in Bihar ..	135
532. 1968-69 में कृषि उत्पादन	Farm Productions during 1968-69 ..	135
533. गुलरभोज तथा दिलवारी गोसदन	Gularbhoj and Dilawari Gosadans ..	136
534. मतपत्रों का रद्द करना	Rejection of votes ..	136—137
535. पाकिस्तान में भारतीय बस्तियों के निवासियों द्वारा जिलाधीश जलपाईगुड़ी के कार्यालय के सामने प्रदर्शन	Demonstration by the residents of Indian Enclaves in Pakistan before the Deputy Commissioner's Office at Jalpaiguri ..	137—138

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
536. समाज कल्याण बोर्ड को सांविधिक दर्जा दिया जाना	Statutory Base to Social Welfare Board	138
537. केन्द्र और राज्यों के बीच सम्बन्ध	Centre State Relations ..	138
539. बारगढ़, जिला बांदा (उत्तर) प्रदेश) में टेलीफोन सेवा	Telephone Service in Bargarh District Banda (Uttar Pradesh) ..	138—139
540. मध्य प्रदेश में अनुसूचित आदिम जातियां	Scheduled Tribes in Madhya Pradesh	139
541. हरी खाद उगाने के लिये निशुल्क जल की सप्लाई	Supply of Free Water for Growing of Green Manure	139—140
542. मध्य प्रदेश में आदिम जातीय लोग	Tribals in Madhya Pradesh ..	140
543. केन्द्रीय किस्म अनुमोदन समिति द्वारा नई संकर किस्म के बीजों का वितरण	New Hybrid Varieties of Seeds Released by Central Variety Release Committee ..	140—141
544. प्रधान मंत्री द्वारा चुनाव प्रचार	Election Campaign by Prime Minister	141
545. टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में आटे की मिल	Flour Mill in Tikamgarh, M.P. ..	141
546. टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश) में टेलीफोन के कनेक्शन	Telephone Connections in Tikamgarh (Madhya Pradesh) ..	142
547. स्वचालित मशीनों के प्रयोग के कारण बेरोजगारी	Unemployment as a Result of Automation .	142
548. मध्यावधि चुनावों के लिये उम्मीदवार	Candidates for Mid-Term Elections ..	142
549. पटना और रांची टेलीफोन सलाहकार समितियां	Telephone Advisory Committees in Patna and Ranchi ..	143
550. पटना में टेलीफोन से आय तथा उन पर व्यय	Income and Expenditure on Telephones in Patna ..	143—144
551. पटना में टेलीफोन के बिलों की बकाया राशि	Arrears of Telephone Bills in Patna ..	144—145
552. टायर निर्माण करने वाली कम्पनियों का बन्द होना	Closure of Tyre Manufacturing Concerns ..	145

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
553. भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल और रागी का क्रय करना	Purchase of Rice and Ragi by Food Corporation of India ..	145
554. समाचार पत्रों के लिये डाक दरें	Postage Rates for Newspapers ..	146
555. मनीपुर लोक निर्माण विभाग में कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Workers in Manipur P. W. D. ..	146—147
556. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को छात्रवृत्तियां देने के लिये आय की न्यूनतम सीमा	Minimum Income Limit for Scholarships for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ..	147
557. विश्व खाद्य कार्यक्रम से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	Projects Assisted by World Food Programme ..	147—148
559. कुमाऊं क्षेत्र में भूमिहीन लोगों के पुनर्वास की योजना	Scheme for Rehabilitation of Landless People in Kumaon Region ..	148
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	148—153
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on the Private Members' Bills and Resolutions—	
43वां प्रतिवेदन	Forty-third Report ..	153
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
67वां प्रतिवेदन	Sixty-Seventh Report ..	153
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee —	
40वां प्रतिवेदन	Fortieth Report ..	153
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति—	Committee on Public Undertakings—	
24वां प्रतिवेदन	Twenty-Fourth Report ..	153
मंत्रिपरिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव	Motion of No-confidence in the Council of Ministers ..	154—160
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi ..	154—158
श्री पी० राममूर्ति	Shri P. Ramamurti ..	158—160
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	Motion of Thanks on the President's Address ..	160—247
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi ..	161—165
श्री दशरथ राम रेड्डी	Shri D. R. Reddy ..	165—167

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
श्री रंगा	Shri Ranga	..	225—229
डा० गोविन्द दास	Dr. Govind Das	..	229—230
श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	..	230—232
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	..	232—234
श्री वेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	..	234—238
श्री चेंगलराया नायडू	Shri Chengalraya Naidu	..	238—240
श्री रा० बरुआ	Shri R. Barua	..	241—243
श्री जी० एस० रेड्डी	Shri G. S. Reddi	..	243—244
श्री क० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao	..	244—247
श्री मृत्युंजय प्रसाद	Shri Mrityunjay Prasad	..	247

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 20 फरवरी, 1969/1 फाल्गुन, 1890 (शक)
Thursday, February 20, 1969/Phalguna 1, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

रूस की सर्वोच्च सभा के अध्यक्ष की यात्रा

अध्यक्ष : मुझे सभा को सूचना देते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि रूस की सर्वोच्च सभा के सभापति महामहिम श्री स्प्रीड़िनोव तथा श्रोमती स्प्रीड़िनोव हमारे निमंत्रण पर भारत की यात्रा के लिये आये हैं, और हमारे विशिष्ठ कोष्ठ (स्पेशल बाक्स) में इस समय पधारे हुए हैं। हमें हार्दिक प्रसन्नता है कि इन्होंने हमारे निमन्त्रण को स्वीकार किया और हमारे देश की यात्रा करने के लिए समय निकाला। हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं।

केरल में बीड़ी मजदूर

+
*61. **श्री सी० के० चक्रपाणि :**
श्री अ० कु० गोपालन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीड़ी तथा सिगार मजदूर अधिनियम, 1966 को क्रियान्वित करने के बारे में प्रबन्धकों की अनिच्छा के परिणामस्वरूप केरल के मालाबार क्षेत्र में 10,000 से अधिक बीड़ी मजदूर बेरोजगार हो गये हैं ;

(ख) क्या केरल सरकार ने केरल में बीड़ी उद्योग को पुनर्गठित करने के लिए एक योजना प्रस्तुत की है ;

(ग) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार ने योजना पर विचार किया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है ।

(ख) इस प्रकार की कोई भी योजना औपचारिक रूप से प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते ।

श्री सी० के० चक्रपाणि : श्रीमन्, बीड़ी उद्योग केरल के महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक है। गणेश बीड़ी उद्योग, भारत बीड़ी उद्योग और दरबार बीड़ी कम्पनी के मैसूर में, स्थानान्तरित हो जाने से गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है । इसके कारण लगभग 12,000 बीड़ी मजदूर बेकार हो गये हैं । एक लाख से भी अधिक लोगों का निर्वाह इसी बीड़ी उद्योग पर निर्भर है। केरल सरकार ने बीड़ी तथा सिगार अधिनियम को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित किया है और इसी कारण बीड़ी-उद्योगपति केरल से मैसूर चले गए हैं । इसको देखते हुए क्या भारत सरकार इस अधिनियम में उचित संशोधन करेगी जिससे बीड़ी बनाने के कारखानें केरल से मै सूर में न जायें ?

श्री भागवत झा आजाद : वर्तमान अधिनियम प्रत्येक दृष्टिकोण से बिलकुल ठीक है। हम मालिकों को, यदि वे कारखानों को मैसूर में स्थानान्तरित करना चाहते हैं तो बाध्य नहीं कर सकते कि वह उनको वहां न ले जायें । वास्तव में श्रम मंत्री ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें दोनों राज्यों के मुख्य मंत्री उपस्थित थे । उन्होंने इस सम्बन्ध में बातचीत करके मामले को तय करना स्वीकार कर लिया था ।

श्री सी० के० चक्रपाणि : मुझे बताया गया है कि केरल में बीड़ी मजदूरों की सहायता के लिए केरल सरकार ने 22 लाख रुपये की लागत की एक योजना पेश की है । क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी कि कारखानों को मैसूर में ले जाने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली इस गम्भीर समस्या को रोका जाय । मालाबार में मजदूरों ने एक सहकारी समिति बनाई है जो केरल की गणेश बीड़ी का उत्पादन कर रही है । क्या भारत सरकार का विचार केरल में इस समिति को सहायता देने का है ?

श्री भागवत झा आजाद : जैसा मैंने मूल उत्तर में बताया है, हमें ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है । जहां तक सहकारी समिति का प्रश्न है, इस पर विचार करना राज्य सरकार पर निर्भर करता है । मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ।

श्री अ० कु० गोपालन : मंत्री महोदय के उत्तर से मालूम होता है कि उन्होंने समस्या को बिलकुल नहीं समझा है । केन्द्रीय सरकार ने एक अधिनियम पारित किया था, और जब वह

अधिनियम पारित हुआ तो हमने श्री हाथी जी को, जो तत्कालीन श्रम मंत्री थे, यह बताया कि...

एक माननीय सदस्य : क्या वह अब नहीं हैं ?

श्री अ० कु० गोपालन : क्षमा कीजिये, मुझे मन्त्रिपदों के परिवर्तन का पता नहीं है। हमने उस समय मंत्री महोदय से मांग की थी कि उसमें संशोधन किया जाय । क्रियान्विति की तिथि के सम्बन्ध में हमने कहा था कि भारत में सभी राज्यों में इस सम्बन्ध में एक ही तिथि निर्धारित की जानी चाहिए अन्यथा इसकी सम्भावना है कि मालिक अपने उद्योगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जायें उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया तथा इसको समझा ही नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि एक ही रात में केरल से यह उद्योग मंगलौर चला गया और 20,000 मजदूर बेकार हो गए ।

विधेयक की एक धारा के अन्तर्गत बीड़ी के पत्तों और दूसरी चीजों को घरों में दिया जा सकता है। अत: मालिकों ने जब अपने उद्योग को स्थानान्तरित किया और वे एक महीने के पश्चात् जब दुबारा वापस आए तो उन्होंने एक प्रकार की 'पास बुक' देनी प्रारम्भ की। वे कारखानों की पद्धति को समाप्त करना चाहते थे और बीड़ी के पत्तों को घरों में देकर इसको गृह-उद्योग में परिवर्तित करना चाहते थे । इस विधेयक का उद्देश्य था कि दूसरे मजदूरों की भांति बीड़ी मजदूरों को भी वे सारी सुविधाएं प्राप्त हों। जब केरल सरकार ने इस अधिनियम को क्रियान्वित किया तो वे वापिस आए और वे इसको कुटीर उद्योग में परिवर्तित करना चाहते थे। अधिनियम की क्रियान्विति के परिणामों को समझते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कम से कम इस अधिनियम में इस प्रकार का संशोधन करेगी कि इसकी सारी कमियां दूर हो जाएं ताकि मजदूरों को इससे लाभ पहुंचे ?

श्रम, तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : मैं इस प्रश्न को जानता हूं और उस समय भी जानता था। श्री गोपालन ने मुझे एक पत्र लिखा था इसके पश्चात मैंने सारे दक्षिण राज्यों के मंत्रियों—केरल, मद्रास और आंध्र प्रदेश के श्रम मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी। कठिनाई यह है कि मैसूर राज्य ने हमारे अधिनियम को लागू नहीं किया है। उनका अपना अलग अधिनियम है। मद्रास, केरल और अन्ध्र प्रदेशों ने इस अधिनियम को लागू कर दिया है और उसके नियमों को भी बना लिया है। हमने मैसूर राज्य सरकार से इस अधिनियम को लागू करने और अपने अधिनियम को समाप्त करने का आग्रह किया है। उन्होंने अपनी सहमति दे दी है और लागू होने वाले नियम भी बना लिए हैं जिनको हमने प्रकाशित कर दिया है। जैसा श्री गोपालन ने बताया है केवल एक कठिनाई है कि कुछ मालिक केरल से मैसूर में नहीं जा रहे हैं। श्री गोपालन चाहते हैं कि मैं मैसूर सरकार को लिखूं कि वह मैसूर में उन मालिकों को न आने दें। मैंने कहा कि यह मेरे लिए सम्भव नहीं है।

श्री अ० कु० गोपालन : मैंने जो कहा और जो मैं अब कहता हूं वह यह है कि जहां तक इस अधिनियम का सम्बन्ध है यह तो अखिल भारतीय अधिनियम है, चाहे यह मैसूर में हो अथवा केरल में इसको क्रियान्वित किया जाना चाहिए ताकि मजदूरों को इससे लाभ हो।

श्री हाथी : इसके बाद हमने मन्त्रियों को बुलाया और उन्हें बताया कि उद्योग के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की स्थिति अच्छी नहीं है । अतः उन्हें चाहिए कि उन बीड़ी मालिकों को जो एक दूसरे राज्य में आते हैं, लाइसेंस देने से पूर्व बताना चाहिए कि वे उस राज्य से परामर्श लें जहां वे पहले बसे हुए थे, और उसके पश्चात लाइसेंस दें। दोनों राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में सहमत हो गई हैं । मैसूर सरकार ने भी इस पर सहमति दे दी है । यह सब कुछ मैंने कर दिया है और मैं समझता हूं कि जितना मैं कर सकता था मैंने कर दिया है ।

जहां तक अधिनियम में संशोधन करने का सम्बन्ध है, हमने यह अधिनियम और नियम सारे राज्यों पर लागू कर दिया है । केवल एक ही बात है कि मैसूर ने अपना अधिनयम लागू कर रखा है । श्री गोपालन की इच्छा है कि यदि मनुष्य अपने घर में काम करना चाहता है तो उसको घर में काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । यह तो बहुत कठिन है ।

श्री उमानाथ : इस अधिनियम की आड़ लेकर अन्य सब श्रमिकों को सताया जा रहा है।

श्री हाथी : हमने नियमों को बनाया है कि केवल परिवार के सदस्य ही घर में काम कर सकते हैं परन्तु, बाहर का श्रमिक वहां काम नहीं कर सकता । यदि कोई बाहर का व्यक्ति काम करता है तो वह औद्योगिक संस्थान माना जायगा और वे सारे नियम लागू होंगे । हमने इतना कुछ तो कर दिया है । मैं नहीं समझता कि हम इससे और अधिक कुछ कर सकते हैं । हम लोगों को उनके अपने धरों में काम करने से नहीं रोक सकते ।

कुछ सदस्य खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केरल की श्रमिक समस्या से सम्बन्धित है । अतः आप केरल के सम्बन्ध में ही प्रश्न पूछें ।

श्री शिव नारायण : यह श्रम सम्बधी समस्या है ।

अध्यक्ष महोदय : निश्चय ही, यह श्रम समस्या है । परन्तु यदि कोई सम्मानित सदस्य उत्तर प्रदेश, बिहार अथवा राजस्थान की श्रमिक समस्या के बारे में जानना चाहता है तो उसको प्रश्न का नोटिस देने का कष्ट करना पड़ेगा । तब मुझे उनके अनुपूरक प्रश्नों को पूछने में आपत्ति न होगी । परन्तु वे इसका कष्ट ही नहीं उठाते और जब कोई अन्य व्यक्ति केरल के सम्बन्ध में विशेष प्रश्न करता है तो वे अपने राज्यों के सम्बन्ध में ही प्रश्न करना चाहते हैं । यह प्रश्न सम्पूर्ण भारत की श्रमिक समस्या से सम्बन्धित नहीं है, यह तो केवल केरल से सम्बन्धित है । अतः यदि कोई माननीय सदस्य केरल में श्रमिक समस्या से सम्बन्धित प्रश्न करना चाहे तो वह कर सकता है । परन्तु वह सम्पूर्ण भारत का सर्वेक्षण न करे ।

श्री अ० कु० गोपालन : क्या मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण कर सकता हूं ? मुझे कुछ भ्रान्ति हो गई है और मैं उसका निवारण चाहता हूं । श्रम मंत्री ने बताया है कि हमने अधिनियम पारित किया है, हमने राज्य सरकारों को उसे क्रियान्वित करने को कहा है और श्रमिक अपने घरों में भी काम कर सकते हैं । इस अधिनियम का उद्देश्य श्रमिकों को बोनस और दूसरी सुविधाएं देने

का है । अधिकतर मजदूर अब कम्पनियों के सीधे श्रमिक नहीं रहे हैं । वे केवल पत्ते लेते हैं और अपने घरों में काम करते हैं । यदि आप यह कहते हैं कि यह अधिनियम उन पर लागू नहीं होता तो वे छुट्टी का वेतन जैसी सुविधाओं से वंचित रह जायेंगे । यह ऐसा नहीं है कि यदि कोई आदमी कारखाने में काम नहीं कर सकता तो उसको घर में काम करने के लिए पत्ते दे दिये जायं । इस अधिनियम के पारित हो जाने से बहुत में घर में काम करने वाले श्रमिक छुट्टी का वेतन जैसी सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे क्योंकि यह उन पर लागू नहीं होता । इसलिए मैं इस अधिनियम में एक संशोधन का सुझाव पेश करता हूं जिससे कि श्रमिकों को सुविधाएं मिलती रहेंगी ।

श्री लोबो प्रभु : मैं केरल के सदस्यों को यह बता देना चाहता हूं कि यदि वे बीड़ी उद्योग की शर्तों को अधिक आकर्षक बनाएं तो वहां इस सम्बन्ध में उद्योगपति अपना उद्योग अन्य स्थानों पर ले जाने का प्रयत्न नहीं करेंगे । मैं बीड़ी श्रमिकों की दशा से सम्बन्धित हूं । इस अधिनियम से बीड़ी श्रमिक दो प्रकार से प्रभावित हुए हैं । पहले रूप में, जैसे श्री गोपालन ने निर्देश किया है कि जब बीड़ी उद्योग कारखानों से निजी घरों में आ जायेगा तो वे सुविधाएं जो बीड़ी श्रमिकों को दी जाती थीं समाप्त हो जायेंगी । दूसरे मैं श्री गोपालन से पूर्णरूप से सहमत हूं कि मजदूरों का शोषण किया जायेगा, यदि यह काम उनके घरों में कराया जाय । इस स्थिति में यह अधिनियम भी लागू नहीं होगा । परन्तु मैं श्री गोपालन के द्वारा दिए गए सुझाव से पूर्ण रूप से असहमत हूं । अधिनियम में संशोधन लाने के बजाए क्या सरकार इस अधिनियम को पूर्णरूप से समाप्त करने के बारे में विचार करेगी ?

श्री हाथी : जी नहीं ।

Shri Bhola Nath Master: Mr. Speaker, Sir, this question relates to the area where Miss Ajitha and Mr. and Mrs. Narayanan attacked at two places. After that incident the entire industry is shifted into the private houses. This question has been asked here to please them. Hon. Minister may kindly explain.

श्री उमानाथ : अजिता नारायणन का बीड़ी उद्योग से क्या सम्बन्ध है ?

श्री हाथी : मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री क० लकप्पा : केरल के माननीय सदस्यों ने यह ठीक ही सुझाव दिया है कि यद्यपि मैसूर में एक अधिनियम है किन्तु वह केन्द्र के अधिनियम जैसा नहीं है । स्वयं श्री हाथी का यह मत है कि मैसूर सरकार ने अधिनियम को पूर्णरूप से कार्यान्वित नहीं किया है । प्रचलित कानून बीड़ी मजदूरों के हित में नहीं है । मैसूर राज्य में समस्या का कारण यह है कि वहां के बीड़ी कारखानों के मालिक ही मुख्यतया कांग्रेस को वित्त देते हैं ।

श्री उमानाथ : रहस्य खुल गया है ।

श्री क० लकप्पा : वे बड़े-बड़े बीड़ी उद्योगपतियों के हितार्थ ही अधिनियम को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं । जिस विधान से श्रमिकों का हित हो सके उसे कार्यरूप देने की बजाय वे ऐसी चालें चल रहे हैं जिससे मजदूरों के कन्धों पर कांग्रेस और उद्योगपति फल-फूल सकें । क्या भारत सरकार

इस विषय में जांच करायेगी कि मैसूर सरकार ने इस विधान को कार्यान्वित क्यों नहीं किया ? साथ ही भारत सरकार बीड़ी मजदूरों से सम्बन्धित समस्या पर क्या कदम उठाने जा रही है।

श्री हाथी : अभी तक यह विषय राजनीति से सम्बन्धित नहीं था किन्तु अब इसमें राजनीति को घसीट लिया गया है। मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न मजदूरों के कल्याण और सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया गया था अथवा कांग्रेस या किसी अन्य को दिये गये धन को ध्यान में रखकर किया गया था। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। जहां तक मैसूर सरकार का सम्बन्ध है उन्होंने नियम प्रकाशित किये हैं और हमने उनसे कहा है कि वे अपने विधान को समाप्त करके इस विधान को आगे लाएं।

श्री वासुदेवन नायर : अचानक ही केरल सरकार को दसियों हजार मजदूरों को रोजगार और पुनर्वास देने की भारी समस्या का मुकाबला करना पड़ा। कई पड़ोसी राज्य सरकारें तथा केन्द्र सरकार के सहायता विमुख रवैये के बावजूद भी इन मजदूरों को उसे सहकारी समितियों के रूप में गठिन करना पड़ा। इस मास की 17 तारीख से इन्होंने अपना उत्पादन भी प्रारम्भ कर दिया है। इन मजदूरों ने केरल दिनेश नामक बीड़ी चलायी है। अन्य राज्यों के सदस्यों से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे इस बीड़ी का प्रचार करें।

श्री भागवत झा आजाद ने कहा है कि उनके पास सहकारी समितियों में काम करने वाले दसियों हजार मजदूरों के गठन और पुनर्वास की नयी योजना के लिए केरल सरकार से कोई वित्तीय सहायता आदि की कोई योजना या प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है। सम्भव है उनका विभाग इससे अपरिचित हो किन्तु मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या वे भारत सरकार के अन्य सम्बन्धित विभागों से यह ज्ञात करेंगे कि उनके पास केरल सरकार से कोई ऐसा निवेदन प्राप्त हुआ है, और यदि हुआ है तो क्या वे इन मजदूरों को पुर्नवासित करने के लिए केरल सरकार को पर्याप्त सहायता देने में अपने प्रभाव का प्रयोग करेंगे ?

श्री हाथी : जैसा कि मेरे साथी ने बताया है हमें कोई योजना प्राप्त नहीं हुयी है। किन्तु यदि मजदूरों की कोई सहकारी समिति बनी है तो हम उनकी सफलता की कामना करते हैं। मैं या मेरा विभाग इससे सम्बद्ध नहीं है फिर भी वाणिज्य या किसी अन्य मंत्रालय में ऐसा निवेदन आया होगा तो मैं उनसे मालूम करूंगा। किन्तु उत्तम यही है कि माननीय सदस्य मुझे यह बता दें कि उन्होंने किसको लिखा है।

श्री एस० कन्डप्पन (मैटूर) : यह प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रत्येक राज्य अपना विधान बनाने की सामर्थ्य रखता है और इस विषय में मुझे किसी से विवाद नहीं करना है। किन्तु श्रम जैसे कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके हित को ध्यान में रखकर हमें विधान बनाना होता है। जब यहां विधान बनाया गया था, जब विधेयक पर सदन में विचार-विमर्श किया जा रहा था, तब इस मामले में हमें यह बताया गया था कि चर्चाधीन विधेयक मद्रास विधान के अनुरूप है। कुछ राज्य

जैसे मद्रास राज्य, पहले ही इस सम्बन्ध में विधान बना चुके थे। इन सभी बातों पर विचार करते हुए, यदि हम ऐसा विधान बनाते हैं जिससे श्रमिकों के हितों की रक्षा न हो सके तो विधान के नाम परिहास ही होगा। यह समस्या गम्भीर है—जिस समय सदन में विधेयक पर विचार-विमर्श हो रहा था, यह समस्या उठाई गई थी। श्रमिकों और विशेषकर बीड़ी मजदूरों, जो कि देश के न्यूनतम वेतन भोगी हैं, के हितों की रक्षा के लिए मंत्री महोदय से मैं यह पूंछना चाहूंगा कि, यदि वे अधिनियम में सुधार सम्बन्धी श्री गोपालन की मांग को स्वीकार नहीं करते हैं तो वे कौन से अन्य ठोस उपाय करने जा रहे हैं जिनसे श्रमिकों में विश्वास पैदा होने के साथ-साथ उनके हितों की रक्षा भी हो सके।

श्री हाथी : देश भर के मजदूरों की सुविधाओं में एकरूपता लाने के विचार से अधिनियम पारित किया गया था। सभी राज्यों ने इसे लागू कर लिया है केवल मैसूर सरकार का ही अपना अधिनियम है और उन्होंने कहा है कि वे नियमों का पालन करेंगे किन्तु मजदूरों को प्राप्त सुविधाओं के अन्तर को देखते हुए हमने उन्हें विश्वास दिलाया है तथा मैसूर सरकार अपने अधिनियम को निरसित करने के लिए राजी हो गई है। अतः किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता नहीं है।

सूती कपड़ा उद्योग सम्बन्धी वित्तीय मजूरी बोर्ड

+

*62. **श्री द० रा० परमार :**
श्री रा० की० अमीन :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री उमानाथ :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री के० रमानी :
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ई० के० नायनार :
श्री रणजीत सिंह :
श्री ब्रजभूषण लाल :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री वंशनारायण सिंह :
श्री ओंकार सिंह :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री मुहम्मद इमाम :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री चं० चु० देसाई :
श्री सूरज भान :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती कपड़ा उद्योग सम्बन्धी वित्तीय मजूरी बोर्ड ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्योरा क्या है तथा उनके सम्बन्ध में सरकार का क्या निर्णय है;

(ग) क्या यह सच है कि मिल मालिकों के प्रतिनिधियों ने बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर मजदूरों को अधिक मजूरी देने में असमर्थता व्यक्त की है; और

(घ) सरकार द्वारा मिल मालिकों से इन सिफारिशों का तथा अन्य सिफारिशों को क्रियान्वित कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) बोर्ड की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है । इनकी सरकारी निर्णयों सहित यथाशीघ्र घोषणा की जायेगी ।

(ग) जी हां ।

(घ) मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति का प्रश्न तभी उठेगा जब उन पर सरकारी निर्णयों की घोषणा की जायेगी ।

श्री द० रा० परमार : क्या माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात है कि लगभग 20 कपड़ा मिलें बन्द हो गई हैं तथा लगभग 20,000 श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं ? मैंने सुना है कि कुछ श्रमिकों ने गुजरात विधान सभा के सामने भूख-हड़ताल भी प्रारम्भ कर दी है । यदि यह स्थिति कुछ लम्बे काल तक बनी रही तो इसका कपास उगाने वाले तथा अन्य कृषकों पर भी प्रभाव पड़ेगा । क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या सरकार ने बन्द हुई मिलों को पुनः चलाने के लिए कोई उपाय किया है और नहीं तो उसका कारण क्या है ?

श्री हाथी : मजदूरी बोर्ड की यह सिफारिशें सरकार के पास हैं । किन्तु प्रतिवेदन में सम्मति की एकता नहीं है । कार्य को शीघ्रता देने के लिए हमने इसी मास की 23 तारीख को बैठक बुलाई है जिससे कि उन पर विचार किया जा सके ।

श्री द० रा० परमार : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने बेकार मजदूरों को काम देने के लिए कोई अन्य उपाय सुझाया है ?

श्री हाथी : मुख्य प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, इसका सम्बन्ध तो मजूरी बोर्ड की सिफारिशों से है ।

श्री रा० की० अमीन : हमारे देश में मजूरी बोर्ड नियुक्त करने की पद्धति तो सामान्य-सी है । इस बोर्ड से मजदूरी तथा कीमतें बढ़ जाती हैं तथा परिणामस्वरूप उपभोक्ता को हानि उठानी पड़ती है । कपड़ा उद्योग में हमारे सामने ऐसी स्थिति है कि जिसमें मिलें बन्द हो रही हैं । श्रम तथा पूंजी कम मजदूरी पर काम करने के लिए तत्पर हैं किन्तु वह कर नहीं सकते । कुछ ऐसी कपड़ा मिलें हैं जहां श्रमिक कम मजूरी पर काम करने को तैयार हैं किन्तु बेरोजगारी के कारण उन्हें कम मजदूरी भी नहीं मिल रही है । जापान में मजदूरी में कमी-वेशी पाई

जाती है और इसी के कारण उन्हें बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ता तथा वहां की मिलें संकट-ग्रस्त नहीं होतीं। क्या सरकार उसी प्रकार की कमीवेशी लाने का विचार कर रही है तथा किसी भी उद्योग, और विशेषकर कपड़ा उद्योग, के लिए मजदूरी बोर्ड नियुक्त करते समय द्वितीय मजदूरी बोर्ड को बता रही है कि वह सम्पूर्ण परिस्थिति का इसी बात को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करे।

श्री हाथी : मजदूरी बोर्ड यह पता लगाने के ध्येय से नियुक्त किये जाते हैं कि मजदूरों को पर्याप्त मजदूरी मिलती है या नहीं अथवा क्या मजदूरी बढ़ाने की आवश्यकता है। यह सत्य है कि कुछ मिलें बजाय मुनाफे के घाटे पर चल रही हैं और उनमें से कुछ बन्द हो गई हैं। यह भी सत्य है कि कुछ मजदूर कम मजदूरी पर काम करने को तैयार हैं। परन्तु इस प्रश्न में उन अन्य मिलों पर विचार करना है जो मुनाफे में चल रही हैं तथा जिनमें भुगतान करने की क्षमता है। जहां तक संकट-ग्रस्त मिलों का सम्बन्ध है श्रमिकों और नियोक्ताओं में परस्पर सहमति तो हो सकती है। किन्तु जिन मिलों में भुगतान करने की क्षमता है उन पर, श्रमिकों से विचार-विमर्श करने के बाद मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू किया जायेगा।

श्री चेंगलराया नायडू : क्या यह सत्य है कि बोर्ड की अधिकतर सिफारिशों पर मतैक्य का अभाव है क्योंकि बोर्ड में सम्मिलित कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने सिफारिशों पर हस्ताक्षर नहीं किये और उन्हें प्रतिवेदन मान्य नहीं था? यदि यह सत्य है, तो क्या कर्मचारी इसलिए राजी नहीं हुए क्योंकि जितनी मजदूरी की सिफारिश की गई थी वह उनके अनुसार कम थी और क्या नियोक्ता इस कारण सहमत नहीं थे क्योंकि उनके हिसाब से मजदूरी अधिक थी? यदि ऐसा है तो क्या सरकार मिलों से उत्पादन-शुल्क को घटाने के सवाल पर विचार करेगी जिससे कि मिल मालिक अपने कर्मचारियों को कुछ अधिक धन दे सके?

श्री हाथी : यह प्रश्न वित्त मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए।

श्री उमानाथ : देश के कपड़ा मिलों के मजदूरों के लिए यह तथाकथित मजदूरी बोर्ड अन्ततः निराकपट-कार्य सिद्ध हुआ है। लगभग 9 वर्ष पहले, 1960 में औद्योगिक क्षेत्र के लिए वर्तमान न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई थी। प्रतिवेदन से मुझे ज्ञात होता है कि इन्होंने न्यूनतम मजदूरी—न्यूनतम मूल वेतन—के दोहराने से साफ इंकार कर दिया है। यह भी पता चलता है कि इन्होंने अधिकतर मजदूरों को महंगाई भत्ता देने से भी स्पष्ट इंकार कर दिया है। मजदूरों के केवल छोटे से वर्ग को एक या दो रुपये की नगण्य राशि देने की सिफारिश की गई है। सम्पूर्ण सिफारिशों का सार यही है कि 1960 से 15 वर्ष के लिए मजदूरी का स्थिरीकरण हो। ऐसी स्थिति में मैं जानना चाहूंगा कि सरकार मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को रद्द करने तथा नियोक्ताओं को इस बात से मजबूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहती है कि वे 1960 में लागू न्यूनतम मजदूरी तथा महंगाई भत्ते पर विचार करके परिवर्तन करे, अन्यथा देश भर के कपड़ा-मिल मजदूर इसका प्रतिरोध करेंगे?

श्री हाथी : प्रश्न है कि क्या सरकार ने मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार किया है या नहीं। मेरा उत्तर था कि हमने अभी उस पर कोई निर्णय नहीं दिया। हमने श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच समस्या पर विचार-विमर्श करने के लिए 25 जनवरी को बैठक बुलाई है। उस बैठक में यदि कर्मचारियों का यह दृष्टिकोण हुआ कि सिफारिशें रद्द कर दी जाएं तो सरकार उस पर विचार करेगी। किन्तु तब सवाल यह है कि जिसे भी कुछ अधिक प्राप्ति होनी होगी उसे उसकी कुछ दिन और प्रतीक्षा करनी होगी।

Shri Bhogendra Jha : Mr. Speaker, Sir, this question is repeatedly raised that on the one hand the prices of the textiles are raised and on the other hand, the Mills are being closed due to losses. This tendency has been in existence for some years past. Does Hon. Minister clearly know whether the mills are closed because they face a situation of loss or because they want to earn more profit and whether by closing down the mills, in place of raising the wages, the number of unemployed persons is increased ? I would also like to know from the Hon. Minister whether some of the textile mills are also closed when other similar mills in their group are functioning normally, or whether the closure of mills is only manipulated to add to the problem of unemployment ? He has promised to consider this issue. Will he consider it from this view point also ?

Shri Hathi : It will be considered from all view points including this view point.

श्री के० रमानी : मजदूरी बोर्ड नियुक्त करने में यही नीति होती है कि वर्तमान मजदूरी में वृद्धि की जाय। यह स्पष्ट बात है कि वर्तमान मजदूरी में वृद्धि होनी चाहिए तथा इसीलिए मजदूरी बोर्ड नियुक्त किया गया है। किन्तु क्या मजदूरी में वृद्धि को सम्बद्ध करने का कोई और कारण भी है तथा कार्यभार की तुलना में यह राशि नगण्य प्रायः है ? मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि इस मजदूरी बोर्ड पर मिल मालिकों के भारी दबाव के कारण ?

अध्यक्ष महोदय : कारण देने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे प्रश्न पर आइये।

श्री के० रमानी : मैं जो बात उठा रहा हूं वह काफी संगत है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रसन्नता है कि वह समझ गये हैं।

श्री के० रमानी : क्या यह सत्य है कि मिल मालिकों ने मजदूरी बोर्ड पर इस बात के लिए भारी दबाव डाला था कि यदि बोर्ड की सिफारिशों में कोई ऐसी बात आती है कि कार्यभार के व मजदूरी के प्रश्न को परस्पर अवश्य सम्बद्ध किया जाना चाहिए ? यह अच्छी बात है कि सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं दिया है, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया। अतः अभी सरकार के पास मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों में परिवर्तन करने का अवसर है। श्री उमानाथ का सुझाव था कि सिफारिशों को रद्द कर दिया जाये। किन्तु मेरी प्रार्थना है कि अभी उनके पास इन पर पुर्नविचार करने का समय है। क्या सरकार बताएगी कि वह उन सिफारिशों पर पुर्नविचार करना चाहेगी तथा मूल मजदूरी में एक खासी मात्रा तक वृद्धि करेगी। साथ ही कार्यभार के साथ मजदूरी को सम्बद्ध करने के प्रश्न पर विचार का ख्याल भी छोड़ देगी ?

श्री हाथी : अभी तो हमें 25 तारीख को सिफारिशों पर विचार करना है अतः उन पर पुर्नविचार करने का प्रश्न ही नहीं आता।

श्री उमानाथ : जब हम इतनी जल्दी विचार कर सकते हैं तो माननीय मंत्री महोदय क्यों नहीं कर सकते ?

श्री के० रमानी : सरकार को विचार करने का अवसर अभी मिला है।

श्री के० एम० अब्राहम : चार वर्ष पूर्व, जैसे ही इस मजदूरी बोर्ड का गठन हुआ था मिल मालिकों ने सरकार तथा मजदूरी बोर्ड के सदस्यों पर दबाव डालना शुरू कर दिया था, जिससे कि पहले मजदूरी बोर्ड ने जितनी मजदूरी देने की सिफारिश की थी उसकी तुलना में यह बोर्ड कम मजूरी की सिफारिश करे। मिल मालिक मिलों को बन्द करने, मजदूरों की छटनी करने तथा महंगाई भत्ता या मजदूरी में कमी करने जैसी बातें करके कपड़ा उद्योग में कृत्रिम संकट उत्पन्न कर रहे थे। उन्होंने यह सब मजदूरी बोर्ड पर दबाव डालने के निमित्त किया। चूंकि सरकार इसी माह के दौरान बैठक बुला रही है, इसलिए क्या वह इस कृत्रिम संकट को ध्यान में रखकर श्रमिकों को अधिक मजदूरी देने की सिफारिश करेगी ?

श्री हाथी : जैसा कि मैं कह चुका हूं, मजदूरी बोर्ड की सिफारिशें कुछ भी हों, हमें उनपर विचार करना है। प्रश्न यह नहीं है कि जितनी मजदूरी के लिए मजदूरी बोर्ड ने कहा है उससे अधिक की सिफारिश न की जाय। यह प्रश्न तो तभी उत्पन्न होता है जब हम सभी सिफारिशों पर विचार करें।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वह अभी तक सिफारिशों से अवगत ही न हों। वह भली प्रकार जानते हैं कि इस मजदूरी बोर्ड ने चार वर्ष के परिश्रम के उपरांत अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। यह मति वैविध्य भी है तथा अन्य बातों के अतिरिक्त इसमें निम्नलिखित बातों की भी सिफारिश की है। मूल मजदूरी के साथ महंगाई भत्ते को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में आठ नौ वर्ष पूर्व के पहले मजदूरी बोर्ड की सिफारिश अभी तक कार्यान्वित नहीं हुयी है और अब इसे कार्यान्वित कर देना चाहिए। दूसरे, उनकी सिफारिश है कि श्रमिकों की मूल मजदूरी में प्रति वर्ष एक रुपया की वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, अब 25 तारीख को बैठक बुलायी गई है। किन्तु मैं ऐसी कोई कल्पना नहीं करता कि ये बोर्ड के निर्णय को सुधार कर मजदूरी में कोई वृद्धि करेंगे ; मैं तो यह समझाता हूं कि यह बैठक उसमें कटौती करने के लिए बुलायी गई है क्योंकि नियोक्ताओं को इसमें भी आपत्ति है और वह कह रहे हैं कि हम इतना भी देने में समर्थ नहीं हैं। मंत्री महोदय से ही मैं इसे जानना चाहता हूं। जब कि केवल एक रुपये की वेतन-वृद्धि की सिफारिश की गयी थी और जब कि 1960 में की गयी पिछली सिफारशें भी कार्यान्वित नहीं हो पायीं तब इस बैठक को बुलाने का कौन सा तात्पर्य हो सकता है ? हो सकता है इसमें मजदूरों को भावी समझौतों और भावी कटौती स्वीकार करने के लिए विवश किया जाय।

श्री हाथी : श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने कहा है कि मैंने सिफारिशों को पढ़ा नहीं है। मेरा इनको जानने या न जानने का प्रश्न नहीं उठता। बात यह है कि सिफारिशें एक मत से नहीं की गई हैं। मालिकों ने कुछ कहा है श्रमिकों ने कुछ और बात कही है; और अध्यक्ष महोदय और स्वतन्त्र सदस्य ने कुछ और ही बात कही है, और स्वतन्त्र सदस्य ने फिर कहा है कि उसने जो बात कही है परन्तु उसका निर्वचन सर्वथा अलग है। इसलिए मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को पेश नहीं कर सकता, मैं तो केवल सरकार का निर्णय पेश कर सकता हूं। किन्तु मैं आदरणीय सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूं कि इसका आशय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों में कमी करना नहीं है। इसका विचार यह है कि यदि मालिकों और श्रमिकों के बीच सही समझौता हो जाय तो इसकी क्रियान्विति अपेक्षाकृत कहीं अधिक सरल हो जायगी।

श्री ई० के० नायनार : मजूरी बोर्ड ने चार वर्ष के पश्चात एक निर्जीव शिशु को जन्म दिया है······।

श्री उमानाथ : एक मृत-नवजात शिशु।

श्री ई० के० नायनार : मजदूरों के लिए हितकर सिफारिशों का जब मालिक प्रतिरोध करते हैं तो श्रम मन्त्री उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने को तैयार नहीं होते। इसका प्रमाण आज हमें बीड़ी और सिगार से सम्बन्धित प्रथम प्रश्न से मिल गया है और अब हमें इस मजूरी बोर्ड से सम्बद्ध प्रश्न से मिल रहा है। इसके अतिरिक्त, मजूरी बोर्ड ने केवल एक प्रतिशत वार्षिक बढ़ोतरी देने के लिए बहुमत से सिफारिश की है परन्तु मालिक इसका भी प्रतिरोध कर रहे हैं। विशेषरूप से बिरला टैक्सटाइल मिल तो केवल एक रुपया बढ़ोतरी देने का भी प्रतिरोध कर रही है। जब कि सरकार श्रमिकों के प्रति नरमी का व्यवहार नहीं करती क्या वे उनकी छोटी सी आयु जो आज मजदूरों को उपलब्ध है, में वृद्धि करने के लिए तैयार हैं और क्या सरकार मिल मालिकों की सिफारिशों का प्रतिरोध करने को राजी है।

श्री हाथी : श्रमिकों के प्रतिनिधियों की सिफारिशें भी हैं। मजूरी बोर्ड में श्रमिक भी सम्मिलित हुए हैं। हमारे पास उनकी भी सिफारिशें हैं और उनकी सिफारिशों पर अवश्य विचार करेंगे और इसका ध्यान रखेंगे कि श्रमिकों को कुछ और अधिक लाभ हो।

श्री ई० के० नायनार : जब मिल मालिक प्रतिरोध करते हैं तो वह झुक जाते हैं।

श्री हाथी : झुकने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

Shri Ram Gopal Shalwale : Mr. Chairman, according to the information given, there are about six hundred such mills which are about to be closed down on grounds of suffering continuous losses and as a result of this there is a possibility of lakhs of workers employed therein becoming unemployed. I want to know whether Government have enquired into the facts and whether there is any truth in it? If so, whether Government have any plan to help those mills to run of their own so that lakhs of workers are not rendered unemployed?

श्री हाथी : यह प्रश्न इससे सम्बद्ध नहीं है। इसका कपड़ा निगम से सम्बन्ध है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं काफी अनुपूरक प्रश्न पूछे जा चुके हैं। यदि और अधिक प्रश्न किये जायेंगे तो वे केवल इनकी पुनरावृति मात्र ही होंगे। अतः क्या मैं अब दूसरे प्रश्न को लूं ?

कुछ सदस्यगण : जी हां।

श्री हुकम चन्द कछवाय उठे—

श्री कंवरलाल गुप्त : मेरा नाम भी सूची में है। अतः मुझे भी यह प्रश्न करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं श्री कंवरलाल गुप्त को बुलाता हूं तो मुझे उन कई सदस्यों को भी बुलाना पड़ेगा जिनके नाम सूची में इनके नाम से पहले हैं।

श्री लोबो प्रभु : श्री हुकम चन्द कछवाय को अनुमति दे दी जाय। वह श्रमिक हैं।

अध्यक्ष महोदय : हमें निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। मैं उन्हीं के नाम पहले बोलूंगा जिनके सूची में पहले लिखे हैं। उस माननीय सदस्य को दूसरों की अपेक्षा क्यों प्रोत्साहन दिया जाए जिनके नाम सूची में नहीं हैं ?

Shri Kanwar Lal Gupta: Mr. Speaker, the recommendations of the Second Wage Board, which have been delayed for four years should have been implemented in 1966. These recommendations should have come much earlier. I want to know from the Hon. Minister since these have already been delayed these should have been implemented much earlier and will the Hon. Minister assure, whatever decision Government may take it will be earlier and not that these would be kept hanging in the air for a year or so. Secondly, the decision taken to implement it by the Government should be in such a way so that the Mill-owners or Industrialists may not delay it or may not take it to a Court of Law? Is the Government taking any specific steps in this regard?

श्री हाथी : यह अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत प्रकार का प्रश्न है। मजूरी बोर्ड की सिफारिशें तो एक महीने पहले ही मिली हैं। श्रमिकों और मालिकों दोनों ने मजूरी बोर्ड में प्रतिनिधित्व किया है। हम तो केवल उनसे प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत करने का निवेदन कर सकते हैं। परन्तु दूसरा प्रश्न तो अपेक्षतया अधिक विस्तृत है। जैसे कि इन सिफारिशों को लागू कराने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, मजूरी बोर्डों का गठन इस समय संविधिक आधार पर नहीं है। यह वैधानिक प्रणाली नहीं है और इसलिए सांविधिक रूप से इसको लागू नहीं किया जा सकता। इस प्रश्न पर समग्र रूप से विवाद किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय श्रम आयोग के समक्ष है। स्थाई श्रम समिति ने एक उप-समिति की नियुक्ति की है। मैं समझता हूं कि इन्होंने अपनी संमत्रणा पूरी कर दी है। जैसे ही हमें प्रतिवेदन मिलेगा हम इस पर विचार करेंगे कि इन सिफारिशों को संवैधानिक अथवा अनिवार्य बनाने में क्या कदम उठाये जाएं।

श्री क० प्र० सिंह देव : क्योंकि कपड़ा उद्योग पर या तो मालिकों का या श्रमिकों का किसी न किसी रूप में एकाधिकार है, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भी मजूर बोर्ड की व्यवस्था करते हुए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्री हाथी : निर्दलीय सदस्य इसके आर्थिक पहलू को ही देखते हैं और यहां सभापति महोदय भी मौजूद हैं ।

Shri Suraj Bhan (Ambala) : Mr. Speaker, Sir, keeping in view the increasing discontent prevailing amongst the workers and the fact that after their year's struggle a Wage Board is appointed and that it only after taking several years it submits its report and that after the report is received by the Government, it also takes years together, and to arrive at any decision and then no machinery is there to implement it. I want to ask the Hon. Minister to state whether Government will take any steps to implement it so as to remove the prevailing acute discontent amongst the workers which, in turn, affects the public in general as the people have to use the mill made cloth.

श्री हाथी : मैंने अभी पिछले प्रश्न के उत्तर में कहा है कि यह एक विस्तृत प्रकार का प्रश्न है और हम इस पर वास्तव में विचार कर रहे हैं ।

Shri Hukam Chand Kachwai : What I want to know is whether Government will implement the recommendations of this particular Wage Board and to that end take specific steps. As it happens, we find that a Wage Board is formed, after years of inactivity on its part, another Wage Board is formed. The Congress Government submits to the pressure of mill owners and don't implement recommendations which benefit the workers.

Shri Hathi : What the Hon. member has said that when it should have been implemented, it was not implemented is wrong. It has not yet been decided as to from when it should be implemented.

जहां तक विलम्ब और दूसरी बातें हैं हम जानते हैं कि इनमें समय लगता है और इसलिए हम मजूरी बोर्ड के गठन सम्बन्धी समस्त पहलुओं पर विचार कर रहे हैं ।

प्रश्न संख्या 77 के बारे में
Re. Question No. 77

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 63

श्री स० कुन्दू : मेरा सुझाव है कि इस प्रश्न के साथ प्रश्न संख्या 77 को भी लिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं ।

भारतीय रेलवे सम्बन्धी राष्ट्रीय श्रम आयोग का अध्ययन दल

*63. **श्री ए० श्रीधरन :**

श्री गु० चं० नायक :

श्री दे० अमात :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे कर्मचारियों की मजूरी निर्धारित करने के लिये राष्ट्रीय

श्रम आयोग द्वारा नियुक्त किये गये अध्ययन दल ने सरकार को अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस बीच उन सिफारिशों पर विचार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ). रेल परिवहन सम्बन्धी अध्ययन दल ने राष्ट्रीय श्रम आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस समय सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने पर ही इस पर विचार करेगी।

श्री गु० च० नायक : क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग मजदूरी के अतिरिक्त रेलवे कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों, विशेषकर ड्राइवर, पैंटमैन, फायरमैन और विभिन्न स्टेशनों के नियन्त्रण कक्ष के अधिकारियों, की सेवा की अन्य स्थितियों का अध्ययन कर रहा है ? यदि हां, तो उसकी सिफारिशों का ब्योरा क्या है ?

श्री भागवत झा आजाद : राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अपनी सिफारिशें अभी तक प्रस्तुत नहीं की हैं। अतएव इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री दे० अमात : जब राष्ट्रीय आयोग निर्धारित समय पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकी है तो क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि रेलवे मंत्री महोदय ने कल रेलवे बजट प्रस्तुत करते समय उन अतिरिक्त वित्तीय भार को ध्यान में क्यों रखा जिसको कि रेलवे को वहन करना है ?

श्री भागवत झा आजाद : आपको प्रशंसा करनी होगी कि हमने इस मामले में टिप्पणी नहीं की।

चीन को सवा (मिलेट) का निर्यात

*64. **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र से चीन को पश्चिम बंगाल में शालीमार के मार्ग से होकर 10,000 बोरे सवा (मिलेट) का निर्यात किया गया था ;

(ख) क्या व्यापारियों ने इसका निर्यात करने के लिये राज्य सरकार से अनुमति मांगी थी ;

(ग) क्या इस सवा का लदान रेलवे अधिकारियों ने किया था और यदि नहीं तो इसका लदान किस प्रकार हुआ था ; और

(घ) अपराधियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) महाराष्ट्र से पश्चिमी बंगाल में मुख्यतः शालीमार को लगभग 10,000 बोरियां सवा (मिलेट) की भेजी गयी थीं। यह बताने के लिये कोई प्रमाण नहीं है कि शालीमार को भेजी गयी सवा चीन को निर्यात कर दी गई थी।

(ख) एक पार्टी ने इस प्रकार के निर्यात के लिये जोकि पहले ही कर दिया गया बताते हैं, अनापत्ति प्रमाण-पत्र मांगा था जो कि नहीं दिया गया था। किसी भी निर्यात की निर्यात करने से पूर्व कोई अनुमति नहीं मांगी गयी थी।

(ग) और (घ). सवा रेल से भेजी गयी थी। जिन परिस्थितियों में माल की बुकिंग हुई और अन्य सम्बन्धित मामलों की केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा अभी भी जांच की जा रही है। उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

Shri Shri Chand Goyal : I want to know from the Hon. Minister that when they got the informatfon that 10,0C0 bags of sava have reached Shalimar and after this complaints were made that the consignments have actually reached China and it was not used there then whether the Government, taking this into consideration, took steps immediately to investigate the whole thing. If not, then what are the reasons for the delay ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैंने कहा है कि केन्द्रीय जांच आयोग इन सब मामलों की जांच कर रहा है। अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि निर्यात हुआ था, जैसा कि आरोप लगाया गया था।

Shri Shri Chand Goyal : I also want to know whether the Government have received such complanits that foodgrains are exported to China by smuggling through Bihar, Nepal and East Pakistan ? May I know whether the Government have conducted investigation on such complaints ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह प्रश्न की सीमा से बाहर है। यह एक विशेष प्रश्न है जो कि महाराष्ट्र से शालीमार को निर्यात करने से सम्बन्धित है।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : मैं सरकार की नीति जानना चाहता हूं, क्या भारत सरकार नेपाल, मकाओ अथवा हांग-कांग के रास्ते से चीन को होने वाले निर्यात के पक्ष में है या विपक्ष में ? क्योंकि नेपाल और अन्य स्थानों से चीन को माल चला जाता है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य वाणिज्य मंत्रालय से भारत सरकार की निर्यात सम्बन्धी नीति जानने के बारे में अलग प्रश्न पूछ सकते हैं ;

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : खाद्य उत्पादनों के बारे में भी ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : जहां तक खाद्य उत्पादन का सम्बन्ध है, हम किसी भी देश को खाद्यानों का निर्यात नहीं करते, इस समय यही नीति है ।

श्री हेम बरुआ : चीन से भारत तथा भारत से चीन को होने वाली वस्तुओं की तस्करी के अलावा गत वर्ष चीन से भारत को बहुत सा माल पूर्वी पाकिस्तान व आसाम की सीमा के रास्ते से तस्करी के रूप में भारत भेजा गया । यह माल 7 करोड़ मूल्य का था और इसका पता लगा लिया गया था । यह कैसे सम्भव हो सकता है कि लोग चीन को सावा का निर्यात करें जबकि चीन के साथ हमारा कोई व्यापारिक करार नहीं है ? सरकार ने ऐसे अपराधियों पर अभियोग चलाने के लिये क्या कदम उठाये हैं जिन्होंने कि सामान्य नियम तथा अन्तर्राष्ट्रीय नीति शास्त्र का भी उल्लघंन किया है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : महाराष्ट्र के कुछ रेलवे स्टेशन से सावा पश्चिमी बंगाल के स्टेशन तथा उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली के कुछ स्टेशनों को बुक किया गया था । मैंने पहले ही कहा है कि केन्द्रीय जांच आयोग के जांच परिणाम यह नहीं बताते हैं कि ऐसा निर्यात किया गया था ?

मछली पकड़ने के लिये माल्पे पत्तन का विकास

*65. **श्री क० लकप्पा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूगोस्लाविया की एक फर्म के सहयोग से मछली पकड़ने के लिये माल्पे पत्तन का विकास करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजनाओं तथा प्राक्कलनों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ग) उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) मैसूर सरकार ने माल्पे में एक मछली पकड़ने के लिये बन्दरगाह बनाने का प्रस्ताव रक्खा है जिसके लिये यूगोस्लाविया की एक फर्म ने एक प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है ।

(ख) जी नहीं । राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे विस्तृत परियोजन रिपोर्ट भेजें ताकि उस पर विचार किया जा सके ।

(ग) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री क० लकप्पा : देश में खाद्य की कमी को देखते हुए मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार देश में मत्स्य ग्रहण में वृद्धि करने के लिये माल्पे पत्तन के विकास करने के बारे में सोचेगी । हाल ही में मैसूर सरकार ने कहा है कि वे भारत सरकार के प्रतिनिधियों से इस मामले

में कार्यवाही करने के लिये मिले थे। भारत सरकार ने इस पत्तन के विकास में तेजी लाने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : योजना की प्रतीक्षा की जा रही है। मैं यह कहना चाहूंगा कि मैंने हाल ही में इन पत्तनों और बन्दरगाहों का दौरा किया था। भारत सरकार ने गत डेढ़ वर्षों के दौरान मैसूर सरकार को इन बन्दरगाहों के विकास के लिये 42 लाख रुपयों की मंजूरी दी है।

श्री क० लकप्पा : दूसरा प्रश्न।

अध्यक्ष महोदय : यह बिलकुल ठीक है, वह कोई इससे अच्छा उत्तर नहीं देगें। अगला प्रश्न...

खाद्य क्षेत्र

*67. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री झा० सुन्दर लाल :
श्री रा० बरुआ :
श्री लोबो प्रभु :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री सोमचन्द सोलंकी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सरकारी खाद्यान्न भण्डार की क्या स्थिति है ;

(ख) क्या यह सच है कि राज्यों में खाद्यान्नों की कीमतें तुलनात्मक दृष्टि से गिर गई हैं ;

(ग) क्या इसको देखते हुए सरकार का 'एक राज्य खाद्य क्षेत्र' व्यवस्था को समाप्त करने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय और राज्य सरकारों के पास चावल, गेहूं और मोटे अनाजों का मौजूदा स्टाक लगभग 40 लाख मीटरी टन है।

(ख) से (घ). यद्यपि खाद्यान्नों के मूल्यों में आमतौर पर नरमी रही है इसलिये स्थिति ऐसी नहीं है कि सीजन के मध्य में खाद्यान्नों के संचलन पर लगे प्रतिबन्धों के क्षेत्रीय ढांचे में कोई बड़ा परिवर्तन किया जाये। पूर्व की भांति, स्थिति की समीक्षा रबी की कटाई शुरू होने से पूर्व मुख्य मन्त्रियों के अगले सम्मेलन में की जायेगी।

श्री रा० बरुआ : खाद्य स्थिति में सुधार को देखते हुए जनता का यह विचार बनता जा रहा है कि खाद्य-क्षेत्र को समाप्त कर दिया जाये और साथ ही साथ हम यह भी नहीं भूल सकते

कि भारत की खाद्य नीति अधिकतर प्रकृति की भिन्नता पर निर्भर है । अतएव मैं जान सकता हूं कि सरकार यह आश्वासन देगी कि वे इस स्थिति को तब तक नहीं बदल सकते जब तक कि उन्हें यह आश्वासन नहीं मिल जाता कि वैज्ञानिक तरीके से खाद्य उत्पादन में विशेषकर सिंचाई के मामले में सुधार नहीं किया जाता है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जैसा कि मैंने अपने उत्तर में कहा है कि आमतौर पर खाद्य नीति विभिन्न राज्य सरकारों के मुख्य मन्त्रियों के परामर्श के आधार पर बनाया जाता है । आमतौर पर वर्ष में दो बार सम्मेलन होता है । एक सम्मेलन खरीफ फसल से और एक रबी फसल से पहले होता है । हम मुख्य मंत्रियों से सलाह मशविरा करेंगे और सर्वसम्मति के आधार पर खाद्य सम्बन्धी भविष्य की नीति बनायी जायेगी ।

श्री रा० बरुआ : विभिन्न राज्यों में विभिन्न राजनैतिक स्वरूप को देखते हुए मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने यह अन्तिम निर्णय कर लिया है कि खाद्य वसूली के मामले में समान नीति अपनायी जायेगी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमारा यह सामान्य अनुभव रहा है कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न दलों के सत्तारूढ़ होने के बावजूद भी राज्य सरकारों से अपेक्षित सहयोग मिल रहा है ।

श्री लोबो प्रभु : सरकार करीब दो वर्षों से क्षेत्रीय अवरोधों के प्रश्न पर पुनर्विचार करने का वचन देती रही है, जब से मैं संसद में आया हूं तबसे यह वचन दिया जाता रहा है कि सरकार इस पर अगले सत्र में विचार करेगी । यहां तीनों बातों पर विचार करना होगा । पहला उत्पादक क्षेत्रों और उपभोग करने वाले क्षेत्रों में 40 से 100 प्रतिशत तक का भारी अन्तर है । क्या यह उचित है कि उत्पादक को 40 से 100 प्रतिशत तक कम मूल्य मिले । क्या उपभोक्ता के लिये यह उचित है कि वह उस स्थान के मूल्य से 40 से 60 प्रतिशत अधिक दे जहां कि इसका उत्पादन किया जाता है । तीसरी बात यह है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और इससे मंत्री महोदय भी इनकार नहीं करेंगे । ये अवरोध तस्करी को बनाये रखने के लिये स्थापित किये गये हैं, इसमें भारी अन्तर होने से तस्करी होती है । मैं बिना किसी आरोप लगाने के विचार से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह तस्करों को सहयोग दे रही है ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : इस प्रकार के तर्क माननीय सदस्य द्वारा प्रायः दिये जाते हैं । उनको याद रखना चाहिए कि चावल और गेहूं को छोड़कर, जबकि देश की स्थिति में सुधार होता है, खाद्यानों पर लगाये गये विभिन्न पाबन्दियों को शिथिल बनाया जा रहा है तथा उनको हटाया जा रहा है । बहुत से राज्यों में चावल और गेहूं को छोड़कर सब अन्य खाद्यानों के आवागमन पर लगी पाबन्दियों को शिथिल किया गया है । परन्तु इससे लाभ हीं नहीं मिले हैं, हाल ही में मैसूर में मक्का के मूल्य गिरे और मैंने पाबन्दियों को हटाने की सलाह दी, कुछ समय पहले मुझे मैसूर सरकार से पत्र मिला कि पाबन्दी को हटाने के बाद कुछ दिनों

तक मूल्य में बढ़ोतरी हुई परन्तु मैसूर के किसानों को इससे लाभ नहीं हुआ। माननीय सदस्य ने जो बार-बार तर्क दिया है, कि पाबन्दी को हटाने से उत्पादकों को अधिक आय प्राप्त होगी, ठीक नहीं है।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : देश में भुगतान संतुलन की स्थिति निर्यात बढ़ने और आयात घटने से काफी सुधरी है। ऐसी आशा की जाती है कि दो-तीन वर्षों में भुगतान का संतुलन वास्तविक संतुलन की स्थिति में आ जायेगा अगर खाद्य मंत्रालय को खाद्यानों के आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। क्या मंत्री महोदय सभा को यह आश्वासन देंगे कि वे इस बात का भरसक प्रयत्न करेंगे कि कुछ वर्षों में खाद्यानों के आयात को रोक दिया जाये? इस सम्बन्ध में उनकी क्या योजना तथा आशाएं हैं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हम हर प्रयत्न कर रहे हैं कि उत्पादन बढ़े और हम शीघ्रातिशीघ्र खाद्य उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएं। अगर माननीय सदस्य गत कुछ वर्षों में आंकड़ों को देखेंगे तो वे आयात में उत्तरोत्तर कमी पायेंगे।

श्री जगजीवन राम : इस सभा में बहुत बार कहा गया है कि हमने यह निर्धारित किया है कि 1970-71 तक खाद्यानों का सब रियायती आयात बन्द कर दिया जायेगा।

Shrimati Jayaben Shah : The House is agitated for a long time on the question of Food Zones. Many ministers have been changed in this ministry. We had hoped when Shri Jagjivan Ram took the charge of the Ministry that he would take a practical approach and just decision but it is regret to say that we have been disappointed. When we ask to abolish Food Zones before the coming up of the crop then he says that we will not change our food policy unless the crops come up. But when the crops come up then he says that figures are to be collected and it will be compared with the situation in the country. I mean that the producers and consumers are suffering a lot due to this attitude of the Government. I understand how much the farmer is suffering. I am surprised where our farmer colleague has gone who may support me that actually the farmers and the public are suffering due to the policy of the Government. The country is suffering a lot and there is discontentment among people. It is my request to the Government that early action may be taken to remove the Food Zones and I want to know by which time the action will be taken to remove the Food Zones?

श्री जगजीवन राम : मैंने कहा है कि जब स्थिति सुधरेगी तो हम पाबन्दियों में ढील देंगे, गेहूं के क्षेत्र को भी बढ़ा दिया गया है। मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य को सभी किसानों की तरफ से बोलने का अधिकार है।

श्री सोमचंद सोलंकी : हमने सभा में बहुत बार इस पर चर्चा की और सरकार खाद्य क्षेत्रों को समाप्त नहीं करने पर जोर दे रही है। सरकार या तो खाद्य क्षेत्र समाप्त कर दे या राज्यों को पर्याप्त मात्रा में कोटा दे। जहां तक चावल के कोटा का सम्बन्ध है, गुजरात सरकार के दावे की बिना किसी औचित्य के उपेक्षा की जा रही है और भारत सरकार गुजरात को पर्याप्त मात्रा

चावल का कोटा नहीं दे रही है। हम इस सभा में चिल्ला नहीं रहे हैं क्योंकि हम चिल्लाने के आदी नहीं हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह गुजरात के लिए चावल के कोटे को बढ़ाये।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्रश्न नहीं है, यह तो केवल प्रार्थना ही है।

Shri Maharaj Singh Bharati : In the context of the target fixed by the Government that import of foodgrains will be stopped by 1971, I want to ask whether they want to make their policy in terms of years or on the crops which will come up. The Government want to sell the foodgrains, kept in "the Buffer Stock", to those people who do not want to purchase it. Under such conditions if you bring out the foodgrains on account of the shortage of money then it will be very disastrous for the country. Why not the Government arrange for more money and collect more foodgrains? What is there in it if they stop the import of foodgrains from the next year instead of 1971?

Shri Jagjivan Ram : I admit that the Hon. Member is himself a farmer and he has experience of foodgrains. The stock is to be changed always. When we find that the stock is getting destroyed then we will have to bring that stock inspite of abundance of money.

Shri Maharaj Singh Bharati : You will change your stock in a year but the stock which you are purchasing from America is eight years old.

Shri Jagjivan Ram : I only said that it was my opinion that the Hon. Member has some experience of keeping foodgrains. If the foodgrains is going waste at your house, then you will have to see it, no matter how much money you have. We have plenty of stock and we will have to bring it out. I assure the House that the shortage of money will not affect our stock.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Development Projects in Etawah District, U.P.

*66. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have received a detailed report from Members of Parliament regarding the misappropriation and embezzlement of large amounts of money committed by the erstwhile Officers in the development projects of Kaushalpuri, Ashokpuri and Mahewa in Etawah District; and

(b) if so, the action taken thereon?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) and (b). Information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House when received.

आरवी (पूना) में उपग्रह केन्द्र

*68. **श्री न० कु० सांघी :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अणु-शक्ति विभाग को पूना के निकट आरवी में एक उपग्रह केन्द्र की स्थापना का कार्य सौंपा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है ; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) आर्वी स्थित उपग्रह संचार के भूमिस्थित केन्द्र के निर्माण का कार्य परमाणु ऊर्जा विभाग को सौंपा गया है। बनकर तैयार हो जाने के बाद इस केन्द्र का परिचालन विदेश संचार सेवा करेगी।

(ख) लगभग 5 करोड़ 22 लाख रुपये।

(ग) 31 अक्तूबर, 1969।

Uniform Civil Code

*69. **Shri Narain Swarup Sharma :**
Kumari Kamla Kumari :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to the resolution passed unanimously by the All India Women's Conference held in Chandigarh recently, wherein it has been demanded that Article 44 of the Constitution regarding Uniform Civil Code throughout the country be enforced without delay ;

(b) whether Muslim women who participated in that Conference have demanded their salvation from polygamy and such other bad customs by amending the Islamic Laws in India also as has been done in Turkey, Iran and Pakistan ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Law and Social Welfare (Shri Govinda Menon) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Even if the Islamic Laws regarding marriage are amended as has been done in Turkey, Iran and Pakistan, there will be no uniform Code regarding marriage. The Laws as amended in these Countries are materially different from the Hindu Law of Marriage and Divorce.

कृषि के लिए कृषि यंत्रों सम्बन्धी सीमा शुल्क सेवा की योजना

*70. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** **श्री बलराज मधोक :**
श्री सरजू पाण्डेय : **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री अदिचन : **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण : **श्री भोलानाथ मास्टर :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि के लिये अपेक्षित कृषि-यंत्रों के बारे में सीमा-शुल्क व्यवस्था करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य रूपरेखा क्या है और उस पर कुल कितना धन खर्च आयेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कृषकों के लाभार्थ कृषि यंत्रों को भाड़े पर देने के केन्द्रों की स्थापना की एक योजना चतुर्थ योजना की अवधि में कार्यान्वित की जाने के लिये तैयार की गई है ।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत चतुर्थ योजना की अवधि में विभिन्न राज्यों में कृषि यंत्र हायरिंग केन्द्रों की स्थापना की जायेगी । जिस क्षेत्र में केन्द्र की स्थापना की जायेगी उस क्षेत्र की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक केन्द्र में क्रौलर और व्हील्ड ट्रैक्टर्स और अन्य कृषि यंत्र रखे जायेंगे ।

प्रत्येक केन्द्र के साथ एक कार्यशाला संलग्न की जायेगी । कार्यशाला इस योजना के अन्तर्गत किराये पर दिये गये यंत्रों व कृषकों के दूसरे यंत्रों की मरम्मत भी मरम्मत खर्च लेकर करेंगी ।

जहां कहीं भी ये केन्द्र स्थापित किये गये हैं, वे कृषि उद्योग निगमों द्वारा ही संगठित और परिचालित होंगे । अन्य राज्यों में, राज्य सरकारें योजनाओं को स्वयं ही कार्यान्वित कर सकती हैं । चतुर्थ योजना की अवधि में ट्रैक्टरों को भाड़े पर देने के 30 केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है और यह संख्या बाद में अनुभव में आधार पर बढ़ायी जायेगी । ये योजनायें उन राज्यों और क्षेत्रों में प्रारम्भ की जायेंगी, जहां कि सघन कृषि और बहूद्देशीय फसल कार्यक्रम तीव्र गति से चल रहे हैं । ये योजनायें उन क्षेत्रों में भी लागू की जायेंगी जहां की कृषि के यंत्रीकरण की आवश्यकता है और इसी कारण इसे लोकप्रिय बनाना भी आवश्यक है ।

एक कृषि यंत्र हायरिंग केन्द्र की स्थापना की लागत लगभग 20.37 लाख रुपये आयेगी, जिसमें से 17.87 लाख रु० यंत्रों और उपकरणों पर और 2.50 लाख रुपये भवनों आदि पर व्यय किये जायेंगे । योजना पर 50 प्रतिशत इक्विटी और 50 प्रतिशत ऋण के आधार पर धन लगाया जायेगा । निगम की ईक्विटी शेयर पूंजी में केन्द्रीय और राज्य सरकारें समान अंश प्रदान

करेंगी। राज्य निगमों की ऋण सहायता की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुये केन्द्रीय सरकार सम्बन्धित राज्य सरकारों को ऋण प्रदान करेगी।

कृषि हेतु वित्त व्यवस्था सम्बन्धी गोष्ठी

*71. **डा० रानेन सेन :**
श्री जनार्दनन :
श्री जगेश्वर यादव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने हाल ही में, बम्बई में कृषि हेतु वित्त व्यवस्था विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया था ;

(ख) यदि हां, तो देश में खेती के लिये धन उपलब्धि की वर्तमान व्यवस्था में सुधार करने के बारे में उस गोष्ठी में क्या सुझाव दिये गये थे ;

(ग) क्या सरकार ने इन सुझावों पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हां। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने बम्बई में 6 से 8 दिसम्बर, 1968 तक एक गोष्ठी आयोजित की थी।

(ख) से (घ). देश में कृषि हेतु वित्त व्यवस्था के वर्तमान ढांचे में सुधार करने सम्बन्धी सुझाव और उन पर भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संलग्न विवरण में वर्णित है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०40/69]**

लक्कदीव द्वीपसमूह में डाकखानें

*72. **श्री प० मु० सईद :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय लक्कदीव द्वीपसमूह में कितने डाकखानें हैं ;

(ख) क्या वर्ष 1968-69 में उनकी संख्या बढ़ाने की सरकार की कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) नौ।

(ख) कोई नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Refugees from Pakistan

*73. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of refugees who came to India from Pakistan during the last one year ;

(b) the places where most of them have been rehabilitated ;

(c) the arrangements made for the employment etc. of these refugees ; and

(d) whether any correspondence has also been made with the Government of Pakistan on the basis of details received from refugees ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) 11,464 persons migrated to India from Pakistan during 1968.

(b) and (c). 2,640 persons are in Assam camps and 1,940 are in Tripura camps.

Rehabilitation sites have been set up in a number of States for resettlement of displaced persons in agriculture. A large number of migrants from East Pakistan are also being resettled in Dandakaranya Project. Besides, special areas are being developed in the Andman and Nicobar Islands and in Chanda district in Maharashtra. For non-agriculturists, loans are advanced for starting business and for construction of houses/shops etc. Efforts are also made to secure them employment in industry and in other suitable undertakings.

(d) No, Sir.

श्रम न्यायालयों द्वारा पंचाटों का लागू किया जाना

*74. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री नम्बियार :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम न्यायालयों को अपने पंचाट लागू कराने का अधिकार देने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस प्रस्ताव के कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

Misuse of Grants for Scheduled Castes and Scheduled Tribes by Kerala Government

*75. **Shri Jagannath Rao Joshi** : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5890 on the 26th August, 1968 and state :

(a) whether Government have since examined the details regarding the use of funds in Backward Classes Welfare Sector in Kerala ; and

(b) the action taken thereon and preventive measures adopted in this regard?

The Minister of Law and Social Welfare (Shri Govinda Menon) : (a) and (b). The allegation regarding mis-utilization of Central grants was based on the following observations :—

1. Under the centrally sponsored post-matric scholarship scheme the Government of India had prescribed specific rates of scholarship for the various courses. The Government of Kerala unilaterally enhanced these rates, and for the year 1965-66 claimed re-imbursement from the Government of India at the revised rates. This amount was paid. The Kerala Government have been asked to indicate the correct amount which should have been paid.

2. The Gevernment of Kerala also unilaterally abolished the means-test prescribed for Scheduled Caste applicants under the post-matric scholarship scheme. While claiming Central assistance, however, they have not been able to indicate as to how many scholarships were awarded under the prescribed ceiling, and how many above it. The State Government have also been asked to give relevant details.

3. The Government of Kerala have always been budgeting meagre amounts for post-matric scholarship under the Plan programme. Since the expenditure thereon is to be fully reimbursed, available resources should first have been allocated to the post-matric scholarship scheme. By not doing that, they utilised the resources on other schemes and are now coming up with huge arrear claims. This could be said to be a case of diverting funds from high priority to low priority items.

4. The Evaluation Committee appointed in 1961 by the Government of Kerala itself had listed defects in the administration of Harijan/Tribal Welfare in the State. The Kerala Government have presumably initiated measures to rectify the defects pointed out in the Report; information as to the exact steps taken is however not available.

5. In 1959 grants under housing schemes for Scheduled Tribes had been drawn at the end of the financial year and had been deposited in the P. O. Savings Banks in the names of individual beneficiaries. The Kerala Public Accounts Committee had been informed by the State Government that the money deposited in the Savings Banks was still available and the Pass Books were in the custody of the District Welfare Officers. According to the Committee, the State Government were not sure as to how many families had deserted the houses and how many were still alive. The Committee desired to know the amount still unutilized and the further action proposed to be taken.

6. Similarly, amounts have been allotted by the State Government to Co-operative Societies who have deposited them with District Co-operative Banks, but there has been no disbursement to members of the Co-operative Societies in the form of loans. Many of the Co-operative Societies are not active. As on the 30th June, 1968, the amount deposited with the District Co-operative Banks as unutilized capital grants was Rs. 4.54 lakhs in the name of as many as 146 Harijan Co-operative Societies.

7. The Kerala Government are aware of the position as indicated above, and they are no doubt taking appropriate remedial measures. Information as to the nature of the action taken is however not available.

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की योजनाएं

*76. **श्री हिम्मतसिंहका : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की जिन योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा चुका है उनका ब्योरा क्या है और उनका अभिरूप क्या है ;

(ख) क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की कोई योजना केरल में आरम्भ की जा रही है, और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में और वर्ष 1968-69 में केरल तथा देश के अन्य तटों पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के बारे में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई विदेशी सहायता/सहयोग प्राप्त किया जा रहा है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) चतुर्थ योजना के प्रारूप में लगभग 300 मछली पकड़ने वाले जहाजों को सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव है, जिन पर गैर-सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में लगभग 30 करोड़ रु० का व्यय किया जायेगा। 40 ट्रौलरों के निर्माण के लिये भारतीय फर्मों को आदेश दिये जा चुके हैं और 30 ट्रौलरों के आयात करने के लिये एवं देश में 15 अतिरिक्त ट्रौलरों के निर्माण के लिये एक योजना कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) केरल सरकार का चतुर्थ योजना की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र में 31 जहाज और गैर-सरकारी क्षेत्र में 169 जहाजों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है। इन जहाजों का परिचालन 9 मत्स्य बंदरगाहों से होगा, जो कि विकसित कर दी गई हैं या जिन्हें विकसित करने का प्रस्ताव है। जिन 40 ट्रौलरों के लिये भारतीय फर्मों को आदेश दिये जा चुके हैं, उनमें से 6 की मांग केरल सरकार द्वारा कर ली गई है। आशा है। कि 30 ट्रौलरों के आदान किये जाने की योजना के अन्तर्गत आयात किये गये ट्रौलरों की एक बड़ी संख्या केरल में ही रखी जायेगी।

(ग) 1968-69 के लिये कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित किया गया है। फिर भी, चतुर्थ योजना के अन्त तक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले 300 जहाजों की व्यवस्था के फलस्वरूप मछली का वार्षिक उत्पादन 1.5 लाख मीटरी टन बढ़ जाने का अनुमान है, जिससे कि मछली के निर्यात व मछली के उत्पादों के निर्यात से अनुमानतः 15 करोड़ रु० की अतिरिक्त विदेशी मुद्रा का अर्जन भी किया जा सकेगा। केरल सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्य सरकार सार्वजनिक व गैर-सरकारी क्षेत्र में 200 जहाजों की व्यवस्था करेगी जिसके फलस्वरूप पूर्ण

विकसिक होने पर एक लाख मीटरी टन मछलियों का प्रति वर्ष अतिरिक्त उत्पादन किया जा सकेगा, जिससे 10 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा का भी अर्जन होगा ।

(घ) मछली पकड़ने की सुधरी विधियों और मत्स्य तकनीक के सर्वेक्षण और प्रशिक्षण के लिए खाद्य और कृषि संगठन/विस्तृत तकनीकी सहायता और कोलम्बो योजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत तकनीकी सहायता प्राप्त की जाती रहेगी । सैरडिन और मैकरेल मछलियों के संसाधनों के सर्वेक्षण के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता की आशा है । हाल ही में स्वीडन की सरकार से प्रशिक्षण के लिये दो बड़े प्रशिक्षण जहाज उपहार स्वरूप प्राप्त हुये हैं जिन्हें ट्रेनिंग आपरेटिव्ज के लिये प्रयोग में लाया जा रहा है । सर्वेक्षण, प्रदर्शन और प्रशिक्षण के लिये इन्डो-नार्वे परियोजना के माध्यम से नार्वे की सहायता का भी लाभ उठाया जा रहा है । जहां तक जहाजों का सम्बन्ध है, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये यथासम्भव देश में ही निर्मित जहाजों के उपयोग का प्रस्ताव है । जहाजों की एक सीमित संख्या को आयात भी करना पड़ सकता है । ऐसे जहाज व्यापार या ऋण करारों के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते हैं । मत्स्य उद्योग के लिये उपकरणों (जिसमें जहाज सम्मिलित हैं) के क्रयमात्र के लिये नार्वे सरकार के साथ किये गये एक अनुबन्ध के अन्तर्गत 150 लाख नार्वेजीन क्रोनरों का ऋण विशेषरूप से उपलब्ध है । गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के विशिष्ट क्षेत्रों में विदेशी सहयोग के प्रस्तावों पर भी विचार किया जायेगा ।

राष्ट्रीय श्रम उद्योग का प्रतिवेदन

***77. श्री ओंकार लाल बेरवा :** **श्री स० कुन्दू :**
श्रीमती इलापाल चौधरी : **श्री शारदानन्द :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को राष्ट्रीय श्रम आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये भारतीय श्रम सम्मेलन की बैठक बुलाने के बारे में विचार कर रही है ; और

(घ) प्रतिवेदन को क्रियान्वित करने के लिये और क्या कार्यवाही की गई है ;

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ). इन पर सरकार द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद विचार किया जायेगा ।

राज्यों को चावल का आवंटन

*78. **श्री प० गोपालन :**

श्री अनिरुद्धन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को चावल के आवंटन के लिये कोई कसौटी निर्धारित की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने कम सप्लाई के कारण विभिन्न राज्यों द्वारा केरल को किये गये आवंटन को दृष्टि में रखते हुए वर्तमान आवंटन व्यवस्था की जांच की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). केन्द्रीय पूल से कमी वाले राज्यों को चावल का आवंटन केन्द्र के पास पूर्वानुमानित कुल उपलब्धि और विभिन्न राज्यों की वितरण सम्बन्धी न्यूनतम जरूरतों के आधार पर किया जाता है ।

(ग) नियंत्रण से बाहर के कारणों से वास्तविक संचालन आवंटनों के बराबर नहीं है । तथापि, इसमें वर्तमान आवंटन पद्धति का दोष नहीं है ।

केन्द्रीय भाण्डागार निगम

*79. **डा० सुशीला नैयर :**

श्री प्रेमचन्द वर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने गत पांच वर्षों में केन्द्रीय भाण्डागार निगम के कार्य का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में पायी गई अनियमितताएं क्या हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय भाण्डागार निगम के कार्यचालन की समीक्षा प्रत्येक वर्ष उसके वार्षिक लेखों के आधार पर की जाती है । सरकारी प्रतिष्ठान समिति (1967-68) ने भी अपनी 9वीं रिपोर्ट (चौथी लोक-सभा) में निगम के कार्यचालन का विस्तृत मूल्यांकन किया है ।

(ख) अब तक सरकार के ध्यान में कोई गम्भीर स्वरूप की कोई अनियमितता नहीं लायी गयी है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

*80. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** **श्री रवि राय :**
श्री विभूति मिश्र : **श्री रा० कृ० सिंह :**

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पृश्यता सम्बन्धी इलयापेरुमल समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) उन पर क्या निर्णय लिये गये हैं; और

(घ) क्या इस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) से (घ). अस्पृश्यता और अनुसूचित जातियों के आर्थिक तथा शैक्षिक उत्थान सम्बन्धी समिति 27 अप्रैल, 1965 को नियुक्त की गई थी तथा उसमें सात सदस्य थे। श्री एल० इलयापेरुमल ने 30 जनवरी, 1969 को इस विभाग को एक रिपोर्ट दी थी, जिस पर चार सदस्यों के हस्ताक्षर थे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने इस विभाग को सूचित किया कि समिति को श्री आर० अछूथन नायक एक सदस्य से विसम्मति लेख प्राप्त हुआ था, परन्तु उसने इस विसम्मति वृत्त को रिपोर्ट में शामिल न करने का निर्णय किया था। यह स्पष्ट नहीं है कि अन्य दो सदस्य किन परिस्थितियों के कारण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं कर सके। पिछले अध्यक्ष से इस बारे में तथ्यों को बताने का तथा विसम्मति लेख को भेजने का अनुरोध किया गया है। उक्त बातों के स्पष्ट हो जाने के बाद शीघ्र ही रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी। इस बीच में मौलिक सिफारिशों का परीक्षण किया जा रहा है।

होप टी गार्डन (पश्चिम बंगाल) के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

*81. **श्री देवेन सेन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जलपाइगुड़ी में नागरकटा पी० एस० में होप टी गार्डन के लगभग 1000 कर्मचारी यूनिट सेक्रेटरी समेत कर्मचारियों के बर्खास्त किये जाने के विरोध में 8 मई, 1968 से हड़ताल पर हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि 5 मई, 1968 को प्रातःकाल उस चाय बागान का प्रबन्ध (श्री डब्ल्यू जे० दुगलास) किराये पर कुछ गुंडे लेकर, जिनके हाथों में तलवारें और बन्दूकें थीं, कर्मचारियों के घरों में घुसा था और उन्होंने महिला कर्मचारियों को उनके कमरों से घसीट कर उन्हें काम पर जाने के लिये कहा था;

(ग) क्या यह भी सच है कि गुंडों तथा नागरकटा के डिप्टी कमिश्नर ने कर्मचारियों की एक शान्त सभा में गोली चलाई थी जिसमें कई व्यक्ति घायल हो गये थे; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की न्यायिक जांच करायेगी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनन्द

*82. **श्री नि० रं० लास्कर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिये अधिक दूध देने वाले ढोरों के संरक्षण के लिये राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने आनन्द में 100 करोड़ रुपये की लागत से एक नवीन प्रकार की स्वःवित्त पौषी परियोजना का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस परियोजना से कितने राज्यों में दूध की समस्या हल हो जायेगी; और

(घ) परियोजना में कब तक कार्य शुरू हो जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने विदेशों द्वारा दान में प्रदत्त दुग्ध उत्पादों पर आधारित एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ख) इस प्रस्ताव में निम्न बातें सम्मिलित हैं :—

(I) 1969 से 1973 तक के पांच वर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व खाद्य कार्यक्रम से 1,26,000 मीट्रिक टन सपरेटा दुग्ध चूर्ण और 42,000 मीट्रिक टन मक्खन प्राप्त करना, (II) बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास चार नगरों में द्रव दुग्ध के व्यापार में प्रमुख स्थान प्राप्त करना, (III) सन् 1969 से प्रारम्भ होने वाली आगामी तीन वर्षों की अवधि में अधिक दूध देने वाले 100,000 पशुओं के विस्थापन और पुनर्वास का कार्यक्रम, (IV) दान में प्राप्त दुग्ध उत्पादों के विक्रय से निर्मित निधि का अनुमान 99.51 करोड़ रु० है, जिसका उपयोग उपर्युक्त (II) से (IV) तक के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये किया जायेगा। (V) यह परियोजना राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को सौंप दी गयी है, जो कि सम्बन्धित राज्य सरकारों को सहायता देगा।

(ग) इस प्रस्ताव का लक्ष्य केवल बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास चार प्रमुख नगरों की दुग्ध समस्या का समाधान करना है।

(घ) यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

गन्ने का मूल्य

*83. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग ने कृषकों को पिछले वर्ष जितना गन्ने का मूल्य देने के लिये अनिच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सरकार ने 9.4 प्रतिशत या उससे कम उपलब्धि पर गन्ने का न्यूनतम मूल्य 7.37 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है । तथापि, चीनी उद्योग को यह सलाह दी गई है कि वे गन्ने का 10 रुपये प्रति क्विंटल का भाव दें ।

औद्योगिक श्रमिकों को पारिवारिक पेंशन

*84. **श्री पी० राममूर्ति** :
श्री सत्यनारायण सिंह :
श्री वि० कु० मोडक :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 14 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 669 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक श्रमिकों के लिये पारिवारिक पेंशन सम्बन्धी कार्यकारी दल की सिफारिशों पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). सिफारिशों पर अभी विचार किया जा रहा है । इस मामले को स्थायी श्रम समिति के आगामी अधिवेशन के सामने रखने का विचार है ।

मध्यावधि निर्वाचन

*85. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में मध्यावधि निर्वाचनों में राज्यवार कितने प्रतिशत मतदान हुआ; और

(ख) निर्वाचन में मतदान को शान्तिमय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि तथा सामाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) फरवरी, 1969 में पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में हुए मध्यावधि निर्वाचनों में प्रारम्भिक निर्धारण के

अनुसार मतदान की प्रतिशतता निम्नलिखित थी :—

1—पश्चिमी बंगाल	..	66.58 प्रतिशत
2—बिहार	..	50.47 प्रतिशत
3—उत्तर प्रदेश	..	53.50 प्रतिशत
4—पंजाब	..	71.67 प्रतिशत

(ख) सब बातों को देखते हुए निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढंग से और सुव्यवस्थित रूप में हुए। फिर भी सुव्यवस्थित और शान्तिपूर्ण मतदान और भी सुनिश्चित बनाने के लिए निर्वाचन आयोग प्रस्थापनाओं की परीक्षा कर रहा है।

Study Group for Eradication of Beggary

*86. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Planning Commission had appointed a Study Group in 1965 to go into the problems of the beggars with a view to eradicate beggary from the country ;

(b) if so, whether the Study Group has submitted its report to the Government ;

(c) if so, the main recommendations of the report ; and

(d) the steps being taken by Government to implement them ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) and (b). Yes Sir.

(c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

The main recommendations of the Study Group on beggary set up by the Planning Commission are as under :

(i) A policy of penal or quasi penal approach is in adequate when applied to all beggars and should, therefore, give way to differentiation in approach. Those who are economically weak and found in the circumstances of begging need primarily social assistance, while others need a correctional approach.

(ii) For making the social assistance approach, the circumstances of need should be the basis of extending relief rather than those of an overt act of begging.

(iii) Statutory support is needed for extending social assistance approach so that those categories which will receive assistance may be defined.

(iv) Intensive programmes for eradication of begging should be undertaken in selected areas as Pilot Projects, especially areas of pilgrimage and tourist interest.

(v) Diversified institutions in the nature of classification centres, work centres, and special homes for diseased beggars should be set up as an integral part of the programme of eradication of beggary.

(d) Social Defence programmes including prevention and control of beggary are primarily the responsibility of the State Government. In accordance with the decision taken by National Development Council, all these programmes will now form part of the State Plans and their implementation will vest in them.

कृषि विकास तथा अनुसन्धान कार्यक्रम

*87. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के अध्यक्ष, मिस्टर राबर्ट मैकनामारा ने अपनी हाल की यात्रा के दौरान भारत में कृषि विकास तथा अनुसन्धान कार्यक्रमों में हुई प्रगति का अध्ययन किया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). श्री मेकनामारा के दौरे का सामान्य उद्देश्य भारत में अब तक हुए आर्थिक विकास सम्बन्धी तथ्यों से स्वयं को अवगत कराना था और इसीलिए उन्हें केवल कृषि विकास की सामान्य पृष्ठभूमि तथा कृषि अनुसन्धान कार्यक्रमों का सामान्य सारांश बताया गया था ।

Delay in Postal Services in Hilly Areas of U. P.

*88. **Shri Shri Gopal Saboo :**
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Shiv Charan Lal :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a delay in handling letters, telegrams and money-orders etc. in the hilly areas of Uttar Pradesh ;

(b) if so, the causes thereof; and

(c) whether Government propose to take steps to remove such causes to bring about efficiency as in other parts of the State ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) No complaints of this nature with special reference to hill areas have been received.

(b) Does not arise.

(c) Steps have been taken and are being taken to provide adequate postal and telegraph facilities by liberalising the standards.

भारतीय खाद्य निगम के गुजरात एकक के प्रबन्धक की गिरफ्तारी

*89. **श्री गणेश घोष** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के गुजरात एकक के प्रबन्धक को 30 दिसम्बर, 1968 को गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसको गिरफ्तार करने के क्या कारण थे; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के खाद्यानों के स्टाक, जोकि लाम्बा, अहमदाबाद जिले में स्थित जनता राइस मिल्स में संग्रहीत थे, की चोरी के एक मामले की जांच के दौरान उनके विरुद्ध पुलिस को षड़यन्त्र करने का प्रमाण प्राप्त हुआ बताया जाता है।

(ग) उस अधिकारी को 9-1-1969 से तब तक के लिए मुअत्तल कर दिया गया है जब तक उनके विरुद्ध पंजीकृत मामले पर आगामी कार्यवाही नहीं हो जाती है।

वनस्पति में रंग देने सम्बन्धी समिति

*90. **श्री हेमराज :**
श्री वाल्मीकि चौधरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 12 दिसम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 707 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनस्पति में रंग देने सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन कब से विचाराधीन है; और

(ख) उस पर अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) लगभग तीन वर्ष।

(ख) अन्तिम निर्णय बहुत ही शीघ्र लिए जाने की आशा है।

केरल को चावल का आवंटन

361. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965, 1966, 1967 और 1968 में केरल राज्य को क्रमशः कितनी मात्रा में चावल और गेहूं का संभरण किया गया ; और

(ख) चावल तथा गेहूं के संभरण का वर्षवार मूल्य क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सम्बन्धित वर्षों के दौरान केरल में भारतीय खाद्य निगम के केन्द्रीय डिपो से केरल की उचित मूल्य की दुकानों तथा केरल सरकार के अन्य नामितों को सप्लाई की गई

चावल और गेहूं की मात्रा इस प्रकार हैं :

(मात्रा लाख मीटरी टन में)

	चावल	गेहूं
1965	9.10	3.37
1666	8.03	3.21
1967	5.37	5.48
1968	5.85	4.27

(ख) जिन केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर ये सप्लाई की गई थी वे समय-समय पर भिन्न-भिन्न थे जो इस प्रकार हैं :

चावल (मोटा)

अवधि	मूल्य रुपयों में प्रति क्विंटल के भाव से
3-1-1965 से 14-11-65 तक	63.00
15-11-1965 से 11-6-66 तक	66.00

अवधि	मूल्य रुपयों में प्रति क्विंटल के भाव से
12 - 6-1966 से 14-12-66 तक	69.00
15-12-1966 से 14 - 7-67 तक	80.00
15 - 7-1967 से 31-12-67 तक	80.00
1 - 1 - 1968 से आगे	96.00

गेहूं (आयातित)

1 - 1 - 1965 से 14-11-65 तक	48.00
15-11-1965 से 12-11-66 तक	50.00
13-11-1966 से 31-12-67 तक	55.00
1 - 1 -1968 से 16-6-68 तक	67.00
17 - 6-1968 से आगे	
लाल किस्म का गेहूं	70.00
सफेद ,, ,, ,,	90.00 15-12-68 तक
	85.00 16-12-68 से

मध्य प्रदेश में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के लिए फोर्ड प्रतिष्ठान की सहायता

362. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फोर्ड प्रतिष्ठान ने मध्य प्रदेश को तृतीय पंचवर्षीय योजना में गहन कृषि-जिला कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि दी है ;

(ख) मध्य प्रदेश में तारीखों सहित प्रयोग के लिये चुने गए जिलों के नाम क्या हैं रथा उनके चुने जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि गहन-कृषि जिला कार्यक्रम, रायपुर में बुरी तरह असफल रहा और यदि हां, तो किस सीमा तक तथा इसके क्या कारण हैं ;

(घ) मध्य प्रदेश में अन्य ऐसे जिलों के क्या नाम हैं जहां गहन कार्यक्रम का परीक्षण किया गया और प्रत्येक जिले में प्राप्त परिणामों का संक्षिप्त विवरण क्या है ; और

(ङ) मध्य प्रदेश को निकट भविष्य में इन्हीं आधार पर कितनी धनराशि की सहायता दी जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (**श्री अन्नासाहिब शिन्दे**) : (क) 36.73 लाख रुपये ।

(ख) राज्य सरकार ने सघन कृषि जिला कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये केवल रायपुर जिले का चुनाव किया था । यह चुनाव जिलों के चुनाव के लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड को ध्यान में रखते हुये किया गया था, अर्थात बड़े क्षेत्रों में उपयुक्त सुनिश्चित वर्षा या सिंचाई संसाधनों की सुविधाओं की उपलब्धि, सूखे, बाढ़, जल निकास तथा भूमि संरक्षण आदि प्राकृतिक प्रकोपों की कम मौजूदगी, पंचायत तथा सहकारी समितियां आदि सुविकसित ग्रामीण संस्थाओं की मौजूदगी तथा कम अवधि में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये अधिकतम संसाधनों की मौजूदगी आदि । तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में फोर्ड संस्थान की वित्तीय सहायता से क्रियान्वित होने वाले सघन कृषि जिला कार्यक्रम के लिये 7 विभिन्न जिलों में चुने गये 7 जिलों में मध्य प्रदेश का रायपुर जिला भी शामिल था । इस जिले में यह कार्यक्रम खरीफ 1961 के मौसम से शुरू किया गया था ।

(ग) जी नहीं । जैसा कि इस कार्यक्रम के शुरू होने के पश्चात इस क्षेत्र की मुख्य फसल धान की प्रति हैक्टेयर उपज की वृद्धि से स्पष्ट है रायपुर जिले में सघन कृषि जिला कार्यक्रम सफल सिद्ध हुआ है । पैकेज के पहले की अवधि (1958—61) में इस जिले में धान की औसत उपज 9.1 क्विन्टल प्रति हैक्टेअर थी जो 1967-68 में बढ़कर 9.6 क्विन्टल प्रति हैक्टेअर हो गई । संलग्न जिलों तथा समूचे राज्य में यह उपज क्रमशः 8.2 तथा 7.4 क्विन्टल प्रति हैक्टेअर थी । जिले में प्रति हैक्टेअर उपज में वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत खेती के सुधरे तरीकों को अपनाने के कारण हुई । 1961-62 की अवधि में इस जिले में नाइट्रोजन पूरक उर्वरकों

(आमोनियम सल्फेट के रूप में) की खपत 8172 मीटरी टन थी जो 1967-68 की अवधि में बढ़कर 17276 मीटरी टन तक जा पहुंची जबकि इसी अवधि में फासफेटिक उर्वरकों (सूपर फास्फेट) की खपत की मात्रा 2148 मीटरी टन से बढ़कर 4068 मीटरी टन हो गई । इसी प्रकार इस जिले में सुधरे बीजों के प्रयोग तथा कृषकों द्वारा अपनाये जाने वाले पौध रक्षा उपायों में भी प्रगति हुई है ।

(घ) मध्य प्रदेश में सघन कृषि जिला कार्यक्रम का रायपुर के अतिरिक्त किसी अन्य जिले में परीक्षण नहीं किया गया है ।

(ङ) रायपुर उन 5 "इनोटेटिव जिलों" में से एक है जिन्हें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में अधिक केन्द्रित प्रयासों के लिये चुना गया है । "इनोटेटिव जिलों" (जिसमें रायपुर भी शामिल है) में कार्यक्रम की योजना और क्रियान्विति में सहयोग देने के लिये फोर्ड संस्थान ने कृषि विशेषज्ञों के एक दल की सेवायें उपलब्ध की हैं । उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस कार्यक्रम को सहायता देने के लिये प्रयोगात्मक उपकरण तथा सामग्री देना भी स्वीकार कर लिया है ।

प्रोग्रेसिव मुस्लिम लीग दल का निर्वाचन-प्रतीक

363. **श्री बाबूराव पटेल :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री समर गुह :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में नया साम्प्रदायिक राजनीतिक दल, जिसका नाम प्रोग्रेसिव मुस्लिम लीग है, बनाया गया है और इस दल ने पूर्णतया साम्प्रदायिक भावना को लेकर मध्यावधि निर्वाचन लड़ा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त दल ने जो झण्डा अपनाया है वह पाकिस्तानी मुस्लिम झंडे से बहुत मिलता-जुलता है और क्या उन्होंने निर्वाचन आयोग से इसको अपने निर्वाचन प्रतीक के रूप में प्रयोग करने के लिए अनुमति मांगी थी और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) इस नये साम्प्रदायिक दल को अन्तिम रूप से जिस निर्वाचन प्रतीक का प्रयोग करने की अनुमति दी गई उसका ब्योरा क्या है ?

विधि मंत्रालय और समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० युनस सलीम) : (क) जी हां, प्रोग्रेसिव मुस्लिम लीग नामक एक नई पार्टी बनाई गई है । किन्तु सरकार और निर्वाचन आयोग को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्या इस पार्टी द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ने में खुलेआम सम्प्रदायवाद का सहारा लिया ।

(ख) निर्वाचन आयोग को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्या इस पार्टी ने पाकिस्तान के झण्डे से मिलता-जुलता झण्डा अपनाया है। पार्टी ने निर्वाचन आयोग से आवेदन किया था कि अपने निर्वाचन प्रतीक के रूप में हमें 'चांद और तारा' प्रतीक अपनाने की अनुज्ञा दी जाए। आयोग पहले तो इस प्रतीक को कुछ उपान्तरण सहित पश्चिमी बंगाल के मुक्त प्रतीकों की सूची में सम्मिलित करने पर सहमत हो गया किन्तु ऐसे प्रतीक के, सम्मिलित किए जाने के विरुद्ध जिसमें राजनीतिक और धार्मिक विवक्षाएं हैं एक राष्ट्रीय पार्टी का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर इस प्रतीक को मुक्त प्रतीकों की सूची से निकाल दिया गया।

(ग) रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त पार्टी होने के नाते यह पार्टी आरक्षित प्रतीक के लिए हकदार नहीं थी और उसे राज्य के लिए मुक्त प्रतीकों में से एक प्रतीक चुना था। जो मुत्त प्रतीक उक्त पार्टी के अभ्यर्थियों को मिल सकते थे वे इस प्रकार हैं :

(1) बाइसिकिल, (2) दो पत्तियां, (3) घोड़ा और घुड़ सवार, (4) कबूतर का जोड़ा, (5) हलधर, (6) हाथी, (7) वृत्त के भीतर स्वास्तिक, (8) रेल इंजिन, (9) जहाज, (10) जलता हुआ टार्च, (11) ऊंट, (12) वर्तन, (13) सिलाई मशीन, (14) ट्रैक्टर, (15) हैंड पम्प, (16) धनुष और बाण, (17) फसल काटता हुआ किसान, (18) रेडियो, (19) मछली, (20) उड्डयनशील गरुड़ और (21) सिर पर टोकरी रखे स्त्री।

Telephone Consultative Committee for each District

364. **Shri Deorao Patil**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up a telephone consultative committee for each district; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh): (a) and (b). Setting up of Telecommunication Advisory Committees at the level of Telegraph Engineering Divisions is under consideration of the Government.

चीनी की उत्पादन लागत

365. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1960-61 से 1967-68 तक वर्षवार देश में चीनी की प्रति किलो औसत उत्पादन लागत कितनी-कितनी थी ; और

(ख) 1960-61 से 1967-68 तक वर्षवार प्रत्येक राज्य में नियंत्रित और खुले बाजार में बिक्री चीनी का औसत खुदरा मूल्य कितना-कितना था।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) चीनी के उत्पादन की लागत, गन्ने की लागत, वास्तविक वसूली, पेराई सीजन की अवधि, स्टोरेज लागत, वेतन तथा मजदूरी, मूल्य ह्रास, रखरखाव तथा मरम्मत, अन्य ऊपरी खर्चे तथा लगी पूंजी पर प्राप्ति जैसे बहुत से तत्वों पर आधारित है। टैरिफ आयोग ने चीनी के लागत ढांचे का अध्ययन किया था और उन्होंने 1959 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आयोग ने चार लागत अनुसूचियों की सिफारिश की थी जिनका 1960-61 से 1964-65 तक प्रयोग किया गया था। बाद में चीनी जांच आयोग ने भी एक अध्ययन किया था। आयोग ने अक्तूबर, 1965 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और पांच लागत अनुसूचियों की सिफारिश की थी जिनका प्रयोग 1965-66 से 1967-68 तक किया गया था।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 41/69]**

कलकत्ता में अन्नपूर्णा अल्पाहार-गृह

366. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में एस्प्लेनेड ईस्ट स्थित अन्नपूर्णा अल्पाहार-गृह बन्द होने की स्थिति में है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख). कलकत्ता स्थिति 'अन्नपूर्णा अल्पाहार-गृह' के गतिविधियों से सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है और इसीलिए इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

राज्यों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां

367. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को छात्रवृत्ति एवं निशुल्क शिक्षा देने के लिये धन मंजूर किया था और गुजरात सरकार ने यह धन कम आय वाली हिन्दू जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों में बांट दिया था जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को इस योजना का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मामले की जांच की है और इस सम्बन्ध में गुजरात सरकार को कोई सुझाव दिये हैं ?

विधि मंत्रालय और समाजकल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फुलरेणु गुह) : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी समितियां

368. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में तथा पश्चिम बंगाल में वर्ष 1950-51 से 1968-69 तक प्रत्येक प्रकार की प्रति वर्ष कितनी सहकारी समितियां थीं ;

(ख) वर्ष 1950-51 से 1968-69 तक भारत में तथा पश्चिम बंगाल में प्रत्येक प्रकार की सहकारी समिति के पास कितनी अपनी पूंजी तथा कितनी ऋण पूंजी थी ;

(ग) उपर्युक्त अवधि में भारत में तथा पश्चिम बंगाल में प्रत्येक प्रकार की कितनी सहकारी समितियां गम्भीर रूप से संकटग्रस्त थीं ; और

(घ) उर्यूंपक्त अवधि में भारत में तथा पश्चिम बंगाल में कितनी सहकारी समितियां दिवालिया हो गई हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) से (घ). चार विवरण (क, ख, ग व घ), जिनमें उपलब्ध जानकारी दी गई है, सभा-पटल पर रखे जाते हैं [**पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०**42/69]

Implementation of Land Consolidation Act in Naini Tal District

369. **Shri J. B. S. Bist** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Land Consolidation Act is not being fully implemented even now in Tarai-Bhavar area of Naini Tal District ;

(b) if so, the reasons therefor and the number of persons whose land has been acquired after implementing the said Act as also the area thereof and the number of those on whom the provisions of the Act were not enforced and the area of land under their possession ;

(c) whether Government would take steps to enforce the Act uniformly :

(d) whether Government would distribute land thus acquired to people belonging to Kumaon Division only ; and

(e) if so, when and if not the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (e). The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Forcible Occupation of Government Land in Naini Tal

370. **Shri J. B. S. Bist :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government land in Tarai-Bhavar area of Naini Tal has been forcibly occupied by certain people ;

(b) if so, the number thereof and the total area of land so occupied by them ;

(c) whether Government propose to evict these persons from the said land ; and

(d) if so, by when, if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Some Government land in Tarai Bhavar area of Naini Tal has continued to be under unauthorised occupation of some people for a number of years.

(b) 15,951 cases of encroachments involving 29,046 acres were detected in the year 1967.

(c) and (d). The Government of Uttar Pradesh took a decision in July, 1967, to regularise cases of persons who came into possession before the 30th June, 1966, subject to the condition that total land held by the persons, including his family members, did not exceed 10 acres. Action to evict persons not covered by the above regularisation orders is being taken.

Allotment of Land to Landless People in Kumaon Region (U. P.)

371. **Shri J. B. S. Bist :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3450 on the 5th December, 1968 and state :

(a) whether Government propose to reconsider the intricate problem of the landless persons of Kumaon Area (Uttar Pradesh) ;

(b) whether Government have been receiving many memoranda from the people in this connection ;

(c) if so, the decision taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No reconsideration of the policy decision regarding priorities in land allotment is proposed by the Government of Uttar Pradesh, nor is any further liberalisation possible due to non-availability of sufficient land.

(b) and (c). Such Memoranda/Representations for allotment of land as continue to be received by the Government are dealt with in accordance with the principles of land allotment laid down by the Government of U. P. in their order of 27th October, 1967.

Setting up of Telegraph Offices in Almora District

372. **Shri J. B. S. Bist :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have received requests for setting up Telegraph Offices at Tamadhon, Deghat, Jaurasi, Matela, Manila and Mikiasen in Almora District (U. P.)

(b) if so, the action taken so far by Government thereon and the places where Telegraph Offices are proposed to be opened ; and

(c) whether Government would consider the question of providing more postal and telegraph facilities in hilly areas notwithstanding losses incurred thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Imformation and Broadcasting and in in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Opening of a Telegraph office at Tamadhan has already been sanctioned. The proposals to open Telegraph offices at Deghat, Jaurasi, Matela and Manela have been dropped after examination as the schemes were showing loss to the department which could not be condoned according to the existing policy. The proposal to open a Telegraph office at Bhikasen is still under examination.

(c) Places in hilly areas as such, are not considered for provision of Telegraph offices even on loss basis. But such proposals can be sanctioned even if the schemes entail loss based on the administrative importance, population or remoteness of the place from the general Telegraph network. As regards postal facility, the opening of Post Offices in such places is kept under constant review, so that new post offices may be opened wherever justified as per departmental standards, relating to distance from the nearest post office, population to be served and the prescribed limits of losses.

सहकारी समितियों का प्रबन्ध

373. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री क० लकप्पा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री सहकारी समितियों के प्रबन्ध के बारे में 21 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1602 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार से इस बीच सुझाव प्राप्त हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : (क) इस मामले की अभी तक राज्य सरकारों द्वारा जांच की जा रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल को अनाज का सम्भरण

374. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री मंगलाथुमाडोम :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1968 में केरल को कितनी-कितनी मात्रा में चावल और गेहूं भेजा ;

(ख) राज्य सरकार ने कितने चावल की मांग की थी ;

(ग) क्या अनाज कम मात्रा में भेजा गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) वर्ष 1968 में केरल में स्थित डिपो को भेजे गये चावल और गेहूं की मात्रा क्रमशः 6.4 लाख मीटरी टन और 3.4 लाख मीटरी टन थी।

(ख) से (घ). केरल सरकार को राज्य भर में प्रत्येक वयस्क को प्रति दिन 160 ग्राम चावल देने के लिये, प्रतिमास 75,000 मीटरी टन चावल की आवश्यकता पड़ती है। देश में चावल की आम कमी होने, केन्द्र के पास सीमित उपलब्धि और अन्य कमी वाले राज्यों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने के कारण केरल की केन्द्रीय पूल से इसी स्तर पर चावल की नियमित सप्लाई बनाये रखना सम्भव नहीं है। तथापि केन्द्रीय सरकार ने चावल की इस कमी को गेहूं की अतिरिक्त सप्लाई से पूरा करने के लिए मान लिया है और वे पर्याप्त स्टाक बना रहे हैं केरल में कार्डधारियों को गेहूं के अपने सामान्य राशन के अलावा राशन के चावल की कम मात्रा के स्थान पर अतिरिक्त गेहूं प्राप्त करने की छूट दी गयी है।

चीनी का उत्पादन

375. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री चेंगल राय नायडू :
श्री प० मु० सईद :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री सु० क० तापड़िया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री महाराज सिंह भारती :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री क० लकप्पा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष चीनी का उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्य पूरा हो जायेगा ;

(ख) यदि नहीं, तो लक्ष्य से कम उत्पादन होने के क्या कारण हैं ;

(ग) गत वर्ष के मुकाबले में इस वर्ष चीनी के उत्पादन के आंकड़े क्या हैं ;

(घ) क्या इससे घरेलू उपभोग के लिए चीनी की उपलब्धि सुधरेगी और क्या देश में उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से सरकार चीनी का नियंत्रित बिक्री मूल्य कम करेगी ; और

(ङ) क्या गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष चीनी के निर्यात में वृद्धि होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) इस वर्ष के लिये चीनी के उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इस वर्ष 7 फरवरी, 1969 तक चीनी का उत्पादन 14.81 लाख मीटरी टन है जबकि गतवर्ष इसी तारीख तक 14.33 लाख मीटरी टन उत्पादन हुआ था ।

(घ) इस वर्ष चीनी का अधिक उत्पादन होने की सम्भावना से देश में चीनी की सप्लाई स्थिति में सुधार होने की आशा है। वस्तुतः जनवरी 1969 से मासिक निर्मुक्त की मात्रा 1967-68 के 1.66 लाख मीटरी टन से बढ़ाकर 1.95 लाख मीटरी टन कर दी गई है । लेवी चीनी के निकासी विक्रय मूल्य विभिन्न क्षेत्रों में कारखानों के कार्यचालन परिणामों के अनुमानों और चीनी जांच आयोग द्वारा बनाई गई अनुसूचियों के आधार पर क्षेत्रवार निर्धारित किये गये थे । इन मूल्यों में पेराई सीजन के समाप्त होने के बाद वास्तविक कार्यचालन परिणामों के आधार पर संशोधन किया जायगा ।

(ङ) 1968-69 में लगभग 95,000 मीटरी टन चीनी का निर्यात करने का अभी विचार है जबकि 1968 में 99,000 मीटरी टन चीनी का निर्यात किया गया था ।

Right of voting to Graduates below the prescribed Age

376. **Shri Narain Swarup Sharma :**
Kumari Kamala Kumari :
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that educational qualifications is more important than the age of a person in sofaras exercise of franchise is concerned ;

(b) whether it is also a fact that age is the only consideration in the present system of elections ;

(c) if so, whether Government propose to give the right of voting to all those young men and women who have passed B. A. or any other examination equivalent thereto even though they have not attained the age prescribed therefor considering the importance of educational qualifications in the exercise of franchise ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of social welfare (Shri M. Yunus Saleem) : (a) It is a moot point, Sir.

(b) No, Sir.

(c) and (d). Do not arise.

Special pay to District Election Officer in U. P.

377. **Shri Narain Swarup Sharma :** **Shri Om Prakash Tyagi :** **Kumari Kamala Kumari :** **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether there was a provision under the Financial Memorandum of the Peoples' Representation Act, 1966 to give a special pay of Rs. 100 to the District Election Officer in Uttar Pradesh to conduct elections and whether Government have followed it ;

(b) if so, the manner in which it has been followed ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem) : (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-43/69]**

(c) Does not arise.

अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में तीन भाषाओं में मनीआर्डर फार्म (धनादेश-प्रपत्र)

378. **डा० रानेन सेन** : क्या **संचार** मंत्री 28 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5602 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में तीन भाषाओं में मनीआर्डर फार्म (धनादेश प्रपत्र) चालू करने के प्रस्ताव के बारे में इस बीच कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) इन फार्मों का विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद राज्य सरकारों से जांच कराके प्राप्त हो चुका है और इनके त्रैमासिक खाके तैयार किये जा रहे हैं।

(ख) ये खाके तैयार कराने के बाद मुख्य नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री से इनकी तकनीकी दृष्टि से यह देखने के लिए जांच कराई जाएगी कि क्या आकार में कोई खास परिवर्तन किये बिना इन्हें एक साथ तीन भाषाओं में छापा जा सकेगा ताकि ये मौजूदा मशीनों में ठीक आ सकें।

चाय बागान उद्योग में मजूरी ढांचा

379. **डा० रानेन सेन :** **श्री धीरेश्वर कलिता :** **श्री भोगेन्द्र झा :** **श्री मणिभाई जे० पटेल :** **श्री अदिचन :** **श्री सीताराम केसरी :** **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रम सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग द्वारा गठित बागानों विषयक

अध्ययन दल ने चाय बागान उद्योग में मजूरी ढांचे के आधार के बारे में पुनर्विचार करने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या सरकार ने इस सिफारिश पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) सरकार को मालूम हुआ है कि अध्ययन दल ने राष्ट्रीय श्रम आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस समय सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने पर ही इस पर विचार करेगी।

लक्कादीव द्वीपसमूह की समाज कल्याण योजना

380. **श्री प० मु० सईद :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में लक्कादीव द्वीप समूह के सम्बन्ध में किस प्रकार की समाज कल्याण योजनाएं बनायी गयी हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में उनके सम्बन्ध में कितनी धनराशि मंजूर की गयी तथा कितनी खर्च की गयी ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) और (ख). आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है तथा वह सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

Education of Law in Indian Languages

381. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) the further progress made in regard to imparting highest education of law in Indian languages ;

(b) whether steps have also been taken to bring uniformity and maintain an uniform standard ; and

(c) if so, by when it would be implemented ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem) : (a) to (c). Apart from the information furnished to the House in respect of the assurance with regard to the Unstarred Question No. 4458 dated the 4th July, 1967, by Shri Sidheshwar Prasad about Hindi as the medium of instruction in Law Colleges, this Ministry have no further information.

Bebbing and Belting Company, Ghaziabad

382. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Supreme Court award of 30th August, 1967 of a bonus of Rs. 81,184 for the years 1961 and 1962 to the employees of Bebbing and Belting Company, Ghaziabad and their stay order of 10th September, 1964 ordering the payment of bonus with 6 per cent interest thereon has not been implemented so far by the said Company;

(b) whether it is also a fact that some application on behalf of the employees working in the factory has been submitted to him also ;

(c) if so, the grounds on which the payment has not been made so far ; and

(d) whether Government intend to take some other steps in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (d). The matter falls in the State sphere and a representation received on the subject has been farwarded to the Government of Uttar Pradesh for appropriate action.

श्रम कल्याण समिति का प्रतिवेदन

383. **श्री मुहम्मद स्माइल :**
श्री पी० राममूर्ति :
श्री गणेश घोष :
श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री रणजीत सिंह :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री सूरज भान :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1968 में नियुक्त श्रम कल्याण समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशों का ब्योरा क्या है ;

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन के कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) समिति से प्रार्थना कर दी गई है कि वह अपनी रिपोर्ट 31 मार्च, 1969 तक भेज दे ।

अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति के बारे में सरकार का उपेक्षापूर्ण रवैया

384. **श्री सूरज भान** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अस्पृश्यता के प्रश्न की जांच करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई इलियापेरुमाल समिति को जो थोड़ा स्टाफ दे रखा था उसकी समिति द्वारा अन्तिम रूप से अपना प्रतिवेदन दिये जाने से पूर्व ही सरकार द्वारा वापिस ले लिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त समिति के कार्यालय पर 25 जनवरी, 1969 को ताला लगा दिया गया था, सील लगा दी गई थी जिससे समिति के सदस्यों के लिए अपना कार्य करना असम्भव हो गया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि समिति के सदस्यों को 5 दिन तक एक सदस्य के घर पर बैठना पड़ा और काम के लिए अपने स्टेनोग्राफर तथा टाईपिस्ट रखने पड़े और काम को अपनी लागत पर साइक्लोस्टाइल्ड तथा स्टिच करना पड़ा था ; और

(घ) यदि हां, तो इस समिति के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैये बरतने के क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) से (घ). समिति का कार्यकाल 25 जनवरी, 1969 को समाप्त हो गया था और औपचारिक रूप से उसे बढ़ाये जाने के लिए नहीं कहा गया था। समिति के कार्यकाल के अन्तिम दो सप्ताहों के दौरान इस विभाग के लगभग दस कर्मचारियों को समिति की सहायता करने को लगाया गया था तथा रिपोर्ट को टाइप करने सम्बन्धी सारा काम 25 जनवरी तक समाप्त हो गया था। कुछ सदस्यों ने भी उस तारीख तक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर दिए थे।

समिति ने 9 फरवरी, 1968 से निम्नलिखित कर्मचारी स्वयं ही छोड़ दिए थे :

प्रवर अनुसंधानकर्त्ता	...	3
अवर अनुसंधानकर्त्ता		1
स्टेनो टाइपिस्ट	...	2
निम्न श्रेणी लिपिक	...	2

शेष कर्मचारियों को जब तक समिति ने चाहा रहने दिया गया था।

27 जनवरी को समिति के मंत्री ने बताया कि समिति का कार्य समाप्त हो गया है और उसने कमरों, कार्यालय के सामान, फर्नीचर इत्यादि का चार्ज दे दिया। समिति के अध्यक्ष अथवा अन्य किसी सदस्य से उस तारीख के बाद कार्यालय के स्थान के उपयोग के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था।

कोयला खानों के लिए आदर्श स्थायी आदेश

385. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री भगवान दास :**
श्री गणेश घोष : **श्री सत्य नारायण सिंह :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला खानों के लिये कोई आदर्श स्थायी आदेश नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कोयला खानों के बारे में आदर्श स्थायी आदेशों पर विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो आदर्श स्थायी आदेश के मसौदे का ब्योरा क्या है ;

(घ) क्या इन आदेशों के बारे में सरकार ने श्रमिकों से विचार प्राप्त कर लिये हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं । औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) केन्द्रीय नियमावली, 1946 से संलग्न आदर्श स्थायी आदेश सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों, जिनमें केन्द्रीय क्षेत्र की कोयला खानें सम्मिलित हैं, पर तब तक लागू है जब तक कि प्रमाणित स्थायी आदेश उन पर लागू नहीं किये जाते ।

(ख) से (ङ). कोयला खनन उद्योग की विशेष आवश्यकता को पूर्ण करने के लिये भारत सरकार ने इस उद्योग के लिये अलग स्थायी आदर्श आदेश बनाये थे और विभिन्न नियोजक एसोसिएशनों / संघों में उन्हें अगस्त 1960 में प्रचालित किया था । इन आदेशों को बनाते समय, 12 से 13 मार्च, 1959 को कलकत्ता में हुई कोयला खनन संबंधी औद्योगिक उप-समिति की बैठक में नियोजकों और श्रमिकों के संगठनों द्वारा व्यक्त विचारों को ध्यान में रखा गया था । तब कोयला खनन उद्योग संबंधी इन आदर्श स्थायी आदेशों में संशोधन करने के कई एक प्रस्ताव प्राप्त हुये थे । इन प्रस्तावों को 10 और 11 अगस्त, 1964 में कलकत्ता में हुए कोयला खनन संबंधी औद्योगिक समिति के नवें अधिवेशन में रखा गया था । औद्योगिक समिति ने इस मामले को एक उप समिति के पास भेज दिया । उक्त उप समिति की बैठक में तथा सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों के प्रकाश में, संशोधित आदर्श स्थायी आदेशों को नियोजक एसोसिएशनों/ संघों को 13-8-1965 को अपनाने के लिये प्रचालित किया गया । कोयला खान संबंधी आदर्श स्थायी आदेशों को कानूनी रूप देने के लिये उन्हें अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1414, दिनांक 9-9-1966 द्वारा भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया और सभी संबंधित पक्षों से आपत्तियां तथा सुझाव मांगे गये । नियोजनक संगठनों तथा श्रमिकों की यूनियनों से प्राप्त सुझावों पर, उन्हें कोयला खान संबंधी आदर्श स्थायी आदेशों में सम्मिलित करने के लिये विचार किया जा रहा है ।

चीनी उद्योग की समस्याएं

386. **श्री न० कु० सांघी :** **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री रा० रा० सिंह देव : **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**
श्री बे० कृ० दासचौधरी : **श्री य० अ० प्रसाद :**
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1969 के प्रथम सप्ताह में चीनी उद्योग के प्रतिनिधियों ने केन्द्रीय सरकार के साथ चीनी उद्योग की समस्याओं के बारे में बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या बातचीत हुई थी तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासहिब शिन्दे) : (क) और (ख). खाद्य तथा कृषि मंत्री को चीनी उद्योग के प्रतिनिधि 8 जनवरी, 1969 को मिले थे । गन्ने की कीमत के प्रश्न, चीनी उत्पादन की सम्भावनाओं और खुले बाजार में चीनी की प्रत्याशित कीमत पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी थी । उद्योग द्वारा गन्ने का 10 रुपये प्रति क्विंटल का भाव देने की वांछनीयता पर जोर दिया गया था ।

डाक व तार सेवाओं के लिए पाकिस्तान की ओर बकाया राशि

387. **श्री न० कु० सांघी :** **श्री य० अ० प्रसाद :**
श्री रा० रा० सिंह देव : **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान सरकार की ओर दूर संचार तथा डाक सेवाओं पर व्यय की गई कितनी राशि बकाया है;

(ख) 1965 के संघर्ष में पाकिस्तान द्वारा कितने मूल्य के दूर संचार उपकरण जब्त किये गये थे; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 225.25 लाख रुपए ।

(ख) 46.75 लाख रुपये ।

(ग) डाक और दूरसंचार के पिछले हिसाब को निपटाने के प्रश्न के साथ ही साथ उन दूरसंचार उपस्करों के लौटाने के प्रश्न को भी समय-समय दबाया गया है जो 1965 की मुठभेड़ के

दौरान पाकिस्तान में रोक लिए गये थे। मार्च-अप्रैल 1968 में भारत और पाकिस्तान के दूर-संचार प्रशासन प्रतिनिधियों के बीच हुई गत बैठक के अवसर पर दूरसंचार के हिसाब के निपटान के लिए प्रश्न उठाया गया था, पर उसको फिर दबा दिया गया। पाकिस्तान प्रतिनिधिमण्डल ने उस बैठक में इस मामले पर विचार करने से इन्कार कर दिया और यह मत प्रकट किया कि यह मामला दोनों देशों के बीच कुल वित्तीय निपटान से सम्बन्ध रखता है।

चावल मिलें

388. **श्री न० कु० सांघी :** **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :**
श्री महाराज सिंह भारती : **श्री य० अ० प्रसाद :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के खाद्य निगम का देश के विभिन्न भागों में 24 चावल मिलें स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मिल की कितनी क्षमता होगी; और

(ग) प्रत्येक मिल कहां-कहां स्थापित की जायेगी और इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) प्रत्येक एकक की क्षमता 4 मीटरी टन प्रति घण्टा होगी।

(ग) इन सभी 24 मिलों को किन-किन स्थानों पर स्थापित करना है, उसके सम्बन्ध में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की आशा है।

Shortage of Fodder

389. **Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Ram Gopal Shalwale : **Shri Suraj Bhan :**
Shri Ranjit Singh : **Shri Brij Bhushan Lal :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of the States where there has been shortage of fodder ; and

(b) the action taken to meet the shortage ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as early as possible.

Misuse of Vehicles in Elections

390. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Suraj Bhan :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether Government have received any information regarding misuse of vehicles to bring voters to the polling stations during elections ; and

(b) if so, the steps being taken to check it ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem) : (a) The Election Commission has received complaints from time to time regarding the hiring or procuring of vehicles for the free conveyance of electors to polling stations.

(b) The Government, in consultation with the Election Commission, are examining proposals to further tighten the Law so as to put an end to this practice.

उर्वरक के उत्पादन तथा खपत के लक्ष्य

391. **श्री हिम्मतसिंहका :** **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री अविचन : **श्री बाल्मीकि चौधरी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए अन्ततः उर्वरक के उत्पादन तथा खपत के पुनरीक्षित लक्ष्य निर्धारित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षित लक्ष्य क्या हैं और वे मूल प्रस्तावित लक्ष्यों से कितने कम अथवा अधिक हैं; और

(ग) इन परिवर्तनों के क्या मुख्य कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). मंत्रालय ने चतुर्थ योजना के लिये उर्वरकों के कच्चे अनुमान तैयार किये हैं। पेट्रोकेमिकल विभाग ने उसी अवधि के लिए उर्वरकों के उत्पादन के कच्चे अनुमान तैयार किये हैं। इन अनुमानों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए संशोधित लक्ष्यों का प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एस्सो में आवश्यकता से अधिक घोषित किये गये कर्मचारी

392. **श्री हिम्मतसिंहका :** **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री अदिचन : **श्री श्रीधरन :**
श्री सु० कु० तापड़िया : **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एस्सो अधिकारियों ने गत नवम्बर में त्रिपक्षीय समिति की बैठक होने के बावजूद 350 से अधिक कर्मचारियों को आवश्यकता से अधिक घोषित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो त्रिपक्षीय समिति की पिछली बैठक के बाद यह मामला किस स्थिति में था और एस्सो कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों को फालतू घोषित करने पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) तेल कम्पनियों और उनके कर्मचारियों के बीच का झगड़ा अब सामान्य रूप में किस स्थिति में है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) त्रिपक्षीय समिति की बैठक में एस्सो के प्रतिनिधियों ने यह कहा कि कम्पनी में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं, लेकिन छंटनी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) बाद में, कम्पनी ने अपने पूर्वी क्षेत्र में क्लर्कों के काम करने वाले 190 कर्मचारियों और 160 श्रम कर्मचारियों की छंटनी करने का प्रस्ताव किया । इस पर समझौता कार्यवाई चलाई गई तथा प्रबन्धकों और यूनियन के बीच 15 जनवरी, 1969 को क्लर्कों के काम करने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक समझौता किया गया । श्रम कर्मचारियों के सम्बन्ध में समझौता 6 फरवरी, 1969 को हुआ ।

(ग) आशा की जाती है कि जो जांच आयोग तेल कम्पनियों में नौकरी की सुरक्षा के सामान्य प्रश्न की जांच करने के लिए जुलाई, 1967 में स्थापित किया गया था, वह मार्च, 1969 के अन्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा ।

कृषकों की प्रति व्यक्ति आय

393. **श्री हिम्मतसिंहका :** **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री अदिचन : **श्री बाल्मीकि चौधरी :**
श्री श्रीधरन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1967-68 में कृषकों की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी और 1968-69

के लिए प्रति व्यक्ति आय का अनुमान क्या है और ये आंकड़े केरल, बिहार तथा राजस्थान के तत्सम्बन्धी आंकड़ों की तुलना में कैसे हैं; और

(ख) केरल, राजस्थान तथा बिहार के बारे में यह आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आंकड़ों की तुलना में कैसे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). कृषकों की प्रति व्यक्ति आय पर डाटा, अखिल भारतीय स्तर या राज्य स्तर पर राष्ट्रीय आय में अलग से संकलित नहीं किये गये हैं। तो भी 1960-61 के लिए चुनींदे राज्यों में कृषि से कुल आय, अधिकृत व्यक्तियों की संख्या और प्रति अधिकृत व्यक्ति आय को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 44/69] । अगले वर्षों के लिए प्रति अधिकृत व्यक्ति की कुल आय से सम्बन्ध रखने वाले अनुमान कृषि में अधिकृत व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में डाटा की अनुपलब्धि के कारण नहीं निकाले जा सके ।

कृषि उत्पादन

394. **श्री हिम्मतसिंहका** : **श्री मीठालाल मीना** :
श्री सु० कु० तापड़िया : **श्री क० प्र० सिंह देव** :
श्री गार्डिलिंगन गौड :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि वर्ष 1968-69 के पूर्वार्ध में प्रत्येक राज्य का वास्तविक कृषि उत्पादन जिसमें खाद्य तथा अन्य कृषि उत्पाद भी हैं, वर्ष 1967-68 तथा 1966-67 के पूर्वार्ध के उत्पादन की तुलना में कैसा है;

(ख) इस वर्ष प्रत्येक राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि की दर क्या होगी; और

(ग) अब तक वास्तविक कृषि उत्पादन को ध्यान में रखते हुए देश इस वर्ष में कृषि उत्पादन का क्या लक्ष्य प्राप्त कर लेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कृषि वर्ष 1968-69 के प्रथम 6 मास की अवधि (अर्थात् खरीफ) में वास्तविक कृषि उत्पादन के जिसमें खाद्य तथा अन्य कृषि फसलें शामिल हैं, अन्तिम अनुमान कृषि वर्ष की समाप्ति पर अर्थात् जुलाई-अगस्त 1969 में किसी समय उपलब्ध होंगे ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) योजना में 1968-69 के लिए प्रमुख फसलों के निर्धारित लक्ष्य निम्न प्रकार थे :

खाद्यान्न	1020 लाख मीटरी टन		
गन्ना (गुड़)	125	,,	,,
तिलहन	100	,,	,,
कपास	67	,,	,,
पटसन	69	,,	,,

ये लक्ष्य सामान्य ऋतु के लिए थे और इस वर्ष देश के कुछ भागों में सूखे की स्थिति रही है, अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि लक्ष्य पूरे हो सकेंगे।

अन्दमान विकास निगम

395. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रा० बरुआ :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान विकास निगम ने कार्य करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो निगम की कुल अंश पूंजी कितनी है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि निगम की पूंजी में राज्य तथा केन्द्र सरकारों का भी अंश होगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

मंत्रालय में अधिकारियों के सेवाकाल में वृद्धि

396. **डा० सुशीला नायर :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में श्रेणी एक के कितने अधिकारियों की, जिन्हें 1968 में 58 वर्ष की आयु हो जाने पर सेवा निवृत्त होना था, सेवाकाल में वृद्धि अथवा पुनः नियुक्ति की गई है;

(ख) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं; और

(ग) उनकी सेवाकाल में वृद्धि करने अथवा उनकी पुनः नियुक्ति के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) तीन।

(ख) और (ग). एक विवरण, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है, सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

ऐसे मामले जिनमें श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय में श्रेणी एक के उन अधिकारियों की, जिन्हें 1968 में 58 वर्ष की आयु हो जाने पर सेवा निवृत्ति होना था, सेवाकाल में वृद्धि अथवा पुनः नियुक्ति की गई।

क्रमांक अधिकारी का नाम	सेवाकाल में वृद्धि किये जाने अथवा पुर्नानियुक्ति के कारण
1—श्री एस० एल० खन्ना, श्रम और पुनर्वास मंत्री के निजी सचिव।	चूंकि उनकी सेवाओं को सार्वजनिक हित में जारी रखना अपेक्षित समझा गया; इसलिए उन्हें पुनर्नियुक्त किया गया।
2—श्री एच० के० भट्टाचार्य जी, खान सुरक्षा उप निदेशक, (विद्युत)।	प्रवर तथा अनुभवी खान सुरक्षा उप निदेशकों की कमी के कारण।
3—श्री के० एस० मिश्र, अधीक्षण इंजीनियर, (सिंचाई), दन्डकारन्य प्रायोजना।	परालकोट डाक, जो कि निर्माण की महत्वपूर्ण स्थिति में था, का पर्यवेक्षण जारी रखने के लिए दो महीने के लिए सार्वजनिक हित में पुनः नियुक्त किया गया।

मंत्रालय द्वारा विदेशों में भेजे गये शिष्ट-मण्डल

397. **डा० सुशीला नैयर :** **श्री क० लकप्पा :**
श्री दे० अमात : **श्री श्रीधरन :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय द्वारा पिछले दो वर्षों में कितने शिष्ट-मण्डल विदेशों में भेजे गये थे;

(ख) उन शिष्ट-मण्डलों ने किन-किन देशों का दौरा किया था;

(ग) प्रत्येक शिष्ट-मण्डल द्वारा कितनी राशि व्यय की गई है; और

(घ) उससे क्या परिणाम निकले ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता विभागों से सम्बन्ध रखने वाली सूचना सभा-पटल पर प्रस्तुत है । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 45/69**]

(घ) जैसा कि सूची प्रदर्शित करती है, ये शिष्ट-मण्डल या तो विशेषज्ञों के लिए तकनीकी बैठकों या निकायों द्वारा, जिनका भारत सदस्य है अतः बैठक आदि में हिस्सा लेने के लिए उसका दायित्व है, बुलाये हुये सम्मेलनों में गये थे । इन सम्मेलनों और बैठकों के निष्कर्ष और निर्णय भारत में कृषि विकास के लिए पर्याप्त महत्व के रहे हैं ।

चीनी का आंशिक विनियंत्रण

398. **श्री वेदव्रत बरुआ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी के आंशिक विनियंत्रण के उद्देश्य प्राप्त कर लिए गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस वर्ष कृषकों को गन्ने का समुचित मूल्य दिलाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां, कुल मिलाकर ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

डाक विभाग आसाम के केन्द्रीय डिवीजन का दो भागों में विभाजन

399. **श्री वेदव्रत बरुआ :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग के आसाम के केन्द्रीय डिवीजन का दो भागों में विभाजन करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विभाजन के कब पूरा होने की सम्भावना है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस मामले पर गौर किया जा रहा है ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा कर्मचारियों की छंटनी

400. **श्री पी० राममूर्ति :**
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री उमानाथ :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने मद्रास तथा केरल क्षेत्र में सीधे भर्त्ती

किए गए $1\frac{1}{2}$ वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों की बड़ी संख्या में दिसम्बर, 1968 में छंटनी कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो अब तक छंटनी किये गये कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ग) छंटनी करने के क्या कारण थे ; और

(घ) सरकार द्वारा उन्हें बहाल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) मद्रास क्षेत्र में तंजोर में नियुक्त 150 सन्देशवाहकों/चौकीदारों में से 27 व्यक्तियों को दिसम्बर, 1968 में कार्यमुक्ति नोटिस दिया गया था ।

(ग) ये व्यक्ति पूर्णतया अस्थायी और तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए थे और न ही ये विहित शैक्षणिक योग्यता रखते थे और अधिक आयु के थे ।

(घ) इन 27 कर्मचारियों की समस्या का सन्तोषजनक ढंग से किस तरह अच्छा समाधान किया जा सकता है, खाद्य निगम उस पर विचार कर रहा है ।

Report of Cow Protection Committee

401. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri S. C. Samanta :
Shri Yashpal Singh :
Shri Sradhakar Supakar :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri Narendra Singh Mahida :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Yashwant Singh Kushwah :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the time by which the report of the Cow Protection Committee, appointed by Government, is likely to be published ;

(b) whether it is also a fact that a number of persons who were invited by this Committee to give their evidences refused to give evidence before it ;

(c) if so, the names of those persons ;

(d) the difference of opinion expressed by them while showing their inability to give evidence ; and

(e) whether the decision taken in consultation with the Government officers only would be reasonable ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The question of publication of the Report would arise after the report has been submitted to Government of India by the Committee.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d). A statement showing the names of persons who refused to give evidence before the Committee and the reasons therefor, is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-46/69]**

(e) Does not arise, as against 29 non-officials who have refused to give evidence before the Committee, 31 non-officials, including Shri Vijay Kumar Malhotra and Shri Hans Raj Gupta leaders of Bhartiya Jansangh, have already given evidence before the Committee and 13 non-officials have agreed to give evidence before the Committee.

Lok Sabha Seats from Madras and U. P.

402. **Shri Om Prakash Tyagi : Shri Bal Raj Madhok : Shri Shiv Charan Lal : Shri Molahu Prasad :**

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) the population of Madras and Uttar Pradesh respectively and the number of Lok Sabha seats allocated to each of these States ; and

(b) the average population which one Lok Sabha Member represents in each of these two States ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem) : (a) According to the 1961 census, the population for the Stases of Madras (now Tamil Nadu) and Uttar Pradesh is 33686953 and 73746401 respectively and the number of Lok Sabha seats allocated to these seats is 39 and 85 respectively.

(b) 863768 and 867605, respectively, in the States of Madras (now Tamil Nadu) and Uttar Pradesh.

Educated and Uneducated Un-Employed Persons

404. **Shri Om Prakash Tyagi : Shri George Fernandes : Shri Shashi Bhushan : Shri Prakash Vir Shastri : Shri S. R. Damani : Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of the educated and uneducated unemployed persons in various States of the country during the last five years ;

(b) whether it is a fact that the number of unemployed persons is increasing from year to year ;

(c) whether Government have drawn up any concrete schemes to provide employment to each person ; and

(d) if so, the nature of the schemes and steps taken to implement them ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) and (b). The only information available on the subject relates to number of work-seekers on the Live Register of Employment Exchanges which is given in the statement laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-47/69.]**

(c) and (d). Various development programmes in the field of agriculture, industry, transport and communication and social services such as education, health, family planning and social welfare included in the Fourth Plan and the Annual Plan for 1969-70 are expected to provide increasing employment opportunities for unemployed persons both educated and uneducated in rural as well as urban areas.

Conversion of Delchouri (Pauri Garhwal) Branch Post Office into Sub-Post Office

405. **Shri Shri Gopal Sabu :**
Shri Onkar Singh :
Shri J. Sunder Lal :
Shri Bansh Narain Singh :
Shri Sharda Nand :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Shiv Charan Lal :
Shri Jamna Lal :

Will the Minister of **Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5190 on the 19th December, 1968 and state :

(a) whether the examination of the proposal for converting Delchouri Branch Post Office in Pauri Garhwal into a Sub-Post Office has been completed ;

(b) if so, the full details thereof and when the conversion would take place ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) to (c). The proposal to convert Delchouri Branch Office into a Sub-Post Office was examined and dropped as the anticipated work-load of 2 hours 48 minutes and 53 seconds of the proposed Sub Office does not satisfy the departmental standards of minimum worked-load of 5 hours. The proposed Sub Office is also expected to work on an annual loss of Rs. 2,504.76.

कार्मिक संघों में बाहरी व्यक्तियों पर रोक

406. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निश्चय किया है कि बाहरी व्यक्तियों को सभी उद्योगों तथा सेवाओं के मजदूर संघों का नेतृत्व करने की अनुमति न दी जाये ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने मजदूर संघों की अधिकतम संख्या निश्चित करने का भी निर्णय किया है जिनका कोई एक व्यक्ति पदधारी बन सकता है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). इस प्रकार के कोई निर्णय नहीं लिये गये हैं। सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने से पहले राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा करने का है।

ट्रैक्टरों के बांटने की पद्धति

407. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसानों को ट्रैक्टरों के बांटने की पद्धति बहुत दोषपूर्ण है और इसके कारण किसानों से अनेक शिकायतें आई हैं ;

(ख) देश में विभिन्न राज्यों की, ट्रैक्टरों की कुल कितनी मांग है ; और

(ग) सरकार ने उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उल्लिखित मामलों के बारे में क्या कार्यवाही की है अथवा क्या करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) ट्रैक्टरों का वितरण इस आधार पर होता है कि जो पहले आये वह पहले पाये तो भी वास्तविक वितरण के विरुद्ध कुछ साधारण प्रकृति की शिकायतें हुई हैं ।

(ख) 1968-69 के दौरान 50,000—60,000 ट्रैक्टर ।

(ग) सरकार ने विभिन्न राज्य कृषि उद्योग निगमों द्वारा, जो सरकारी कम्पनी हैं, कृषकों के लिये ट्रैक्टरों के आयात और वितरण का निश्चय किया है । देश में ट्रैक्टरों के उत्पादन में त्वरिता और तीव्रता लाने के अतिरिक्त सरकार विदेश से आवश्यक सीमा तक ट्रैक्टर आयात करने का प्रस्ताव रखती है । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न मेक और आकार के 15,000 ट्रैक्टर तक के आयात की सरकार ने छूट दे दी है ।

मध्यावधि निर्वाचनों में निर्वाचन आन्दोलनों के दौरान धार्मिक स्थानों का उपयोग

408. **श्री हेमराज :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल राज्यों में हाल के मध्यावधि निर्वाचनों के दौरान किन दलों ने अपने निर्वाचन आन्दोलनों के लिए धार्मिक स्थानों तथा धार्मिक सम्मेलनों का उपयोग किया ; और

(ख) क्या उनके उपयोग से इन राज्यों में निष्पक्ष निर्वाचन कराने में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उपस्थित हुई ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) और (ख). जानकारी संगृहीत की जा रही है ।

भारतीय आहार में विविधता

409. **श्री हेमराज :**

श्री गार्डिलिगन गौड :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूख से मुक्ति-आन्दोलन के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन और खाद्य तथा कृषि संगठन

के सहयोग से भारतीय आहार में विविधता लाने के लिये एक कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) फ्रीडम फ्राम हंगर कम्पेन के अन्तर्गत सहायता बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली के चार केटरिंग औद्योगिकी तथा व्यावहारिक पोषाहार संस्थानों और कुछेक चलते-फिरते खाद्य तथा पोषाहार विस्तार यूनिटों की स्थापना के लिए दी गयी है । केटरिंग संस्थान केटरिंग औद्योगिकी और व्यावहारिक पोषाहार के विशेषीकृत क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा देता है और पोषाहार तथा भोजन संबंधीउपयुक्त आदतों को बढ़ावा देने की भावना का प्रचार करने के लिये विस्तार केन्द्र के रूप में कार्य करता है । विभिन्न राज्यों में स्थित चलते-फिरते यूनिट संतुलित भोजन और सहायक खाद्यों केउपयोग से सम्बन्धित प्रदर्शनों का आयोजन करते हैं और लोगों को खाद्य पदार्थों के संरक्षण और उपयोग से सम्बन्धित खाद्यों की व्यंजन सूची तैयार करने, वैज्ञानिक और स्वास्थ्यप्रद ढंग से सम्भालने और पकाने, खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोकने, परिक्षण और संश्रित मामलों के बारे में शिक्षा देते हैं ।

पहाड़ी क्षेत्रों में लघु सिंचाई कार्य

410. **श्री हेमराज :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में कुओं, उठाऊ सिंचाई, छोटे बाँधों के विभिन्न तरीकों द्वारा लघु सिंचाई करने के कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कितना धन नियत किया गया है और इससे किन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को लाभ होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). अभी तक चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के लघु सिंचाई कार्यक्रम की अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । फिर भी लघु सिंचाई के सम्बन्ध में आसाम, जम्मू तथा काश्मीर, उत्तर प्रदेश, नागालैंड की सरकारों तथा हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर की संघ सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों में पहाड़ी क्षेत्रों की नहरों व उठाव सिंचाई आदि लघु सिंचाई कार्यों के लिये उचित व्यवस्था की गई है । अब यह निर्णय किया गया है कि 1969-70 के पश्चात राज्य सरकारों को स्टेट प्लान योजनाओं के लिये जो केन्द्रीय सहायता दी जायेगी वह 'ब्लौक ग्रान्टों' और ऋणों के रूप में होगी और 'लघु सिंचाई' व 'कृषि उत्पादन'

आदि प्रत्येक विकास शीर्षक से नत्थी न होंगी। अतः स्कीमवार केन्द्रीय नियतन का प्रश्न ही नहीं होता क्योंकि विकास शीर्षकों के अनुसार राशि नियत करने का मौजूदा तरीका भी त्याग दिया गया है।

Convention on Employment

411. **Shri Deorao Patil :**
Shri Ranjit Singh :
Shri Balraj Madhok :
Shri Hardayal Devgun :
Shri D. C. Sharma :
Shri Beni Shanker Sharma :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a National convention on unemployment was held recently in Delhi wherein a resolution demanding certain specific and immediate measures to find employment for educated persons was passed; and

(b) if so, the specific suggestions made by the convention and Government reaction thereto?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) and (b). According to a news item published in a section of the press such a convention was reported to have been held on June 1, 1968. Government have, however, not been informed of the suggestions made at the Convention.

Loans to Agricultural Labourers

412. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of the States where there is a provision of giving loans by Government and Cooperative Societies to the agriculture labourers; and

(b) in case there is no provision for such loan, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). Information is being collected from the State Governments and Union Territories and will be placed on the Table of the Sabha as soon as it is complete.

Production of Cotton

413. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that per acre production of cotton has not increased despite special measures adopted to increase the production of cotton and improve its variety during the last ten years; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). No, Sir. A statement indicating total production and yield per hectare of cotton from 1957-58 to 1967-68 is laid on the Table. **[Placed in Library. See No. LT-48/69.]**

Setting of New Sugar Mills

414. **Shri Deorao Patil :**
Shri Nitiraj Singh Chaudhary :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Government of India have formulated a new policy in regard to the setting up of new sugar mills in the country ;

(b) if so, the details of new policy ; and

(c) the places for which permission to start new mills was accorded during the last year according to the new policy and the number of proposals for sanction under consideration ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). There is no basic change in the policy in licensing new sugar factories and preference is still being given for the establishment of new sugar factories in the cooperative sector. The new cooperative sugar factories licensed have been depending for a bulk of their capital requirement on rupee loan from the IFC. But as there was difficulty in arranging the same for these units, more factories were not being licensed. It was, therefore, decided in March, 1968, that for some time only those applications might be considered for the grant of licences for new factories where the applicants were in a position to arrange the necessary funds without seeking assistance from central financing institutions.

(c) Letters of intent have so far been issued for the establishment of three new cooperative sugar factories at the following places where the promotors would find financial resources for the implementation of the projects from sources other than Industrial Finance Corporation/ Industrial Development Bank of India :

1. Petlad, District Kaira (Gujarat).
2. Sakhrale village, Taluk Walwa, District Sangli (Maharashtra).
3. Bhuinj, Taluk Wai, District Satara (Maharashtra).

At present 80 applications for the establishment of new sugar factories are under consideration.

विदेशों में भारतीय डाक टिकटों को लोक-प्रिय बनाना

415. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत प्रति वर्ष लगभग 72 लाख रुपये के भारतीय डाक टिकट जारी करता है किन्तु भारतीय टिकटों के लिए आकर्षक डिजाइनों के लिये अनेक विषयों के बावजूद भी एक वर्ष में केवल 1.5 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित होती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये विदेशों में भारतीय डाक टिकटों को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां, किन्तु विदेशी मुद्रा अर्जित करने सम्बन्धी ठीक-ठीक आंकड़े नहीं दिये जा सकते क्योंकि विदेशों में डाक टिकट विक्रेताओं द्वारा सीधी बिक्री की जानकारी उपलब्ध नहीं है। किन्तु जहां तक सीधे डाकघरों द्वारा बिक्री का सम्बन्ध है, अर्जित की जाने वाली विदेशी मुद्रा लगभग एक लाख रुपये प्रति वर्ष है।

(ख) क्योंकि हमारे डाक-टिकट बहुरंगी नहीं छपते, इसलिये विदेशों में डाक-टिकट एकत्रित करने वालों के लिए ये आकर्षक नहीं होते ।

(ग) एक बहुरंगी मुद्रण मशीन का आयात किया जा रहा है और आशा है कि एक वर्ष में यह लग जायेगी और रंग-बिरंगे आकर्षक डाक-टिकट जारी किये जा सकेंगे। विदेशों में डाक-टिकट बेचने और इनके अग्रिम प्रचार की व्यवस्था में सुधार करने के लिये भी कदम उठाये गये हैं।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कपास का उत्पादन बढ़ाना

416. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कपास का उत्पादन बढ़ाने की केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिये कोई कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस काम के लिये कितना नियतन करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) प्रस्तावित कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान, कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिये केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं पर लगभग 390 लाख रु० खर्च करने का प्रस्ताव है ।

(ग) निम्नलिखित योजनाओं को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है :

(1) हर वर्ष लगभग 4.70 लाख हैक्टेयर्स के सिंचित तथा निश्चित रूप से वर्षा वाले क्षेत्रों में सघन खेती (केन्द्रीय पैकेज क्षेत्र) ।

(2) असिंचित क्षेत्रों में अधिक पौद रक्षा अभियानों का आयोजन ।

(3) कपास के न्यूकलियस तथा आधारभूत बीजों का उत्पादन ।

(4) केन्द्रीय पैकेज क्षेत्रों में कपास का वर्गीकरण ।

(5) आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर में सी आइलैन्ड काटन का विकास ।

दिल्ली में गेहूं का चोरी छिपे लाया जाना

417. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री ओंकार सिंह :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री शारदा नन्द :
श्री रणजीत सिंह :
श्री बलराज मधोक :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बेणी शंकर शर्मा :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रा० बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में स्वतन्त्र रूप से गेहूं लाने पर प्रतिबन्ध लगाने से दिल्ली में बड़े पैमाने पर चोरी छिपे गेहूं आने लग गया है जिसके परिणामस्वरूप अनाज के दाम बढ़ गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में गेहूं के मूल्य में प्रति बोरी 30 रुपये का अन्तर है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मूल्यों को स्थिर करने और दिल्ली में चोरी छिपे गेहूं आने को रोकने के उद्देश्य से दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को मिला कर गेहूं का एक जोन बनाने का प्रस्ताव रखा है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उस प्रस्ताव से सहमत हो गई है ;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) इस सम्बन्ध में सरकार का और क्या वैकल्पिक उपाय करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) दिल्ली उत्तरी खाद्य क्षेत्र का अंग है । संघ शासित प्रदेश में पंजाब और हरियाणा राज्यों से गेहूं आ सकता है । दिल्ली में बिना किसी रोक-टोक के 13-1-69 से गेहूं और गेहूं के पदार्थ उत्तर प्रदेश राज्य से भी आ सकते हैं । क्योंकि दिल्ली में सभी पड़ोसी प्रमुख उत्पादक राज्यों से मुक्त संचालन हो सकता है, इसलिये दिल्ली में गेहूं के तस्कर व्यापार का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(घ) और (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

(च) दिल्ली में उत्तर प्रदेश से गेहूं के संचलन की अनुमति 13-1-69 से दी गयी है । उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सरकारी वितरण प्रणाली के अधीन गेहूं दिया जाता रहेगा क्योंकि इस वितरण से खुले बाजार में गेहूं के मूल्यों पर नियन्त्रण रखने में सहायता मिलती है ।

गत हड़ताल में भाग लेने वाले डाक व तार कर्मचारियों की रिहाई

418. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 सितम्बर, 1968 को हड़ताल में भाग लेने के कारण डाक व तार विभाग के जिन कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था तथा जिनके विरुद्ध मुकदमें चलाये गये थे उन्हें रिहा करने का सरकार ने इस बीच निर्णय किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस योजना के अन्तर्गत सभी सरकारी कर्मचारी रिहा नहीं किये गये थे ;

(ग) अभी कितने कर्मचारी निलम्बित हैं तथा कितनों के विरुद्ध मुकदमें चल रहे हैं ; और

(घ) इस बारे में सरकार का क्या रवैया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश उन कर्मचारियों के मामले से सम्बन्ध रखते हैं जो केवल अनिवार्य सेवाएं अनुरक्षण अध्यादेश, 1968 की धारा 4 के अन्तर्गत या केवल गत हड़ताल के सम्बन्ध में 19 सितम्बर, 1968 को कार्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण निलम्बित या गिरफ्तार किये गये थे या जिन पर मुकदमें चलाये गये थे ।

(ग) अधीनस्थ एककों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसको सभा-पटल पर शीघ्र रख दिया जाएगा ।

(घ) उन कर्मचारियों के मामले जो उपर्युक्त निर्णय के अन्तर्गत नहीं आते अर्थात् उन कर्मचारियों के मामले जिन पर इस अध्यादेश की धारा 5 या अन्य किसी दाण्डिक कानून के अन्तर्गत उकसाने/भड़काने के आरोप हों, न्यायालय/विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के परिणाम के आधार यथाविधि निपटाए जाएंगे ।

रबी सीजन में चावल की फसल

419. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रबी सीजन में चावल की फसल की कैसी सम्भावना है ;

(ख) रबी फसल सीजन के बाद देश में चावल की कुल कितनी कमी रहेगी ; और

(ग) किन स्रोतों से उसे प्राप्त किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) चालू रबी मौसम में बोई गई ग्रीष्म की चावल की फसल के क्षेत्र और उत्पादन के पक्के अनुमान केवल कृषि वर्ष की समाप्ति के बाद अर्थात् जुलाई-अगस्त, 1969 में कमी उपलब्ध होंगे ।

(ख) और (ग). अन्य वस्तुओं की तरह खाद्यान्नों की मांग भी लचीली है । कुछ हद तक एक किस्म का खाद्यान्न अन्य किस्म के खाद्यान्न के बदले लिया जा सकता है । अतः चालू रबी फसल मौसम के बाद देश में चावल की आवश्यकताओं तथा कमी का अनुमान लगाना कठिन है तथापि, बर्मा, थाईलैंड और आस्ट्रेलिया से कुछ चावल आयात करने के प्रबन्ध किये गये हैं । इन देशों तथा अन्य देशों से भी कुछ और चावल आयात किया जा सकता है ।

सहकारी समितियों के माध्यम से फार्म उपज तथा उर्वरकों का विपणन

420. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री सीताराम केसरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में फार्म उपज तथा उर्वरकों का अधिकांश भाग सहकारी समितियों के माध्यम से बेचने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में लक्ष्य निर्धारित कर लिये गये हैं ; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि की तुलना में ये लक्ष्य कितने कम अथवा अधिक हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी हां । चौथी योजना अवधि में फार्म उपज के विपणन तथा उर्वरकों के वितरण में सहकारी समितियों से उल्लेखनीय भूमिका अदा करने की आशा की जाती है ।

(ख) जी हां । सम्पूर्ण देश के लिए अस्थायी लक्ष्य निर्धारित कर लिए गये हैं ।

(ग) उम्मीद है कि सहकारी समितियां चौथी योजना के अन्तिम वर्ष में 900 करोड़ रुपये के मूल्य की कृषि उपज का व्यापार करेंगी, जबकि तीसरी योजना अवधि के अन्तिम वर्ष में उन्होंने 360 करोड़ रुपये के मूल्य की कृषि उपज का व्यापार किया था। जहां तक उर्वरकों का सम्बन्ध है, उम्मीद है कि चौथी योजना के अन्तिम वर्ष में सहकारी वितरण व्यवस्था 650 करोड़ रुपये के मूल्य के उर्वरकों का वितरण करेगी, जबकि तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष में उसने 80 करोड़ रुपये के मूल्य के उर्वरकों का वितरण किया था।

राज्य फार्मों के लिए निगम

421. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री सीताराम केसरी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री यशपाल सिंह :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार राज्य फार्मों के लिये विभागीय प्रबन्ध व्यवस्था के स्थान पर एक निगम स्थापित करने का है ;

(ख) विभागीय प्रबन्ध व्यवस्था में किस तरह कमी पाई गई है ;

(ग) इस निगम को क्या-क्या मुख्य कृत्य सौंपने का विचार है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) एक विभागीय संगठन में वह सांक्रिया तथा प्रशासनिक लचक नहीं होती जो राजकीय फार्म जैसी वाणिज्यिक संस्था के संचालन के लिये आवश्यक है। ऐसे संगठन से विलम्ब भी होता है जो कुशल व्योपार प्रबन्ध के लिये हानिकारक है।

(ग) निगम के मुख्य कार्यकलापों में खाद्यान्नों के बीजों, रेशे वाली फसलों, बागान फसलों, तिलहन व फल आदि के उत्पादन के लिए कृषि फार्मों की स्थापना व संचालन शामिल हैं।

(घ) निगम की स्थापना करने के विषय में पहले ही निर्णय हो चुका है। इस प्रयोजन के लिए संसद द्वारा राशि मंजूर होने के पश्चात् यह निगम अपना कार्य शुरू कर देगी।

डाक तथा तार क्षेत्रों में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के मामलों में केन्द्रीय जांच विभाग की जांच

422. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन विभिन्न डाक व तार खण्डों में चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति बिलों के दावे बहुत अधिक लगते हैं ; और

(ख) क्या फर्जी चिकित्सा बिलों की रोक के लिये सरकार का विचार इन खण्डों में कुछ मामलों की जांच करने के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सहायता लेने का है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए कोई अधिकतम वित्तीय सीमा नहीं रखी गई। फिर भी आंध्र प्रदेश, मद्रास, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ये दावे पूरे भारत के औसत से ऊपर बैठते हैं।

(ख) चिकित्सा बिलों के फर्जी दावों की जांच कराने के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सहायता सरकार के आदेशों के अनुसार ली जाती है।

कोयम्बटूर में नए टेलीफोन कनेक्शन

423. **श्री ई० के० नायनार** : **श्री के० रमानी** :
श्री नम्बियार : **श्री पी० पी० एस्थोस** :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक व तार विभाग पुर्जों तथा अन्य सामान की कमी के कारण कोयम्बटूर में टेलीफोन सलाहकार समिति द्वारा मंजूर किये गये नये टेलीफोन कनेक्शन नहीं लगा पा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी शीघ्र व्यवस्था करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) कोयम्बटूर शहर में सामान या पुर्जों की आमतौर पर कमी नहीं है और टेलीफोन सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत टेलीफोनों की व्यवस्था सामान्य ढंग से की जा रही है। फिर भी वहां कुछ उप-नगरों में भूमिगत केबल की कमी है और टेलीफोन सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत कुल 750 कनेक्शनों में से 24 इसी कारण रुके पड़े हैं।

(ख) देश में टेलीफोन केबल की आम कमी है। इसकी सप्लाई की स्थिति में सुधार होते ही कनेक्शनों की व्यवस्था तेजी से की जाएगी।

आयातित गेहूं की बिक्री

424. **श्री भगवान दास** : **श्री के० रमानी** :
श्री उमानाथ : **श्री अनिरुद्धन** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 दिसम्बर, 1968 को कलकत्ता में हुई वाणिज्य तथा उद्योग सम्बद्ध मंडल की वार्षिक आम बैठक में दिये गये भाषण की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार आयातित गेहूं की बिक्री पर मुनाफा लेती है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में प्रति वर्ष कितना मुनाफा हुआ ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस गेहूं को लाभ-हानि रहित आधार पर बेचने का है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) पिछले दो वित्तीय वर्षों में अर्थात 1966-67 और 1967-68 में आयातित गेहूं की बिक्री से कोई लाभ नहीं हुआ था। इन दोनों वर्षों में भारत सरकार ने आयातित गेहूं के वितरण पर राज्य सहायता दी थी। आयातित और देशी गेहूं की एक प्रकार की किस्मों का 17-6-1968 से एक सा निर्गम मूल्य निर्धारित करने से चालू वित्तीय वर्ष में आयातित गेहूं की बिक्री से लाभ होने की आशा है।

(ग) और (घ). भारत सरकार के लिए देश की तुलनात्मक किस्मों की पैदावार के साथ आयातित गेहूं को केवल "बिना लाभ तथा बिना हानि" के आधार पर बेचना सम्भव नहीं है। तथापि, सरकार की तो यह नीति है कि आयातित तथा देशी गेहूं को "बिना लाभ तथा बिना हानि" के आधार पर बेचा जाए, इसलिए आयातित तथा देशी गेहूं की मिलती जुलती किस्मों के एक-से मूल्य निर्धारित किये गये हैं। देशी गेहूं की बिक्री से होने वाली हानि को, जिसका अधिप्राप्ति और निर्गम मूल्य क्रमशः 76 रुपये और 70 रुपये प्रति क्विन्टल है, आयातित गेहूं की बिक्री से होने वाले लाभ से पूरा करने की आशा है।

दिल्ली में सुपर बाजार

425. **श्री बलराज मधोक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के अधिकांश बड़े शहरों में सुपर बाजार सहकारी आधार पर खोले गये है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विभिन्न राज्यों में स्थापित ऐसे सुपर बाजार सम्बद्ध राज्यों के सहकारी विभाग के अधीन काम करते हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली प्रशासन अधिनियम के अनुसार 'सहकार' का विषय हस्तान्तरित विषय है ; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली के सुपर बाजार का प्रबन्ध दिल्ली प्रशासन के हाथ में न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) विभिन्न राज्यों में स्थापित बहु-विभागी भण्डारों (सुपर बाजार) का नियंत्रण तथा प्रबन्ध उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारें तथा सम्बन्धित राज्यों

के सहकारी समितियों के पंजीयक इनके बारे में उसी प्रकार से सहकारी कानून के अन्तर्गत सांविधिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं जिस प्रकार से अन्य सहकारी समितियों के बारे में किया जाता है ।

(ग) जी हां ; 1966 के दिल्ली प्रशासन अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दिल्ली की कार्यकारी परिषद् सहकारी समितियों से सम्बन्धित मामलों के बारे में कार्यवाही करने के लिए सक्षम है ।

(घ) दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली के सहकारी समितियों के पंजीयक दिल्ली के बहु-विभागी भण्डारों (सुपर बाजारों) के बारे में सहकारी कानून के अन्तर्गत सभी सांविधिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं, जैसा कि अन्य सहकारी समितियों के मामले में है । जहां तक कोआपरेटिव स्टोर लि०, दिल्ली, जो दिल्ली के चार बहु-विभागी भण्डारों (सुपर बाजारों) में से तीन को चलाता है, का सम्बन्ध है, उसकी उप-विधियों में इस बात की व्यवस्था है कि पहले पांच वर्षों के लिए प्रबन्ध समिति, जिसमें उसका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सचिव भी शामिल हैं, का मनोनयन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा और तदनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिकार का प्रयोग किया जाता है ।

संसद् की अनौपचारिक सलाहकार समितियां

426. **श्री बलराज मधोक :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री ओंकार सिंह :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री शारदा नन्द :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री रणजीत सिंह :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री सूरजभान :

क्या **संसद्-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ संसद् सदस्यों ने सरकार और विरोधी दलों के बीच अनौपचारिक सलाहकार समितियों के सम्बन्ध में उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने के लिये कुछ ठोस सुझाव दिये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रश्न पर विरोधी दलों के नेताओं के साथ बातचीत की गयी थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस बातचीत का क्या परिणाम निकला है और विरोधी दलों के विचारों के संदर्भ में इन समितियों की कार्य पद्धति में क्या परिवर्तन करने का सरकार का विचार है ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) विभिन्न मंत्रालयों की अनौपचारिक सलाहकार समितियों की कार्य पद्धति में सुधार के लिये विरोधी दलों से कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं ।

(ख) हां ।

(ग) प्राप्त सुझावों पर तत्परता से विचार किया जा रहा है ।

Construction of Telephone Exchange Building at Gwalior

427. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the construction work of the building for the telephone exchange in Gwalior City in Madhya Pradesh has been completed ;

(b) when the exchange is likely to start functioning in the new building ;

(c) whether automatic telephone service would start functioning in the Gwalior City as soon as this exchange starts working ; and

(d) if not, the reasons thereof?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) The construction work of the building for telephone exchange in Gwalior City is almost complete. A few minor items are, however, pending which are being taken up shortly.

(b) and (c). Yes, please. A 4000 lines crossbar automatic exchange is proposed to be installed in this building. Most of the equipment has been received from M/s. I. T. I. A few important items are, however, pending. These are likely to be available in the next few months when the installation is proposed to be commenced. The exchange is expected to be commissioned by 1970-71.

(d) Does not arise.

किसानों के लाभार्थ रेडियो टेलीफोन एक्सचेंज

428. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री सीताराम केसरी :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसानों के लाभार्थ देश के चुने हुए गांवों में अत्यधिक फ्रीक्वेन्सी वाले रेडियो टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उस पर कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) इसके फलस्वरूप किसानों को क्या लाभ होंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सार्वजनिक टेलीफोन घरों और एक्सचेंजों के बीच तथा साथ ही टेलीफोन एक्सचेंजों में सरकार का अत्यधिक फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो टेलीफोन सम्पर्क स्थापित करने का प्रस्ताव है। सरकार का अत्यधिक फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो टेलीफोन सम्पर्कों पर ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन देने का प्रस्ताव भी है।

(ख) भारतीय डाक-तार विभाग के दूर संचार अनुसंधान केन्द्र ने सार्वजनिक टेलीफोन घरों और टेलीफोन एक्सचेंजों के बीच तथा टेलीफोन एक्सचेंजों में सम्पर्क स्थापित करने के लिए अत्यधिक फ्रीक्वेंसी वाले ट्रांस-रिसीवरों का विकास किया है। इस उपस्कर का निर्माण मेसर्स भारतीय टेलीफोन उद्योग लि०, बंगलौर द्वारा किया जाएगा। यह उपस्कर 50 किलोमीटर की दूरी तक के लिये उपयुक्त होगा। प्रत्येक उपकरण के सिरे की सहायक सामान तथा भूखण्ड इत्यादि के साथ अनुमानित कीमत 30,000 रुपये है। आशा है कि 1970 में यह उपस्कर भारतीय टेलीफोन उद्योग से थोक में प्राप्त होने लग जायेंगे।

भारतीय डाक-तार विभाग का दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र, उन मामलों में टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए जहां सामान्य भू रेखा माध्यम (लैंड लाइन मीडिया) उपयुक्त या सम्भव नहीं हो, एक कम शक्ति का अत्यधिक फ्रीक्वेंसी वाला उपस्कर भी विकसित कर रहा है। इस उपकरण के प्रत्येक टर्मिनल की अनुमानित कीमत 6,000 रुपये और 7,000 रुपये के बीच है। भारतीय टेलीफोन उद्योग द्वारा इस उपस्कर का भी निर्माण किया जायेगा।

(ग) इन तकनीकों से ग्रामीण दूर संचार सुविधाएं कुछ अधिक सस्ती और आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। इन सुविधाओं के उपलब्ध होने से किसान विभिन्न कार्यों के लिए जैसे बीज, खाद तथा अपनी मशीनों और अन्य यंत्रों की मरम्मत के लिए तहसील या तालुका मुख्यालयों से सम्पर्क स्थापित कर सकेंगे।

Increase in Prices of Foodgrains

429. **Shri Onkar Singh:**
Shri J. B. Singh:
Shri Kanwar Lal Gupta:
Shri Sharda Nand:
Shri Yajna Datt Sharma:
Shri S. M. Banerjee:
Dr. Sushila Nayar:
Shri Narendra Singh Mahida:
Shri Sita Ram Kesri:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the extent of increase in the rates of foodgrains, separately in December and January last;

(b) that steps taken by Government to arrest their upward trend; and

(c) whether Government are in a position to hold out an assurance that the prices of foodgrains would not go up in future?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) On the contrary prices of rice, wheat, jowar and gram registered a fall in December, 1968. In January, 1969 also there was a fall in the prices of all cereals except in the case of wheat which registered a slight seasonal increase.

(b) Does not arise.

(c) While it is not possible to remove day to day fluctuations in open market prices the Government's policy is to stabilize the prices at reasonable levels.

Mid-term Elections

430. **Shri Onkar Singh :**
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Bansh Narain Singh :
Shri Sharda Nand :
Shri Sradhakar Supakar :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) the amount of expenditure incurred on conducting mid-term elections, Statewise and the number of Government employees engaged in connection therewith in each of the States concerned ;

(b) whether Government have under consideration any proposal to change the present system of elections in the light of their experience of the mid-term elections ; and

(c) if so, the nature of changes proposed to be made ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem) : (a) The information is being collected from the States concerned.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

बिहार में पशुपालन सम्बन्धी कार्यक्रम

431. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 5 दिसम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 550 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने कृषि राजस्व निगम तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 1 जुलाई, से 1 अक्तूबर, 1968 के बीच दी गयी वित्तीय सहायता का उपयोग करके पशुपालन के लिए एक समेकित कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है ;

(ग) यदि अभी यह योजना तैयार नहीं की गयी है, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस योजना को क्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) राज्य सरकार ने अभी योजना को पूरा नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) जानकारी राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

जम्मू-कश्मीर के रिटर्निंग आफिसर के विरुद्ध कूट रचना और मिथ्यासाक्ष्य गढ़ने के आरोप

432. **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री उमानाथ :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री राममूर्ति :
श्री नम्बियार :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **विधि** मंत्री जम्मू-कश्मीर के रिटर्निंग आफिसर के विरुद्ध कूट रचना और मिथ्यासाक्ष्य गढ़ने के आरोप के बारे में 19 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न सं० 5068 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई सूचनाओं के उत्तर में आफिसरों द्वारा फाइल किये गये कथन का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा सतर्कता आयोग द्वारा जांच कराने के बारे में कोई आदेश दिया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त जांच में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : (क) चूंकि यह मामला उच्च न्यायालय के सामने लम्बित है इसलिए सरकार यह उचित नहीं समझती है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए नोटिसों के उत्तर में जो हेतुदर्शक अर्जियां उनके द्वारा फाइल की गई हैं उनके ब्योरे सम्पृक्त आफिसरों से मांगे जाएं या इस प्रकार की जानकारी न्यायालय से तलब की जाए।

(ख) से (घ). चूंकि यह मामला उच्च न्यायालय के सामने लम्बित है, इसलिए सरकार यह उचित नहीं समझती है कि यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो या सतर्कता आयोग को निर्दिष्ट किया जाए।

अनाज का रक्षित भंडार

433. **श्री जि० ब० सिंह :**
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री शारदा नन्द :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री अदिचन :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री म० सुदर्शनम :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री चन्द्रशेखर सिंह :
डा० रानेन सेन :
श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री एस० आर० दामानी :
श्री श्रद्धाकार सूपकार :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री सीताराम केसरी :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष कितना अनाज पैदा होने की सम्भावना है;

(ख) क्या सरकार का रक्षित भंडार का लक्ष्य पूरा हो जायेगा;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें कितनी कमी रहेगी; और

(घ) लक्ष्य पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कई राज्यों में सूखे और बाढ़ों से क्षति होने के बावजूद भी, 1968-69 में खाद्यान्नों की पैदावार की समस्त सम्भावनाएं अच्छी हैं।

(ख) सरकार फसल वर्ष के अन्त तक इस लक्ष्य को पूरा करने की आशा रखती है।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

चीनी मिलों को लाभ

434. **श्री मधु लिमये** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी के सम्बन्ध में (1967-68 की फसल) नई नीति की घोषणा होने के उपरान्त इस बात की जानकारी एकत्रित की है कि निजी और सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को कितना-कितना लाभ हुआ है;

(ख) इस वर्ष कितना लाभ होने की सम्भावना है;

(ग) इस वर्ष गन्ना उत्पादकों को वस्तुतः क्या मूल्य दिया गया है; और

(घ) देश के विभिन्न भागों में खुले बाजार में इसका मूल्य क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। 1967-68 में उत्पादित चीनी दिसम्बर, 1968 तक आवंटित कर दी गई थी। बहुत अधिक मामलों में कारखानों के लेखे-वर्ष पेराई वर्ष के साथ मेल नहीं खाते हैं। 1967-68 सीजन की चीनी की बिक्री दो वर्षों की विवरणियों में दी जाएगी जिसमें अन्य स्रोतों से आय सम्मिलित हो सकती है। आंशिक विनियन्त्रण के बाद हुए लाभ का निर्धारण करने के लिए एक विस्तृत जांच करनी आवश्यक होगी।

(ख) इस वर्ष लाभ विभिन्न तत्वों पर निर्भर करेगा अर्थात् चीनी कारखानों द्वारा गन्ना पेरने की अवधि, सीजन की अवधि और खुले बाजार में चीनी का मूल्य। इसका पता वर्ष समाप्ति के केवल बाद ही लग सकता है।

(ग) वर्ष 1968-69 के दौरान चीनी कारखानों द्वारा दिया जा रहा गन्ने का दाम बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 49/69]

(घ) भारत के विभिन्न खपत केन्द्रों पर चीनी का चल रहा थोक मूल्य बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 49/69]

आसाम में बड़े टमाटरों का उपजाना

435. **श्री मधु लिमये** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आसाम में बडाली गांव के श्री आनन्देश्वर बरुआ नामक एक प्रगतिशील किसान ने बड़े टमाटर उगाये हैं, और प्रत्येक टमाटर का वजन दो किलो है; और

(ख) क्या देश के अन्य भागों में भी ऐसे टमाटर उगाने के इस नये तरीके का प्रचार करने के कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

आसाम में शरणार्थी

436. **श्री वि० ना० शास्त्री** :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में प्रति मास सैकड़ों शरणार्थी आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1968 के गत 6 महीनों में आसाम में ऐसे कितने शरणार्थी आये थे; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आने से आसाम में समस्या पैदा हो गयी है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). 1968 के वर्ष के अन्तर्गत पूर्वी पाकिस्तान से आसाम में आने वाले प्रवासियों की प्रति मास औसत 394 प्रवासी थी। 29 दिसम्बर, 1968 को समाप्त होने वाले छः महीनों के अन्तर्गत पूर्वी पाकिस्तान से आसाम में 2098 व्यक्ति आये थे।

(ग) 1-1-1964 और उसके बाद आसाम आने वाले नये प्रवासियों के 12,000 परिवार के पुनर्वास की जिम्मेदारी आसाम सरकार ने ले ली थी। यह प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। आसाम में स्थापित शिविरों में रह रहे उन परिवारों के, जोकि 12,000 के कोटा से अधिक हैं, पुनर्वास की व्यवस्था आसाम से बाहर कर दी गई है। उनमें से कुछ परिवार आसाम से बाहर जाने की अनिच्छा प्रकट कर रहे हैं। ऐसे परिवारों को आसाम से बाहर उनके लिये तैयार किये गये पुनर्वास स्थलों में भेजे जाने के लिये मनाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। जहां तक उन प्रवासियों का सम्बन्ध है जोकि हाल ही के महीनों में आसाम में आ रहे हैं, भूतपूर्व पुनर्वास उपमंत्री श्री डी० आर० चह्वान के पिछले मई मास में आसाम के दौरे के समय इस विषय पर हुई चर्चा में आसाम सरकार को सुझाव दिया गया था कि पूर्ण छान-बीन करने के उपरान्त इन व्यक्तियों को सीधे मध्य प्रदेश में रायपुर के निकट स्थित माना शिविर, जिसका प्रबन्ध भारत सरकार द्वारा किया जाता है, में भेज दिया जाये। आसाम में प्रवेश करने वाले शरणार्थियों को, जो कि 12,000 परिवारों के कोटे से अधिक हैं, वर्तमान योजना के अनुसार आसाम से बाहर पुनर्व्यवस्थापित किया जायेगा।

कृषि भूमि के विकास के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों को वित्तीय सहायता

437. **श्री गार्डिलिंगन गौड** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों को, उनकी कृषि भूमि के विकास के लिये, वित्तीय सहायता तथा अन्य रियायतें देने के लिये कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्यवार कितनी-कितनी धनराशि की व्यवस्था की गयी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों को कृषि भूमि के विकास के लिये

वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये केन्द्रीय सेक्टर में कोई योजना नहीं है। भूमि-संरक्षण, लघु सिंचाई, खेतों में नालियां बनाने और उर्वरकों आदि की सप्लाई के लिये पृथक-पृथक योजनायें हैं। परन्तु ये समस्त योजनायें स्टेट सेक्टर के कार्यक्रमों के अन्तर्गत आती हैं। योजना आयोग द्वारा राज्यों को उनकी चतुर्थ पंचवर्षीय योजनायें स्वीकृत होने के पश्चात् राज्य सरकारों से अभी तक संशोधित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं। इन योजनाओं के लिये स्टेट सेक्टर में अभी धन उपलब्ध नहीं किया गया है।

उन छोटे किसानों के वर्ग को जो आज वर्धनशील नहीं हैं और जिनकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है किन्तु जिनकी भूमि में कुछ सुधार किए जाने के बाद ऋण दिया जा सकता है, आवश्यक सुविधायें देने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर भारत सरकार विचार कर रही है। इस प्रस्ताव के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली उपयुक्त एजेन्सी के माध्यम से चुने हुए क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। यह एजेन्सी सामुदायिक कुएं, किसानों के एक दल के लिये गैर-सरकारी नलकूप, राजकीय कुएं, भूमि समतल, पावर स्प्रेयर्स, ट्रैक्टरों तथा अन्य उपकरणों आदि के लिए सीमा शुल्क सेवा जैसी आवश्यक सुविधायें प्रदान करेगी। इस योजना के अन्तर्गत छोटे किसानों को कोई सीधी वित्तीय सहायता नहीं दी जानी है। किसानों को उपकरण प्रयोग करने के लिए और अन्य सुविधाओं के लिए व्ययपूरक किराया अदा करना होगा। फिर भी प्रस्ताव है कि चुनी हुई एजेन्सी को पर्याप्त धनराशि दी जाए ताकि वह आवश्यक उपकरण प्राप्त कर सके और छोटे किसानों को अग्रिम ऋण देने के खतरे को भी पूरा कर सके। इस योजना पर अभी विचार किया जा रहा है।

जहां तक सहकारी ऋण का सम्बन्ध है प्रारम्भिक ऋण समितियां, जो मध्यमकालीन ऋण देती हैं और भूमि विकास बैंक, जो कृषि भूमि विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण देते हैं, इस समय सूद के दर या अदायगी अवधि के सम्बन्ध में समुदाय के किसी विशेष वर्ग को कोई विशेष रियायत नहीं देते हैं। उपलब्ध ऋण धन के न्यायोचित सुवितरण को सुनिश्चित करने के लिए, और यह देखने के लिए कि छोटे किसानों को जो अनुसूचित जातियों/जन जातियों के महत्वपूर्ण वर्ग के हैं उचित भाग प्राप्त होता है। सहकारी ऋण समितियों की ऋण सम्बन्धी नीतियों को छोटे किसानों के लिए पुनः निर्मित किया जा रहा है और उन्हें उदम किया जा रहा है। सामान्य नीति के रूप में यह निर्णय किया गया है कि ऋण वापिस अदायगी क्षमता के आधार पर दिया जाना चाहिये और भूमि के रूप में केवल जमानत की रकम के आधार पर नहीं। अलग-अलग सदस्यों के लिए अधिकतम ऋण सीमा का नियतन उन उपायों में से एक है जो व्यक्ति विशेष को मिलने वाली ऋण की राशि को सीमित करने के लिए किए गए हैं, ताकि उपलब्ध संसाधनों का उपयोग बड़े ऋणों के रूप में केवल कुछ बड़े किसानों द्वारा ही न हो। कुछ और जो सुझाव रक्खे गए हैं उनमें भूमि विकास सम्बन्धी विभिन्न मदों के लिए एकड़ों के रूप में न्यूनतम वर्धनक्षम एककों का नियतन शामिल है ताकि ऋण छोटे किसानों को दिए जा सकें और इन ऋणों की अदायगी उनकी अदायगी क्षमता के अनुसार नियत की जा सके। सहकारी समितियों द्वारा जो

स्वायत्त शासन सम्बन्धी गैर-सरकारी संस्थायें हैं, इन सुझावों की क्रियान्विति उन्हें लगातार समझाने के माध्यम से ही करवाई जाती है।

कच्छ प्रदेश में भेड़-पालन केन्द्र

438. **श्री गार्डिलिंगन गौड** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार कच्छ प्रदेश में एक भेड़ पालन केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस पर कितनी धन-राशि खर्च की जायेगी और प्रतिवर्ष इससे कितनी आय होने की आशा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) गुजरात सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में एक बड़े भेड़ पालन फार्म की स्थापना के लिये कच्छ जिले के अबहास ताल्लुका में नालिया के नजदीक लगभग 4,700 एकड़ क्षेत्र के एक स्थान का सुझाव दिया है। मृदा और भूमिगत पानी के संसाधनों की दृष्टि से इस स्थान की उपयुक्तता तथा इस क्षेत्र को बढ़ा कर लगभग 7,000 एकड़ तक करने की सम्भावना के बारे में राज्य सरकार की सलाह के साथ इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

(ग) स्थान के बारे में अन्तिम निश्चय के पश्चात् इस प्रस्तावित फार्म के लिये एक विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट बनाई जायेगी जिसमें अनुमानित कितना व्यय तथा उससे कितनी आय होगी, इसकी जानकारी के साथ-साथ उसमें कितनी भेड़ रखी जायेंगी यह भी बताया जायेगा। फिर भी कुछ वर्ष पूर्व भेड़ पालन के बड़े फार्म बनाने के लिये जो आदर्श योजना बनाई गई थी, उसके अनुसार ऐसे फार्म के लिये 4 वर्षों में 17.85 लाख रुपये के व्यय का अनुमान है और अनुमान है कि पांचवें वर्ष से वार्षिक अनुमानित आय 2.07 लाख रुपये होगी। स्टउशीप जो इस फार्म में उत्पन्न की जायेगी, भेड़ों की उत्पादता में सुधार करेगी इसके परिणामस्वरूप उनकी आय में वृद्धि होगी।

अनाज का निर्यात

439. **श्री गार्डिलिंगन गौड** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 और 1968 में विभिन्न देशों को किस-किस किस्म का और कितनी-कितनी मात्रा में अनाज का निर्यात किया गया;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं, जिन्हें अनाज का निर्यात किया गया;

(ग) यह अनाज किस दर पर बेचा गया; और

(घ) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ). पूछी गई जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

मंत्रालय में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों का सेवा काल बढ़ाना

440. **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय में प्रथम श्रेणी के कितने अधिकारियों के सेवा काल में वृद्धि की गयी है अथवा उनको पुनर्नियुक्त किया गया है, जिन्हें वर्ष 1968 में 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवा निवृत्त हो जाना था;

(ख) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं; और

(ग) उनके सेवा काल में वृद्धि की जाने अथवा उन्हें पुनर्नियुक्त किये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) आठ (8)

(ख) और (ग).

उन अधिकारियों के नाम जिन्होंने 1968 में सेवा निवृत्ति की आयु 58 वर्ष पूर्ण कर ली थी किन्तु उनकी सेवा-अवधि में वृद्धि कर दी गयी अथवा उनकी पुर्नानियुक्ति की गयी।	सेवा-अवधि में वृद्धि अथवा पुर्नानियुक्ति	कारण
1. श्री एन० एस० वर्मा, सहायक निदेशक, राष्ट्रीय गन्ना संस्थान, कानपुर	सेवा-अवधि में वृद्धि	देश में अपने प्रकार का एक मात्र संस्थान है । यह संस्थान चीनी उद्योग और सबंधित मामलों के विषय में अध्यापन अनुसंधान और सलाह आदि की गतिविधियों में लगा है । ये सभी अधिकारी वैज्ञानिक/तकनीशन थे और राष्ट्रीय गन्ना संस्थान में अत्यधिक महत्वपूर्ण
2. डा० जे० पी० शुक्ला, वायो-कैमिस्ट्री के अध्यापक	सेवा-अवधि में वृद्धि	

3. श्री एस० एल० फनसलकर, मुख्य टैक्नोलोजिस्ट, पूना सैल राष्ट्रीय गन्ना संस्थान।	सेवा-अवधि में वृद्धि	कार्यों पर नियुक्त थे। लोक-हित की दृष्टि से इनकी सेवा अवधि में वृद्धि की अनुमति देने का निश्चय किया गया था।
4. श्री एस० के० आगा, निदेशक, केन्द्रीय राजकीय फार्म, सूरतगढ़।	पुर्ननियुक्ति	व्यवस्था में अनुशासन लाने और छुटपुट चोरी आदि के कारण होने वाली हानि को कम करने के लिये सेवा निवृत्त पुलिस महानिरीक्षक की नियुक्ति कर एक प्रयोग को जारी रखा गया।
5. डा० आर० वी० थमाने, संयुक्त-आयुक्त (भूमि संरक्षण)	सेवा-अवधि में वृद्धि	पशु पालन आयुक्त और वन महानिरीक्षक के मामले में उनकी सेवा निवृति पर उनके स्थान पर नियुक्ति के लिये कार्यवाही कर दी गयी है। उनकी सेवा अवधि में अल्प वृद्धि की गयी है, जिससे कि विभाग के मुख्य तकनीकी पद तब तक रिक्त न रहें जब तक कि उनके स्थान पर नियुक्त व्यक्ति पद भार ग्रहण करते हैं। संयुक्त आयुक्त (भूमि संरक्षण) के मामले में सेवा अवधि में केवल एक वर्ष की वृद्धि की गयी है क्योंकि विदेश में अस्थायी प्रतिनियुक्ति के कारण उनके उप अधिकारी का पद रिक्त था और उनके अधीनस्थ एक अन्य अधिकारी ने भी त्याग-पत्र दे दिया था और वह पद भी रिक्त था, कार्य के क्रम को बनाये रखने और सुचारु रूप से सम्पन्न कराने के लिये संयुक्त आयुक्त (भूमि संरक्षण) को सेवा में रखना आवश्यक समझा गया। यद्यपि पद के लिये उपयुक्त अधिकारी का चयन करने के लिये संघ लोक सेवा आयोग को याचिका भेज दी गयी है।
6. डा० पी० भट्टाचार्य पशु पालन आयुक्त	,, ,,	
7. श्री हरी सिंह, वन महानिरीक्षक	,, ,,	
8. श्री के० एस० सुब्बाराव, निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, गन्ना विकास, नई दिल्ली	सेवा-अवधि में वृद्धि	इन्हें संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से 4 वर्ष की अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया था। आयोग द्वारा इनका चयन फरवरी, 1968 में किया गया था।

उनके चयन के समय उन्हें उपलब्ध युवक अधिकारियों के साथ ही जांचा गया, किन्तु संघ लोक-सेवा आयोग को वे नियुक्ति के अधिक योग्य प्रतीत हुये और इस पद पर चार वर्ष के लिये अर्थात् 30 मार्च, 1970 तक उनकी नियुक्ति की सिफारिश की। जिस वर्ष उनका चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया था उसी वर्ष उन्होंने 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली। अतः 60 वर्ष की आयु तक उनकी सेवा अवधि में वृद्धि कर दी गयी, है, क्योंकि इस पद के अत्यधिक विशिष्ट प्रकार के कार्य हैं और उपयुक्त कम आयु के अधिकारी उपलब्ध नहीं थे।

एक वैज्ञानिक द्वारा इसरायली तरीके अपनाकर परती भूमि में खेती

441. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जनवरी, 1969 के समाचारपत्र अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि श्री सतीश चन्द्र दास गुप्त नाम के एक वैज्ञानिक ने बांकुरा जिले (पश्चिम बंगाल) के गौगरा गांव में आठ एकड़ परती भूमि के एक खंड को इसरायली तरीके अपनाकर उपजाऊ भूमि में परिवर्तित करके उसमें लगभग 5.25 टन धान पैदा किये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस व्यक्ति का दावा है कि पश्चिम बंगाल के अन्य भागों में अन्य परती भूमि में खेती की जा सकती है ; और

(ग) यदि हां, तो भारत में परती भूमि में खेती के लिये श्री सतीश चन्द्र दास गुप्त की प्रतिभा तथा अनुभव का उपयोग करने की दृष्टि से यदि श्री सतीश चन्द्र दास गुप्त से सम्पर्क स्थापित करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) इस सम्बन्ध में समाचारपत्र के "पत्र" कालम में एक पत्र प्रकाशित हुआ है।

(ख) और (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायगी।

आदिवासी लोगों के सम्बन्ध में श्रम नीति

442. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री द० रा० परमार :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री देवेन सेन :
श्री किंकर सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रा० की० अमीन :
श्री रामचन्द्र ज० अमीन :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री मनीभाई जे० पटेल :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री शारदा नंद :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री ओंकार सिंह :
श्री जे० बी० सिंह :
श्री रवि राय :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रम सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग द्वारा आदिवासी श्रमिक के सम्बन्ध में गठित अध्ययन दल ने अपने विस्तृत प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि औद्योगिक नौकरियों में आदिवासी लोगों के लिये उपयुक्त नियोजन नीति बनाने और आदिवासी अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा उसमें विविधता लाने के लिये व्यापक कार्यक्रम आरम्भ करने की आवश्यकता है ;

(ख) इस प्रतिवेदन में और क्या-क्या सुझाव दिये गये हैं ; और

(ग) उनकी सिफारिशों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). सरकार को मालूम हुआ है कि आदिवासी श्रमिक सम्बन्धी अध्ययन दल ने राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। परन्तु इस समय सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने पर ही इस पर विचार करेगी।

बेकार भूमि सर्वेक्षण तथा भूमि सुधार समिति

443. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेकार भूमि सर्वेक्षण तथा भूमि-सुधार समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि भारत का सातवां भाग बेकार भूमि है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उन्होंने यह भी कहा कि भारत बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाकर तथा प्रभावी कीटाणुनाशक उपायों द्वारा खाद्य में आत्म-निर्भर हो सकता है और यह कहा है कि भूमि को कृषि योग्य बनाने के काम की प्रगति धीमी है ;

(ग) बेकार भूमि तथा भूमि सुधार समिति की अन्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(घ) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारत सरकार द्वारा 1959 में स्थापित परती भूमि सर्वेक्षण और सुधार समिति ने 550 एकड़ से अधिक के ब्लाकों में 12.23 लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि बेकार पड़ी हुई मालूम की ।

(ख) परती भूमि सर्वेक्षण और सुधार समिति ने अनुमान लगाया है कि उनके द्वारा उल्लिखित भूमि के सुधार के द्वारा 3.74 लाख मीटरी टन तक का अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त होना चाहिये । इस समिति द्वारा कीट नियंत्रण कार्यक्रम के लिये कोई निश्चित सुझाव नहीं दिया गया है ।

(ग) समिति ने सर्वेक्षित प्रत्येक राज्य के सम्बन्ध में पृथक-पृथक सिफारिशें कीं और आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू और काश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडू, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी बंगाल सम्बन्धी उनके प्रतिवेदन प्रकाशित किये जा चुके हैं ।

(घ) राज्य सरकारें समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर आवश्यक कार्यवाही कर रही हैं । समिति की सिफारिशों पर खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय ने एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना भी प्रारम्भ की है और अभी तक सुधारी गई 4.72 लाख एकड़ भूमि में 1.08 लाख परिवारों का पुनः स्थापन किया गया है । राष्ट्रीय विकास परिषद् की सिफारिशों पर अब यह योजना 1969-70 से राज्य क्षेत्र में हस्तान्तरित कर दी गई है ।

Distribution of 'Tarai Bhawar' Land in Hill Areas of U. P.

444. **Shri Kashi Nath Pandey :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to ssate :

(a) whether it is a fact that there is a disatisfaction among the people of hill areas of Uttar Pradesh as a result of distribution of 'Tarai Bhawar' land to different people from the hill areas ;

(b) if so, the basis of this distribution ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Certain representations have been received regarding the policy of allotment of agricultural land in the Tarai Bhabhar area of U. P. The Government of U. P. reported that the main cause of dissatisfaction is the fact that there is not enough Government land to satisfy the demand of all applicants.

(b) Under an order dated 27-10-1967 of the Government of U. P., allotment of land is restricted in the Tarai-Bhabhar area to bonafide residents of Kumaun only. The following priorities have been laid down as amongst Kumauni applicants :—

1. Dependents of persons who have lost lives in action while serving in the Armed Forces ;
2. Recepients of the Veer Chakra Series ;
3. Residents of Nainital district whose land has been aqouired for public purposes under any Act ;
4. Landless agricultural labourers not engaged in any other profession ; and
5. Personnel serving in the Armed Forces having no land.

(c) Scarcity of land in Government estates does not permit any further liberalisation of policy of land allotment in this area.

Sugar Supply in U. P.

445. **Shri Kashi Nath Pandey :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the quota of sugar is only 50 grams per head per month in the hilly districts of Uttar Pradesh whereas Uttar Pradesh is the largest producer of sugar and there is mismanagement in the system of distribution also and the people do not even get the fixed quota ;

(b) if so, whether Government have taken any step to increase the quota of sugar and improve the system of distribution ; and

(c) whether any such information has been received that "Garhwal Nav-Jagran Samiti" has intimated to launch mass agitations in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The State-wise quotas of levy sugar are not fixed on basis of production of sugar in those States but after taking into consideration the availability of sugar, past consumption and population. Internal distribution of allotted quotas within the States is arranged by the State Governments concerned. Quota of sugar for rural areas in U. P. was determined by the State Government on the basis of 25 grams per head per month. But on receipt of complaints of inadequacy of supply of sugar, quota for rural areas of hilly districts was increased from 71 tonnes to 133 tonnes. In some dis-districts sugar might have been available at 50 grams per unit. No complaint of mismanagement has been received by the State Government.

(b) In consequence of the increase in the State quotas of sugar from the month of January, 1969, sugar will now be available at 1 kg. per family per month on ration cards in rural areas of hilly districts.

(c) No information about agitation by Nav Jagaran Samiti has been received at the State headquarters.

बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड की स्मृति में टिकट

446. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बड़ौदा के महान सुधारक महाराजा सयाजीराव गायकवाड की स्मृति में डाक टिकट जारी करने के लिये पहले कुछ सुझाव प्राप्त हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार स्मृति में डाक टिकट जारी करने का है और यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). इस प्रस्ताव पर डाक-टिकट सलाहकार समिति पहले कई बार विचार कर चुकी है, किन्तु उसने इसे मंजूर नहीं किया ।

कुछ क्षेत्रों में मछली पकड़ने के कार्य बढ़ाना

448. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के निदेशक डा० एन० के० पाणिकर के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि भारत में झींगा मछली के निर्यात को बढ़ाने के लिये पर्याप्त गुंजाइश है ; और

(ख) यदि हां, तो कच्छ की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के मुहाने, पूर्वी तट के कुछ स्थानों, कृष्णा तथा गोदावरी के मुहाने तथा बम्बई और गोवा के समुद्री तटों जैसे क्षेत्रों में मछली पकड़ने के कार्यों में तेजी लाने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :(क) जी हां ।

(ख) सरकार झींगा मछली के महत्व को भली भांति समझती है। इसका एक विशेष कारण यह है कि वह इसकी निर्यात क्षमता से अवगत है और वह इस विषय में अनेक कदम उठा चुकी है ।

जिन जहाजों के लिये आर्डर दे दिये गये हैं उनकी उपलब्धि पर कांडला में एक समन्वेषी सर्वेक्षण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। ये जहाज मछली स्त्रोतों का सर्वेक्षण करेंगे जिसमें कच्छ की खाड़ी में श्रिम्प भी सम्मिलित होंगी। सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता कार्यक्रमों और कृषि पुनर्वित्तीय निगम की आर्थिक सहायता से बम्बई-गोवा तट पर झींगा मछली-

मारक नावों की संख्या में वृद्धि की जा रही है। भारत सरकार का डीप सी फिशिंग संगठन भी, जिन अतिरिक्त जहाजों के लिए आदेश दिये गये हैं, उनके प्राप्त होते ही इस क्षेत्र में समन्वेषी सर्वेक्षण को तीव्र कर देगा। कृष्णा और गोदावरी के मुहानों पर कार्य करने वाली यांत्रिक नावों की संख्या में वृद्धि की जा रही है। बंगाल की खाड़ी के मुहाने का सर्वेक्षण समन्वेषी कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार के मध्यम आकार के जहाजों द्वारा किया जायेगा। पूर्वी घाट का पहले ही सर्वेक्षण किया जा चुका है और अवशिष्ट क्षेत्र का सर्वेक्षण चतुर्थ योजना में तूतीकोरिन और वीजागापतनम में स्थित डीप सी फिशिंग केन्द्रों द्वारा किया जायेगा।

रबी की फसल के उत्पादन का अनुमान

449. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :**
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में रबी फसल के उत्पादन का अनुमान क्या है ;

(ख) गत वर्ष की रबी की फसल के वास्तविक उत्पादन से कम है अथवा अधिक ; और

(ग) अनाज के उत्पादन में और अधिक वृद्धि करने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासासिब शिन्दे) : (क) 1968-69 के लिये विभिन्न राज्यों में रबी फसलों के उत्पादन के सही अनुमान केवल कृषि वर्ष 1968-69 की समाप्ति के पश्चात् कभी जुलाई-अगस्त 1969 में प्राप्त होंगे।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) खाद्योत्पादन को बढ़ाने के लिये 1966-67 से एक 'नई समर नीति' अपनाई हुई है। समर नीति के मुख्य आधार-स्तम्भ बीजों की उच्च उत्पादीय किस्म गुणक फसल, सघन खेती के लिये लघु सिंचाई, उर्वरक और कीटनाशक औषधि तुल्य आदानों का संगठित प्रबन्ध, संस्थानीय वित्त सहित समय में और उदार दर्जा सुविधायें, कृषक की शिक्षा और प्रशिक्षण और अनुसंधानों की तीव्रता है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये प्रयत्नों में और भी तीव्रता लाने का प्रस्ताव है जो छोटे किसानों के लिये कर्जा, कृषि विकास के लिये संस्थानीय वित्तीय सहायता, फार्म मशीनरी सेवायें और मुख्यता जल प्रयोगों पर आधारित जल विकास पर अधिक बल डालता है।

गन्ना किस्म उत्पादन संस्था

450. **श्री सत्यनारायण सिंह :** **श्री के० रमानी :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री एस्थोस :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ना किस्म उत्पादक संस्था कुछ राज्यों के कृषि विभागों के सहयोग से गन्ना किस्म उत्पादन पर कुछ अनुसंधान कर रही है ;

(ख) यदि हां, अमरीकी तथा भारतीय सरकारों द्वारा क्रमशः कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(ग) क्या अमरीकी सरकार पी० एल० 480 निधि से धन दे रही है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमंत्री (**श्री अन्नासाहिब शिन्दे**) : (क) जी हां । कोयम्बटोर स्थित गन्ना प्रजनन संस्थान उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और आन्ध्र प्रदेश आदि गन्ना उगाने वाले राज्यों को कुछ किस्मों और संकरण से जो राज्यों के कृषि विभागों की विशेष प्रार्थनाओं पर कोयम्बटोर में तैयार की जाती है, गन्ना फल्फ (विशुद्ध बीज) सप्लाई करके सहायता करता है । राज्य सरकारों के कृषि विभाग भी प्रजनन द्वारा प्रस्तुत की हुई और गन्ना प्रजनन संस्थान के द्वारा समय-समय पर निर्मुक्त की गई नई किस्मों की बीज सामग्री को प्राप्त करते हैं । राज्य के कृषि विभागों द्वारा अच्छी किस्मों के चुनाव के लिये (जो राज्यों में स्थानीय परिस्थितियों के लिये अपनाई गई हैं) फल्फ का प्रयोग किया जाता है ।

(ख) संयुक्त राज्य सरकार ने भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित काम के लिये कोई धन मंजूर नहीं किया है । भारत सरकार ने भी इस काम के लिये कोई अलग निधि निर्धारित नहीं की है, लेकिन गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटोर का यह सामान्य कार्य है कि वह राज्य के कृषि विभागों को फल्फ सप्लाई करे ।

(ग) प्रश्न नहीं होता ।

गुजरात से दूध की वसूली

451. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना के लिये गुजरात से बड़ी मात्रा में दूध प्राप्त किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली दुग्ध योजना को उन व्यक्तियों को दूध के टोकन जारी करने में कितना समय लगेगा जिनके नाम प्रतीक्षा सूची में हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) गुजरात राज्य के महसाना से दूध की अधिप्राप्ति प्रयोगात्मक आधार पर शुरू कर दी गई है। दीर्घकालीन आधार पर दूध प्राप्त करने से सम्बन्धित प्रबन्धों पर अभी विचार किया जा रहा है। रेलवे मिल्क टैन्कर्स का अभाव मुख्य बाधा है। इसे दूर करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

(ख) स्थानीय स्रोतों से दूध की अधिप्राप्ति में पर्याप्त सुधार होने के कारण और महसाना से दूध प्राप्त होने के कारण योजना लगभग 80,000 आवेदन-पत्रों में से लगभग 45,000 आवेदन-पत्रों की प्रार्थना को पूरा कर चुकी है। यह बताना कठिन है कि प्रतीक्षा सूची के सभी व्यक्तियों को दूध देने में कितता समय लगेगा।

बेलूरी, श्रीकृष्णापुरी (पूर्निया) में शरणार्थियों का बसाया जाना

452. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान के व्यापारियों के रूप में बसाये जाने वाले 55 शरणार्थियों को पूर्निया जिले के बेलूरी, श्रीकृष्णा पुरी में अभी तक नहीं बसाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उनके कब तक बसाये जाने तथा उनको अत्यावश्यक सामाजिक सुविधायें दिये जाने की सम्भावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पूर्वी पाकिस्तान से आये 64 विस्थापित परिवारों को 1952 के वर्ष में बेलूरी श्रीकृष्णापुरी में छोटे व्यापारियों के रूप में बसाया गया था। चूंकि 6 परिवार चले गये थे, उनकी रिक्तियां 6 नये प्रवासी परिवारों द्वारा भर ली गई थीं जिन्हें अक्तूबर, 1968 में कालोनी भेजा गया था। सूचित किया गया है कि सभी पुराने विस्थापित परिवार भलीभांति रह रहे हैं। नये प्रवासी परिवारों के प्रत्येक परिवार को व्यापार ऋण की 1,000 रुपये की प्रथम किस्त भी दे दी गई है और उन्होंने कुछ कारोबार प्रारम्भ कर दिया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

मधुबनी कालोनी में शरणार्थियों का पुनर्वास

453. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान के 68 शरणार्थी परिवारों को बिहार के पूर्निया जिले की मधुबनी कालोनी की न्यू टाउन योजना में छोटे व्यापारियों के रूप में बसाये जाने का आश्वासन दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उनको अब तक न बसाये जाने का क्या कारण है; और

(ग) उनके कब तक बसाये जाने, तथा उनके लिये सड़कों, पुलों तथा उनके बच्चों की शिक्षा के लिये स्कूल की कब तक व्यवस्था किये जाने की सम्भावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). पूर्वी पाकिस्तान से आये कुछ विस्थापित परिवार, जिन्हें व्यापार / गृह निर्माण ऋण देकर के छोटे-मोटे कार्य/व्यापारियों के रूप में बिहार की मधुबनी बस्ती में बसाया गया था, दिसम्बर, 1968 को यह अभिवेदन देने के लिये दिल्ली आये थे कि वे अपने आपको पुनर्वास करने के योग्य नहीं हो पाये और उन्होंने अतिरिक्त सहायता के लिये प्रार्थना की। उनके मामले पर राज्य सरकार के परामर्श से विचार किया गया और बस्ती में बसाये गये परिवारों को अतिरिक्त सहायता देने के बारे में राज्य सरकार को आदेश जारी कर दिये गए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ अतिरिक्त मंजूर की गई सहायता की मुख्य मदें निम्न में दी गई हैं :

(i) प्रत्येक मामले में गुणों के आधार पर जहां कहीं भी आवश्यक हो विस्थापित परिवारों के अतिरिक्त व्यापार ऋण दे दिये जायें ताकि वे नये सिरे से व्यापार चालू करने के योग्य हो जायें ;

(ii) जिन परिवारों को न तो स्टाल / व्यापार के लिये स्थान दिये गये थे न ही स्टालों के निर्माण के लिये 500 रुपये का ऋण, उन्हें व्यापार के लिये, स्टाल के निर्माण के लिये 500 रुपये प्रति परिवार का ऋण दे दिया जाये ;

(iii) 500 रुपये का ऋण ऐसे परिवारों को दे दिया जाये जिन्हें अपने मकानों की मरम्मत इत्यादि के लिये इस सहायता की आवश्यकता है ;

(iv) बस्ती को नगर से पृथक करने वाले नाले पर पुल बना दिया जाये।

2. चूंकि इन परिवारों को नये सिरे से बसना है, इसलिये यह निश्चय किया गया है कि, विशेष मामले में, अनुमोदित पैमानों के अनुसार, उन्हें नये सिरे से भरण-पोषण सहायता भी दे दी जाये। यह सहायता उस तिथि से दी जानी थी जिस तिथि से परिवारों को अतिरिक्त ऋण दिया गया था।

3. जिस समय तक, इन परिवारों के पुनर्वासित होने की सम्भावना है, उस वास्तविक अवधि का बताना सम्भव नहीं है। इन परिवारों को, ऊपर निर्दिष्ट की गई अतिरिक्त पुनर्वास सहायता शीघ्र ही दे दी जायेगी। आगे पुनर्वास की प्रगति अधिकतर सम्बन्धित परिवारों के निजी प्रयत्नों पर ही निर्भर होगी। आशा की जाती है कि वे शीघ्र ही अपने आपको पुनर्वासित करने के योग्य हो जायेंगे।

सरगुजा जिले में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का पुनर्वास

454. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चन्दन नगर कालोनी (सरगुजा जिला) में बसे पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये अब तक पर्याप्त प्रबन्ध नहीं किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उनका सरगुजा में कब तक पुनर्वास किये जाने की सम्भावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि यह सत्य नहीं है कि सरगुजा जिला की चन्दन नगर बस्ती में पूर्वी पाकिस्तान से आये प्रवासियों के पुनर्वास के लिये अभी तक पर्याप्त प्रबन्ध नहीं किए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चन्दन नगर, कृषि में पुनर्वास की एक बस्ती है। भूमि पर पुनर्वास में समय लगना अनिवार्य है और इसमें केवल सरकारी सहायता की ही नहीं अपितु अन्य बातों के साथ-साथ प्रवासियों की अपनी अभिक्रमशीलता, उद्यम तथा विश्वास की भी आवश्यकता है। इस बस्ती के प्रवासी पुनर्वास की प्रक्रिया में हैं और इस योजना की सफलता तथा पूर्ति, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रवासियों के कठोर श्रम तथा विश्वास पर निर्भर होगी।

मध्य प्रदेश में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी

455. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के कितने परिवार आरम्भ में मध्य प्रदेश में पुनर्वास हेतु भेजे गये थे ;

(ख) कितने परिवारों ने वह स्थान छोड़ दिया था और उसके क्या कारण थे ; और

(ग) सरकार ने उनको कृषि प्रयोजन के लिए पर्याप्त पानी समेत क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध की हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, अब तक कुल 8,844 परिवार।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि 3,842 परिवार पुनर्वास स्थलों को छोड़ कर चले गये हैं। मध्य प्रदेश में भूमि तथा जलवायु की स्थिति पूर्वी पाकिस्तान से भिन्न हैं, आंशिक रूप में, इसके फलस्वरूप भी प्रवासी अपने नये पर्यावरण में समंजन नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त दीर्घ समय की अवधि तक शिविरों में नकद अनुदान पर भरोसे, पश्चिमी बंगाल में या उसके निकट बसने की इच्छा, पूर्वी पाकिस्तान में स्थिति में सुधार तथा सामान्य स्थिति के

पुनः आने के बारे में अफवाहों, 1965-66, 1966-67 तथा 1967-68 के तीन वर्षों के अन्तर्गत पुनर्वास स्थलों में सूखे तथा खाद्य पदार्थों की कमी ने प्रवासी परिवारों के पुनर्वास स्थलों को छोड़कर जाने में और योगदान दिया है। यह भी सूचना मिली है कि कुछ शरारती लोगों ने, यह आश्वासन देकर कि उन्हें पश्चिमी बंगाल तथा अन्य स्थानों में वैकल्पिक पुनर्व्यवस्थापन दिला दिया जायेगा, प्रवासियों के मनोभावों से खेला है।

(ग) भारत सरकार इन परियोजनाओं में प्रत्येक कृषक परिवार के पुनर्वास के लिये औसत रूप में लगभग 12,000 रुपये खर्च कर रही है। इसमें, रिहायशी आवास के निर्माण पर व्यय, सड़कें, विद्यालय तथा सामुदायिक केन्द्र चिकित्सा सुविधायें, जल-संभरण व्यवस्था, बीज, उर्वरक, बैल, नाशिकीटमार, भरण-पोषण सहायता तथा सस्ती दरों पर चावल/गेहूं का दिया जाना, प्रवासी कृषक परिवारों के लिये सहायक व्यवसाय की व्यवस्था, इत्यादि सम्मिलित हैं। गैर-कृषक परिवारों को व्यापार के लिये ऋणों की व्यवस्था भी की जाती है। इसके अतिरिक्त, पन्ना और सरगुजा के पुनर्वास क्षेत्रों में बसाये गये प्रवासियों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिये 34.66 लाख रुपये के अनुमानित व्यय की सिंचाई योजनायें मंजूर कर दी गई हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में वृद्धि

456. **श्री बाल्मीकि चौधरी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि सम्बन्धी केन्द्रीय न्यासधारी बोर्ड ने इस वर्ष नई दिल्ली में हुई अपनी बैठक में यह सिफारिश की थी कि ब्याज दर बढ़ायी जानी चाहिए और इस निधि में जमा राशि का 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकारी प्रत्याभूतियों में और शेष 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकारी तथा अन्य गारन्टीड प्रत्याभूतियों में लगाई जानी चाहिए ; और

(ख) यदि सरकार ने बैठक में की गई इन तथा अन्य सिफारिशों पर, यदि कोई कार्यवाही की हो, तो क्या निर्णय लिया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) भाग (क) में निर्दिष्ट सिफारिशों सहित बोर्ड की वे सिफारिशें, जिन पर केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता है, सरकार के विचाराधीन हैं।

टेलीफोन बनाने का दूसरा कारखाना

457. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : **श्री रा० कृ० सिंह** :
श्री भोलानाथ मास्टर : **श्री लोबो प्रभु** :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन बनाने का दूसरा कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसके लिये प्रस्तावित स्थान का नाम क्या है और उस संयंत्र की कुल लागत कितनी होगी ; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा और प्रति वर्ष कितने टेलीफोनों का निर्माण किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर के, उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से, लम्बी दूरी के पारेषण उपस्कर के निर्माण के लिये एक नया कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) प्रस्तावित नये कारखाने के स्थान के विषय में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है। प्रारम्भिक प्राक्कलनों के अनुसार, नये कारखाने का पूंजीगत व्यय लगभग 2 करोड़ 45 लाख रुपये रहने की सम्भावना है।

(ग) आशा है कि विभिन्न प्रावस्थाओं से होते हुए यह कारखाना पांच वर्ष में अपना पूरा उत्पादन आरम्भ कर देगा। अनुमान है कि आरम्भिक पांच वर्षों में यह कारखाना 15.5 करोड़ रुपये मूल्य के लम्बी दूरी के पारेषण उपस्कर का निर्माण करेगा।

Construction of Automatic Telephone Exchange at Raipur (Madhya Pradesh)

458. **Shri Lakhan Lal Gupta :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) when the construction of an automatic telephone exchange is proposed to be started in Raipur (Madhya Pradesh);

(b) whether Government have given top priority to this work; and

(c) if not, the reasons therefor:

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Construction work on auto-exchange building is expected to commence by middle of 1970.

(b) and (c). A suitable priority has been allotted keeping in view the proposed fourth plan allocation for telephone development in the country. The above date of commencement of construction will enable installation of auto-exchange to commence in 1972.

उड़ीसा के मैट्रिक-उपरान्त कक्षाओं के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ

459. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में और 1968-69 में 1 फरवरी, 1969 को उड़ीसा में मैट्रिक-उपरान्त कक्षाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े अन्य वर्गों के कितने विद्यार्थी थे ;

(ख) उनमें से कितने विद्यार्थियों ने उक्त अवधि में छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन-पत्र दिये थे तथा कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं ; और

(ग) 1967-68 और 1868-69 में इस प्रयोजन हेतु केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार को कितनी राशि दी ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) से (ग). यह सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

उड़ीसा में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र

460. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 में उड़ीसा में किन-किन स्थानों पर स्वचालित टेलीफोन खोलने का प्रस्ताव है ; और

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां 1968-69 में 12 दूरी वाले और 15 स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क)

1. बढ़पल्ली
2. वासुदेवपुर
3. जलेश्वर
4. जूनागढ़
5. नीमापाड़ा

(ख) (i) 1968-69 के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का प्रस्ताव है ।

1. दाराकोट
2. अन्टाई
3. टाइगरिया
4. कोणार्क
5. बादशाही
6. औल
7. मलकान गिरि

8. बोंगामुंडा
9. बड़गांव
10. पिटाला
11. बड़ीकटक
12. दशरथपुर

(ii) निम्न स्थानों पर स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का प्रस्ताव है :

1. घासीपुर
2. जगन्नाथ वल्लभ
3. चारवतिया डाकघर
4. भाजीपेट डाकघर
5. कंझर बाजार (एन० डी० एस० ओ० डाकघर)
6. चित्रकार स्ट्रीट, परलखा मंडी
7. तालचर थरमल स्टेशन डाकघर
8. कटक (तुलसीपुर)
9. जोडा

10. तथा 11. भुवनेश्वर (2 सार्वजनिक टेलीफोन घर)

12. छंटाई कार्यालय (परलखा मंडी)
13. राउरकेला
14. सम्बलपुर
15. बहरामपुर

कटक और भुवनेश्वर में समाचार सामग्री और तारों का रोका जाना

461. **श्री स० कुन्दू :**
श्री रवि राय :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नवम्बर, दिसम्बर, 1968 में कटक और भुवनेश्वर में डाक तार प्राधिकारियों ने समाचार, सामग्री और तारों को रोका था ;

(ख) क्या उत्कल पत्रकार संघ ने इस बारे में सरकार से विरोध प्रकट किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त कार्यवाही के लिये उत्तरदायी किसी व्यक्ति को सरकार ने पकड़ा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां। नवम्बर के महीने में कटक के जिला मजिस्ट्रेट की सलाह पर 16 प्रेस तार या तो रोके गए थे या देर से भेजे गए थे।

(ख) जी हां।

(ग) इस मामले पर विचार किया जा रहा है और जांच-पड़ताल चल रही है। इस सम्बन्ध में यथासमय आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

हरयाणा में जाटूसाना निर्वाचन क्षेत्र में उप-निर्वाचन

462. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग को हरयाणा के जाटूसाना निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचन में शासन तंत्र के दुरुपयोग के बारे में शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) मतदान वाले दिन 15 दिसम्बर, 1968 को विशाल हरयाणा पार्टी के अध्यक्ष राव वीरेन्द्र सिंह का एक तार प्राप्त हुआ, जिसमें यह शिकायत की गई थी कि सम्पूर्ण शासन तंत्र कांग्रेस अभ्यर्थी की खुले रूप में सहायता कर रहा है और मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस निरुद्ध और भयभीत कर रही है। एक और तार श्री मनीराम बागड़ी का भी प्राप्त हुआ, जिसमें यह शिकायत की गई थी कि पुलिस मतदाताओं को भयभीत कर रही है।

(ख) और (ग). मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने, मतदान दिवस के प्रातः से मतदान की समाप्ति तक, निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया और उप-निर्वाचन आयुक्त भी उसके साथ थे। लगभग पहले ही मतदान केन्द्र पर, जहां मुख्य निर्वाचन आयुक्त पहुंचे, उन्हें श्री एस० एम० जोशी, संसद्-सदस्य, राव वीरेन्द्र सिंह, विधान सभा सदस्य, श्री मनीराम बागड़ी और अन्य व्यक्ति मिले। उन्होंने उनसे पूछा कि निर्वाचन के सम्बन्ध में क्या आपको कोई शिकायत करनी है तो उन्होंने कहा कि जिस रीति में मतदान हो रहा है उससे हम संतुष्ट हैं। निर्वाचन शांतिपूर्ण था।

मिठाई बनाने में दूध के प्रयोग पर प्रतिबन्ध

463. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1968 में चंडीगढ़ में हुए अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के 37वें वार्षिक सम्मेलन में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें सरकार से यह मांग की गई थी कि मिठाई बनाने में प्रयोग किये जाने वाले दूध पर सख्त प्रतिबन्ध लगाया जाये और दूध को बच्चों, बीमारों और गर्भवती स्त्रियों के लिये प्रयोग किया जाये ; और

(ख) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) संबन्धित संकल्प निम्नलिखित है :—

"यह देखकर समिति को बड़ा दु:ख हुआ है कि देश में मिठाइयों तथा आइसक्रीम बनाने के लिए दूध का बेहद प्रयोग किया जा रहा है जब कि आम जनता के एक बहुत बड़े भाग को न्यूनतम पुष्ठाहार भी उपलब्ध नहीं होता। समिति ने नीति रूप में यह स्वीकार कर लिया है कि देश में मिठाइयां बनाने के लिये दूध के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये और समस्त दुग्ध तथा दुग्ध पदार्थों की सप्लाई की सर्वसाधारण के लिये रिजर्व कर दिया जाये। फिर भी इस सम्बन्ध में समिति ने आगे सिफारिश की कि जब तक जरूरतमन्द जनता के लिये दूध के समुचित वितरण हेतु एक उचित मशीनरी को लागू करने के हक में जनता में जागृति उत्पन्न नहीं होती, तब तक मिठाइयों तथा आइसक्रीम की तैयारी पर प्रतिबन्ध लगाने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा।"

(ख) इसे स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक ने आवश्यक कार्यवाही हेतु समस्त राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों के पास भेज दिया है।

पंजाब में टेलीफोन के खम्भों तथा तार की चोरी

464. **श्री श्रीचन्द गोयल : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में मोगा 'केनाल' के 15 मील के क्षेत्र से तार सहित टेलीफोन के खंभे चुरा लिये गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि टेलीफोन के तार और खम्भों की चोरी बढ़ती जा रही है ; और

(ग) इस चोरी को रोकने के लिए सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है, तो वह क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 7-3-68 को इंजीनियरी पर्यवेक्षक-टेलीफोन द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान मोगा फिड्डा केनाल टेलीफोन लाइन पर 21 खम्भे और 1750 किलोग्राम लोहे के तार की चोरी पाई गई।

(ख) जी नहीं।

(ग) मामले की तत्काल पुलिस अधिकारियों को सूचना दे दी गई, जो इसकी जांच कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है और खुली लाइनों की अक्सर होने वाली चोरी को रोकने के उपायों को सुझाने के लिए सामयिक बैठकें की जा रही हैं।

Super Bazars in Delhi

465. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have not started any Super Bazar in any poor locality of Delhi so that the poor people may get some relief; and

(b) if so, whether Government propose to start Super Bazar in any poor locality of Delhi during the next two years particularly in the areas of Sabzi Mandi and Kadam Sariff ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswami) : (a) The four Super Bazars (Department Stores) already functioning in Delhi cater to large areas, which include consumers of all income groups.

(b) Super Bazars are set up in prominent marketing centres, and considerations such as those of economic viability, local demand, and availability of suitable accommodation have to be kept in view. Primary consumer stores are, however, already functioning in almost all localities of Delhi, including Subzi Mandi and Kadam Sariff.

जालन्धर में तांबे के तार की चोरी

466. **श्री सूरज भान :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सर्किल के जालन्धर पूर्वी इंजीनियरिंग डिवीजन में $52\frac{1}{2}$ क्विटल ताबे का आवृत तार (300 पौंड प्रति मील) खो गया है ; और

(ख) क्या इस क्षति के लिये किसी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया गया है और यदि हां तो अपराधी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

डाक तथा तार विभाग में राजपत्रित अधिकारी

467. **श्री सूरज भान :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग के कितने राजपत्रित अधिकारी दिल्ली/नई दिल्ली स्थित कार्यालयों में दस वर्षों से अधिक अवधि से लगातार कार्य कर रहे हैं ;

(ख) दिल्ली/नई दिल्ली में अधिकारी अधिक से अधिक कितनी अवधि से कार्य कर रहे हैं ;

(ग) डाक तथा तार विभाग में राजपत्रित अधिकारियों का कार्यकाल कितना है ; और

(घ) क्या यह सच है कि गत वर्ष धन की कमी के कारण डाक तथा तार विभाग के दिल्ली में नियुक्त कुछ राजपत्रित अधिकारियों के स्थानान्तरण के आदेश रद्द किये गये थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 20 ।

(ख) नवम्बर, 1949 ।

(ग) एक पद पर कार्य करने की अवधि चार वर्ष है, परन्तु यदि इस अवधि के दौरान या उसके क्रम में एक अधिकारी का स्थानान्तरण या किसी दूसरे पद पर पदोन्नति उसी स्टेशन पर कर दी जाती है तो उसको उस स्टेशन पर छः वर्ष की अवधि तक रखा जा सकता है । फिर भी कुछ मामलों में सेवा की आवश्यकताओं या सहानुभूति के कारणों के आधार पर अधिकारियों को इससे अधिक अवधि के लिए भी रखने की अनुमति दे दी जाती है ।

(घ) जी नहीं, फिर भी गत वर्ष बारी-बारी स्थानान्तरणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था ।

पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी

469. **श्री सूरज भान** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 के अन्त तक पूर्वी पाकिस्तान से कुल कितने शरणार्थी भारत आये थे ; और

(ख) वर्ष 1968 के अन्त तक उनके पुनर्वास पर कुल कितना धन व्यय हुआ है ?

श्रम तथा रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) लगभग 97.65 लाख व्यक्ति ।

(ख) 31-3-1968 तक खर्च

की गई कुल धनराशि	482.56	करोड़ रुपये
1968-69 (परिशोधित प्राक्कलन) के लिये बजट व्यवस्था	27.12	करोड़ रुपये
योग ...	509.68	करोड़ रुपये

केरल में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

470. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की हाल की नागरकोइल की यात्रा के समय उनके तथा केरल के स्थानीय कांग्रेसी नेताओं के बीच कोई चर्चा हुई थी ; और

(ख) केरल में दो नये जिले बनाने के प्रस्ताव के परिणामस्वरूप निर्वाचन क्षेत्रों के परि-सीमन के सम्बन्ध में मुख्य विषय क्या थे जिन पर चर्चा की गई ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल क्षेत्र में नये सार्वजनिक टेलीफोन घर

471. **श्री मंगलाथुमाडोम :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में केरल क्षेत्र में कितने नये सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले गये हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में पोस्टमास्टर जनरल द्वारा डाक और तार निदेशालय के साथ कोई सर्वेक्षण किया गया था ; और

(ग) इसमें कितना अतिरिक्त व्यय हुआ ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) पिछले छः महीनों के दौरान केरल में नये खोले गए लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या 5 है। इसके अलावा वहां 23 स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन घर भी खोले गए थे।

(ख) नये सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए डाक-तार महानिदेशालय ने एक सामान्य नीति निर्धारित की है। अलग-अलग योजनाओं के इंजीनियरी सर्वेक्षण के बाद पोस्ट-मास्टर जनरल नये सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के प्रस्तावों की इस नीति के अनुसार जांच करते हैं। सर्वेक्षण के बाद कुल 109 योजनाओं की मंजूरी दी जा चुकी है जिसमें 40 लम्बी दूरी की योजनाएं भी शामिल हैं।

(ग) 28 नये सार्वजनिक टेलीफोन घर (स्थानीय और लम्बी दूरी के) खोलने पर कुल खर्च लगभग 2 लाख रुपये होगा। 109 स्वीकृत योजनाओं को कार्यरूप देने में लगभग 7.5 लाख रुपये और खर्च होंगे।

High Yielding Quality of Rice Seed

472. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the time by which the better and high-yielding quality of seed developed from the mixture of Basmati and Taichung Native I paddy is likely to be provided to farmers and what will be its yield as compared to I. R. 8 ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

The promising selections obtained from the cross between Basmati rice with Taichung Native 1 were tested in the Coordinated Trials for two seasons, and, as recommended by the

Rice Research Workers' Workshop held at Cuttack in November 1968, these selections are being multiplied and will be considered for release when sufficient quantities of seed stocks have been built up.

The yields obtained from the two best selections obtained from the above cross ranged between 6000-6500 and 5000-5500 Kg/ha as compared to 7,000 Kg/ha of **I. R.** 8; these strains mature in 125 days and 110 days, respectively, while **I.R.** 8 does so in 135 days.

Sugarcane Disease

473. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the efforts being made to save the sugarcane crop during next year from the cane disease in Western Uttar Pradesh ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

The sugarcane crop in Western Uttar Pradesh has been suffering from an attack of an insect, sugarcane **pyrilla**, and not a disease, since September-October, 1968. Assistance was provided to the Government of Uttar Pradesh under the Calamities Relief Fund and over 4.07 lakh acres of sugarcane crop was sprayed with insecticides (about 2.33 lakh acres by aerial operations and the remaining 1.74 lakh acres by ground operations) and the insects destroyed successfully.

Pyrilla "nymphs" and adults started migrating to wheat in January 1969 and the State Government has been given all possible assistance for controlling the pest on wheat crop under the Calamities Relief Fund. The Control operation are under way. Suitable precautions will be taken against recurrence of pyrilla on the next sugarcane crop.

Manufacture of Gur

474. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that gur is not being manufactured because sugarcane is infected by cane disease ; and

(b) if so, the action being taken by Government to ensure supply of gur in the off-season period and at reasonable price ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयातित गेहूं

475. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० एल० 480 के अन्तर्गत इस समय प्राप्त की जा रही गेहूं पहले वाले गेहूं की अपेक्षा कुछ घटिया किस्म का है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में अमरीका सरकार के साथ बातचीत की गई है और उसके क्या परिणाम हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Procurement of Foodgrains

476. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Nathu Ram Ahirwar :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the targets fixed State-wise for procurement of different foodgrains for rabi crop ;

(b) the procurement prices fixed for different foodgrains ; and

(c) the reaction of various State Governments thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) State-wise procurement targets for wheat for the current i. e. 1968-69 season were fixed as follows :-

	(in '000 tonnes)
Bihar	25
Gujarat	25
Haryana	100
Madhya Pradesh	225
Maharashtra	25
Punjab	1200
Rajasthan	75
Uttar Pradesh	400
	2075

The procurement targets for 1969-70 marketing season have not been fixed so far.

(b) and (c). Procurement prices of wheat for 1968-69 marketing season were fixed at Rs. 76.00 and Rs. 81.00 per quintal for common white/mexican and superior wheat, respectively, in consultation with the Governments of the wheat producing States. The procurement prices for the next season (1969-70) have not been fixed so far.

उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिवीजन में भारतीय खाद्य निगम के भाण्डागार अथवा गोदाम

477. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिवीजन में भांडागार गोदाम खोलने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). जी हां, भारतीय खाद्य निगम के फैजाबाद, बलरामपुर बहराइच, नानपारा, प्रतापगढ़ और बाराबंकी में पहले से ही किराये के गोदाम हैं। उन्होंने फैजाबाद और बाराबंकी में प्रत्येक 5000 मीटरी टन क्षमता के गोदाम बनाने की स्वीकृति दी है।

ओल्ड राजेन्द्र नगर कालोनी, नई दिल्ली

478. **श्री निहाल सिंह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओल्ड राजेन्द्र नगर कालोनी, नई दिल्ली में कुल कितने मकान हैं ;

(ख) इस कालोनी में ऐसे मकान कितने हैं जिनके चारों ओर चारदीवारी बनी हुई है/बाड़ लगी है/कांटेदार तार लगे हैं ; और

(ग) इस कालोनी में मकानों की चारदिवारियों को गिराने के सम्बन्ध में सरकार/दिल्ली नगर निगम की क्या नीति है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) संभवत: माननीय सदस्य पुराने राजेन्द्र नगर की बस्ती में भूतपूर्व पुनर्वास मंत्रालय द्वारा बनाये गये मकानों की संख्या जानना चाहते हैं ? उनकी संख्या 2347 है ।

(ख) और (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

पटसन उद्योग सम्बन्धी राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशें

479. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री सीताराम केसरी :
श्री क० लकप्पा :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 5 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3399 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उद्योग के बारे में राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशें इस बीच सरकार को प्राप्त हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन पर भी विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें कहां तक स्वीकार कर लिया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

Prices of Foodgrains

480. **Shri Yashpal Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether there is a tendency of abnormal rise in the prices of foodgrains some days after the crops reach the market as a result of which the farmers are not benefited but the middlemen are benefited ; and

(b) if so, the steps taken to eheck this tendency ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir. On the contrary in a normal year the prices of foodgrains generally fall on the arrival of new crops and continue to rule easy during the peak marketing period which extends over 3 to 4 months after the harvest.

(b) To ensure that the producer gets a remunerative price wherever and whenever prices fall below procurement prices announced for fair average quality of respective grain. Government will purchase whatever quantities are offered for sale.

Loans to Farmers

481. **Shri Yashpal Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the difficulties which stand in the way of extending facilities of giving loans to farmers against their produce of foodgrains ; and

(b) the time by which the farmers would be benefited by this scheme on a large scale ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Loans against pledge of foodgrains are available to members of cooperative societies either from cooperative marketing societies or from primary agricultural credit societies. Such loans are reimbursable from higher financing agencies out of the short-term concessional finance provided by the Reserve Bank of India to State and the Central Cooperative Banks.

Farmers who are not members of cooperatives may also obtain loans from Commercial banks against pledge of either foodgrains or warehouse receipts subject to such restrictions as may be placed under the credit control measures by the Reserve Bank of India.

The major difficulties in the expansion of pledge-credit against foodgrains from cooperatives are (i) non-availability of adequate resources (ii) limited storage facilities available with the cooperatives.

(b) In the Fourth Five Year Plan, the augmentation cf resources of marketing societies and their storage facilities and more effective linking of credit with marketing are expected to receive greater emphasis and consequently the volume of pledge-credit against foodgrains to be given by the cooperatives may also go up.

केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा दिल्ली दुग्ध योजना की जांच

482. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना की सलाहकार समिति के सदस्यों ने योजना में दुर्विनियोग तथा कुप्रबन्ध के आरोप लगाये हैं और उन्होंने मांग की है कि केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा इनकी जांच की जाये;

(ख) यदि हां, तो सदस्यों ने क्या आरोप लगाये हैं और क्या कोई आरम्भिक जांच की गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या सरकार इन आरोपों की पूरी जांच कराने के लिए सहमत है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). 10 अक्तूबर, 1968 को हुई सलाहकार समिति की बैठक में एक सदस्य ने आरोप लगाया कि वह स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण बाजार में बेचा जा रहा था जो दिल्ली दुग्ध योजना के लिए था। सदस्य को पूर्ण जानकारी उपलब्ध करने के लिए कहा गया था ताकि आगे जांच की जा सके। अभी तक सदस्य ने कोई विवरण नहीं भेजा है। फिर भी 12 सितम्बर, 1968 को दुग्ध चूर्ण के स्टाक की सामान्य रूप से प्रत्यक्ष रूप में जांच की गई थी जिसके परिणाम-स्वरूप स्टाकों में मामूली विसंगतियां देखने में आयीं जिनका समाधान किया जा रहा है।

(ग) जी हां। सरकार विशेष आरोपों के बारे में पूर्ण जांच करायेगी।

चावल का आयात

483. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले बारह महीनों में चावल का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो कितने और किन देशों से चावल का आयात किया गया है;

(ग) क्या यह सारा आयात सरकार से सरकार के आधार पर किया गया है अथवा यह गैर-सरकारी फर्मों से भी खरीदा गया है; और

(घ) प्रत्येक आयात की दरें क्या थीं और इस पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां :

(ख) तथा (ग). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) 1968 में भारत में प्राप्त चावल का मूल्य सरकार से सरकार की खरीदारी के बारे में जहाज तक निष्प्रभार 118.47 डालर से 163.00 डालर प्रति मीटरी टन तथा गैर-सरकारी पार्टियों से खरीदारी के सम्बन्ध में लागत तथा भाड़े के आधार पर 146.50 डालर से 171.00 डालर प्रति मीटरी टन के बीच था। चावल के आयात पर जनवरी, 1968 से दिसम्बर, 1968 तक खर्च की गई विदेशी मुद्रा की कुल राशि 4415.6 लाख रुपये थी।

विवरण

(मात्रा हज़ार मीटरी टन में)

देश का नाम	सरकारी खाते में खरीदी गई मात्रा	गैर-सरकारी पार्टियों के माध्यम से खरीदी गई मात्रा
थाईलैण्ड	118.0	112.1
बर्मा	108.7	—
संयुक्त अरब गणराज्य	39.6	42.8
फिलपाईन	—	18.8
कम्बोडिया	—	6.3
कुल चावल	266.3	180.0

दक्षिण में संसद् का अधिवेशन

484. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री क० लकप्पा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री विभूति मिश्र :
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण में संसद् का अधिवेशन किये जाने की व्यवहार्यता के बारे में पता लगाने के लिए नियुक्त की गई संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखने का है ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

मत पत्र जारी करने के लिए नई प्रक्रिया

485. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यावधि निर्वाचनों में निर्वाचन आफिसरों के हस्ताक्षर वाले मत पत्र जारी करने तथा प्रत्येक मत-पेटी को बांधकर इसे कपड़े के थैले में डालने के पश्चात् सील करने की नई प्रक्रिया का प्रयोग किया गया; और

(ख) यदि हां, तो इस नये प्रयोग के बारे में मतदाताओं तथा राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रियाएं हुयीं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : (क) जी हां। (मत पत्रों पर हस्ताक्षर, मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व मतदान केन्द्रों के पीठासीन आफिसरों द्वारा किये जाते हैं न कि निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर द्वारा जैसा कि प्रश्न में कहा गया है)।

(ख) ऐसा प्रतीत होता है कि मतदाताओं और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया अनुकूल है क्योंकि नई प्रक्रिया के बारे में एक भी आक्षेप किसी से प्राप्त नहीं हुआ है।

दरभंगा जिले (बिहार) के समस्तीपुर उपखण्ड में नलकूपों की व्यवस्था

486. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दरभंगा जिले (बिहार) के समस्तीपुर उपखण्ड में अब तक कितने नलकूपों की व्यवस्था की गई है;

(ख) वर्ष 1969 में दरभंगा जिले (बिहार) के समस्तीपुर उपखण्ड के इस उपजाऊ क्षेत्र में नलकूपों की व्यवस्था सम्बन्धी प्रस्तावों का ब्योरा क्या है;

(ग) सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता मंजूर की है तथा अब तक कितना धन व्यय किया गया है; और

(घ) क्या बिजली से चलने वाले पम्पिंग सेट लगाकर भूमिगत जल का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ). जानकारी बिहार सरकार से इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा श्रम नीति की जांच

487. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अलावा श्रमिकों के सभी

केन्द्रीय संगठनों की संयुक्त बैठक में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से किये गये इस प्रस्ताव की ओर दिलाया गया है कि इस देश में मजदूर संघों के अधिकारों के दमन की जांच करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भारत में एक तथ्य जांच मिशन भेजे;

(ख) क्या सरकार इस प्रस्ताव का अनुमोदन करेगी और क्या वह अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से अपनी श्रम नीति की जांच कराने के लिए सहमत होगी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) सरकार को मालूम नहीं है कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव किया गया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

मुजफ्फरनगर के सिसोली कस्बे में नाइयों द्वारा हरिजनों के बाल काटने से इन्कार

488. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री समर गुह :
श्री क० लकप्पा :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री ज० अहमद :
श्री दिनकर देसाई :
श्री बाबू राव पटेल :

क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 8 जनवरी, 1969 के समाचार-पत्रों में छपे पी० टी० आई० के इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि मुजफ्फरनगर जिले के सिसोली कस्बे में नाइयों ने हरिजनों के बाल काटने से इंकार कर दिया है;

(ख) क्या हरिजनों ने खाद्य तथा कृषि मंत्री को अपनी शिकायत में बताया है कि जिला अधिकारी इस मामले में कार्यवाही करने में असफल रहे हैं;

(ग) क्या इस मामले में तथ्यों की जांच की गई है; और

(घ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय और समाज-कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) प्रेस में ऐसी रिपोर्ट छपी है ।

(ख) हां ।

(ग) तथा (घ). राज्य सरकार से जांच करने और की गई कार्यवाही के बारे में रिपोर्ट भेजने को कहा गया है ।

दिल्ली में सहकारी समितियां

489. **श्री रणजीत सिंह :**
श्री बलराज मधोक :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री अदिचन :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की 2,300 सहकारी समितियों में से 500 समितियां दीवालिया हो चुकी हैं तथा 200 समितियां कार्य नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) से (ग). इस समय दिल्ली की 2881 समितियों में से 611 समितियां परिसमापन के अन्तर्गत हैं और 285 समितियां निष्क्रिय हैं । जिन समितियों का कार्यकरण तथा वित्तीय स्थिति असंतोषजनक थी तथा जिन्होंने काम करना बन्द कर दिया था, उन्हें परिसमापन के अन्तर्गत ले लिया गया, क्योंकि पंजीयक, सहकारी समितियां, दिल्ली द्वारा जांच करने पर पता चला था कि उनके पुनरुद्धार की कोई आशा नहीं है । जहां तक परिसमापन के अन्तर्गत लाई गई समितियों का सम्बन्ध है, परिसमापन सम्बन्धी कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए परिसमापक नियुक्त कर दिये गये हैं । जहां तक निष्क्रीय समितियों का सम्बन्ध है, उनकी छानबीन की जा रही है और तत्पश्चात आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

राज्यों में अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भरता

490. **श्री रणजीत सिंह :**
श्री बलराज मधोक :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से राज्य इस समय अनाज के उत्पादन के मामले में आत्म-निर्भर हैं ;

(ख) कमी वाले राज्यों के नाम क्या-क्या हैं और कितनी-कितनी कमी है ; और

(ग) कमी वाले राज्यों को अनाज बहुल राज्य बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). पिछले कुछ वर्षों में खाद्यान्नों के वितरण के सरकारी प्रतिमानों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि साधारण उत्पादन के वर्ष में और सब खाद्यान्नों को इकट्ठे

लेकर आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब को अधिशेष राज्यों के वर्ग में शामिल किया जा सकता है। आसाम, हरियाणा, राजस्थान और मद्रास लगभग स्वावलम्बी राज्य हैं और बाकी सभी कमी वाले राज्य हैं। 1968-69 के बारे में विभिन्न राज्यों के खाद्यान्न उत्पादन के अनुमान अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। अतः अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि कमी वाले राज्यों के उत्पादन उनकी चालू वर्ष की जरूरत से कितना कम हैं।

(ग) कमी वाले तथा अधिशेष राज्यों में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाये गये हैं जिनमें अधिक उपज देने वाली किस्मों, बहु फसलों सघन खेती के लिये लघु सिंचाई, उर्वरक तथा कीटनाशक औषधियों का सुप्रबन्ध, सामयिक उदार ऋण सुविधायें (जिनमें संस्थानात्मक वित्त भी सम्मिलित है), कृषकों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण और अनुसंधानों को गतिमान करने के कार्य भी शामिल हैं। इन उपायों से कमी वाले राज्यों को कमी से राहत मिलेगी। फिर भी प्रत्येक राज्य के स्वावलम्बी होने की आशा नहीं की जा सकती क्योंकि प्रत्येक राज्य में फसल प्रतिमानों का निर्धारण कृषि जलवायु तथा अन्य घटकों पर निर्भर करता है।

दूर संचार सुविधायें स्थापित करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंन्सी द्वारा ऋण देने से इन्कार

491. **श्री एम० नारायण रेड्डी :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रा० बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दूर संचार सुविधायें स्थापित करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी को अधिक राशि में ऋण देने के लिये निवेदन किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने यह प्रार्थना इस आधार पर अस्वीकार कर दी है कि ऐसे ही प्रयोजन के लिए पहले दिया गया 120 करोड़ रुपये के ऋण का ठीक प्रयोग नहीं किया गया है ;

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के यह ऋण देना स्वीकार न करने पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त एजेंसियों से ऋण पर निर्भर हुए बिना आगामी तीन वर्ष में दूर-संचार सुविधायें कैसे तथा किस तरीके से सुदृढ़ की जायेंगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। डाक-तार विभाग द्वारा अब तक अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से लिये गये 7.50 करोड़ अमरीकी डालर के दो ऋणों का पूरा प्रयोग किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से एक तीसरा ऋण लेने के लिये बातचीत चल रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) ऐसे साज सामान और केबल के सीधे आयात के लिये जो देश में नहीं बनाये जाते या जिनकी सप्लाई कम है और सरकारी क्षेत्र के कारखानों में उत्पादन बनाये रखने के लिए कच्चे माल और कल-पुर्जों के सीधे आयात के लिये विदेशी मुद्रा आवश्यक है। उन्नत देशों से अलग-अलग ऋण प्राप्त करने के भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के लिए 81 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी। विदेशी मुद्रा न मिलने से दूर संचार सुविधाओं के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा दूर-संचार सुविधाओं के लिये ऋण

492. **श्री एम० नारायण रेड्डी :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में दूर संचार की सुविधायें प्रदान करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा कुल कितना ऋण दिया गया था और उसकी अदायगी की शर्तें क्या थीं ;

(ख) उस राशि का कितना उपयोग किया गया और उन मुख्य मदों का ब्योरा क्या है, जिन पर यह राशि व्यय की गई है ;

(ग) क्या इससे इतनी आय होती है कि ब्याज तथा मूल राशि लौटाई जा सकती है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और अदायगी पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (विश्व बैंक से सम्बद्ध शाखा) से कुल 7 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डालरों की रकम (अवमूल्यन के पहले के लगभग 35.71 करोड़ रुपये) के दो ऋण लिये गये थे। पहला ऋण 4 करोड़ 20 लाख डालरों का और दूसरा 3 करोड़ 30 लाख डालरों का था।

इन ऋणों की मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं :

(i) ये ऋण बिना ब्याज पर लिये गये हैं ; लेकिन ऋण पर प्राप्त राशि के मूलधन तथा समय-समय पर रहने वाले बकाया अतिशेष पर एक प्रतिशत के तीन चौथाई भाग की वार्षिक दर से (एक प्रतिशत का 3/4 भाग) सर्विस चार्ज लिया जाएगा।

(ii) पहले 10 वर्षों में ऋण की कोई वापसी नहीं की जाएगी, परन्तु उसके बाद 40 वर्षों की अवधि में छ:माही किश्तों में मूलधन की अदायगी कर दी जाएगी।

(ख) इसमें 7 करोड़ 40 लाख 79 हजार अमेरिकी डालरों (अवमूल्यन के पहले के लगभग 35.61 करोड़ रुपये) का उपयोग कर लिया गया है। जिन बड़ी मदों के लिये ऋण का उपयोग किया गया है, उनका ब्योरा सभा-पटल पर रखे जाने वाले विवरण-पत्रों में दिखाया गया है। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०** 50/69]

(ग) से (ङ) विदेशी मुद्रा के ऋण भारत सरकार द्वारा लिये जाते हैं तथा उनकी चुकती की व्यवस्था भी भारत सरकार करती है। विदेशी मुद्रा के अंश के बराबर रुपयों की राशि सहित दूर संचार का कार्यक्रम के लिये निवेशन की जाने वाली रुपयों की राशि की पूर्ति आंशिक रूप से डाक-तार विभाग के अपने साधनों तथा आंशिकरूप से भारत सरकार से ऋण लेकर की जाती है, जिस पर 6.75 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज की अदायगी की जाती है।

भारतीदसन की स्मृति में टिकट

493. **श्री मयावन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिल के विख्यात कवि भारतीदसन की स्मृति में डाक टिकटें जारी करने के कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों पर क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रस्ताव पर डाक-टिकट सलाहकार समिति ने विचार किया था किन्तु इसका अनुमोदन नहीं हो सका।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्य विभाग के काम को अपने हाथ में लेना

494. **श्री शशि भूषण :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य निगम धीरे-धीरे खाद्य विभाग का काम अपने हाथ में ले रहा है ;

(ख) यदि हां, तो निगम ने अब तक इस विभाग के कितने अनुभाग अपने हाथ में ले लिये हैं ; और

(ग) क्या मंत्रालय के क्षेत्र में विस्तार करने के लिये सरकार का नये मार्ग तथा परियोजनायें बनाने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) आयातित तथा देसी दोनों अनाजों के सम्भालने, आन्तरिक अधिप्राप्ति, संचलन,

संचयन और वितरण से सम्बन्धित खाद्य विभाग के कार्यकारी कार्य चरणों में खाद्य निगम द्वारा लिए जा रहे हैं :

(ख) निगम ने उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में फील्ड कार्य ले लिए हैं। पश्चिमी क्षेत्र में मध्य प्रदेश में केवल डिपो लिए गए हैं।

(ग) फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

समाज सेवा अनुभाग

495. **श्री शशि भूषण :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज सेवा अनुभाग में ऐसे अधिकारी हैं जिनको समाज सेवा के क्षेत्र में कोई व्यावहारिक अनुभव नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस समय कार्य कर रहे कल्याण अधिकारियों के स्थान पर अनुभव प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता लगाने का है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) नहीं श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बेरोजगारी के आंकड़े

496. **श्री शशि भूषण** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय द्वारा बेरोजगारी के बारे में कोई विश्वस्त आंकड़े एकत्रित नहीं किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस त्रुटि में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) श्रम एवं नियोजन मंत्रालय द्वारा एकत्रित जानकारी केवल रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वाले उम्मीदवारों की संख्या से सम्बन्धित है जिससे कुछ हद तक बेरोजगारी की स्थिति का पता चलता है।

(ख) अगस्त, 1968 में योजना आयोग ने बेरोजगारी आगणन पर विशेषज्ञों की एक समिति बनाई है। अन्य बातों के साथ-साथ, समिति शहरी और देहाती क्षेत्रों में, रोजगार, बेरोजगारी और अपूर्ण-रोजगार के विभिन्न पहलुओं की जांच तथा श्रम शक्ति की वृद्धि के अनुमान के लिये रीतिविधान का सुझाव देगी।

शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी

497. **श्री शशि भूषण** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में ऐसे शिक्षित युवकों की संख्या कितनी है जिनके नाम इस समय काम दिलाऊ दफ्तरों में दर्ज हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : 31-12-1968 को रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वाले शिक्षित* उम्मीदवारों की कुल संख्या 13,09,340 थी ।

*मैट्रिकुलेट एवं उच्च शिक्षा प्राप्त ।

त्रिपक्षीय व्यवस्था

498. **श्री शशि भूषण** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इतने वर्षों के श्रम के पश्चात की गई त्रिपक्षीय व्यवस्था असफल सिद्ध हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस व्यवस्था को बनाये रखने के लिये और उसे सुदृढ़ करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) त्रिपक्षी मशीनरी को सुदृढ़ बनाने के उपायों पर राष्ट्रीय श्रम आयोग की, जो कि इस मामले की जांच कर रहा है, सिफारिशें प्राप्त होने के बाद विचार किया जायगा ।

वित्तीय सूती कपड़ा मजूरी बोर्ड

499. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : **श्री समर गुह** :
श्री दिनकर देसाई : **श्री ज० अहमद** :
श्री क० लकप्पा :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूती कपड़ा उद्योग सम्बन्धी द्वितीय केन्द्रीय मजूरी बोर्ड ने जो प्रतिवेदन दिया है वह सर्वसम्मति से नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सूती कपड़ा उद्योग के लिये तीसरा मजूरी बोर्ड नियुक्त करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार प्रतिवेदन को भारतीय श्रम सम्मेलन के विचारार्थ सौंपने का है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) रिपोर्ट पर 25 फरवरी, 1969 को एक बैठक में विचार किया जायेगा । इस बैठक में नियोजकों, श्रमिकों, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है ।

Recovery of Copper Wire from Raghuganj in Chawri Bazar, Delhi

500. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large quantity of copper-wire was recovered from a shop of Raghuganj in Chawri Bazar (Delhi) in the month of January, 1669 ; and

(b) the number of persons arrested in this connection and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes, but it is not telegraph wire.

(b) No one was arrested.

Relief in Drought-Affected Areas

501. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the names and number of districts in Uttar Pradesh, Rajasthan and Bihar declared drought-affected by the State Governments concerned separately in each State ;

(b) the number of villages in each of the aforesaid districts ;

(c) the amount of loan given as drought relief by the Central Government to each of the Central Government employees working in the aforesaid district ; and

(d) the total amount of loan given and the number of instalments in which it would be recovered ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). Scarcity condition has

been declared in 22,797 villages in Rajasthan. The district-wise break-up is as follows :

S. No.	District	Number of villages affected by scarcity
1.	Ajmer	899
2.	Alwar	166
3.	Barmer	852
4.	Bikaner	680
5.	Bhilwara	1326
6.	Bundi	387
7.	Chittorgarh	1608
8.	Churu	833
9.	Dungarpur	790
10.	Jaipur	2605
11.	Jaisalmer	512
12.	Jalore	607
13.	Jhalawar	314
14.	Jhunjhunu	699
15.	Jodhpur	726
16.	Kota	445
17.	Pali	853
18.	Nagaur	972
19.	Sikar	694
20.	Sirohi	455
21.	Sawaimadhopur	486
22.	Ganganagar	609
23.	Banswara	1461
24.	Tonk	1037
25.	Udaipur	2578
26.	Bharatpur	201

No area has been formally declared as scarcity affected in Uttar Pradesh. But drought conditions are prevalent in the following districts :

S. No.	District	No. of villages
1.	Allahabad	4,080
2.	Banda	695
3.	Varanasi	3,788
4.	Mirzapur	3,447
5.	Jaunpur	3,455
6.	Ghazipur	3,410
7.	Azamgarh	5,283
8.	Pratapgarh	2,242

Bihar is not affected by drought at present.

(c) No loan or advance of pay has been sanctioned as drought relief during the years 1968 and 1969 to the Central Government employees in any of the drought affected areas.

(d) Does not arise.

Post Offices in the Country

502. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of new post offices opened in the country during the last five months ;and

(b) the number of new post offices proposed to be opened during the next financial year ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) 1,019.

(b) The proposals have not yet been finalised.

बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में कमी

503. **श्री समर गुह :** **श्री क० लकप्पा :**
श्री पी० विश्वम्भरन : **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में रोजगार की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो रोजगार के किस-किस क्षेत्र में स्थिति अधिक खराब है ; और

(ग) योजना का लक्ष्य बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) रोजगार क्षेत्र के अध्ययन के अनुसार 1966-67 के दौरान संगठित क्षेत्र में रोजगार अवसरों में 0.8 प्रतिशत की आंशिक वृद्धि हुई और 1967-68 के दौरान यह वृद्धि 0.1 प्रतिशत रही । जबकि 1964-65 में वृद्धि 53 प्रतिशत तथा 1965-66 में 3.1 प्रतिशत थी ।

(ख) उपरोक्त अध्ययन के अनुसार 1967-68 के दौरान खनन और खदान तथा निर्माण क्षेत्र में रोजगार स्थिति में गिरावट आई ।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तावित विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा अधिकाधिक रोजगार अवसर उपलब्ध होने की आशा है ।

कार्मिक संघों के नेताओं को विदेशों में भेजने का प्रस्ताव

504. **श्री समर गुह :** **श्री ज० अहमद :**
श्री क० लकप्पा : **श्री दिनकर देसाई :**
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कार्मिक संघों के अनेक नेताओं को यूरोप के कुछ ऐसे

देशों में, जहां कार्मिक संघ अभियान अत्यधिक सफल रहा है, कार्मिक संघ की कार्यप्रणाली में प्रशिक्षण लेने के लिये भेजने की योजनाएं बनाई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से देश हैं जहां उन्हें भेजा जा रहा है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में चावल का समाहार

505. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्रीमती इलापाल चौधरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल की सरकारी एजेंसियों ने दिसम्बर, 1968 से लेकर आज तक कुल कितने चावल का समाहार किया है ;

(ख) क्या इससे आगामी वर्ष के दौरान राज्य की कानूनी राशन की आवश्यकता पूरी हो सकेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रत्याशित कमी को पूरा करने के लिए केन्द्रीय भण्डार से प्रति मास कितना कोटा देना मंजूर किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) चालू फसल मौसम में सरकार के लिए अधिप्राप्त की गई चावल की कुल मात्रा 2.1 लाख मीटरी टन थी । यह मात्रा पहली नवम्बर, 1968 से 7 फरवरी, 1969 तक की अवधि में अधिप्राप्त की गई थी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) पश्चिमी बंगाल में और अधिप्राप्ति हो रही है । वर्तमान संकेत के आधार इस वर्ष पश्चिमी बंगाल में चावल की भारी कमी होने की आशा नहीं है । तथापि, इस राज्य को केन्द्रीय भण्डार से चावल का आवंटन वास्तविक आवश्यकता, केन्द्र के पास उपलब्धि और चावल खाने वाले अन्य राज्यों की मांग के आधार पर किया जाता रहेगा ।

पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को मुआवजा

506. **श्री समर गुह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को, उनके द्वारा वहां छोड़ी गई सम्पत्ति के लिये दिये गये मुआवजे से उनका पुनर्वास तुरन्त हो सका था ;

(ख) क्या पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ी गई उनकी सम्पत्ति के लिये इस बिना पर मुआवजा नहीं दिया गया था कि पूर्वी पाकिस्तान और भारत की विभाजन रेखा के दोनों ओर के शरणार्थियों के आने-जाने की सुविधा वैसी ही बनी रहेगी तथा उन्हें अपनी सम्पत्ति बेचने की स्वतंत्रता से विमुख नहीं किया जायेगा ;

(ग) क्या पूर्वी पाकिस्तान और भारत के बीच पारपत्र प्रणाली लागू किये जाने से शरणार्थियों को आने जाने की स्वतंत्रता नहीं रही है तथा पाकिस्तान सरकार ने उन्हें सम्पत्ति बेचने के अधिकार से वंचित कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को मुआवजा देने के मामले पर फिर से विचार करने का सरकार का विचार है ताकि उन्हें उनके आर्थिक पुनर्वास के प्रयत्नों में सहायता मिल सके ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). शरणार्थियों को पश्चिम पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्ति का मुआवजा भारत और पाकिस्तान के बीच हुई व्यवस्था के अनुसरण में दिया गया था जिसके अनुसार भारी संख्या में शरणार्थियों के आने के फलस्वरूप दोनों देशों में निष्क्रान्त कानून बनाये गये थे । निसन्देह इससे पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को अपने पुनर्वास में सहायता मिली है । पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्ति का मुआवजा नहीं दिया जा सका क्योंकि, अप्रैल, 1950 में हुये नेहरू-लियाकत समझौते में की गई व्यवस्था के अनुसार, इन सम्पत्तियों के मालकाना हकूक इन शरणार्थियों के ही हैं और वे इन सम्पत्तियों को बेच सकते या उनका आदान-प्रदान कर सकते हैं । तथापि, पाकिस्तान सरकार ने शरणार्थियों का पूर्वी पाकिस्तान में जाना तथा उनका अपनी सम्पत्तियों का निपटारा करना अत्यन्त कठिन बना दिया है ।

(घ) इस समय सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों पर किया गया व्यय

507. **श्री समर गुह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास पर अब तक कुल कितनी राशि व्यय की ;

(ख) उनके द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्तियों के मुआवजे के रूप में उनको कितनी राशि दी गई ;

(ग) पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की सहायता तथा पुनर्वास पर सरकार ने कितनी राशि व्यय की ;

(घ) विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को शिविरों में रखने पर कितनी राशि व्यय हुई तथा उनके पुनर्वास पर कितनी राशि व्यय हुई ; और

(ङ) विभाजन के समय से वर्ष 1968 तक पूर्वी पाकिस्तान से आये कितने शरणार्थियों को शिविरों में रखा गया तथा उनमें से कितने अब भी शिविरों में रह रहे हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क)	31 मार्च, 1968 तक	204.11 करोड़ रुपये	
(ख)	31 दिसम्बर, 1968 तक	190.46 करोड़ रुपये	
(ग)	31 मार्च, 1968 तक	278.45 करोड़ रुपये	
(घ)	राहत पुनर्वास	88.77 करोड़ रुपये 189.68 करोड़ रुपये	31 मार्च, 1968 तक

(ङ) शिविरों में रहने वाले पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की संख्या समय-समय पर घटती-बढ़ती रहती थी और शिविरों में नये प्रवेश तथा शिविरों से पुनर्वास स्थलों के विसर्जन पर आधारित थी । शिविरों में रखे गये शरणार्थियों की अधिक से अधिक संख्या जनवरी, 1965 में 2.84 लाख थी । जनवरी, 1969 के अन्त में शिविरों में 61,391 व्यक्ति रह रहे थे ।

गेहूं की जमानत पर बैंक द्वारा ऋण

508. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 14 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 667 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं की जमानत पर सरकारी तथा गैर-सरकारी बैंकों द्वारा अलग-अलग लोगों को 1969 के आरम्भ तक दिये गये ऋणों के बारे में सूचना इस बीच प्राप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) . दिसम्बर, 1968 के मासिक बुलेटिन में रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित अन्तिम सूचना के अनुसार 27-9-1968 को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा गेहूं की प्रतिभूति पर दिया गया ऋण 116.68 करोड़ रुपये था । बाद की अवधि की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।

कृषि श्रमिकों की कर्जदारी

509. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 12 दिसम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 699 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल राशि से दुगना ब्याज लेने, जो दण्डनीय अपराध है, के बारे में राज्यों से सूचना एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। जम्मू तथा काश्मीर, नागालैण्ड और राजस्थान और नेफा के संघ क्षेत्र के सिवाय अन्य सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों से जानकारी प्राप्त हो गई है।

(ख) अनुबन्ध 'ए' में ब्योरा संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 51/69]

M/s. Bradbury Mills Ltd., Bombay

510. **Shri Sharda Nand :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of employees working in Messrs. Bradbury Mills Ltd., Bombay, the number of employees from whose salaries provident fund has been deducted by the company and the amount deducted as such during the past ten years ;

(b) the number of times the employees were given bonus during the past ten years ; and

(c) whether it is a fact that payment of wages shown in the papers is much more than that paid actually ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : The administration of the provident funds of the employees of this undertaking is the concern of the Central Board of Trustees, an autonomous organisation under the Employees' Provident Funds Act. 1952 and is not primarily the concern of the Government of India. The information is not available with Government of India.

(b) and (c). The appropriate Government concerned with payment of bonus and payment of wages in this undertaking is the State Government. The Central Government has, therefore, no information on these points.

उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति

511. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में उत्तर प्रदेश में काम दिलाऊ दफ्तरों में कुल कितने शिक्षित बेरोजगारों के नाम दर्ज थे ;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जाति के लोगों की संख्या कितनी थी ;

(ग) उनमें से तकनीकी योग्यता प्राप्त कितने व्यक्ति हैं;

(घ) काम दिलाऊ दफ्तरों के द्वारा कितने व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया ; और

(ङ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अलग-अलग तकनीकी योग्यता प्राप्त कितने व्यक्ति हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख).

	उम्मीदवारों की श्रेणी	**जुलाई, 1967 से जून, 1968 के दौरान पंजीकृत उम्मीदवारों की संख्या**
I.	1. पढ़े-लिखे उम्मीदवार * (मैट्रिक और इससे अधिक)	2,18,068
	2. अनुसूचित जाति के उम्मीदवार * (अनपढ़ों समेत)	93,210
	3. अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार * (अनपढ़ों समेत)	77
II.	(ग) 30 जून, 1968 को रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में तकनीकी व्यवसायों के लिए दर्ज उम्मीदवारों की संख्या ***	23,888

III. (घ) और (ङ).

उम्मीदवारों की श्रेणी	**जुलाई, 1967 से जून, 1968 के दौरान रोजगार पाने वालों की संख्या**
1. शिक्षित उम्मीदवार (मैट्रिक एवं उच्च शिक्षा प्राप्त)	17,453
2. अनुसूचित जाति के उम्मीदवार** (अनपढ़ों समेत)	9,801
3. अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवार ** (अनपढ़ों समेत)	12

* प्रतिवर्ष, दोबार जून और दिसम्बर के महीनों में पढ़े-लिखे उम्मीदवारों के विषय में आकड़े एकत्र किये जाते हैं । पढ़े-लिखे अनुसूचित जाति/आदिम जाति के उम्मीदवारों के विषय में अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

** तकनीकी अर्हताएं प्राप्त अनुसूचित जाति/आदिम जाति के उम्भीदवारों के अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

*** तकनीकी अर्हताएं प्राप्त पढ़े-लिखे उम्मीदवारों की अलग से जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य भूमि

512. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य कुल कितनी भूमि है तथा इसमें से कितनी भूमि को अभी तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है और उसे सिंचाई के लिये वर्षा पर आधारित रहना होता है ;

(ख) उत्तर प्रदेश में विभिन्न लघु सिंचाई परियोजनाओं में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा प्रत्येक परियोजना कब तक पूर्ण हो जायेगी और इसके कारण और कितनी भूमि की सिंचाई हो सकेगी ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उत्तर प्रदेश में कितनी कृषि योग्य भूमि सिंचाई सुविधा से वंचित रहेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायगी।

कृषि सम्बन्धी आयोग

513. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 12 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4251 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक कृषि सम्बन्धी आयोग स्थापित करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके निर्देश-पदों तथा सदस्यों का ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

फसल बीमा योजना

514. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :
श्री सूरजभान :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री रणजीत सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 14 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 577 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच फसल बीमा योजना पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ; और

(ग) इसे कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). फसल बीमा योजना का ब्योरा अभी सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) संसद् द्वारा फसल बीमा विधेयक पास किये जाने के पश्चात राज्य सरकारें अपने निर्णय के अनुसार इस योजना को कार्यरूप देंगी ।

गुजरात के ग्रामों के हरिजनों सम्बन्धी दासभाई नायक समिति

515. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** **श्री भगवान दास :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री सत्यनारायण सिंह :**
श्री चक्रपाणि : **श्री बाल्मीकि चौधरी :**

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान गुजरात सरकार द्वारा हरिजनों की स्थिति की जांच करने हेतु नियुक्त की गई दास भाई नायक समिति के इस निष्कर्ष कि सूरत जिले में अनेक गांवों में हरिजनों को सार्वजनिक कुओं से पानी भरने की अनुमति नहीं है और कि नाई हरिजनों को अपनी सेवायें उपलब्ध नहीं कराते हैं, दिलाया गया है ;

(ख) क्या समिति को यह भी पता लगा है कि इन गांवों में भू-स्वामियों द्वारा हरिजनों को गुलामों के रूप में प्रयोग किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इन प्रथाओं को समाप्त करने के लिए तथा जो अधिकारी इस मामले की अभी तक सूचना देने में असफल रहे हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) से (घ). राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है । यदि समिति के निष्कर्षों की बात ठीक है, तो वह समिति निस्संदेह राज्य सरकार को उपचारात्मक उपाय करने के लिए उपयुक्त समय पर सुझाव देगी ।

पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड

516. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के लिये किस तारीख को मजूरी बोर्ड स्थापित किया गया था ;

(ख) क्या बोर्ड के लिये अपना प्रतिवेदन पेश करने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की गई थी ;

(ग) क्या प्रतिवेदन पेश करने में अत्यधिक विलम्ब हो गया है ; और

(घ) मजूरी बोर्ड द्वारा अपना प्रतिवेदन अन्तिम रूप से कब तक पेश किये जाने की संभावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) 13 नवम्बर, 1964 ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ). इस बोर्ड को ऐसे पेचीदा मामलों को निपटाना पड़ता है जो पत्तन-उपक्रमों और श्रमिकों दोनों ही के लिये बड़े महत्व के हैं । यह बोर्ड जहां तक सम्भव है, सर्व-सम्मत निर्णयों पर पहुंचने के लिये अधिकाधिक प्रयास कर रहा है और इसीलिए इसको विचार-विमर्श का कार्य लम्बा हो गया है । बोर्ड की अंतिम रिपोर्ट अब अगले अप्रैल तक प्राप्त होने की आशा है ।

Bennett Coleman and Company

517. **Shri S. M. Joshi :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the matter of payment of non-payment of pay to the employees of the Bennett Coleman and Company for the period of strike and lockout during February, March, 1967 was referred to a tribunal ;

(b) if so, whether some time limit was fixed for the tribunal for submitting its report and if so, the time limit thereof;

(c) whether the tribunal has submitted its report ; and

(d) if not, the reasons therefor and when the report is likely to be received ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Yes, Sir.

(b) No time limit was fixed.

(c) Not yet.

(d) The main reason for the delay is the adjournments sought by the parties to the reference. The hearing has now been concluded and the award of the Tribunal is expected sometime in March, 1969.

संग्रामपुर, मुंगेर में सार्वजनिक टेलीफोन

518. **श्री मधु लिमये :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संग्रामपुर के लोगों ने अभ्यावेदन किया है कि वहां पर

(संग्रामपुर, जिला मुंगेर) एक सार्वजनिक टेलीफोन लगाया जाये ;

(ख) क्या यह सच है कि यह एक खण्ड मुख्यालय और महत्वपूर्ण व्यापार केन्द्र है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि तारापुर बेलहर से पहले से ही टेलीफोन लाइन से जुड़ा हुआ है और संग्रामपुर में टेलीफोन की व्यवस्था करने पर अधिक रकम खर्च नहीं होगी ;

(घ) क्या अन्य खण्डों के बारे में ऐसी मागें स्वीकार की गई हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस मांग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) संग्रामपुर में सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने के मामले की शुरुआत माननीय सदस्य द्वारा सचार मंत्री को 15 जनवरी, 1969 को लिखे गए पत्र से हुई थी।

(ख) जी हां।

(ग) संग्रामपुर में सार्वजनिक टेलीफोनघर की व्यवस्था करने के लिए इसे 25 मील की दूरी पर दोहरी तार से जोड़ना पड़ेगा जिसमें तारापुर से संग्रामपुर तक के लिए 13 मील की लम्बाई की नई लाइन बिछाना भी शामिल है। इस पर लगभग 35,000 रुपये की लागत आएगी।

(घ) विभाग की मौजूदा नीति के अनुसार खंड मुख्यालयों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघरों की व्यवस्था तभी की जाती है जब ऐसी योजनाएं लाभ की हों।

(ङ) फिर भी संग्रामपुर में सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने की योजना से विभाग को घाटा होने पर भी इसकी मंजूरी इस बात को दृष्टि में रखते हुए दी गई है कि यह स्थान निकटतम टेलीफोन एक्सचेंज से 25 मील दूर स्थित है और इस प्रकार विभाग की मौजूदा नीति के अनुसार 'दूरस्थ स्थानों' के अन्तर्गत आता है।

पश्चिम बंगाल में कृषि ऋण

519. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 से 1968-69 के बीच 24-परगना जिले (पश्चिम बंगाल) में प्रत्येक थाने के किसानों को प्रतिवर्ष सहकारी तथा विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा कितना अग्रिम कृषि ऋण दिया गया ; और

(ख) 1964-65 से 1968-69 के बीच जिले के प्रत्येक थाने में इसके अन्तर्गत आने वाले किसानों की संख्या कितनी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

लावारिस बच्चे

520. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री समर गुह :

क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास भारत में लावारिस बच्चों के आंकड़े हैं।

(ख) 1965-66 से 1968-69 तक की अवधि में वर्षवार प्रत्येक राज्य में लावारिस बच्चों की कुल संख्या क्या थी ;

(ग) क्या सरकार की उनका पालन-पोषण करने की कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) तथा (ख). भारत में लावारिस बच्चों के सम्बन्ध में कोई सांख्यिकी सर्वेक्षण नहीं किया गया है और इसलिए इस बारे में कोई आधार सामग्री उपलब्ध नहीं है।

(ग) तथा (घ). उपलब्ध वित्तीय साधनों के अनुसार सरकार तथा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा बेसहारा तथा लावारिस बच्चों की देखभाल और पालन-पोषण के लिए गृह तथा अनाथालय चलाए जा रहे हैं।

भारतीय मत्स्य पालन निगम तथा पश्चिम बंगाल मत्स्य पालन निगम

521. **श्री बदरुद्दुजा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मत्स्य पालन निगम तथा पश्चिम बंगाल मत्स्य पालन निगम काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो 1967-68 और 1969-70 में उनके द्वारा किये गये कार्यों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की पश्चिम बंगाल में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस योजना पर अमल किया जा चुका है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस पर कब अमल किया जावेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) अपने प्रारम्भ से ही केन्द्रीय मत्स्य निगम ने मछली विपणन को, मुख्यतया कलकत्ता में, अपने हाथ में लिए हुए है और विकासार्थ जल क्षेत्रों को भी अधिकार में ले रही है। 1967-68 और 1968-69 (30-11-68 तक) के दौरान निगम ने क्रमशः 1108 मीट्रिक टन और 1291 मीट्रिक टन मछलियों की अधिप्राप्ति एवं विपणन किया। निगम ने गुजरात, पश्चिम बंगाल राज्यों में और दामोदर घाटी निगम में कितने ही जलागार अपने आधिपत्य में ले लिए हैं। पश्चिमी बंगाल मत्स्य निगम की गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(ग) से (ङ). सरकारी क्षेत्र में वाणिज्यीय गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए केन्द्रीय सरकार की कोई योजना नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, वाणिज्यीय गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए तीन ट्रोलर्स के साथ, जिनमें एक, 1969-70 में अभिग्रहण के लिए कार्यक्रम में निहित है, एक योजना तैयार कर ली है।

पश्चिम बंगाल की गैर-सरकारी कम्पनियों में कर्मचारियों की छंटनी

522. **श्री श० ना० माइती** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल की कुछ औद्योगिक और व्यावसायिक कम्पनियों ने उसी राज्य के व्यक्तियों की आयोजित ढंग से सेवाएं समाप्त करने की नीति अपनाई है;

(ख) क्या "फिलिप्स इंडिया", "बर्ड एण्ड कम्पनी" और "बासन्ती काटन मिल" ने हाल ही में बड़ी संख्या में अपने कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त किया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त कम्पनियों के प्रबन्धकों ने जिन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की हैं उनके नाम तथा पद क्या हैं; और

(घ) प्रत्येक राज्य में उस राज्य के कर्मचारियों की सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है या की जा रही है तो वह क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (**श्री भागवत झा आजाद**) : (क) किसी यूनियन अथवा किसी संगठन से कोई विशिष्ट शिकायत या आरोप प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 52/69**]

(घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में उल्लिखित प्रक्रिया के अतिरिक्त, कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई है।

चीनी मिलों को गन्ने की सप्लाई

523. **श्री को० सूर्यनारायण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान पेराई काल में 1 नवम्बर, 1968 से 15 जनवरी, 1969 तक विभिन्न

राज्यों में अब तक विभिन्न चीनी मिलों को कितना गन्ना सप्लाई किया गया और वह किन शर्तों तथा दरों पर सप्लाई किया गया;

(ख) गत पेराई मौसम की इसी अवधि (अर्थात् 1 नवम्बर, 1967 से 15 जनवरी, 1968) में विभिन्न राज्यों में विभिन्न चीनी मिलों को कितना गन्ना सप्लाई किया गया और किसानों को किस दर से भुगतान किया गया;

(ग) क्या सरकार को पता है कि कुछ मिल चालू पेराई काल के लिए ठेके के अनुसार सारा गन्ना नहीं ले रहे हैं;

(घ) ऐसी मिलों के नाम क्या हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 53/69]

(ग) और (घ). कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है लेकिन आन्ध्र गन्ना उत्पादक संघ से एक आम शिकायत प्राप्त हुई थी कि आन्ध्र प्रदेश में गन्ना मिल मालिक सारे बन्धक गन्ने को पेरने के लिए मना कर रहे थे।

(ङ) राज्य सरकार से इस मामले की जांच करने के लिए कहा गया था।

आंध्र प्रदेश में नलकूपों का लगाया जाना

524. **श्री द० ब० राजू** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में 1968-69 में कितने नलकूप लगाए गये थे;

(ख) क्या ये नलकूप सरकार द्वारा या व्यक्तिगत रूप से लगाए गये थे और जिलावार ब्योरा क्या है; और

(ग) व्यक्तिगत रूप से नलकूप लगाने के लिए सरकार द्वारा किसानों को क्या वित्तीय सहायता तथा अन्य सुविधाएं दी गई थीं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). आन्ध्र प्रदेश सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दण्डकारण्य परियोजना में बसाये गये भूमिहीन कृषक

525. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य परियोजना में केरल के कितने भूमिहीन कृषकों को पुनः बसाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि उनके रहन-सहन की दशा सन्तोषजनक नहीं है; और

(ग) सरकार द्वारा उनके रहन-सहन की दशा सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) दण्डकारण्य परियोजना में केरल के किसी भी भूमिहीन कृषक को पुनः नहीं बसाया गया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

आन्ध्र प्रदेश में वेलीवीला तथा वडूर में शाखा डाकघर

526. **श्री द० ब० राजू** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में पश्चिम गोदावरी जिले में नरसापुर तालुक में वेलीवीला गांव तथा तानुकुन तालुक में वडूर गांव में शाखा डाकघर खोलने के लिए अनेक अभ्यावेदन किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). वेलीविला गांव में डाकघर खोलने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और पोस्टमास्टर जनरल, हैदराबाद ने वेलीविला गांव में डाकघर खोलने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है ।

वडूर में एक शाखा डाकघर था और किसी भी इच्छुक पार्टी द्वारा देय गैर-वापसी अंशदान की अदायगी न करने के कारण उसको 31-1-1966 को बन्द कर दिया गया । उसके बाद वडूर में डाकघर खोलने के लिए कोई नये अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं । फिर भी पोस्टमास्टर जनरल, आन्ध्र सर्कल को अब प्रस्ताव की फिर से जांच करने के लिए कहा गया है ।

Advisory Committee For Delhi Milk Scheme

527. **Shri Bhola Nath Master :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri N. R. Laskar :
Shri Chengalraya Naidu:
Shri Sita Ram Kesri :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Advisory Committee which had been appointed for Delhi Milk Scheme has been scrapped; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir. The Advisory Committee has been abolished.

(b) There were three Committees, namely, the Governing Body, the Advisory Committee, and the Management Committee. The Governing Body and Advisory Committee had certain overlapping functions. In order to eliminate a multiplicity of committees, the Ministry

abolished the Advisory Committee and retained the Governing Body, and the Management Committee.

This was in accord with a suggestion in the 27th Report of the Public Accounts Committee that Government should evolve a more business like procedure for reviewing the sale price of milk vis-a-vis the purchase price and overhead charges so that it can be suitably adjusted to ensure that the Scheme runs on a no-profit no-loss basis as far as possible.

Co-operative Movement in U. P.

528. **Shri Bhola Nath Master:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the set back to co-operative movement in Uttar Pradesh has been due to bosism, factionalism and party-politics; and

(b) if so, the steps being taken by Government to remove these maladies?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy): (a) and (b). It is not correct to say that in general there has been a set back to the co-operative movement in Uttar Pradesh. However, certain defects and deficiencies of the movement as noticed for the country as a whole were discussed in the Conference of Chief Ministers and Ministers of Co-operation held at Madras in June 1968. The conclusions and recommendations of this Conference have been endorsed to the State Government for suitable action.

Production of Modern Bakeries

529. **Shri Bhola Nath Master:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the Modern Bakeries set up by Government have established new records of production and trade;

(b) the target fixed by them, the quantum of production exceeding the target and the net profit earned by them; and

(c) the scheme drawn up by the bakeries at Ahmedabad, Bombay, Cochin, Madras and Delhi for the sale of bread so as to ensure that the common people are also in a position to get the bread prepared by these factories?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) The Modern Bakeries have produced 27.64 lakhs (in terms of 400 grams each) during January, 1969 which is a record production for the Company.

(b) The target fixed by them for 1968-69 was 29 million standard loaves. The total production and profit during the year will be known only when the accounts are finalized after the close of the financial year.

(c) Modern Bread manufactured by the Company at the various Units is widely distributed through a large number of retailers to ensure its proper distribution to the common man. There is also a proposal to manufacture smaller loaves (75 grams) which will specifically meet the demand from the poorer sections of the community.

Food Procurement by F. C. I. in Madhya Pradesh

530. **Shri Bhola Nath Master:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Food Corporation of India have suffered a loss of Rs. 17 lakhs in Madhya Pradesh in their procurement programme last year; and

(b) whether the loss has occurred due to a large amount having been paid in advance to the persons who were appointed as agents for procurement purposes but whereabouts of most of whom are not now known ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Imported Fertilizers Lying Unsold in Bihar

531. **Shri Ram Avtar Sharma:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that chemical fertilizers worth Rs. 3.50 crores imported from abroad are lying unsold in Bihar State for the past one year ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action being taken against the officers responsible therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (c). The requisite information has been called for from the State of Bihar and will be submitted to the Sabha when received.

1968-69 में कृषि उत्पादन

532. **श्री रवि राय :**
श्री सोमचन्द सोलंकी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 में कृषि का राज्यवार उत्पादन कितना है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख). चालू वर्ष 1968-69 में विभिन्न राज्यों में कृषि उत्पादन के पक्के अनुमान कृषि वर्ष के पूरा होने पर अर्थात् जुलाई-अगस्त, 1969 तक उपलब्ध होने की संभावना है।

Gularbhoj and Dilawari Gosadans

533. **Shri Ram Gopal Shalwale:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have under consideration the proposal to hand over the Gularbhoj and Dilawari Gosadans to Governments of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh respectively;

(b) whether Dilawari Gosadan is undergoing a loss of Rs. 25-30 thousand every year and it has not been in a position to stand on its own legs so far;

(c) whether it is also a fact that Sardar Datar Singh had promised to run the Gosadan without any assistance six years ago and whether the promise has not been fulfilled so far and the loss is increasing every year; and

(d) if so, whether Government would examine the question of taking back the management from Sardar Datar Singh?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) It has since been decided to transfer the control of both the gosadans to the respective State Governments. The State Government of Uttar Pradesh has already been approached in the matter and the State Government of Madhya Pradesh is being approached.

(b) The administrative control of Dilawari Gosadan was taken up in November, 1963 and the details of expenditure incurred and receipts realised since then are given in the statement laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-54/69]**

(c) The Council organised Gosamardhana Seminar at Mount Abu in 1960. The working of the Gosadan Scheme was reviewed at the Seminar and it was felt that in the absence of any other suitable scheme for segragation and maintenance of unproductive cattle the Gosadan scheme provided the only solution and accordingly made recommendations for taking steps for the furtherance of the scheme. Subsequently, the Council decided that the administrative control of Gularbhoj gosadan which was set up by the Government of India on the recommendation of the Council should be taken over from the Munshi Land Institute and the same should be run directly by the Council. The Gosadan was placed under the charge of Sardar Datar Singh with effect from 1-10-61. The working of this Gosadan proved that Gosadans could be run economically and Sardar Datar Singh offered to run the Dilawari Gosadan on self supporting basis as far as possible and the administrative control of Dilawari Gosadan was also taken by the Council in November, 1963. While it has been possible to run the Gularbhoj Gosadan more or less on self-supporting basis it has not yet been possible to achieve this objective in the case of Dilawari Gosadan. The loss in the case of Dilawari Gosadan has been decreasing.

(d) It has since been decided to transfer the administrative control of Gularbhoj and Dilawari Gosadans to the Government of U. P. and Madhya Pradesh respectively.

Rejection of Votes

534. **Shri Prakash Vir Shastri:** Will the Minister of **Law** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an allegation has been made in Rajasthan High Court and

in the Supreme Court against an officer concerned for rejecting the votes in an irregular manner during the course of voting in the Elections for Vidhan Sabha constituency of Merta;

(b) whether it is also a fact that both the High Court and the Supreme Court have upheld the allegation; and

(c) if so, the action being taken to ensure that such irregularities are not committed in future elections?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) In the judgment of the High Court of Rajasthan dated the 22nd August, 1967 in Election Petition No. 1 of 1967—Nathu Ram Mirdha vs. Gordhan Soni and S. D. Arya (the Returning Officer), severe strictures were passed against the Returning Officer. On appeal by the petitioner, Shri Mirdha, to the Supreme Court, serious irregularities were noticed by the Supreme Court also and the petition was remanded to the High Court for recounting of the ballot papers. After the disposal of the case by the Supreme Court, the Commission had directed that in the Character Roll of the Officer the following remarks may be recorded:—

"Unfit to be entrusted with any election work involving responsibility."

The Commission also decided that in future this officer would not be appointed in connection with any election work, and the appointment, if any, held by him as returning officer, assistant returning officer or electoral registration officer should be cancelled forthwith. At the instance of the Election Commission, the State Government initiated disciplinary proceedings against the officer and suspended him from 19th December, 1968. In the meantime, the petitioner filed an appeal before the Supreme Court of India against the judgment of the High Court of Rajasthan, dated the 8th October, 1968. In view of the above appeal, Shri Arya submitted an application to the Government of Rajasthan for stay of disciplinary proceedings against him. The Government of Rajasthan, after consulting the Election Commission, revoked on 23rd January, 1969, the order of suspension against the officer.

पाकिस्तान में भारतीय बस्तियों के निवासियों द्वारा जिलाधीश, जलपाईगुड़ी के कार्यालय के सामने प्रदर्शन

535. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान राज्य क्षेत्र में भारतीय बस्तियों में रहने वाले 200 से अधिक लोग इन बस्तियों में दु:खी भारतीयों के पुनर्वास की अपनी मांगें मनवाने के लिए 13 जनवरी को जलूस में आये थे और उन्होंने जलपाईगुड़ी जिलाधीश के कार्यालय के सामने 1 घण्टे तक प्रदर्शन किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय बस्तियों से विस्थापित

लगभग 50/60 व्यक्ति 13 जनवरी, 1969 को जलपाईगुड़ी जिलाधीश के कार्यालय के सामने आये थे।

(ख) यह निश्चय किया गया है कि भारतीय बस्तियों के प्रस्तावित हस्तान्तरण के फल-स्वरूप प्रभावित हुए व्यक्तियों को पुनर्वास के सम्बन्ध में उसी स्तर पर सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। जिस पर कि पूर्वी पाकिस्तान से आये नये प्रवासियों को दी जाती हैं।

समाज-कल्याण बोर्ड को सांविधिक दर्जा दिया जाना

536. **श्री श्रीनिवास मिश्र :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समाज-कल्याण बोर्डों को सांविधिक दर्जा देने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित दर्जे की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन बोर्डों को कोई अन्य कानूनी दर्जा देने का है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने केन्द्रीय समाज-कल्याण बोर्ड को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन एक पुण्यार्थ कम्पनी के रूप में रजिस्टर करने का निर्णय किया है।

केन्द्र और राज्यों के बीच सम्बन्ध

537. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने हाल ही में प्रशासनिक सुधार आयोग को बताया है कि केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों के बारे में संविधान में किसी व्यवस्था का उपबन्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो यह अर्थ किन कारणों से और किन आधारों पर निकाला गया है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : (क) हाल के महीनों में ऐसी कोई संसूचना नहीं भेजी गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Telephone Service in Bargarh, District Banda (Uttar Pradesh)

539. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that telephone service has not been provided in Bargarh in District Banda, U. P.;

(b) whether it is also a fact that Bargarh is a station of the Central Railway and trade of sand used for manufacturing glass is carried on there on a large scale and a marketing centre as well as a police station are also located there ; and

(c) if so, whether telephone service would be provided there ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Proposal to provide Telephone service at Bargarh is under examination.

मध्य प्रदेश में अनुसूचित आदिम जातियां

540. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में अनुसूचित आदिम जातियों का आर्थिक, शिक्षा और सामाजिक विकास संतोषजनक है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश का समस्त अनुसूचित आदिम जाति क्षेत्र अनुसूचित आदिम जाति विकास खंडों के अन्तर्गत आता है;

(ग) यदि नहीं, तो इस पूरे क्षेत्र के कब तक इसके अन्तर्गत आने की सम्भावना है;

(घ) क्या मध्य प्रदेश के सब अनुसूचित आदिम जाति गांवों में कुओं की व्यवस्था की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसा कब तक किया जायेगा ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) हां, श्रीमान; विकास समय-समय पर किए गए विनिधानों के अनुसार है।

(ख) तथा (ग). ऐसे क्षेत्र, जिनमें आदिम जातीय जनसंख्या $66\frac{2}{3}\%$ तथा उससे अधिक है उनके अन्तर्गत ले लिए गए हैं। अन्य क्षेत्रों में खण्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) तथा (ङ). पिछड़े वर्ग क्षेत्र में कुंओं के लिए कोई विस्तृत कार्यक्रम नहीं है। यह ऐसा विषय है, जिस पर जन स्वास्थ्य क्षेत्र के अधीन राज्य सरकार को कार्यवाही करनी होती है।

हरी खाद उगाने के लिये निशुल्क जल की सप्लाई

541. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरी खाद उगाने के लिये कौन-कौन से राज्य निःशुल्क अथवा रियायती दर पर पानी दे रहे हैं; और

(ख) प्रत्येक राज्य द्वारा दी गई रियायतों का ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख). पूछी गई राज्यवार जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 55/69]

मध्य प्रदेश में आदिम जातीय लोग

542. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम, महाराष्ट्र तथा गुजरात की तुलना में मध्य प्रदेश के आदिम जातीय लोगों में कितनी प्रतिशत शिक्षा है;

(ख) इस विषमता के क्या कारण हैं;

(ग) मध्य प्रदेश के आदिम जातीय लोगों के लिये अब तक होस्टल आवास की कितनी व्यवस्था की गई है और उनके लिये कितने होस्टल हैं;

(घ) क्या मध्य प्रदेश में आदिम जातियों के लिये और अधिक होस्टल आवास की व्यवस्था करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) तथा (ख). 1961 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश, आसाम, महाराष्ट्र तथा गुजरात में अनुसूचित आदिम जातीय लोगों में साक्षरता की प्रतिशतता क्रमशः 5.10, 23.58, 7.21 तथा 11.69 है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तथा एक आदिम जाति से दूसरी आदिम जाति में सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां भिन्न-भिन्न हैं।

(ग) 715 होस्टल जिनमें 18140 स्थान हैं।

(घ) तथा (ङ). चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में और होस्टलों की व्यवस्था की गई है।

केन्द्रीय किस्म अनुमोदन समिति द्वारा नई संकर किस्म के बीजों का वितरण

543. **श्री शिव चन्द्र झा** :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय किस्म अनुमोदन समिति ने मक्का, ज्वार, बाजरा, आलू और चावल के नये संकर बीज देश में साधारण खेती के लिये देने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो पहले बीजों की तुलना में नई किस्मों के बीजों के मुख्य लाभ क्या हैं और उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) किन-किन राज्यों में खेती के लिये इन नई किस्मों के बीजों का प्रयोग करने की सिफारिश की गई है और इसके परिणामस्वरूप उपज में प्रति एकड़ कितनी वृद्धि होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 56/69]

प्रधान मंत्री द्वारा निर्वाचन प्रचार

544. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने मध्यावधि निर्वाचन प्रचार के लिये बिहार का सामान्य रूप से तथा दरभंगा जिले (बिहार) का विशेष रूप से दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन-किन विशिष्ट स्थानों पर सार्वजनिक सभाओं में भाषण दिये तथा सरकार द्वारा उन सभाओं के लिये किस प्रकार के प्रबन्ध किये गये तथा उन सभाओं पर सरकार द्वारा कुल कितना धन खर्च किया गया;

(ग) क्या उन्होंने दरभंगा जिले (बिहार) के बेहरा निर्वाचन क्षेत्र में बेहीपुर के स्थान पर निर्वाचन सम्बन्धी सार्वजनिक सभा में भाषण दिया तथा क्या उस सभा में किसी प्रकार का उपद्रव हुआ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : (क) से (घ). जानकारी संगृहीत की जा रही है ।

Flour Mill in Tikamgarh, M. P.

545. **Shri Nathu Ram Ahirwar**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Madhya Pradesh have issued a licence for opening a flour mill in the private sector in Tikamgarh District (Niwari Tehsil);

(b) whether it is also a fact that the approval of the Central Government to open the said flour mill has been sought; and

(c) the time by which it is likely to be approved by the Central Government ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). Information has been sought from the State Government and the same will be laid on the Table of the Sabha when received.

(c) Does not arise at this stage.

Telephone Connections in Tikamgarh (Madhya Pradesh)

546. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of persons in Tikamgarh (Madhya Pradesh) who had deposited money for getting telephone connections six months ago ;

(b) whether it is a fact that telephone connections have not been given to them even after the required fee has been deposited therefor ; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) One.

(b) Yes.

(c) The connection is a long distance one requiring erection of a new line 9, Km in length, The formalities for sanctioning of estimate for the new line and obtaining of the requisite stores have been completed. The connection is expected to be provided in March, 1969.

Unemployment as a Result of Automation

547. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of workers rendered jobless so far as a result of automation in the private and public sector industries ; and

(b) the number of workers whose work is completed by an automatic machine per hour ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) According to available information, no worker has been rendered jobless.

(b) There is no such fixed measure.

Candidates for Mid-term Elections

548. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Law** be pleased to state .

(a) the number of candidates left in the field to contest mid-term elections in West Bengal, Bihar, Uttar Pradesh and Punjab, separately ;

(b) the party-wise break-up thereof in each State ;

(c) the party-wise break-up of those elected ; and

(d) the State-wise and party-wise number of those who forfeited their security-deposits ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem) : (a) to (c). Four Statements (Annexures I, II, III and IV) are laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-57/69]**

(d) The information is being collected.

Telephone Advisory Committees in Patna and Ranchi

549. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Telephone Advisory Committees have been set up for providing facilities to telephone users in Patna and Ranchi in Bihar ;

(b) if so, the basis of selection of its members and the names thereof ;

(c) whether any improvement was made in the service during the last two years ;

(d) if so, the details thereof ;

(e) the number of new connections given in these two cities, separately, as also the category to which they belong ;

(f) whether any difficulties were experienced in the sittings of such Committees ;

(g) if so, the nature thereof ; and

(h) the steps proposed to be taken to remove them ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes.

(b) Suggestions are invited from the State Governments and Organisations of the interests represented on the Committees. Nominations are thereafter made by the Minister at his discretion.

A list of members of the Telephone Advisory Committee at Patna and Ranchi is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-58/69]**

(c) Yes.

(d) There has been marked improvement in the telephone system in the matter of prompt clearance of faults, reduction in subscriber complaints and higher percentage of effective trunk calls.

(e) The number of connections sanctioned by T. A. C. during the last two years ending 31-12-68 has been as under :

	Patna	**Ranchi**
Special Category	257	78
General Category (including O.Y.T.)	899	203

(f) No.

(g) and (h). Do not arise.

Income and Expenditure on Telephones in Patna

550. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the total number of persons having telephones in Patna ;

(b) the annual income therefrom during the last five years and the annual expenditure on providing this service by Government ;

(c) whether telephones service at Patna is running at profit or loss and the annual amount thereof; and

(d) the action proposed to be taken by Government to reduce the loss or increase the profit as the case may be?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) 6388 on 31-1-69.

(b) The amount billed by the Patna Telephones during the last five years is indicated below :—

1963-64	Rs. 31.91 lakhs.
1964-65	Rs. 35.50 lakhs.
1965-66	Rs. 42.11 lakhs.
1966-67	Rs. 61.56 lakhs.
1967-68	Rs. 68.79 lakhs.

It is not possible to furnish the figures of expenditure as expenditure for various cities is not booked separately.

(c) The rules of the Department provide that a profit and loss account should be maintained in proforma in respect of the four branches of the Deptt., viz. Postal, Telegraphs, Telephones and Radio and not in respect of a particular service at a particular station.

(d) Does not arise.

Arrears of Telephone Bills in Patna

551. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the total arears of telephone bills outstanding against the telephone subscribers in Patna as on the 31st March, 1967 ;

(b) the break up of the arrears in respect of the Central and State Governments, traders and general public ;

(c) the amount of the said arrears that has been recovered since the 1st April, 1967 to the 31st January, 1969 and the amount yet to be recovered separately ;

(d) whether it is a fact that large arrears are still outstanding against some political leaders and traders ;

(e) if so, the names thereof ; and

(f) the action taken by Government so far to recover the arrears from them ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Rs. 11.26 lakhs.

(b) Central Government	Rs. 1.58 lakhs.
State Government	Rs. 3.86 lakhs.
Private (including traders and general public)	Rs. 5.82 lakhs.
(c) Recovered (upto 30-11-68)	Rs. 8.11 lakhs.
Still to be recevered (as on the same date)	Rs. 3.15 lakhs.

(d) and (e). The accounts are maintained telephone number wise and not according to categories like political leaders, traders, etc. The information is thus not readily available.

(f) The action prescribed in the rules in respect of defaulting subscribers is being taken for recovery of outstanding bills, irrespective of the profession or occupation of the subscriber.

टायर निर्माण करने वाली कम्पनियों का बन्द होना

552. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 5 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3452 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिक संकट के कारण टायर निर्माण करने वाली कम्पनियों के निरंतर बन्द होने से सरकार का इस विवाद को सुलझाने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार है;

(ख) क्या उत्पादन में भारी कमी को देखते हुए जिससे दोनों सरकारी तथा गैर-सरकारी परिवहन प्रभावित हुए हैं और सारे देश में चोर-बाजारी हुई है, सरकार अपना यह उत्तरदायित्व समझती है कि वह राज्य सरकारों को यह सलाह दे कि वे विवाद को न्याय निर्णय के लिये भेजें और हड़ताल समाप्त करायें; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल और 'रागी' का क्रय करना

553. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम व्यापारिक मूल्यों पर चावल और रागी की कितनी मात्रा खरीदेगा और किन क्षेत्रों से ऐसी खरीद की जाएगी;

(ख) वसूली मूल्य और वर्तमान व्यापारिक मूल्य में अन्तर की प्रतिशतता क्या है; और

(ग) वसूली मूल्य देने वाले और व्यापारिक मूल्य देने वाले के बीच भेद रखने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम के अभी तक चालू खरीफ मौसम में चावल और रागी की वाणिज्यिक मूल्यों पर कोई खरीदारी नहीं है और न ही सीजन के शेष भाग में ऐसी कोई खरीदारी करने का विचार ही है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

समाचार-पत्रों के लिये डाक-दरें

554. **श्री लोबो प्रभु :**
श्री यशपाल सिंह
श्री सेझियान :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री देवराव पाटिल :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक डाक दरें लागू किये जाने के बाद बहुत से समाचार-पत्रों का नमूना सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) सरकार ने दक्षिणी क्षेत्र के सार्वजनिक सूचना के मंत्रियों की इस सिफारिश पर कि समाचार-पत्रों के लिए डाक दरें घटाई जायें, क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या सरकार का विचार डाक-दरों में संशोधन करने के कारण थोड़ी आय के लिए हल्के कर लगाने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां। डाक द्वारा भेजे जाने वाले समाचार-पत्रों की संख्या का नमूना सर्वेक्षण किया गया है।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक के अगस्त महीने के एक-एक सप्ताह के दौरान डाक द्वारा भेजे गए समाचार-पत्रों की संख्या का विवरण-पत्र सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 59/69] समाचार-पत्रों की डाक-दरों में 15 मई, 1968 को संशोधन किया गया था। इस विवरण से यह देखा जा सकता है कि अगस्त 1968 की गणना के आकड़ों से डाक द्वारा भेजे गए समाचार-पत्रों में कोई विशेष कमी नहीं हुई।

(ग) ये सिफारिश 17 फरवरी, 1969 को प्राप्त हुई है और इसकी जांच की जा रही है।

(घ) जी नहीं, डाक-दर कोई कर नहीं है, बल्कि डाक-तार विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली लागत की पूर्ति करने का शुल्क है।

मनीपुर लोक निर्माण विभाग में कर्मचारियों की छंटनी

555. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर लोक निर्माण विभाग के लगभग 400 कर्मचारियों की छंटनी के प्रश्न को लेकर मनीपुर लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के दो संघों से मामले को न्यायाधिकरण को सौंपने के लिए कोई-प्रार्थना प्रत्र प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विवाद को न्यायाधिकरण को सौंपने में हुए विलम्ब का क्या कारण है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को छात्रवृत्तियां देने के लिये आय की न्यूनतम सीमा

556. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को शिक्षा शुल्क से छूट तथा छात्रवृत्ति देने के लिये वार्षिक न्यूनतम आय को 3600 रुपये की बजाय 5000 रुपये करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) तथा (ख). अधिकतम आय सीमा 6,000 रुपये प्रति वर्ष पहले ही विहित की जा चुकी है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

557. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन परियोजनाओं का ब्योरा क्या है जिन्हें इस समय विश्व खाद्य कार्यक्रम से सहायता मिल रही है;

(ख) सहायता की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने किन्हीं पुरानी अथवा नई परियोजनाओं के लिये और सहायता देने के लिये विश्व खाद्य कार्यक्रम से प्रार्थना की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) उन परियोजनाओं का ब्योरा जिन्हें इस समय विश्व खाद्य कार्यक्रम से सहायता मिल रही है अनुबन्ध I में दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 60/69]

(ख) खाद्य तथा खाद्य पदार्थों के रूप में विश्व खाद्य कार्यक्रम सहायता भारत में सुपुर्दगी-बन्दरगाह पर मुफ्त प्राप्त होती है।

(ग) तथा (घ). भारत सरकार ने सात परियोजनाओं हेतु सहायता के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम से प्रार्थना की है जिसका ब्योरा अनुबन्ध II में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 60/69]

Scheme for Rehabilitation of Landless People in Kumaon Region

559. **Shri J. B. S. Bist :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3149 on the 5th December, 1968 and state :

(a) whether Government have constituted a high-powered commission under the Chairmanship of Shri B. D. Sanwal for rehabilitating in Tarai area the landless persons of Kumaon area (Uttar Pradesh) ;

(b) if so, the terms reference of the said Commission and the date by which it has been asked to submit its final report ; and

(c) whether provision for special funds and land would be made in the Fourth Five Year Plan to solve the said problem and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The Government of Uttar Pradesh appointed a Committee under the Chairmanship of Shri B. D. Sanwal to assess the extent and nature of the problem of landless persons and the availability of land in Tarai District of Uttar Pradesh. The Committee was not appointed for rehabilitating the landless persons but for assessing the problems and suggesting procedure which should be adopted for allotting the land to most deserving landless persons in the State of Uttar Pradesh.

(b) The terms of reference of the Committee are being obtained and will be placed on the Table of the Sabha as early as possible. The Committee was asked to submit its final report by the 15th February, 1969.

(c) The Government of Uttar Pradesh will take appropriate decision only after considering the report of the Committee.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

राजस्व प्राप्तियां 1968 सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) (हिन्दी संस्करण)

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं श्री मोरारजी देसाई की ओर से राजभाषा अधिनियम, 1963 की उपधारा 3 (दो) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियां, 1968 संबंधी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन(सिविल) (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०** 28/69]

पश्चिमी बंगाल पंचायत अधिनियम तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं ;

(1) पश्चिमी बंगाल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 20 फरवरी, 1968 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित पश्चिमी बंगाल पंचायत अधिनियम, 1957 की धारा 120 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) अधिसूचना संख्या 7474-पंच जो दिनांक 26 दिसम्बर, 1968 के कलकत्ता राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा जिसके द्वारा पश्चिमी बंगाल पंचायत नियम, 1958 में कतिपय संशोधन किये गये ।

(दो) अधिसूचना संख्या 7518-पंच जो दिनांक 26 दिसम्बर, 1968 के कलकत्ता राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा जिसके द्वारा पश्चिमी बंगाल अंचल और ग्राम पंचायत (लेखा और लेखा परीक्षा) नियम, 1959 में कतिपय संशोधन किये गये ।

(2) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 1968 (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) (1968 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 38) की एक प्रति जो दिनांक 28 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०** 29/69]

यू० पी० एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत यू० पी० एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1967-68 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०** 30/69]

(2) पशु कल्याण बोर्ड (प्रशासन) नियम, 1962 के नियम 24 के उपनियम (4) के अन्तर्गत पशु कल्याण बोर्ड के वर्ष 1967-68 के लेखापरीक्षित लेखे की एक प्रति । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०** 31/69]

(3) (एक) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 25 फरवरी, 1968 की उद्घोषणा के, दिनांक 15 अप्रैल, 1968 की उद्घोषणा द्वारा परिवर्तित रूप में, खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित उत्तर प्रदेश जोतों की अधिकतम सीमा नियत करना अधिनियम, 1960 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जोतों की अधिकतम सीमा नियत करना (पहला संशोधन) नियम, 1967 (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 16 सितम्बर, 1967 के उत्तर प्रदेश के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 312/ आई-ए—12-1-65 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०** 32/69]

(4) बिहार राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रपति के निम्नलिखित अधिनियमों (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) बिहार भूमि सुधार (मान्यकरण) अधिनियम, 1969 (1969 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 2) जो दिनांक 16 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(दो) रांची जिला ताना भगत रैयत कृषि भूमि प्रत्यावर्त्तन (संशोधन) अधिनियम, 1969 (1969 का राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 3) जो दिनांक 16 जनवरी 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-33/69]

(तीन) छोटा नागपुर पट्टेदारी (संशोधन) अधिनियम, 1969 (1969 का राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 4) जो दिनांक 25 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(चार) बिहार पट्टेदारी (संशोधन) अधिनियम, 1969 (1969 का राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 7) जो दिनांक 7 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 33/69]

संघ राज्य क्षेत्रों और नेफा के प्रशासन के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (के० एस० रामास्वामी) : मैं श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से संघ राज्य क्षेत्रों और नेफा के प्रशासन के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग के

प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 34/69]

भारतीय तार अधिनियम तथा संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय तार यंत्र अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) भारतीय तारयंत्र (नवां संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 11 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 57 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 58 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय तारयंत्र (पहला संशोधन) नियम, 1969 जो दिनांक 18 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 98 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 99 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे।

(2) संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) डाक तथा तार विभाग खाई खोदने की मशीनों के लिए आपरेटर एवं मैकेनिक भर्ती नियम, 1968 जो दिनांक 23 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2037 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) डाक तथा तार डाक सवार भर्ती नियम, 1968 जो दिनांक 7 दिसम्बर 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2120 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) डाक तथा तार विभाग डाक मशीन सहायक (श्रेणी 3) भर्ती नियम, 1968 जो दिनांक 7 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2121 में प्रकाशित हुए थे।

[**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०** 35/69]

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 36 के अन्तर्गत पत्र

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं श्री स० चु० जमीर की ओर से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1966-67 के लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) कर्मचारी राज्य बीमा निगम का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन।
[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० 36/69]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मुहम्मद यूनस सलीम) : मैं

(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) एस० ओ० 4388 जो दिनांक 7 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पांडिचेरी के संबंध में संसदीय तथा विधान सभा के निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1966 में कतिपय शुद्धियां की गई।

(दो) एस० ओ० 4657, जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा नागलैंड राज्य के सम्बन्ध में संसदीय तथा विधान सभा के निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1966 में कतिपय शुद्धियां की गईं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 37/69]**

(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उपधारा (3) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) निर्वाचनों का संचालन (तीसरा संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 20 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4542 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) एस० ओ० 269 जो दिनांक 16 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनमें दिनांक 20 दिसम्बर, 1968 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4542 का शुद्धिपत्र दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 38/69]**

(3) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन उत्तर प्रदेश हिन्दू लोक धार्मिक संस्थाएं

(सम्पत्तियों के विक्षेप का निवारण) (अस्थायी शक्तियां) जारी रखना अधिनियम, 1968 (1968 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 36) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 13 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल०टी० 39/69**]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

तैंतालिसवां प्रतिवेदन

श्री भालजी भाई रावजी भाई परमार (दोहद) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का तैंतालिसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

सड़सठवां प्रतिवेदन

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : मैं रेलवे मंत्रालय—वाणिज्यिक तथा अन्य संबंधित विषय–रेलवे कर्मचारियों को प्राप्त यात्रा सम्बन्धी रियायतों–के बारे में प्राक्कलन समिति के 29वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में प्राक्कलन समिति का 67वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

चालिसवां प्रतिवेदन

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : मैं विनियोग लेखे (डाक तथा तार), 1966-67 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (डाक तथा तार), 1968 के बारे में लोक लेखा समिति का 40वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

चौबीसवां प्रतिवेदन

श्री गु० सिं० ढिल्लों (तरनतारन) : मैं इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (रिफाइनरीज डिवीजन) के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (तीसरी लोक सभा) के 36 वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का 24वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

मंत्रि-परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव—जारी

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS—Contd.

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : काफी समय के बाद किन्हीं विशेष बातों को लेकर यहां पर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। सबसे पहले मैं उनको बधाई देना चाहती हूं, जो इन चुनावों में सफल हुए हैं। हम यह अवश्य चाहते थे कि कांग्रेस की जीत हो, परन्तु हमें जनता का निर्णय मंजूर है। इस सभा में तथा विधान सभाओं में जो लोग चुन कर आये हैं उन्हें यह महसूस नहीं करना चाहिये कि हम उनकी उपस्थिति पर खुश नहीं हैं। इसके विपरीत हम उनका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि वे इस सभा तथा विभिन्न विधान सभाओं की कार्यवाही में मूल्यवान योगदान देंगे।

श्री वाजपेयी ने कहा कि मैंने चुनावों के दौरान उनके दल को गालियां दी हैं। मुझे खुशी है कि उन्होंने इस बारे में सही दृष्टिकोण अपनाया है अर्थात् "हम गालियों का बुरा नहीं मानते।" मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि मैंने उनके दल या किसी अन्य दल को गालियां नहीं दीं। हां, मैंने उनके दल तथा अन्य दलों की कुछ बातों के बारे में, जो मेरे विचार में राष्ट्रीय हित में नहीं हैं, कड़े शब्द अवश्य ही कहे थे। और वह है साम्प्रदायिकता। इसके बारे में मैं बाद में कहूंगी।

श्री दाण्डेकर के विरुद्ध मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि उन्होंने इंगलैण्ड के एक ऐसे समाचार-पत्र अर्थात् "डेली एक्सप्रेस" से उद्धरण दिया है जो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व तथा उसके बाद भी बराबर भारत-विरोधी दृष्टिकोण अपनाता रहा है।

इस प्रस्ताव के प्रस्तावक महोदय का मुख्य प्रश्न 'सेनाओं' के बारे में था। चुनावों के दौरान मैंने अपने भाषणों में कुछ दलों के साम्प्रदायिक पहलू की ही निन्दा नहीं की थी अपितु जातिवाद, क्षेत्रवाद या संकीर्णता को बढ़ावा देने वाले रवैये की कटु आलोचना की थी। किसी भी भारतीय को चाहे वह भारत के किसी भी हिस्से में रहता हो यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उसको किसी अन्य नागरिक के बराबर अधिकार नहीं हैं। चाहे वह भारत के किसी भी हिस्से में रहना चाहे उसे यह स्वतंत्रता होनी चाहिए। बम्बई, तेलंगाना तथा भारत के अन्य हिस्सों में हाल में जो कुछ हुआ है वह बहुत निन्दनीय है और उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। मैंने शिव सेना तथा ऐसी अन्य सेनाओं की विभिन्न अवसरों पर निन्दा की है। मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि ऐसे आन्दोलन देश के विकास, प्रगति तथा एकता के लिए भारी खतरा हैं।

कल गृह-मंत्री ने इन अनुचित आरोपों का विस्तार से खण्डन किया था कि इस मामले में राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार ने चुप्पी साध रखी है या कोताही की है। हमेशा यह फैसला करना आसान नहीं है कि कब कार्यवाही की जानी चाहिए। हमारी कठिनाई यह है कि यदि पहले से ही कोई कार्यवाही की जाये तो माननीय सदस्य कहेंगे कि ऐसा करने का औचित्य क्या था। परन्तु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि हमने इस मामले को समाप्त हुआ नहीं समझा है। हमें

अब यह विचार करना है कि इससे कैसे निपटा जाये। परन्तु यह एक ऐसा मामला है जिससे सरकार अकेली नहीं निपट सकती। यह एक ऐसा मामला है जिसमें हम सबको अपने दिलों को टटोलना चाहिए। आज जबकि कई राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें बनी हुई हैं, प्रत्येक दल का योगदान महत्वपूर्ण हो गया है। प्रश्न यह नहीं है कि कौन सत्तारूढ़ है। प्रश्न इस बात का है कि जो हल निकाला गया है उसके प्रति लोगों का दृष्टिकोण क्या है। क्योंकि जब कोई दल स्थिति का अनुचित लाभ उठाना चाहता है, तो दल चाहे कितना ही अच्छा हो वह स्थायी दल नहीं हो सकता। इससे नई समस्याएं ही उत्पन्न होती हैं।

मुझे खेद है कि इस आन्दोलन के साथ शिवाजी का नाम जोड़ा जा रहा है। शिवाजी केवल महाराष्ट्र के ही नहीं अपितु सारे राष्ट्र के नेता थे। इसी तरह आसाम के सरदार लचित भी देश के एक महान व्यक्ति थे। इसलिए उनका नाम देश के किसी छोटे से भाग के साथ जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। बम्बई में सब सम्प्रदायों के व्यक्ति रहते हैं। देश के विभिन्न भागों से आकर लोग वहां बस गये हैं और उन्होंने अपना धन तथा योग्यता इस नगर की समृद्धि में लगाया है। यदि किसी को ऐसे बड़े नगरों से दूर रखने के लिये कोई आन्दोलन चलाया जाता है तो उससे उन नगरों को ही हानि होगी।

हमें यह याद रखना चाहिए कि पुलिस वाले भारतीय हैं, वे कोई विदेशी नहीं हैं। उनमें से अधिकतर गरीब परिवारों से होते हैं। इसलिए हम सबको इस तरह का वातावरण पैदा करने में सहायता करनी चाहिए जिससे वे अधिक मित्रतापूर्ण रवैया अपना सकें। उनके रवैये में पहले ही काफी परिवर्तन आ गया है। उन्हें कानून और व्यवस्था कायम रखने के साथ लोगों की सहायता करने का भी बराबर प्रशिक्षण दिया जाता है।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : इन्द्रप्रस्थ भवन में पुलिस ने जो कुछ किया, क्या उससे आप संतुष्ट हैं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जी, नहीं। इस बारे में हमने सभा में काफी कुछ कहा है। ऐसा कई अवसरों पर हुआ है।

श्री नाथपाई बड़े दयार्द्र भाव से बोले हैं और मैं उससे बहुत प्रभावित हुई हूं। मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहती क्योंकि संकीर्ण विचारधारा वाले तत्व हम सब में मौजूद हैं। कुछ दल समझते हैं कि केवल कुछ लोग ही आदमी हैं और शेष आदमी नहीं हैं। देश में अब भी बहुत से लोग साम्प्रदायिक भावना, जातिवाद, क्षेत्रवाद आदि के शिकार हो जाते हैं। मैंने चुनावों के दौरान, इस सभा में या अन्य कहीं पर भी यह नहीं कहा है कि कांग्रेस में कोई दोष नहीं है। परन्तु हम शुरू से ही इन विघटनकारी प्रवृत्तियों का मुकाबला करने के लिए संयुक्त प्रयास करते रहे हैं। ऐसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने की बजाय उन्हें राष्ट्र को मजबूत बनाने में लगाया जाना जाहिये।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : सिद्धान्तों का बखान करने की बजाय उन्हें बताना चाहिए कि सरकार कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : सरकार ने बहुत सी चीजें की हैं। जब भी कोई घटना घटी है गृह-मंत्री या अन्य सम्बधित मंत्री ने उस पर विस्तार से प्रकाश डाला है और प्रत्येक सदस्य को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया गया है। मैं इस समय इन बातों के विस्तार में नहीं जाना चाहती। हम सबको इसे राष्ट्रीय समस्या मानकर इसका हल ढूंढ़ने में सहयोग देना चाहिये।

मैं महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्रियों से बराबर सम्पर्क बनाए हुए हूं और वहां जो कुछ हो रहा है, उसका पता लगाती रही हूं। वे सभी कदम उठा रहे हैं। बहुतसी समस्याएं अभी हल की जानी हैं। मैं यह नहीं कहती कि सब समस्याएं हल हो गई हैं। कोई भी हल सबको मान्य नहीं हो सकता इसलिए हमें सबके सहयोग की आवश्यकता है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : First cooperate with us. No new house need be constructed for the Prime Minister. Crores of people are homeless in this country.

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना भाषण देने दिया जाये। माननीय सदस्य उन्हें बीच-बीच में इस तरह नहीं रोक सकते।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहती थी। माननीय सदस्यों को पता है कि मैं एक काफी छोटे मकान में प्रशन्नता से रह रही हूं। परन्तु मैं नहीं समझती कि वह प्रधान मंत्री के स्थायी निवास-स्थान का काम दे सकता है। क्योंकि प्रधान मंत्री से जो लोग मिलने आते हैं, उन्हें उस छोटे से मकान में बड़ी असुविधा होती है। मैं बड़े आदमियों की बात नहीं कह रही हूं। बहुत से संसद् सदस्यों ने मुझसे इस बारे में शिकायत की है। प्रस्ताव कोई बड़ा मकान बनाने का नहीं है। ऐसा मकान बनाने का प्रस्ताव है जो इस महान देश के प्रधान मंत्री के कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिये काफी हो।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : क्या हम यह समझें कि जब भी नया प्रधान मंत्री आयेगा, उसके लिये नया निवास-स्थान बनाया जायेगा जैसाकि अब तक हमारा अनुभव रहा है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : माननीय सदस्य ने मेरी बात सम्भवतः सुनी नहीं है। मैंने स्थायी निवास-स्थान की बात कही है।

मध्यावधि चुनावों के बारे में काफी कुछ कहा गया है। गैर-कांग्रेसी दल अपनी जीत पर बहुत उत्साहित हैं क्योंकि उनके लिए यह एक अप्रत्याशित चीज है। हमें भी अपनी हार पर काफी हैरानी हुई है। अब लोकतंत्र के महत्व को समझने का समय आ गया है। हमें जीत कर आने वालों का स्वागत करना तथा हारने वालों के साथ सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए।

मेरा निवेदन यह है कि चाहे स्वतंत्र दल अथवा जनसंघ का कोई सदस्य माने अथवा न माने परन्तु देश की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। मेरा आगे निवेदन यह है कि यह सुधार भी लोगों द्वारा बहुत कष्ट सहने के बाद हुआ है। इसमें सन्देह नहीं कि देश में बहुत गरीबी है परन्तु इसके साथ ही ऐसी बहुत सी चीजें देखने में आ रही हैं जिनसे यह प्रतीत होता है कि देश में काफी सुधार हुआ है। अब हमें यह देखना है कि यह सुधार कैसे हुआ है। मैं समझती हूं कि यह सुधार देश में लोकतंत्र होने के कारण हुआ है। लोगों को हर किस्म की आजादी है। इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि लोगों को नई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सुविधाएं चाहिये। मैं समझती हूं कि यह हमारी सफलता है कि लोग पुरानी चीजें भूल रहे हैं और नई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इन समस्याओं का सामना करते-करते वे बहुत सी नई चीजों का पता लगा सकेंगे।

मैं इस बात से इन्कार नहीं करती कि हमारे देश में प्रादेशिक विषमतायें नही हैं। हमें यह भी पता है कि प्रत्येक राज्य में कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो आर्थिक दृष्टि में पिछड़े होते हैं और उनमें बहुत सुधार करने की आवश्यकता होती है। हम अपनी योजनाओं में हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं कि उनमें बहुत सुधार किया जाये। परन्तु ऐसा सुधार शीघ्र ही नहीं किया जा सकता क्योंकि यह समस्या बहुत जटिल है।

श्री जार्ज फरनेन्डीज ने निरक्षरता के बारे में कुछ टिप्पणी की थी। तत्सम्बन्धी आंकड़े देखने से पता चलता है कि उस दिशा में बहुत सुधार हुआ है। अतः हमें हमेशा यह नहीं कहते रहना चाहिये कि कोई सुधार नहीं हुआ है।

अब संयुक्त मोर्चा सरकारों के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहूंगी। मैं चाहती हूं कि वे एकता बनाये रखें। चूंकि अब उनकी संख्या में वृद्धि हो गई है इसलिये उन्हें अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने का प्रयत्न करना चाहिये। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है हम उन्हें पूरा सहयोग देते हैं। मैं एक बात और बता देना चाहती हूं कि केवल गैर-कांग्रेसी सरकारें ही नहीं बल्कि कांग्रेसी सरकारें भी यह महसूस करती हैं कि हम उनके साथ उचित व्यवहार नहीं करते हैं। परन्तु यह बात हमारे वश की नहीं है। हमारे साधन ही इतने सीमित हैं कि हम सबको खुश नहीं कर सकते। फिर भी हम हर सम्भव कार्यवाही करने के लिये तैयार हैं। हम उन्हें पूरा-पूरा सहयोग देने को तैयार हैं परन्तु हमें भी तो उनके सहयोग की आवश्यकता है। इसलिये हम सबको बैठकर यह सोचना चाहिये कि हम एक दूसरे को कैसे सहयोग दे सकते हैं। परन्तु यदि भिन्न-भिन्न दल भिन्न-भिन्न बातों पर जोर देते रहे, तो भिन्न-भिन्न राज्यों को इकट्ठा रखना सम्भव नहीं होगा।

जहां तक चुनावों का सम्बन्ध है, लोग उनके बारे में भिन्न-भिन्न अनुमान लगा रहे थे। एक बार तो चुनावों का बहिष्कार करने का ही प्रयत्न किया गया था। परन्तु चुनावों में अनेक लोगों ने भाग लिया और लगभग एक लाख में से केवल 28 मतदान केन्द्रों में पुनः निर्वाचन

कराना आवश्यक समझा गया । हमें इन परिणामों से संतुष्ट हो जाना चाहिये । जहां तक चुनावों में भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है वह तो हर एक दल में है । प्रत्येक दल को संकुचित संकीर्ण दलगत हितों को त्याग कर देश में एकता बनाये रखने का प्रयत्न करना चाहिये और कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिये जिससे भारत के किसी भी नागरिक में असुरक्षा की भावना पैदा हो । हमने देखा है कि देश के आजाद होने से पहले देश की स्वतंत्रता के लिये तथा स्वतंत्रता के बाद सीमाओं पर हुई लड़ाई के समय हमारा सारा देश एकता सूत्र में बंधा हुआ था । परन्तु इससे राज्यों और लोगों के आपसी झगड़ों का हल नहीं होता है । इसलिये हमें हिंसात्मक और उपद्रवी कार्यवाहियों की पूरे जोर से निन्दा करनी चाहिये । इसके लिये हमें देश के सभी दलों के सहयोग की आवश्यकता है । उनके सहयोग से हम सभी भारतीयों के लिये स्वतंत्रता से रहने की व्यवस्था कर सकते हैं । सरकार सभी समस्याओं को अकेली दूर नहीं कर सकती है । उन्हें हल करने के लिये उसे अन्य दलों के सहयोग की आवश्यकता है । जब कभी राज्यों के आपसी झगड़े उत्पन्न हो जायें तो उनके हल करने के लिये एक कसौटी निर्धारित की जानी चाहिये जिसके आधार पर उन्हें दूर किया जा सके । इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जिन माननीय सदस्यों ने अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया है उन्हें उसे वापिस ले लेना चाहिये और मिलकर देश की सभी राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करना चाहिये ।

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : कांग्रेस दल के सदस्यों तथा सरकार की ओर से भाषण सुनने से मैं यह समझ पाया हूं कि जो-जो विशेष प्रश्न उठाये गये थे, उनका जवाब नहीं दिया गया है ।

सबसे पहले मैं शिव सेना का प्रश्न लेता हूं । श्री शान्ति लाल शाह ने अपने भाषण में कहा था कि कांग्रेस ने चुनावों में शिव सेना की सहायता नहीं ली थी । परन्तु इसके साथ ही साथ श्री चह्वाण ने इस बात का खण्डन कर दिया है । इसलिये मैं इस बारे में कोई तर्क नहीं प्रस्तुत करना चाहता ।

जहां तक चुनावों का सम्बन्ध है श्री चह्वाण ने कहा है कि शिव सेवा ने कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों के अल्हड़पन का फायदा उठाया है । यह अल्हड़पन क्या है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती । कांग्रेस को इस बात का पता था कि शिव सेना समाज-विरोधी भावनायें पैदा कर रही थी । वह नरेशों के घरों को आग लगा रहे थे और उन्हें लूट रहे थे । परन्तु वे लोग चाहते थे कि ये चीजें चलती रहें और हमें चुनावों में सहायता मिले । ऐसा उनका विचार था । यही कारण है कि उन्होंने इस बारे में उत्तर नहीं दिया है । तथापि मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता । श्री शान्ति लाल शाह ने आगे यह भी कहा था कि साम्यवादी दल उतना ही बुरा है जितना कि शिव सेना है । मान लीजिये यह बात सही है । परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि जब शिव सेना लूटमार कर रही थी, तब सरकार ने क्या किया था । मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जब सारे साम्यवादी दल को कारावास में भेज दिया गया था, तब इस सरकार ने क्या किया था । अतः मैं जानना चाहता हूं कि साम्यवादी दल का शिव सेना के साथ कैसे मुकाबला किया जा रहा है ।

श्री चह्वाण यह बताने का प्रयत्न कर रहे थे कि मैं बंगाल में संयुक्त मोर्चा की सफलता के कारण बड़े जोश से बोल रहा था। परन्तु मैंने इनकी सफलता के बारे में कोई बातचीत नहीं की थी। कांग्रेस के बहुत से सदस्यों के भाषण सुनने से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ था कि जब बंगाल, बिहार तथा अन्य सरकारें सत्ता में नहीं रही थीं तो कांग्रेस दल नहीं बल्कि जनसंघ अथवा संयुक्त समाजवादी दल कोई अन्य दल सत्ता में थे। हमने जो प्रश्न उठाया था, उसमें केवल यह ही पूछा गया था कि कांग्रेस ने इन अल्प संख्यक सरकारों का किस आधार पर समर्थन किया था। मैंने यह कभी नहीं पूछा था कि कांग्रेस को कितने स्थान प्राप्त हुए हैं।

अब मैं यह बताना चाहता हूं कि विगत काल में कांग्रेस ने क्या रवैया अपनाया हुआ था। श्री चह्वाण को यह देखना चाहिये कि 1960 में क्या हुआ था। कांग्रेस दल ने मुस्लिम लीग, प्रजा समाजवादी दल तथा अन्य दलों के साथ मिलकर साम्यवादी दल का मुकाबला करने के लिये केरल में संयुक्त मोर्चा सरकार बना ली थी। मैं पूछना चाहता हूं कि तब मुस्लिम लीग के साथ हुए आपके समझौते को क्या हुआ था। अतः आपको अपना मुंह भी शीशे में देखना चाहिये।

एक प्रश्न तेलंगाना के बारे में भी पूछा गया था परन्तु श्री चह्वाण ने उसका उत्तर देने में टाल-मटोल की है। ऐसे आरोप लगाये गये हैं कि गत पांच वर्षों में वर्ष प्रति वर्ष 10 करोड़ रुपये से अधिक ऐसी धनराशि लौटा दी गई थी जो तेलंगाना में व्यय करने सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित की गई थी। अतः मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे व्यक्ति को किसी राज्य का मुख्य मंत्री बने रहने का अधिकार है जो संसद् द्वारा बनाये गये कानून का जानबूझ कर उल्लंघन करता है और ऐसी स्थिति पैदा कर देता है जिससे लोग भड़क उठते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस सारे मामले की जांच की जानी चाहिये। परन्तु मैं जानता हूं कि ऐसा करने का आप में साहस नहीं है क्योंकि इससे कांग्रेस दल के अन्दर शक्ति संतुलन में बाधा पड़ जायेगी। यही कारण है कि मैं यह कहता हूं कि ऐसे दल की सरकार को हटा दिया जाना चाहिये।

वे लोग पिछड़े क्षेत्रों की बात करते हैं। योजना आयोग का एक दल उत्तर प्रदेश में गया था और उसने पिछड़े क्षेत्रों के बारे में अपनी सिफारिशें दी थीं परन्तु उन्हें क्रियान्वित नहीं किया गया है। इसलिये सरकार को ऐसे क्षेत्रों का विकास करने का उत्तरदायित्व अपने पर लेना चाहिये।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा का भाषण सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने कहा कि संयुक्त मोर्चा सरकारों की नीतियों के कारण ही कारखाने आदि बन्द हो गये हैं तथा इससे पहले मंदी आदि कोई चीज विद्यमान नहीं थी। परन्तु मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश, बम्बई और मैसूर जैसे राज्यों में, जो कांग्रेस के प्रधान का निवास-स्थान है, कारखाने क्यों बन्द हुए हैं। मैं उन्हें यह बनाना चाहता हूं कि इसका कारण यह नहीं है। इसका कारण तो देश में ऐसी मुद्रा का होना है जिसे लोग स्वीकार नहीं करते हैं।

तब उन्होंने तंजौर में वेनमनी में हुई घटना का उल्लेख किया था । मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि जब वह घटना हुई थी तो हम उस समय ऐर्नाकुलम में थे । हमने इस घटना की जानकारी रेडियो से सुनी थी । जैसे ही मुख्य मंत्री को इसका पता लगा तो उन्होंने उस घटना की निन्दा करते हुए एक बयान दिया था और कहा था कि इस घटना के लिये उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी । चूंकि वह स्वयं बीमार थे इसलिये उन्होंने दो मंत्रियों को सारी स्थिति का पता लगाने के लिये तुरन्त वहां पर भेज दिया था । परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि जब शिव सेना के गुंडे घरों को आग लगा रहे थे और दुकानों को गिरा रहे थे तब श्री बसन्त राव नायक ने क्या किया था । उन्होंने तो बम्बई में हुई घटनाओं की कभी निन्दा भी नहीं की है । अतः उन्हें दूसरे दलों के बारे में इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिये ।

अब मैं आशा करता हूं कि बहुत से सदस्य हमारे विचारों को सुनकर इस बात से सहमत हो जायेंगे कि हमने जो यह अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, यह ठीक ही है । अतः मुझे आशा है कि वे उसे स्वीकार करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा मंत्रि परिषद् में अविश्वास व्यक्त करती है ।"

सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha was divided

पक्ष में 83, विपक्ष में 213

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजकर 15 मिनट म० प० के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Fifteen Minutes past Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजकर 19 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Nineteen Minutes past Fourteen of the Clock.

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए
Shri Thirumal Rao in the Chair]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव
MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS

Shrimati Sushila Rohatgi (Bilhaur) : Sir, I move :

"That an Address be presented to the President in the following terms :

"That the Members of Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on the 17th February, 1969."

राष्ट्रपति का अभिभाषण न केवल एक औपचारिक वार्षिक रसम होती है, बल्कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर होता है, जिसमें राष्ट्राध्यक्ष स्वयं दोनों सभाओं के सदस्यों के समक्ष सरकार के गत वर्ष के कार्यकलापों का ब्योरा तथा आगामी वर्ष के पूर्वानुमानों का चित्र पेश करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमारी राष्ट्रीय संस्कृति से सम्बन्धित बहुत-सी महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख होता है।

माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जिन महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है उनमें आशा तथा निराशा दोनों झलकती हैं। जहां तक हमारे कृषि उत्पादन का सम्बन्ध है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में कृषि उत्पादन के बारे में बहुत आशाजनक चित्र प्रस्तुत किया गया है। परन्तु हमारी वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति के बारे में उन्होंने गहरी निराशा व्यक्त की है। अभिभाषण में आशा और निराशा की झलक आरम्भ से अन्त तक साथ-साथ दिखाई देती है। हमें राष्ट्रपति द्वारा व्यक्त की गई आशा तथा निराशा दोनों को ध्यान में रखते हुए संसद् सदस्य होने के नाते उनके अभिभाषण पर विचार करना है।

सभापति महोदय : मैं संशोधनों के सम्बन्ध में एक घोषणा करना चाहता हूं। माननीय सदस्य अपने उन संशोधनों का चयन कर लें जिनको वे प्रस्तुत करना चाहते हैं तथा उन्हें प्रस्तुत करने को तैयार रहें। पुकारे जाने पर माननीय सदस्य कृपया उन संशोधनों की संख्या का उल्लेख करें। उन संशोधनों का जिनकी संख्या का उल्लेख किया जायेगा, प्रस्तुत किया हुआ समझा जायेगा।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : गत वर्ष जब राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया था, उस समय देश की स्थिति बहुत खराब थी। देश को दो अकालों का सामना करना पड़ा था तथा हमारी स्थिति बहुत दयनीय थी। विभिन्न राज्यों में लोग भुखमरी के शिकार थे तथा पीने का पानी सूख गया था। परन्तु इस सरकार ने बहुत साहस से काम लिया। अकाल पीड़ितों की राहत के लिये यथोचित कार्यवाही की गई। उनके पास सहायता पहुंचाई गई। अपेक्षित दवाइयां भिजवाई गईं। सरकार ने उस कठिन स्थिति को काबू में किया और एक अपूर्व साहस का परिचय दिया।

अकाल के तुरन्त बाद देश को बाढ़ों का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल, आसाम और सिक्किम का अधिकांश क्षेत्र जलमग्न हो गया था। नदियों ने अपने तटों को छोड़ दिया था तथा पुल बह गये थे और सड़कें टूट गई थीं।

बाढ़ से देश को भयंकर क्षति हुई थी। ऐसी स्थिति में हमारी सेना ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। हमारी सरकार ने विवेक, साहस और सूझबूझ का प्रदर्शन किया। ऐसे कठिन समय में सारे राष्ट्र ने सरकार का साथ दिया था तथा कठिनाइयों पर काबू पाने के लिये सरकार

और जनता ने एक होकर सराहनीय कार्य किया था। बाढ़ पीड़ितों को तुरन्त सहायता पहुंचाई गई थी। राष्ट्रपति ने सरकार तथा जनता की इस बारे में अपने अभिभाषण में जो सराहना की है तथा इस पृष्ठ भूमि में हमारे कृषि उत्पादन की सफलता पर जो प्रसन्नता व्यक्त की है, हम उसका अनुमोदन करते हैं।

हम सब जानते हैं कि सरकार की नीति के कारण, इन नीतियों के शीघ्र क्रियान्वित किये जाने के कारण, सरकार की योजना के कारण तथा जनता के समर्थन के कारण हमारे कृषि उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। हमारे कृषि उत्पादन में 60 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। इस सारी सफलता का श्रेय हमारी योजना को है। यह योजना केवल सरकार की नहीं है अपितु जनता की योजना है तथा जनता के लाभार्थ बनाई गई है और जनता ने इसमें विश्वास व्यक्त किया है। जनता ने इसका समर्थन किया है। इसलिये यह जनता की योजना है। जनता ने योजना के महत्व को स्वीकार किया है तथा इससे हमारे कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होने के कारण हमारी राष्ट्रीय आय में 1,400 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जोकि एक बहुत बड़ी राशि है।

सरकार द्वारा वैज्ञानिक उपकरणों, बढ़िया बीजों, उर्वरकों, सिंचाई तथा बिजली और कृषकों को लाभप्रद मूल्य देने के रूप में दिये गये प्रोत्साहनों के अतिरिक्त हमें यह भी याद रखना चाहिये कि मूल्यों में स्थिरता रही है और मूल्य सूचकांक 211 से घटकर 205 हो गया है। यह एक बहुत बड़ी सफलता है।

सरकार द्वारा अपनाई गई तथा जनता द्वारा समर्थित नीति का पूर्णरूप से समर्थन करते हुए मैं सुझाव देना चाहती हूं कि इसमें कुछ परिवर्तन परमावश्यक हैं। सर्वप्रथम मेरा सुझाव यह है कि खाद्य क्षेत्रों को समाप्त किया जाना चाहिये। हमें विभिन्न राज्यों तथा क्षेत्रों के बारे में नहीं सोचना चाहिये तथा हमें सोचना चाहिये कि खाद्य एक राष्ट्रीय वस्तु है तथा इन खाद्य क्षेत्रों को समाप्त किया जाना चाहिये। खाद्य क्षेत्रों को जितनी जल्दी समाप्त किया जायेगा, उतना ही अच्छा होगा।

सिंचाई आयोग की स्थापना का मैं स्वागत करती हूं। हमारे ग्रामों में हमारे किसानों को सिंचाई की सबसे अधिक आवश्यकता है। बढ़िया बीजों को अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। मैं किसानों की सराहना करती हूं कि उन्होंने सिंचाई का पर्याप्त प्रबन्ध न होते हुए भी उत्पादन में वृद्धि की है। हमारे किसानों को सस्ती से सस्ती दरों पर सिंचाई के लिये पानी दिया जाना चाहिये। इस दृष्टि से मैं सिंचाई आयोग की स्थापना का स्वागत करती हूं। दूसरे हमारे ग्रामों में सड़कों की बहुत अधिक आवश्यकता है और देहात में सड़कों का जाल बिछाया जाना चाहिये। अब जबकि हम चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दे रहे हैं, तो मैं प्रधान मंत्री, योजना आयोग तथा वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगी कि ग्रामों में सड़कों का जाल बिछाने के कार्य को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिये। हमें दिल्ली, बम्बई तथा कलकत्ता जैसे बड़े नगरों में

बड़े-बड़े भवन न बनाकर देहात में सड़कें बनानी चाहिये । हमने समाजवाद को स्वीकार किया है तथा अब समय आ गया है कि उसे कार्यरूप दिया जाना चाहिये । सरकारी दफ्तरों का बड़े-बड़े सुन्दर भवनों के बिना भी काम चल सकता है तथा इस उद्देश्य के लिये नियत की गई राशि को गांवों में सड़कें बनाने पर खर्च किया जाना चाहिये ।

उद्योगों के क्षेत्र में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में आशा का चित्र प्रस्तुत किया गया है । औद्योगिक क्षेत्र में हमें बड़े कठिन समय से गुजरना पड़ा है । यह बड़ी खुशी की बात है कि हमारा निर्यात बढ़कर 117 करोड़ रुपये हो गया है और हमारा आयात घटकर 107 करोड़ रुपये रह गया है । परन्तु इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहती हूं कि औद्योगिक प्रगति के लिये स्थिरता तथा सुरक्षा का वातावरण परमावश्यक है । मैं अपने माननीय मित्र श्री पी० राममूर्ति से जो गत दो दिनों से बम्बई में शिव सेना की कार्यवाइयों की आलोचना कर रहे थे—मैं समझती हूं कि शिव सेना की कार्यवाइयों की आलोचना हर भारतीय को करनी चाहिये—मैं पूछना चाहती हूं कि बंगाल में गत संविद सरकार के दिनों में कैसा वातावरण था ? क्या वहां अस्थिरता, डर, विधि-विहीनता, अव्यवस्था तथा आतंक का वातावरण नहीं था ?

श्री योगेन्द्र शर्मा (बेगूसराय) : यह तो लोगों ने बता दिया है कि वहां विधि-विहीनता का वातावरण था अथवा नहीं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं लोगों के निर्णय को स्वीकार करती हूं परन्तु माननीय सदस्य को यह भी देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में लोगों ने क्या निर्णय दिया है ।

बंगाल में जो कुछ हुआ उसकी हमें पूर्ण जानकारी है । जब हमारी सरकार वहां भूखे व्यक्तियों को खाद्य-पदार्थ भेज रही थी, तब हमारे विपक्षी मित्रों द्वारा सरकार की योजनाओं की आलोचना की जा रही थी । मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि क्या उनका कर्त्तव्य केवल घेराव करना तथा औद्योगिक संस्थानों को बन्द करना ही है ? क्या हम ऐसा करके अपना औद्योगिक उत्पादन बढ़ा सकते हैं ? घेरावों में 67,000 श्रमिक घण्टे नष्ट हुए हैं । क्या इस प्रकार हम अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं ? इसके अतिरिक्त कोई भी उद्योगपति ऐसी अनिश्चित परिस्थितियों में नया उद्योग स्थापित नहीं करना चाहेगा । अतः मैं अपने विपक्षी मित्रों से अनुरोध करूंगी कि वे ऐसी कोई कार्यवाही न करें जिससे राष्ट्रीय हितों को आघात पहुंचे और हमारे औद्योगिक विकास की गति मन्द हो ।

कई माननीय सदस्यों द्वारा सरकार की खाद्य-नीति की आलोचना की गई थी । श्री रंगा ने कहा था कि पी० एल० 480 के कारण खाद्य के हमारे राष्ट्रीय उत्पादन में लापरवाही आ जायेगी । मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि पी० एल० 480 हमारे खाद्य उत्पादन में सहायक सिद्ध हुआ था । कई माननीय सदस्यों ने सरकार की योजना की आलोचना की थी तथा कहा था कि कोई योजना नहीं होनी चाहिए । क्या किसी जिम्मेदार सरकार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि

वह यह सुनिश्चित करे कि सरकारी कोष से जो धन खर्च किया जा रहा है, उसके एक-एक पैसे का सदुपयोग किया जाता है ? क्या सरकार को अपने संसाधनों का हिसाब नहीं लगाना चाहिए, विशेषतया ऐसे समय में जब कि विदेशी सहायता का मिलना संदिग्ध हो तथा अपनी आय और बचत के आधार पर अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए ? मैं सरकार को बधाई देती हूं कि उसने योजनाबद्ध विकास की नीति अपनाई है। योजना आयोग में हर मद पर खर्च करने के लिये प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। मैं कहना चाहती हूं कि अत्यावश्यक वस्तुओं को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और विलास सामग्री को कम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय है कि राज्यों में विधान परिषदों की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए और उन पर खर्च किये जाने वाले धन का अन्यतर सदुपयोग किया जाना चाहिए।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में युवकों तथा शिक्षा सम्बन्धी मामलों का उल्लेख किया गया है। हमारे इतिहास में इस क्षेत्र में इतनी गड़बड़ी पहले कभी नहीं हुई थी। जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते हमें अपने युवकों को कुमार्ग पर चलने के लिए बढ़ावा नहीं देना चाहिए। युवकों की समस्या केवल हमारे देश में ही नहीं है, अपितु अमरीका, फ्रांस और जापान जैसे समृद्ध देशों के युवक भी रास्ता भटक गये हैं। हमारी प्रधान मंत्री युवकों के प्रति सदा सहानुभूति रखती हैं। मैं उन्हें बधाई देती हूं कि उन्होंने एक नया विभाग बनाया है। मैं आशा करती हूं कि नया विभाग युवकों के असंतोष के कारणों को समझने में और उन्हें दूर करने में सफल होगा। हम सब राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि हम युवकों में हिंसा की प्रवृति को बढ़ावा न दें। देश के भविष्य की जिम्मेदारी हम सब दलों पर है तथा मैं सब माननीय सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि वे युवकों को हिंसा से बचायें और अपने संकीर्ण तथा दलगत उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग न करें। अशोक महान के इस देश में, जो अहिंसा का पुजारी रहा है, हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। हमने शांति तथा निरपेक्षता की नीति अपनाई है और इससे अन्तर्राष्ट्रीय जगत में हमारा सम्मान बढ़ा है। हमें हिंसा की घटनाओं को रोकना है चाहे वे महाराष्ट्र में हों, चाहे पश्चिम बंगाल में, चाहे उत्तर प्रदेश में और चाहे देश के किसी अन्य भाग में। हमें उनके कारणों का पता लगाना है तथा उनको दूर करना है। मैं विरोधी पक्ष के नेताओं से अनुरोध करती हूं कि वे इस सम्बन्ध में हमारा साथ दें तथा इस बात का पता लगायें कि हमारे शान्ति प्रिय हृदयों में हिंसा की प्रवृत्ति किस प्रकार उत्पन्न हुई तथा इसे कैसे दूर किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में हमें गम्भीर विचार करना चाहिए।

शिव सेना के सम्बन्ध में मैं कहना चाहती हूं कि यह केवल शिव सेना का प्रश्न नहीं है, अपितु गोपाल सेना, लचित सेना और जितनी भी अन्य सेनाएं हैं, उन सबका हमारे प्रजातंत्र समाज में कोई स्थान नहीं है। हम सबको मिलकर इस बारे में विचार करना चाहिए।

अन्त में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मामले का उल्लेख करना चाहती हूं और वह है—केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध। प्रधान मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि पश्चिम बंगाल सरकार हमारे साथ उचित व्यवहार करती है, तो हम भी उनके साथ उचित व्यवहार करेंगे, जैसा कि संविधान

में अपेक्षित है। मैं स्वर्गीय श्री अन्नादुरै को बधाई देती हूं कि वे असामान्य वातावरण होते हुए भी केन्द्र तथा राज्य के बीच उचित सम्बन्ध स्थापित करने में सफल रहे थे। गत कुछ वर्षों में केन्द्र और राज्यों के बीच सम्बन्धों में नया परिवर्तन आया है। दल-बदल, सिद्धान्तहीन गठ-बन्धनों तथा कुछ हिंसात्मक तत्वों के शक्ति में आ जाने से केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों की परख का समय आ गया है। संविधान के उपबन्धों की परख का समय आ गया है। हमें इस सम्बन्ध में बहुत सोच-समझकर काम करना है तथा अनुशासन का परिचय देना है। यह प्रश्न किसी एक राजनीतिक दल पर लागू नहीं होता है, अपितु सब राजनीतिक दलों पर लागू होता है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण का अवसर अत्यन्त गौरवपूर्ण अवसर होता है। यह राष्ट्रपति और संसद् सदस्यों के, जो मतपत्र की प्रभुसत्ता और श्रेष्ठता के प्रतीक हैं, सम्मान को शोभा प्रदान करता है, आज किसी दल के अस्तित्व का प्रश्न नहीं है, अपितु प्रजातंत्र के अस्तित्व का प्रश्न है, क्योंकि देश में प्रजातंत्र विरोधी तत्व उभर रहे हैं। मैं आशा करती हूं कि हमारा प्रजातंत्र सदा कायम रहेगा। मैं विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि वे सब मिलकर इस प्रश्न पर विचार करें और सरकार को अपना सहयोग दें।

श्री दशरथ राम रेड्डी (कावली) : मैं माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। दो वर्ष पूर्व जब देश को अकाल का सामना करना पड़ा था, तो हम सबने अनुभव किया था कि कोई स्वाभिमानी राष्ट्र खाद्य की कमी के होते हुए अपने स्वाभिमान को कायम नहीं रख सकता तथा हमने दो अथवा तीन वर्षों में खाद्यान्न की कमी को दूर करने और आत्म-निर्भर होने की शपथ ली थी। तब से अब तक सरकार ने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर सम्भव कार्यवाही की है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि गत वर्ष मौसम अनुकूल रहा था परन्तु इस वर्ष तो मौसम अनुकूल नहीं रहा है इसलिए खाद्यान्न के उत्पादन में जो वृद्धि हुई है उसका कारण केवल मौसम का अच्छा होना नहीं है, अपितु उसका कारण इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई विभिन्न कार्यवाइयां हैं। अब कृषि का वैज्ञानिक ढंग पर विकास किया जा रहा है। इसके लिए भूमिगत पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है तथा आयातित मशीनों को काम में लाया जा रहा है। अधिक उपज देने वाली फसलें बोई जा रही हैं। कृषकों को सहकारी समितियों से जो ऋण दिया जाता था, उसे पर्याप्त नहीं समझा गया तथा इसलिए सामाजिक नियंत्रण कानून के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंकों को कृषकों को अधिक ऋण देने के लिए कहा गया है।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार द्वारा किये गये उपायों से कृषकों को बड़ी सहायता मिली है और उन्होंने इन सुविधाओं का लाभ उठाकर देश में अधिक खाद्य-सामग्री उत्पन्न की है।

कहा जाता है कि हमारी राष्ट्रीय आय में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा विदेशी आश्रय से मुक्ति पाने का लक्ष्य सम्भवतः प्राप्त कर लिया जायेगा। औद्योगिक क्षेत्र में भी आयात कम होता जा रहा है और निर्यात बढ़ता जा रहा है। यह इस बात का संकेत है कि

हमारे द्वारा उत्पादित माल की विदेशों में धीरे-धीरे खूब मांग बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त हम आयात किये जाने वाले माल के स्थान पर भारत में उन वस्तुओं का उत्पादन करने, उनके स्थान पर भारत में निर्मित माल प्रयोग करने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रकार हम देश में निर्मित माल पर अधिक निर्भर करेंगे और आयातित मशीनों पर बहुत कम आश्रित होंगे।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में मुख्यतः इन्हीं बातों का वर्णन है। राष्ट्रपति ने स्पष्ट कहा है कि किस प्रकार देश ने कृषि और उद्योग के क्षेत्र में प्रगति की है। उन्होंने उन लोगों को भी श्रद्धांजली दी है जिन्होंने देश में दो बार सूखे की स्थिति का डटकर मुकाबला किया है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में फिर से सिर उठा रही सभी प्रकार की संकुछित हृदयवाली क्षेत्रीय अथवा जातिवादी शक्तियों का दमन करने के लिये अनुशासन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। सभी वर्गों और क्षेत्रों के नेताओं ने भी ऐसे हिंसात्मक कृत्यों की निन्दा की है। सरकार के लिये भी यह आवश्यक है कि जहां-जहां इन "सेनाओं" ने अनुचित कार्य किया है अथवा इस प्रकार की विघटनकारी गतिविधियों में भाग लिया है, वहां इन्हें समाप्त कर दिया जाये। ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए।

यदि लोगों में अनुशासन की भावना न होगी तो देश में राजनैतिक स्थिरता और आर्थिक विकास नहीं हो सकता। हमें देश में देश भक्ति और उत्साह की भावना फिर से जागृत करनी है। हमारी संसद् अपनी सभाओं में ठोस विषयों पर चर्चा तथा उत्तरदायित्व-पूर्ण आलोचना करे। विपक्ष केवल त्रुटियों की आलोचना करें, अच्छे कामों की उसे प्रशंसा भी करनी चाहिए।

पिछले वर्ष प्रधान मंत्री ने विपक्षी नेताओं को भी सहयोग देने का निमंत्रण दिया था। देश के हित में यह सहयोग तथा सलाह लेने के लिये उन्होंने कई बैठकें बुलाईं। अतः विपक्षी नेताओं को अपना सहयोग देना चाहिये।

भारत को आज नियमित विकास की बड़ी आवश्यकता है और हमारी संसदीय प्रणाली में राजनैतिक स्तर पर इसकी काफी गुंजाइश है। पिछले 22 वर्षों में देश में विदेशी आक्रमण, अकाल, नागरिक विपदायें आदि अनेक विपत्तियां आई हैं परन्तु अपनी ठोस राजनैतिक नींव के कारण देश इन विपत्तियों से गुजरता हुआ और अधिक सशक्त होता गया है।

आज निर्धनता और उन्नति के बीच व्याप्त अन्तर देश को सबसे बड़ी चुनौती है। नेहरू, शास्त्री तथा अब श्रीमती गांधी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने सामाजिक न्याय तथा समान अवसर प्रदान करने के आधार को लेकर देश के निर्माण के लिये काफी प्रयत्न किया है। परन्तु आज देश समय की दौड़ के साथ मुकाबला कर रहा है। हमें पुराने युग से निकल कर आज के युग में आना है। हमारा देश निर्धन है और अब भी हमारा एक पांव पिछड़ेपन के दलदल में फंसा है। परन्तु यदि हम प्रगति करने के लिये दृढ़ संकल्प हैं, तो हमारा देश निश्चय ही आगे बढ़ सकता है।

किसी देश की प्रगति का दर्पण वहां की बिजली की खपत भी है। हमें अपने देश के राज्यों में व्याप्त विभिन्न असन्तुलनों को दूर करना है। बिजली के बारे में हमारे राज्यों में असन्तुलन है। आंध्र में सारे देश से औसतन कम बिजली उपलब्ध है। अतः मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि वह राज्य सरकार को और अधिक बिजली तैयार करने के लिये सहायता दें अथवा फिर बम्बई और मद्रास की भांति वहां भी अपनी कोई केन्द्रीय योजना चलाये क्योंकि हम अपने सारे साधन कृषि-कार्यों में लगाते रहे हैं, अतः इस मांग को पूरा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है।

स्वयं भी, तथा नेहरू की पुत्री होने के नाते भी, श्रीमती इन्दिरा गांधी भारतीय देश-भक्ति, एकता की भावना तथा जो कुछ भी भारतीय लोगों में अच्छे गुण हैं, उनका प्रतीक हैं। और भारत के अच्छे नागरिक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम उन्हें अपना पूरा सहयोग दें ताकि वह इस देश को नेहरू और गांधी जी के बलिदानों योग्य देश बना सकें।

सभापति महोदय : राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में बड़ी संख्या में संशोधन प्राप्त हुए हैं। माननीय सदस्य अपने संशोधनों की संख्या बता दें, यदि वे अन्यथा ग्राह्य हुए, तो उन्हें प्रस्तुत समझा जायेगा।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली-सदर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि हरिजनों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की दशा सुधारने हेतु की जाने वाली कार्यवाही का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (1)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि महाराष्ट्र-मैसूर विवाद को, जिसके फलस्वरूप बम्बई में उपद्रव हुए, सुलझाने के लिये की जाने वाली कार्यवाही का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (2)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि पाकिस्तान तथा चीन द्वारा अवैधरूप से हथियाये गये भारतीय राज्य क्षेत्र को मुक्त कराने के लिये की जाने वाली कार्यवाही का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (3)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि इजराइल तथा तायवान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिये की जाने वाली किसी कार्यवाही का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (4)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि भविष्य में सरकारी व्यवस्था तथा धन के दुरुपयोग को, जैसा कि पांच राज्यों में हाल में ही हुए चुनावों में किया गया, रोकने के लिए की जाने वाली किसी विशिष्ट कार्यवाही का, तथा ऐसे कारगर कदम उठाने का, जिससे कि मतदाता स्वतंत्रतापूर्वक अपना मत दे सकें, अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।" (5)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिये कि रूस का रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस हमारे आन्तरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप न करे, की जाने वाली किसी कार्यवाही का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।" (6)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि दिल्ली में कोतवाली के स्थान के लिये, जहां गुरु का बलिदान हुआ था, गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति से लिये गये धन को समिति को लौटा दिया जायेगा और वह स्थान उनको निःशुल्क दिया जायेगा ।" (7)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि इस बारे में कि पाकिस्तान द्वारा ताशकन्द समझौते के सिद्धान्तों का पालन न किये जाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी, अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।" (8)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि सरकार चीन और पाकिस्तान से क्यों बातचीत करना चाहती है जबकि वे हमारे राज्य क्षेत्र को खाली करने के लिये राजी नहीं है ।" (9)

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि बम्बई में दक्षिण भारत के लोगों तथा जातियों के विरुद्ध शिव सेना द्वारा समय-समय पर किये जा रहे आगजनी, लूट तथा हत्या सम्बन्धी अत्याचारों को रोकने के लिये किये जाने वाले किन्हीं प्रभावी उपायों के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।" (10)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि तेजी से बिगड़ रहे केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए राज्यों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिये किये जाने वाले किन्हीं प्रभावी उपायों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (11)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि केरल जैसे पिछड़े राज्यों को और अधिक आर्थिक सहायता देकर तथा उन राज्यों में गैर-सरकारी क्षेत्र में लाइसेंस देने की प्रभावी नीति लागू करके तथा वहां पर सरकारी उपक्रम स्थापित करके, उनकी सहायता करने के लिये कोई निश्चित कार्यवाही किये जाने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (12)

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि राजस्थान राज्य के बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, जहां मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिये पेय जल, अनाज और चारे का अभाव है, दयनीय और विनाशकारी स्थिति का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (13)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि एक मरुस्थल विकास प्राधिकार की स्थापना के बारे में अभिभाषण में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।" (14)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि मास्को रेडियो और "रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस" द्वारा हाल के मध्यावधि चुनाव अभियान में हमारे आन्तरिक मामलों में रूसी हस्तक्षेप का और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय पर, कड़ा और प्रभावी विरोध प्रकट करने में असफलता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (15)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिये गये सभी दण्ड वापस लेने में सरकार की असफलता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (16)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अत्यावश्यक वस्तुओं की निरन्तर बढ़ रही कीमतों पर अभिभाषण में न तो कोई चिन्ता व्यक्त की गई है और न ही इन्हें रोकने के लिये कोई उपाय सुझाये गये हैं।" (17)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों और चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्रों जैसे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों को औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्यों के बराबर लाने की किसी योजना का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (18)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि बढ़ती आर्थिक विषमता के बारे में अभिभाषण में न तो कोई चिन्ता व्यक्त की गई है और न ही व्यय योग्य आय की अधिकतम और न्यूनतम राशि निर्धारित करने संबंधी निदेश जारी किये गये हैं।" (19)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि सरकार द्वारा समय पर चौथी पंचवर्षीय योजना बनाने में असफलता के कारण हुए 'योजनावकाश' का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (20)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि काश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र तथा चीन द्वारा हथियाई गई भारतीय भूमि को वापस लेने के लिये किसी कार्यवाही का और सरकार की विदेश नीति की असफलता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (21)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश में शिक्षित तथा अशिक्षित लोगों की बढ़ती हुई बेकारी का और इसे रोकने में सरकार की असफलता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (22)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि पूरे देश में तीन-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने में सरकार की असफलता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (23)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि स्वतंत्रता के 17 वर्ष पश्चात् भी देश भर में मद्यनिषेध लागू करने में सरकार की असफलता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (24)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में इस तथ्य के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है कि यद्यपि संविधान को लागू हुए 19 वर्ष बीत गये हैं, तथापि सारे देश में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक नहीं किया गया है।" (25)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश में गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबन्ध लगाने में सरकार की असफलता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (26)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि सरकारी उपक्रमों में निरन्तर हो रही हानि को रोकने में सरकार की असफलता के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (27)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि विकास-कार्य में प्रादेशिक असन्तुलन को दूर करने के लिये किसी कार्यक्रम तथा देश के पिछड़े क्षेत्रों का तेजी से विकास करने में सरकार की असफलता के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (28)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि संविधान लागू होने के 19 वर्ष बाद भी विश्व-निन्दित अस्पृश्यता प्रथा किसी न किसी रूप में चल रही है।" (29)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के 22 वर्ष पश्चात् भी देश में सभी मनुष्यों एवं पशुओं के लिये पेय जल की व्यवस्था करने में सरकार की असफलता के बारे में, अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (30)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश की आवश्यकताओं को और अधिक अच्छे ढंग से पूरा करने के लिये हमारी शिक्षा-पद्धति में सुधार करने संबंधी कोई आश्वासन अभिभाषण में नहीं दिया गया है।" (31)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि परमाणु अस्त्रों के प्रसार को रोकने में असफलता को दृष्टिगत रखते हुए और विशेषकर चीन द्वारा इस क्षेत्र में किये जा रहे महान प्रयासों को दृष्टिगत रखते हुए परमाणु अस्त्रों के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार के दृष्टिकोण के बारे में अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया है।" (32)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि मध्यावधि चुनावों में किये गये कदाचारों, विशेषकर लोगों की धार्मिक, जातिगत और प्रादेशिक भावनाओं को छूने वाले अनुचित प्रचार और धन के बड़े पैमाने पर प्रयोग के बारे में अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया है।" (33)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश में अधिकांश भागों में पनप रही गम्भीर विद्यार्थी समस्या का कोई संतोषजनक हल अभिभाषण में नहीं सुझाया गया है।" (34)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश के अध्यापकों की दयानीय दशा के बारे में अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया है और उनकी दशा सुधारने के लिये किन्हीं उपायों का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (35)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश में कई राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारों के बन जाने से परिवर्तित परिस्थितियों में संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच मधुर संबंध स्थापित करने के लिये किन्हीं कारगर उपायों के बारे में अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया है।" (36)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि जहां कहीं सिचाई संभव है, वहां सिंचाई के पानी की व्यवस्था करने की आवश्यकता के बारे में अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया है। (37)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्दु खेद व्यक्त करते हैं कि जीवन बीमा निगम, रेलवे और तेल कम्पनियों में स्वचालित यंत्रों की स्थापना सम्बन्धी नीति को रद्द करने के बारे में अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया है।" (38)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ के प्रशासन के लिये किसी प्रतिनिधि निर्वाचित निकाय की व्यवस्था करने में सरकार की असफलता के सम्बन्ध में अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया है।" (39)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के लिये, जिसका कि इस समय राज्य सभा में कोई प्रतिनिधित्व है ही नहीं, राज्य सभा में एक स्थान की व्यवस्था करने में सरकार के असफल रहने के बारे में अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया है।" (40)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ को अनुसन्धान और उच्च अध्ययन में निष्ठ एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने में सरकार के असफल रहने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (41)

श्री के० एम० अब्राहम (कोट्टयम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि 19 सितम्बर, 1968 को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के बाद दण्डित सभी कर्मचारियों को बहाल करने में सरकार असफल रही है।" (72)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान पठानकोट, बीकानेर तथा अन्य स्थानों पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की घटनाओं की न्यायिक जांच कराने में सरकार असफल रही है।" (73)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि केरल सरकार को पर्याप्त खाद्य सहायता देने में सरकार असफल रही है।" (74)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि कोचीन पोत निर्माण कारखाने को प्राथमिकता प्रदत्त परियोजना के रूप में चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने में सरकार असफल रही है।" (75)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि केन्द्र-राज्य सम्बन्ध सुधारने के लिये उचित उपाय करने में सरकार असफल रही है।" (76)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि केरल सरकार द्वारा सुझायी गई वैकल्पिक चौथी पंच-वर्षीय योजना पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने में सरकार असफल रही है।" (77)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि बम्बई में शिव सेना की गतिविधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने में सरकार असफल रही है।" (78)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि चीन गणराज्य तथा पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध सुधारने के लिये रचनात्मक कदम उठाने में सरकार असफल रही है।" (79)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि भारत में सी० आई० ए० की गतिविधियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने में सरकार असफल रही है।" (80)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि सरकार विदेशी तेल कंपनियों तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने में असफल रही है।" (81)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि भारत में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में इलेक्ट्रोनिक कंप्यूटर्स चालू करने पर रोक लगाने में सरकार असफल रही है।" (82)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन कार्यान्वित न किये जाने के सम्बन्ध में नई दिल्ली के होटलों में चल रहे विवादों में हस्तक्षेप करने में सरकार असफल रही है। (83)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि इंजीनियरिंग उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड के बारे में निर्णय लेने में सरकार ने विलम्ब किया है।" (84)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि सरकार हरियाणा राज्य में अनिवार्य नसबन्दी के विरोध में शान्तिपूर्ण प्रदर्शन में भाग लेने वाले लोगों पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की आलोचना करने में असफल रही है।" (85)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि आन्ध्र प्रदेश में पिछड़ी जातियों के दमन को समाप्त करने में सरकार असफल रही है।" (86)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि एक पृथक राज्य के लिये हाल ही में हुए आन्दोलन के दौरान तेलंगाना के लोगों के पुलिस द्वारा दमन की आलोचना करने में सरकार असफल रही है।" (87)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध जम्मू तथा काश्मीर सरकार द्वारा की गई दमनकारी कार्यवाही की आलोचना करने में सरकार असफल रही है।" (88)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि पिलानी, राजस्थान के केन्द्रीय इलैक्ट्रानिक इंजीनियर्स अनुसंधान संस्था के प्रबन्धकों द्वारा वहां के श्रमिक संघ के नेताओं के साथ बदले की भावना से किये गये व्यवहार की निन्दा करने में सरकार असफल रही है।" (89)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि भारत में दलाई लामा की तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों के विरोध में सरकार कोई कार्यवाही करने में असफल रही है।" (90)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि मंत्रियों के स्तर पर बढ़ते भ्रष्टाचार का उल्लेख करने में सरकार असफल रही है।" (91)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि हिन्द महासागर में ब्रिटिश अमरीकी सैनिक अड्डे की स्थापना की आलोचना करने में सरकार असफल रही है।" (92)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि वियतनाम समस्या के हल के लिये उत्तरी वियतनाम के डा० हो० ची० मिन्ह के सुझावों का समर्थन करने में सरकार असफल रही है।"(93)

श्री देवेन सेन (आसनसोल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि कुछ बड़े व्यापारियों के लाभ और आस्तियों में अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिये किन्हीं उपायों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (94)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने के लिये कोई उपाय नहीं सुझाये गये हैं।" (95)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि वास्तविक मजदूरी कम होने से रोकने के लिये कोई उपाय नहीं सुझाये गये हैं।" (96)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि उपदान देना आरम्भ करने के लिये कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये कोई उपाय नहीं सुझाये गये हैं।" (97)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि कलकत्ता महानगर क्षेत्र के विकास के लिये व्यवस्था नहीं की गई है।" (98)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि हुगली नदी पर एक दूसरा पुल बनाने के लिये व्यवस्था नहीं की गई है।" (99)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि बर्दवान के आसनसोल सब-डिवीजन में पीने के पानी की सप्लाई के लिये कोई समेकित योजना नहीं है।" (100)

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि चीन द्वारा किये गये आठवें तापीय-आणविक (थर्मोन्यूक्लियर) विस्फोट तथा भारत की सुरक्षा और विश्वशांति पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (101)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में चौथी पंचवर्षीय योजना तैयार करने के सम्बन्ध में कोई निश्चित वायदा नहीं किया गया है।" (102)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि चीन द्वारा कब्जे में किये गये राज्यक्षेत्र को वापस लेने के लिए 14 नवम्बर, 1962 को संसद् में किये गये पवित्र संकल्प को पूरा करने की दिशा में कदम उठाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (103)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि विदेशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रजनों और भारतीय मूल के लोगों के न्यायोचित हितों की रक्षा के लिये ठोस कदम उठाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (104)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश के बहुत से भागों और विशेषतया बम्बई तथा आन्ध्र प्रदेश में हाल ही में हुए व्यापक हिंसापूर्ण उपद्रवों का, जिनमें सम्पत्ति की भारी क्षति हुई, कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (105)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि राज्यों के बीच बढ़ती हुई असमानता और विकास सम्बन्धी क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिये उठाये जाने वाले कदमों का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है।" (106)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये ठोस कदम उठाये जाने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (107)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि केन्द्र-राज्य सम्बन्धों तथा अन्तर्राज्यीय सम्बन्धों के बारे में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हल करने के लिये एक परिषद् का गठन करने के सम्बन्ध में ठोस कदम उठाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।"(108)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों और समाज के अन्य दुर्बल वर्गों पर पड़ने वाले बढ़ते हुए दबाव, उनके दमन और उन्हें मौलिक अधिकार न दिये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।"(109)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अकाल, सूखा तथा बाढ़ के बार बार आने वाले संकटों का हल निकालने में सरकार असफल रही है ।" (110)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज और पीने के पानी की कमी की समस्या को हल करने के लिये आवश्यक कदम उठाने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।" (111)

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि इस देश के विशाल जनसमुदाय की छः न्यूनतम आवश्यकताओं अर्थात् खाना, मकान, कपड़ा, रोजगार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आने वाले वर्षों में उठाये जाने वाले निश्चित कदमों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।" (112)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि शहरी क्षेत्रों की भूमि के मूल्यों में अनुचित वृद्धि को रोकने तथा शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारित करने के बारे में उठाये जाने वाले कदमों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।" (113)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि उड़ीसा में पाये गये दुर्लभ परमाणु खनिज को निकालने के सम्बन्ध में अविलम्ब कार्यवाही करने की आवश्यकता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।" (114)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि उड़ीसा में चिल्का झील में नौ सेना के लिये जहाज बनाने के कारखाने की स्थापना करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (115)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि चिल्का झील में नौसेना प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है ।" (116)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि पिछले अक्तूबर में उड़ीसा में आई अभूतपूर्व बाढ़ और तूफान का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है जिससे संपूर्ण पुरी जिले, गंजम तथा कटक जिले के कुछ भाग में बुरी तरह प्रभावित हुए थे। (117)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश में चन्द अमीरों और गरीब लोगों के विशाल जन-समुदाय के बीच बढ़ते हुए अन्तर की जानकारी होने और इस बढ़ती हुई आर्थिक असमानता को कम करने के लिये उठाये जाने वाले कदमों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (118)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि उड़ीसा राज्य में, जहां किसानों में ताइचुंग धान उगाने के बारे में बड़ा उत्साह था और उन्हें उसके लिये कैल्शियम तथा अन्य उर्वरक नहीं मिल सके, किसानों को खेती के लिये समय पर खाद आदि सप्लाई करने के सम्बन्ध में कथनी और करनी के बीच के अन्तर को स्वीकार करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (119)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि उड़ीसा में रानीभद्र और गनिया बराज सिंचाई योजनाओं को, जिनके बारे में सर्वेक्षण किया गया था और जिनका प्रारम्भिक कार्य आरम्भ किया गया था, चालू करने के सम्बन्ध में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (120)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि चिल्का झील के आस-पास के क्षेत्रों को बाढ़ के पानी तथा सूखे से बचाने की समस्या का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (121)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि चिल्का झील के, जो एक राष्ट्रीय सम्पत्ति है, मुहाने पर रेत जमा होने की समस्या और झील को रेत जमा होने से बचाने के लिये उठाये जाने वाले कदमों तथा इस झील से मछली पकड़ने पर ही जीवन निर्वाह करने वाले 36,000 मछुओं के परिवारों की सहायता करने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।" (122)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि उड़ीसा में चिल्का झील, कान्तिलो, मुण्डियापाडा तथा अट्टरी (गरम पानी के स्रोतों) का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास करने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।" (123)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि भुवनेश्वर में केन्द्रीय सहायता से स्थापित किये गये कृषि-विश्वविद्यालय का पिछले 80 दिनों से अनिश्चित अवधि के लिये बंद होने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।" (124)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि उड़ीसा में महानदी बेसिन और चिल्का झील के मुहानों में, जहां निश्चित रूप से तेल उपलब्ध है, तेल की खोज का कार्य करने के लिये की गई कार्यवाही का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।" (125)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि उड़ीसा तथा अन्य राज्यों में हजारों भूमिहीन लोगों के पास अभी तक भूमि नहीं है और जो भूमि उनके कब्जे में है उसका अधिकार विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अभी तक उन्हें नहीं सौंपा गया है, और तो और योजना आयोग के भूमिहीनों को भूमि दिये जाने के स्पष्ट निर्देश के बावजूद किसानों को बेदखल किया जा रहा है, इस तथ्य का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।" (126)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि हमारे देश में विद्यार्थियों और युवकों में व्याप्त असन्तोष को अभिभाषण में स्वीकार नहीं किया गया है और न ही उसमें सरकार के इस संकल्प का कोई संकेत है कि इस समस्या को समुचित वैज्ञानिक तरीके से क्रमबद्ध और ठीक ढंग से हल करने के लिये एक राष्ट्रीय युवक आयोग की स्थापना की जायेगी ।" (127)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि निकट भविष्य में उड़ीसा से बाहर सभी उड़िया भाषी क्षेत्रों को इस राज्य में मिलाने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"(128)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अधिकांश जनता की अत्यधिक दरिद्रता तथा भूख मिटाने के बारे में जनता में आस्था तथा विश्वास उत्पन्न करने के लिये क्रांतिकारी कार्यक्रम की कोई रूपरेखा अभिभाषण में नहीं दी गई है।" (129)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि 'केन्दू लीव्ज आर्डर' के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाये गये गम्भीर आरोपों का, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के कोष में लगभग एक करोड़ रुपये के लाभ के कारण राजस्व की हानि हुई, अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (130)

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई-दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश में अशिक्षितों की बढ़ती संख्या का और एक निश्चित कालावधि में निरक्षरता मिटाने की आवश्यकता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (131)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि संघ के विभिन्न राज्यों के बीच सीमा विवादों, विशेषकर महाराष्ट्र-मैसूर सीमा विवाद को शीघ्र निपटाने की आवश्यकता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (132)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल के दौरान पुलिस द्वारा निर्दयता पूर्वक गोली चलाए जाने के परिणामस्वरूप मारे गये सरकारी कर्मचारियों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (133)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि इस समय चीन, पाकिस्तान अथवा श्रीलंका के कब्जे में जो भारतीय भूमि है उसे वापस लेने में सरकार के दृढ़ निश्चय का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (134)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश में खाद्य क्षेत्रों को समाप्त करने की आवश्यकता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।" (135)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश में बेकारी दूर करने के लिये किन्हीं विशेष योजनाओं और कार्यक्रमों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।" (136)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश के अल्पविकसित क्षेत्रों के लोगों की अधिक संतुलित आर्थिक विकास की न्यायोचित मांग का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।" (137)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि फरवरी, 1969 के दूसरे सप्ताह में बम्बई में विधि और व्यवस्था भंग होने और वहां हिंसा, लूटमार और आगजनी की भयंकर घटनाओं और पुलिस की गोलीबारी से 57 व्यक्तियों के मारे जाने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।" (138)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश में व्यक्तिगत व्यय की अधिकतम सीमा 1500 रुपये प्रति मास निश्चित करने, ताकि आन्तरिक संसाधनों को बेकार व्यय होने के स्थान पर लाभदायक उत्पादन में लगाया जा सके, का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।" (139)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश में समस्त भागों में हरिजनों तथा अन्य कम प्रतिष्ठित व्यक्तियों की निर्मम हत्या का, और बहुत से लोगों को संवैधानिक और मानवीय अधिकारों से बिल्कुल वंचित रखे जाने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।" (140)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि तंजवूर जिले में भूमिहीन श्रमिकों और उनके परिवारों की उनकी झोपड़ियां जलाकर हत्या किये जाने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।" (141)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि चीन द्वारा परमाणु शस्त्रों का भण्डार बनाने से देश की सुरक्षा को उत्पन्न नये खतरे का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (142)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि बम्बई जैसे महानगरों में, जहां नगर की आधी से अधिक जनसंख्या बिना घरों के रहती है, विशेषकर ऐसे नगरों के लिये विशाल गृह निर्माण कार्यक्रम की आवश्यकता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (143)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश में निःशुल्क और समरूप प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (144)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि गुप्त मतदान द्वारा श्रमिक संघों के प्रतिनिधि स्वरूप का निश्चय करके इन्हें मान्यता देने की आवश्यकता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (145)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश में चेचक, मलेरिया और हैजा समाप्त करने के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से एक परियोजना चलाने की आवश्यकता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (146)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अध्यापकों की समस्या का, और देश में उनका स्तर ऊंचा उठाने के लिए मार्गोपायों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (147)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि इस्पात, सीमेंट, कपड़ा मिलों, रसायन, तेल आदि जैसे उद्योगों तथा बैंकों और सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (148)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश में गरीब और अमीर के बीच सदा बढ़ती हुई विषमता का और इन्हें दूर करने की आवश्यकता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (149)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश में साम्प्रदायिक दंगों की अनेक घटनाओं का और मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों में व्याप्त असुरक्षा की भावना का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (150)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश के लोगों के विरोध के बावजूद कच्छ के रन में 327 वर्गमील भारतीय भूमि पाकिस्तान को सौंपे जाने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (151)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने की आवश्यकता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (152)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि वैज्ञानिकों और विद्वानों को सभी सुविधायें तथा अवसर प्रदान करने की आवश्यकता का, ताकि देश से प्रतिभा के निकास को रोका जा सके और डा० एच० खोराना जैसे व्यक्तियों को देश छोड़ने की आवश्यकता न पड़े, अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (153)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि ऐसी मूल्य नीति की आवश्यकता का, जिससे कृषि और औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों में संतुलन बनाए रखा जा सके और जिससे निर्मित वस्तुएं उत्पादन और परिवहन लागत से डेढ़ गुना मूल्य से अधिक न बेची जा सकें और अनाज के दाम दो फसलों के बीच 20 प्रतिशत से अधिक न बदलें, अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (154)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि जहां सिंचाई संभव है, ऐसी समस्त भूमि में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करने के लिए एक सात-वर्षीय योजना की आवश्यकता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (155)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश में समस्त परती भूमि में खेती करने के लिए एक स्थल सेना बनाने की आवश्यकता का, और भूमि को भूमिहीन श्रमिकों में बांटने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (156)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाय, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि युवा पीढ़ी की नई समस्याओं और देश के युवकों को इन नई चुनौतियों के नए हल निकालने की आवश्यकता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (157)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि मताधिकार की आयु घटाकर 18 वर्ष करने की आवश्यकता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (158)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए एक स्थायी आयोग स्थापित करने की आवश्यकता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (159)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में जन-धन की भारी हानि रोकने के लिये देश में प्रभावी बाढ़-नियंत्रण उपाय करने की आवश्यकता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (160)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अंगोला, दक्षिण अफ्रीका, रोडेशिया तथा अन्यत्र श्वेत उपनिवेशवाद के विरुद्ध अफ्रीकी लोगों द्वारा किये गये स्वतन्त्रता संग्राम का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (161)

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि भूमि के ग्राम स्वामित्व के माध्यम से कृषि में भूमि-स्वामित्व में और आगे सुधार करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (162)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में स्वामित्व तथा शक्ति के बढ़ते हुए जमाव की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।" (163)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि बेरोजगारी को किस प्रकार समाप्त किया जायेगा और वह समय किस प्रकार आयेगा जबकि सभी को रोजगार मिल सके।" (164)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि इस बारे में कोई मार्ग नहीं दर्शाया गया है कि घाटे की अर्थ-व्यवस्था को रोके बिना किस प्रकार मूल्यों को बढ़ने से रोका जायेगा।" (165)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि ब्रिटेन द्वारा आरोपित आयात सुरक्षा योजना द्वारा भारत द्वारा ब्रिटेन को किये जा रहे निर्यात में जो रुकावट आ गई थी, उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (166)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि इस बारे में कोई प्रकाश नहीं डाला गया है कि जिन नये ऐतिहासिक स्थानों की खुदाई नहीं की गई है, उन्हें किस प्रकार पर्यटक केन्द्र बनाया जायेगा।" (167)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि गांवों में बिजली लगाने के काम में तेजी लाने के लिये कोई स्पष्ट कार्यक्रम नहीं बनाया गया है।" (168)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि इस बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि आगामी योजनाओं से भारतीय अर्थ-व्यवस्था के भविष्य का और अधिक परिचय मिल सकेगा जैसा कि गत तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में होता रहा है।" (169)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि उत्पादन तथा कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये सरकारी उपक्रमों में मजदूरों के योगदान के वास्ते किसी कार्यवाही का उल्लेख नहीं किया गया है।" (170)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि विदेशी सहायता का बोझ कम करने के लिये, नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास पी० एल० 480 का जो भाग अपने पास रखता है, उसमें कमी करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (171)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि जब कि जाड़गुड़ा, बिहार में भारत की पहली "युरेनियम माइन एण्ड मिल" चालू हो गई है, बिहार में एक आणविक संयंत्र की स्थापना के बारे में किसी कार्यवाही पर कोई विचार नहीं किया गया है जब कि वहां पर यह अवश्य होना चाहिये।" (172)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि चलती फिरती मतदान-व्यवस्था शुरू करने के बारे में कोई उल्लेखन नहीं किया गया है जिससे कि देश में जाली मतदान को रोका जा सके।" (173)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि केन्द्र तथा राज्यों के बीच तनाव और अन्य प्रादेशिक तथा साम्प्रदायिक तनाओं को दूर करने के लिये किसी नई नीति के बारे में विचार नहीं किया गया है।" (174)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि संयुक्त परामर्श तथा अनिवार्य पंचनिर्णय व्यवस्था सर्वथा असफल रही है।" (175)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि इस बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि तथाकथित अजाद काश्मीर को पाकिस्तान के कब्जे से कैसे छुड़ाया जायेगा।" (176)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि वियतनाम समस्या को हल करने के लिये वियतनाम से अमरीकी सेनाओं को तुरन्त वापस हट जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (177)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि पश्चिम एशिया में स्थायी शान्ति कायम करने के लिये भूमध्य सागर से अमरीकी सेना के वापस हट जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।" (178)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि गत वर्ष भारत में आये विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तियों के स्वागत में अत्यधिक व्यय किया गया है ।" (179)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि मैथिली भाषा को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यता देने के लिये सरकार कोई विधेयक पेश नहीं कर रही है ।" (180)

श्री मुहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि पटसन उद्योग में लगभग 50,000 कर्मचारियों की छंटनी को रोकने में सरकार असफल रही है ।" (181)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि पश्चिम बंगाल में टैक्समैको, सैक्सबी, ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग, एम० एम० सी० बर्न एण्ड कम्पनी, ब्रेथउवेथ तथा अन्य इंजीनियरिंग कम्पनियों द्वारा अपनाये गये छंटनी के उपायों को रोकने में सरकार असफल रही है ।" (182)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि दुर्गापुर स्टील प्लांट में इंटक कर्मचारी संघ के नेताओं के तोड़फोड़ की कार्यवाहियों में भाग लेने के बावजूद इन्टक की मान्यता समाप्त करने और सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाले ए० आई० टी० यू० सी० कर्मचारी संघ को मान्यता प्रदान करने में सरकार असफल रही है ।" (183)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबन्धक सभी वर्तमान सुरक्षा कर्मचारियों की नयी सुरक्षा संस्था में लगाने में असफल रहे हैं ।" (184)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि सभी गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों में स्वचालित यंत्रों की स्थापना पर प्रतिबन्ध लगाने में सरकार असफल रही है ।" (185)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान के सभी शरणार्थियों को स्थायी बस्तियों में पुनर्वास करने में सरकार असफल रही है।" (186)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि पश्चिम बंगाल जैसे अनाज की कमी वाले राज्यों को पर्याप्त मात्रा में अनाज देने और अनाज की कमी वाले राज्यों को अन्य राज्यों से फालतू अनाज प्राप्त करने की अनुमति देने में सरकार असफल रही है।" (187)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि 31 जनवरी, 1969 को कलकत्ता में अल्प संख्यक जाति वाले लोगों पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की निन्दा करने में सरकार असफल रही है।" (188)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि रांची, नागपुर, मेरठ, इलाहाबाद और अन्य स्थानों पर साम्प्रदायिक उपद्रवों के शिकार हुये व्यक्तियों का पुनर्वास करने के लिये पर्याप्त कार्यवाही करने में सरकार असफल रही है।" (189)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि विभिन्न स्थानों पर साम्प्रदायिक उपद्रवों को बढ़ावा देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने में सरकार असफल रही है।" (190)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की साम्प्रदायिक कार्यवाहियों के लिये उसकी निन्दा करने और उस पर प्रतिबन्ध लगाने के उपायों का सुझाव देने में सरकार असफल रही है।" (191)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि तेलंगाना के गांवों में कृषि श्रमिकों पर पुलिस के पाशविक अत्याचार की निन्दा करने में सरकार असफल रही है।" (192)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि आसाम राज्य में तोड़ फोड़ की कार्यवाहियों के लिये लचित सेना के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने में सरकार असफल रही है।" (193)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ के खतरे के बारे में लोगों को पेशगी सूचना न देने के लिये उत्तरदायी प्रशासकों के विरुद्ध कार्यवाही करने में सरकार असफल रही है।" (194)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि बंगाल इम्युनिटी कर्मचारियों की हड़ताल के तीन महीने तक चलने के बावजूद भी हड़ताल समाप्त कराने के लिये कारगर रूप से हस्तक्षेप करने में सरकार असफल रही है।" (195)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि बंगाल इम्यूनिटी के प्रबंधकों द्वारा संघ सरकार के साथ हुए करार का पालन न किये जाने के लिये सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में असफल रही है।" (196)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि युवा इंजीनियरों ने अपने आन्दोलन में जो मांग की थी उसके अनुसार बेरोजगारी इंजीनियरों को निर्वाह भत्ता देने में सरकार असफल रही है।" (197)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अर्हताप्राप्त इंजीनियरों के लिये पर्याप्त नौकरियों की व्यवस्था करने हेतु उपाय करने में सरकार असफल रही है।" (198)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन में दिये गये सुझाव के अनुसार सभी औद्योगिक कर्मचारियों की आवश्यकताओं पर आधारित न्यूनतम मजूरी दिलाने में सरकार असफल रही है।" (199)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि भारत के खाद्य निगम के माध्यम से अनाज का थोक राज्य व्यापार आरम्भ करने में सरकार असफल रही है।" (200)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि जीवन की आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन पर उचित नियंत्रण करके उनकी पर्याप्त सप्लाई को सुनिश्चित करने में सरकार असफल रही है।" (201)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि जनसामान्य के रहन-सहन के स्तर में गिरावट को रोकने के लिये सभी अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखने में सरकार असफल रही है।" (202)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि निर्वाह व्यय में वृद्धि को शत-प्रतिशत अप्रभावी बनाने के लिये सभी मजदूरों और कर्मचारियों को पर्याप्त मंहगाई भत्ता देने में सरकार असफल रही है ।" (203)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि सभी औद्योगिक श्रमिकों और वेतन पाने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम मजूरी में महंगाई भत्ते को मिलाने में सरकार असफल रही है।" (204)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि फालतू पुर्जों का उत्पादन करने के लिये इंजीनियरी उद्योग के आनुषंगिक उद्योगों को प्रोत्साहन देने में सरकार असफल रही है।" (205)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि वियतनाम में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपना कर्तव्य निभाने में सरकार असफल रही है।" (206)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि भारत में अमरीकी अभिकरणों से प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्राप्त साम्यवाद-विरोधी तथा चीन विरोधी प्रवृत्तियों की निन्दा करने में सरकार असफल रही है।" (207)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि राष्ट्रमण्डल को छोड़ने में पहल करने में सरकार असफल रही है।" (208)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि सेना के अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार और उसे रोकने के लिये कार्यवाही करने की आवश्यकता का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है।" (209)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि प्रतिरक्षा विभाग में ठेका पद्धति को समाप्त करने में सरकार असफल रही है।" (210)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि भूतपूर्व महाराजों को निजी थैली देना बन्द करने की आवश्यकता का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है।" (211)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि जमींदारी प्रथा को समाप्त करने और जमीन को उसके जोतने वालों में बांटने में सरकार असफल रही है।" (212)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि किसानों को महाजनों के चुंगल से मुक्त करने की दृष्टि से उनको ऋण देने में सरकार असफल रही है।" (213)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि सरकार उन राज्य सरकारों की निन्दा करने में असफल रही है जिन्होंने बीड़ी मजदूरों की दशा सम्बन्धी विधान को क्रियान्वित नहीं किया है।" (214)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि रूई के वायदा व्यापार पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने में सरकार असफल रही है।" (215)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि बम्बई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, पश्चिम बंगाल आदि में कपड़ा मिलों के बन्द होने को रोकने में सरकार असफल रही है।" (216)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि काले धन का पता लगाने और उसे राष्ट्रीय विकास के लिये उपयोग करने में सरकार असफल रही है।" (217)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि सभी औद्योगिक संस्थानों में छंटनी, जबरी छुट्टी और उनको बन्द करने पर प्रतिबन्ध लगाने में सरकार असफल रही है।" (218)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि कर्मचारियों के अंशदान की राशि को बढ़ाकर कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अन्तर्गत मिलने वाले लाभों को बढ़ाने में सरकार असफल रही है।" (219)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि कलकत्ता के इंडिया इलैक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड के 18 महीने तक बन्द रहने के बावजूद भी उसे अपने हाथ में लेने और कर्मचारियों को मजूरी का भुगतान करने में सरकार असफल रही है।" (220)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि इंडिया इलैक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने से पहले भविष्य निधि में नियोजकों का हिस्सा देने में असफल रही है।" (221)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि रसायन उद्योग में श्रमिकों की मजूरी को विनियमित करने में सरकार असफल रही है।" (222)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश में साम्प्रदायिकता, प्रांतीयता और जातिवाद को भड़काने में कांग्रेस दल द्वारा किये गये कार्य की निन्दा करने में सरकार असफल रही है।" (223)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश के विभिन्न भागों में नगरपालिकाओं की बिगड़ती हुई दशा को सुधारने के लिये पर्याप्त कार्यवाही करने में सरकार असफल रही है।" (224)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि यह सुनिश्चित करने में सरकार असफल रही है कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को स्थान देने में भेद-भाव न बरता जाये।" (225)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि मध्यावधि चुनाव के समय कलकत्ता के स्टेट्समैन में 26 जनवरी को प्रकाशित उस विवादास्पद लेख का, जिसने अल्प-संख्यक समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, अनुमोदन करने में प्रेस सलाहकार परिषद् द्वारा किये गये कार्य की आलोचना करने में सरकार असफल रही है।" (226)

श्री शिवपूजन शास्त्री (विक्रमगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि सिंचाई सुविधाओं, उर्वरकों, कीटनाशी दवाइयों, उन्नत बीजों, आधुनिक कृषि औजारों, ट्रैक्टरों आदि के नितान्त अभाव का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (239)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि राष्ट्रीय आय के समुचित वितरण की व्यवस्था का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (240)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि बेकारी की समस्या को पूरी तरह हल करने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (241)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि ग्रामदान का, जो देश के भीतरी साधनों को जुटाने में एक बड़ा सरल साधन है, अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (242)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि विदेशी ऋण की अदायगी के स्पष्ट उपायों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है। (243)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि केवल नेक आशा प्रकट करके ही राज्यों में स्थायी सरकारें बनने की आशा अभिभाषण में व्यक्त की गई है।" (244)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि राष्ट्रीयता और भौतिकता के अन्तर्विरोधों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है। (245)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में गैर-पूंजीवाद मार्ग, अर्थात् पूंजीवाद त्याग कर देश के चतुर्दिक विकास के समाजवादी मार्ग, का अवलम्बन करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (304)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि स्वतंत्रता के 22 वर्षों के पश्चात् भी अमीर अधिक अमीर तथा गरीब अधिक गरीब होते जा रहे हैं।" (305)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि तीस प्रतिशत सम्पत्ति के टाटा और बिड़ला के हाथों में एकत्रीकरण का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है।" (306)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश के अर्थतन्त्र पर 75 इजारेदार पूंजीपति परिवारों के शिकंजे का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है। (307)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश से गरीबी और बेकारी मिटाने के उपायों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (308)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि बेकारी समाप्त करने में असफलता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (309)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश में औद्योगीकरण की गति को तेज करने का अभिभाषण में उल्लेख नहीं है।" (310)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि औद्योगिक मामलों में देश को आत्म-निर्भर बनाने के उपायों का अभिभाषण में उल्लेख नहीं है।" (311)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि उद्योगों में तेजी के साथ विकसित होने वाली इजारेदारी को रोकने का अभिभाषण में उल्लेख नहीं है।" (312)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि विदेशी पूंजी के राष्ट्रीयकरण का अभिभाषण में उल्लेख नहीं है।" (313)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश के बुनियादी उद्योग-धंधों के राष्ट्रीयकरण करने का अभिभाषण में उल्लेख नहीं है।" (314)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि चाय बागानों के राष्ट्रीयकरण करने का अभिभाषण में उल्लेख नहीं है।" (315)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि विदेशी पूंजीपतियों द्वारा प्रत्येक वर्ष करोड़ों, अरबों रुपये मुनाफे के रूप में देश से बाहर ले जाने पर रोक लगाने में असफलता का अभिभाषण में उल्लेख नहीं है।" (316)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश की संकटापन्न आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए छिपे काले धन को निकालने, पूंजीपतियों से अरबों रुपये का बकाया कर वसूल करने, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने, विदेशी व्यापार गल्ले के थोक व्यापार तथा तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने तथा देशी नरेशों को दिये जाने वाले प्रीविपर्स को बन्द करने का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है।" (317)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश के स्वस्थ आर्थिक विकास के लिए समाजवादी देशों से सम्पर्क बढ़ाने तथा साम्राज्यवादी एवं पूंजीवादी देशों पर निर्भरता की नीति का त्याग करने का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है।" (318)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि आर्थिक प्रगति के मार्ग की रुकावटों को ठोस ढंग से दूर करने की बातों का अभिभाषण में उल्लेख नहीं है।" (319)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि कृषि के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए बुनियादी कृषि सुधार की आवश्यकता का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है।" (320)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए देश की बड़ी सिंचाई योजनाओं को शीघ्र पूरा करने का अभिभाषण में उल्लेख नहीं है।" (321)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि बिहार की प्रथम संविद सरकार द्वारा संशोधित बटाईदारी कानून को लागू करने का अभिभाषण में उल्लेख नहीं है।" (322)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सस्ते दर पर बीज और खाद मुहय्या करने का अभिभाषण में उल्लेख नहीं है।" (323)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि मूल्यों में स्थिरता लाने सम्बन्धी ठोस सुझावों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (324)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि किसानों को उचित मूल्य दिलाने का अभिभाषण में उल्लेख नहीं है।" (325)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि किसानों को औद्योगिक सामग्री सस्ते दर पर दिलवाने का अभिभाषण में उल्लेख नहीं है।" (326)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि चीनी की कीमत में कमी करने का अभिभाषण में उल्लेख नहीं है।" (327)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि जूट, कपास, तेल के बीज, गन्ना आदि तिजारती फसलों की उचित कीमत निर्धारित करने का अभिभाषण में उल्लेख नहीं है।" (328)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि खेती-बाड़ी की तरक्की के लिए किसानों को विशेष सुविधाएं प्रदान करने का अभिभाषण में उल्लेख नहीं है।" (329)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि सरकारी परती जमीन को खेतीहर मजदूरों एवं गरीब किसानों में निःशुल्क बांटने का अभिभाषण में उल्लेख नहीं है।" (330)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि खेतिहर मजदूरों को जमीन पर मालिकाना हक दिलवाने का अभिभाषण में उल्लेख नहीं है।" (331)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजूरी बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (332)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि रासायनिक खाद के मामले में दूसरों पर अपनी निर्भरता समाप्त करने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (333)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि राशन की दूकानों पर दी जाने वाली खाद्य वस्तुओं की कीमतों को घटाने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (334)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि परिवार नियोजन के नाम पर किये जा रहे धन के दुरुपयोग को रोकने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (335)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय को पूंजीपतियों द्वारा हड़प लिये जाने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (336)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि श्रमिक वर्ग में राष्ट्रीय आय के न्यायपूर्ण वितरण का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (337)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि श्रमिकों को बढ़े हुये उत्पादन का लाभ पहुंचाने में सरकार की असफलता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (338)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश में बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार उपलब्ध करने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।" (339)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश के लाखों शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करने की किसी योजना का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।" (340)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्: —

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि बेरोजगारी के प्रति विरोध प्रकट करने के लिये देश के विद्यार्थियों तथा नवयुवकों द्वारा चलाये जा रहे आन्दोलनों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।" (341)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि बेरोजगारी पर काबू पाने के लिये देश में बड़े पैमाने के उद्योग स्थापित करने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।" (342)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश के विभिन्न भागों को सूखे की भयंकरता से बचाने के लिए किसी ठोस योजना का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।" (343)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि आयात को और अधिक घटाने में असफल रहने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।" (344)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश के प्रसिद्ध पर्यटन केन्द्रों को विकसित करने की किसी योजना का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।" (345)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि बिहार की सिंचाई परियोजनाओं को क्रियान्वित तथा पूरा करने में असफलता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।" (346)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि बिहार में बिजली दरों को घटाने में असफल रहने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (347)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वित करने में हो रहे असाधरण विलम्ब के कारणों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (348)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि सरकारी क्षेत्र के विस्तार को अप्रत्यक्ष रूप से अवरुद्ध करने के लिए काम कर रही ताकतों का भंडाफोड़ करने में असफल रहने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (349)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि विदेशी ऋणों से छुटकारा पाने के लिए देश के अन्दर उपलब्ध संसाधनों के पूर्णरूपेण उपयोग करने के उपायों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (350)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश में राजनैतिक अस्थिरता के लिए कांग्रेस दल तथा सरकार को जिम्मेवार ठहराने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (351)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि दल-बदल को बढ़ावा देकर गैर-कांग्रेसी सरकारों को उलटने की कांग्रेस दल तथा भारत सरकार की जन-विरोधी नीति का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (352)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि केरल सरकार के पतन के हेतु किये प्रयत्नों की भर्त्सना करने के लिए अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (353)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि सी० आई० ए० तथा पी० एल० 480 सहायता के अमरीकी धन को हाल के मध्यावधि चुनावों में निर्बाध रूप से उपयोग करने की भर्त्सना करने के लिए अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (354)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि मध्यावधि चुनावों के दौरान बिहार में मतदाताओं विशेषरूप से मुस्लिम, हरिजन तथा पिछड़ी जातियों के मतदाताओं को अपना मत देने से रोकने की गैर-लोकतंत्रीय प्रतिविधियों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (355)

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन): मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि हाल में हुए मध्यावधि चुनाओं में कुछ विदेशों द्वारा भारत के आंतरिक मामलों में जो हस्तक्षेप हुआ है, उसका अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (356)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि मध्यावधि चुनाव में हिंसात्मक प्रवृति जो बढ़ी है, उसका अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (357)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि पशु धन की हानि को रोकने, कृषकों को ऋण देने संबंधी नीति उदार बनाने, कृषकों को सस्ते दामों पर ट्रैक्टर आदि उपलब्ध कराने आदि के लिये अपनाये जाने वाले उपायों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (358)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिये आगामी वर्षों में अपनाई जाने वाली सरकार की नीति का अभिभाषण में कोई भी उल्लेख नहीं है। (359)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि ईसाई मिशनरियों द्वारा हरिजन और आदिवासियों के धर्म परिवर्तन में संलग्न तत्वों का तथा विदेशी पादरियों द्वारा विदेशी धन के दुरुपयोग का अभिभाषण में कोई भी उल्लेख नहीं है।" (360)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश के विभिन्न भागों में हरिजनों के साथ हो रहे अत्याचारों का तथा उनके विकास तथा उन्हें रोजगार दिलाने के लिये अपनाये जाने वाले उपायों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (361)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, विशेषकर इंजीनियरों तथा डिग्री प्राप्त नवयुवकों की समस्या के समाधान का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।" (362)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश में सूती कपड़ा मिलों के बन्द होने से हजारों मजदूर बेरोजगार होने और इस समस्या के समाधान का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।" (363)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि बढ़ती हुई मंहगाई को रोकने के सम्बन्ध में सरकार की नीति का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।" (364)

श्री यशवन्त सिंह कुशवाह (भिंड) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि जनता की आधारभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए देश की तथा जनता की उन्नति के लिये की जाने वाली कार्यवाही का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।" (365)

श्री देवेन सेन (आसनसोल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले विभिन्न श्रमिक संघों को पुनः मान्यता देने में सरकार असफल रही है ।" (366)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण मुअत्तिल या बर्खास्त किये गये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बहाल करने में सरकार असफल रही है ।" (367)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु श्रमिकों के अधिकारों को कम करने के लिये की गई कड़ी कार्यवाही पर खेद व्यक्त करते हैं ।" (368)

श्री हरदयाल देवगुण (पूर्व दिल्ली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि पाकिस्तान समर्थक और चीन समर्थक तत्वों के कारण देश की अखण्डता के लिये बढ़ते हुए खतरे के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (378)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि चीन और पाकिस्तान के बढ़ते हुए खतरे का सामना करने के लिये देश में परमाणु अवरोधक व्यवस्था का विकास करने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (379)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि पाकिस्तान और पश्चिम एशिया के बारे में रूस की नीति में हुए परिवर्तन को देखते हुए सरकार का विदेश नीति के बारे में फिर विचार करने में असफल रहने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (380)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि इस सम्पूर्ण क्षेत्र के लिये उत्पन्न साम्यवादी चीन के खतरे का सामना करने के लिये ताइवान सहित दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (381)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अफ्रीकी देशों में भारतीय मूल के उन लोगों की दशा का जिन्हें वहां की सरकारों द्वारा निकाला जा रहा है, अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (382)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि भारत और भारतीय मूल के लोगों के प्रति ब्रिटेन के भेदभावपूर्ण रवैये का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (383)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ द्वारा उसके रेडियो पीस एन्ड प्रोग्रेस के जरिए भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (384)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य को शेष भारत के साथ पूर्णतया मिलाने और साम्यवादी चीन द्वारा अपने कब्जे में किये गये उसके एक तिहाई भाग को मुक्त कराने के बारे में की जाने वाली कार्यवाही का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।" (385)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि साम्यवादी चीन द्वारा अपने कब्जे में किये गये भारतीय राज्यक्षेत्र को मुक्त करने के लिये की जाने वाली कार्यवाही का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।" (386)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि हिन्द महासागर में रूसी बेड़े की बढ़ती हुई गतिविधि के कारण भारतीय सुरक्षा को समुद्र से बढ़ते हुये खतरे का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।" (387)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि दिल्ली के विकास के लिये दिल्ली प्रशासन को धन देने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के सौतेले व्यवहार का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।" (388)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि दिल्ली की बढ़ती हुई आवास समस्या का सामना करने के लिये महानगर क्षेत्र में आवास निगम स्थापित करने की आवश्यकता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।" (389)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि तीव्र गति से बढ़ने वाली दिल्ली राजधानी के क्षेत्र में आने वाले नगरीकृत गावों की स्थिति सुधारने के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।" (390)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की समस्या और उसको हल करने के बारे में की जाने वाली कार्यवाही का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।" (391)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि दिल्ली मिल्क स्कीम द्वारा दिल्ली में जमुना पार की बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिये दूध सप्लाई करने के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (392)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि दिल्ली के लिये मास्टर प्लान फिर से तैयार करने और उसमें संशोधन करने के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (393)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि जमुना पार की बस्तियों को दिल्ली के साथ मिलाने के लिये नये पुल बनाने और खासतौर पर शान्तिवन के पास एक ऐसा पुल बनाने के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (394)

श्री इ० के० नायनार (पालघाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश के सम्मुख आर्थिक और राजनीतिक संकट के स्वरूप तथा सीमा की गम्भीरता के विषय में सरकार आत्मतुष्टि और सन्तोष की खतरनाक भावना का प्रदर्शन कर रही है।" (395)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि सरकार ने विगत काल में अपनी नीतियों की असफलताओं और उनकी त्रुटियों के आधारभूत कारणों को प्रकट करने का सही प्रयास नहीं किया है और वह आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में गम्भीर संकट के विषय में निश्चिन्त हो कर भावी खतरनाक परिणामों के प्रति जनता की चेतना और सतर्कता को सहलाने के लिए धोखादेह और सुन्दर तस्वीर खींच रही है।" (396)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि सामान्यरूप से गैर-कांग्रेसी सरकारों के प्रति और विशेषरूप से पश्चिमी बंगाल और केरल की संयुक्त मोर्चा सरकारों के प्रति गत सामान्य निर्वाचन के पश्चात् केन्द्रीय सरकार की नीतियों की पूर्ण विफलता का इस अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (397)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि संसदीय लोकतंत्र का विध्वंस करने, राज्यों की स्वायत्तता को शक्तिहीन बनाने, गैर-कांग्रेसी सरकारों को अपदस्थ करने और केन्द्र की आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियों के अत्यन्त अनैतिक, असंवैधानिक और मनमाने प्रयोग से, अनाज, वित्तीय संसाधन और यहां तक कि ऐसे राज्यों की वैधानिक क्षमता सहित, ऐसी सरकारों को अति दुर्बल बनाने की केन्द्रीय सरकार की नीति का इस अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है।" (398)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि इस अभिभाषण में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है कि सरकार ने देश के पूंजीवादी विकास का जो मार्ग चुना है, उसके परिणाम-स्वरूप एकाधिकारों का अभूतपूर्व विकास हुआ है, हमारे देश की विदेशी साम्राज्य-वादियों पर हीनताजनक निर्भरता बढ़ी है और उसके फलस्वरूप राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा हुआ है। लाखों किसान भूमि से वंचित रह गये हैं और बर्बाद हो गये हैं, श्रमिक वर्ग कमजोर हो गया है, कृषि मजदूरों, हरिजनों और आदि-वासियों का आर्थिक और सामाजिक दमन हुआ है, छोटे-मोटे उद्यमी ढह गये हैं, परम्परागत उद्योगों का ह्रास हुआ है और उनके समाप्त होने की आशंका है, बेरोजगारी बढ़ रही है, मजूरी कम हुई है, काम बढ़ा है, औद्योगिक श्रमिकों की मजूरी कम हुई है और जनसाधारण के जीवन की आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं।" (399)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि इस अभिभाषण में कृषि की उपज की निश्चयात्मक वृद्धि का उल्लेख करते हुए यह नहीं कहा गया है कि ऐसा बराबर दो अच्छी मानसूनों की सौभाग्यपूर्ण परिस्थितियों के कारण हुआ है और इसमें देश के अनेक भागों में अभूतपूर्ण बाढ़ों के कारण हुई बर्बादी और व्यापक क्षेत्रों में अभी तक विद्यमान सूखे और अकाल की स्थिति की उपेक्षा की गई है।" (400)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये,अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि इस अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया हैं कि अधिकांश उद्योगों में तथाकथित सुधार अनेक छोटे एककों को बर्बाद करके और बन्द करके, वैज्ञानिकरण करके, छंटनी करके, काम का बोझा बढ़ाकर, मजूरी कम करके और लाखों औद्योगिक श्रमिकों को निरन्तर बेरोजगार करके हुआ है।" (401)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि इस अभिभाषण में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है कि भुगतान-सन्तुलन में तथाकथित काफी सुधार अवमूल्यन के कारण रुपये का मूल्य गिर जाने से बराबर हो जाता है और जो थोड़ी सी सफलता मिली है वह करदाता के धन में से सरकार द्वारा बड़े-बड़े उद्योगपतियों और निर्यातकों को दी गई अत्यधिक राजसहायता के कारण मिली है।" (402)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि इस अभिभाषण में इस तथ्य की अपेक्षा की गई है कि कृषि में प्रौद्योगिकीय सुधार के परिणामस्वरूप पूंजीपति जमीदारों का एक शक्तिशाली वर्ग पैदा हो रहा है और सुदृढ़ हो रहा और साथ ही छोटे और मध्यम श्रेणी के लाखों किसान जमीनों से वंचित हो रहे हैं और कृषि श्रमिकों में बेरोजगारी बढ़ रही है और इस प्रकार ग्रामीण जनता की मुसीबतें बढ़ रही हैं।" (403)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि इस अभिभाषण में इन कठोर वास्तविकताओं की अवहेलना की गई है कि सरकार द्वारा उपलब्ध किये जाने वाले खेती के सब साधन जैसे, ऋण उर्वरक, मशीनरी, बेहतर बीज आदि अमीर किसानों और पूंजीपति जमीदारों द्वारा प्राप्त कर लिये जाते हैं और इनका गरीब और मध्यम वर्ग के किसानों पर कोई असर नहीं पड़ा है।" (404)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि इस अभिभाषण में अनाज के उत्पादन और अनाज वसूली की वृद्धि के विषय में आत्म-तुष्टि दिखाते हुए इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि केरल की जनता को केन्द्रीय सरकार अभी तक पर्याप्त मात्रा में राशन नहीं दे रही है।" (405)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि इस अभिभाषण में 80 से ज्यादा कपड़ा मिलों की समस्याओं की उपेक्षा की गई है जो बन्द कर दी गई है और देश में लगभग 75,000 कपड़ा श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं।" (406)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि इस अभिभाषण में इंजीनियरी उद्योग में अभी तक विद्यमान संकट की उपेक्षा की गई है।" (407)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि इस अभिभाषण में औद्योगिक क्षमता के अल्प उपयोग की व्यापक समस्याओं और इसके फलस्वरूप दुर्लभ राष्ट्रीय साधनों के बेकार रहने की उपेक्षा की गई है।" (408)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि इस अभिभाषण में बेरोजगारी और कम रोजगार की बृहत्तता की उपेक्षा की गई है।" (409)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि इस अभिभाषण में हाल ही में बढ़ने वाली साम्प्रदायिक, प्रादेशिक तथा अन्य विघटनकारी प्रवृत्तियों और तनाव के आधारभूत कारणों की उपेक्षा की गई है जो देश में फैल रही है और राजनीतिक व्यवस्था को दूषित कर रही है और इसमें सरकार की उन नीतियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है जिन के कारण यह गम्भीर स्थिति उत्पन्त हुई है और इसमें इस बात का भी उल्लेख नहीं किया गया है कि स्थिति को बिगाड़ने में प्रतिक्रियावादी, अलोकतंत्रात्मक, साम्प्रदायिक, राष्ट्रविरोधी तत्वों और कांग्रेसियों ने क्या पार्ट अदा किया है।" (410)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि इस अभिभाषण में 19 सितम्बर की हड़ताल की प्रत्याशा में उसके दौरान और उसके पश्चात् केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के साथ किये गये अभूतपूर्व और बर्बरतापूर्ण व्यवहार के बारे में और हजारों कर्मचारियों के अत्यन्त अलोकतंत्रात्मक ढंग से और बदले की भावना से किये गये दमन का उल्लेख नहीं किया गया है।" (411)

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोजीकोडे) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश के विभिन्न भागों में आक्रामक, साम्प्रदायिक तथा प्रादेशिक हिंसा के जारी रहने के परिणामस्वरूप उत्पन्न दु:खदायी स्थिति के बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया है।" (420)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि उर्दू को उसका उचित स्थान देने के बहुत समय से निलम्बित महत्वपूर्ण प्रश्न की अभिभाषण में उपेक्षा की गई है।" (421)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश की अर्थ-व्यवस्था को शनैः शनैः खोखला करने वाले भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिये कोई प्रभावी आन्दोलन चलाने का अभिभाषण में कोई संकेत नहीं है।" (422)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि बहुचर्चित धर्म-निरपेक्षता का सम्मान इसके अनुसार आचरण करने के बजाय उसका उल्लघंन करके किया जा रहा है, जैसा कि मस्जिदों के अन्धाधुन्ध गिराये जाने तथा कब्रिस्तानों के नष्ट किये जाने तथा उन्हें अपने अधिकार में लेने की बार बार होने वाली घटनाओं से स्पष्ट है।" (423)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि मध्यावधि चुनावों के परिणामों को केन्द्र की कांग्रेसी सरकार के प्रति अविश्वास समझकर भारत सरकार द्वारा त्याग-पत्र न देने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (424)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि श्रीनगर में हुई राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक के फैसलों को क्रियान्वित नहीं करने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (425)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा अन्य साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा श्रीनगर राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के फैसलों को तारपीडो करने की नीति का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (426)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि साम्प्रदायिक दंगों तथा उनके प्रणेताओं की निन्दा करने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (427)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि साम्प्रदायिक प्रचारों पर रोक लगाने की आवश्यकता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (428)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि साम्प्रदायिक तनातनी एवं साम्प्रदायिक दंगों के जनक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को गैर-कानूनी घोषित करने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (429)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि विभिन्न जातियों तथा सम्प्रदायों के बीच झगड़े और घृणा फैलाने वाले शिव सेना तथा लचित सेना जैसे फासिस्ट संगठनों पर रोक लगाने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (430)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि शिव सेना द्वारा बम्बई में लूटमार, आगजनी तथा दूसरे समाज विरोधी कार्यों द्वारा नागरिक जीवन को ठप्प कर देने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (431)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की दस-सूत्री मांगें स्वीकार करने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (432)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की आवश्यकता के आधार पर आधारित वेतन, बढ़ती हुई महंगाई का शुन्यीकरण, महंगाई भत्ते में वृद्धि आदि मांगों को स्वीकार करके उनके असंतोष को दूर करने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (433)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि गत 19 सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल के सिलसिले में केन्द्रीय सरकार के जिन कर्मचारियों के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियां की गई थीं, उन्हें रद्द करने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (434)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि हाल की हड़ताल के सिलसिले में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर चलाये जा रहे मुकदमें वापस लेने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (435)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के जिन संगठनों की मान्यताएं छीन ली गई हैं उन्हें पुनः मान्यता प्रदान करने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (436)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल कुचलने के लिए जारी किये गये फासिस्ट अध्यादेश की निन्दा अभिभाषण में नहीं की गई है।" (437)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के न्यायोचित आन्दोलनों को कुचलने के लिए बनाये गये कानूनों को रद्द कर देने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (438)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि विभिन्न राज्यों के अराजपत्रित कर्मचारियों को केन्द्रीय दर पर महंगाई भत्ता देने के लिए राज्यों को विशेष सहायता देने की आवश्यता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (439)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि बिहार सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों को स्वीकार करने में असफलता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (440)

श्री रवि राय (पुरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि गरीबी तथा कुपोषण को, जिसकी जानकारी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा हाल में की गई छानबीन से मिली है जिसमें यह भली प्रकार सिद्ध किया गया है कि हमारे देश की एक तिहाई जनसंख्या नितान्त गरीबी को हालत में रहती है और उसका प्रति व्यक्ति प्रति मास व्यय ग्रामीण क्षेत्र में 15 रुपये तथा नगरीय क्षेत्र में 24 रुपये है, दूर करने के उपायों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (442)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि उन लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है जिन्होंने बम्बई के गैर-महाराष्ट्रीय लोगों के विरुद्ध शिव सेना के नाम में अत्याचार किये और इस प्रकार हमारी राष्ट्रीयता के आधार को ही कमजोर किया और राष्ट्र को नागरिकों के दो भागों में अर्थात् एक तो उसी राज्य के नागरिक और दूसरे बाहर के, विभक्त किया।" (443)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ताकि भू-सेना तथा साक्षर-सेना बनाने में पर्याप्त धन लगाकर और क्रमशः खाली भूमि को कृषि के अधीन लाकर तथा निरक्षरता दूर करके उन्हें रोजगार उपलब्ध किया जा सके।" (444)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि विभिन्न राज्यों में तथा एक ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए किन्हीं उपायों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (445)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों, सचिवालय में अंग्रेजी का प्रयोग बन्द करने तथा तत्काल मातृ-भाषा का माध्यम अपनाने हेतु उपायों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (446)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि प्रत्येक भारतीय राष्ट्रजन की प्रति मास खर्च की अधिकतम सीमा 1,500 निर्धारित करने की आवश्यकता का, और इस प्रकार प्रति वर्ष तीन हजार करोड़ रुपये की बचत करने, जिसे आसानी से कृषि तथा उद्योग के विकास में लगाया जा सकता है, अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (448)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि गांधी शताब्दी वर्ष के दौरान देश के हरिजनों तथा आदिवासियों के साथ उचित व्यवहार करने हेतु अस्पृश्यता निवारण करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (449)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि गांधी शताब्दी वर्ष के दौरान समस्त बिड़ला भवन को, जहां महात्मा गांधी का देहावसान हुआ था, अपने नियन्त्रण में लेने की आवश्यकता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (450)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि जो सरकारी नौकर अन्तर्जातीय विवाह करें उनको पदोन्नति देकर सेवाओं में जातिवाद के उन्मूलन के लिए किसी कार्यवाही का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है।" (451)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि पूर्व जर्मनी और तैवान को राजनयिक मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (452)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि जब तक पेकिंग सरकार तिब्बत की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान न करे और भारत को वह भूमि वापस न दे जिस पर उसने 1962 में कब्जा कर लिया था तब तक उसके साथ कोई विचार-विनिमय न करने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (453)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि 24 से 26 तक के आयु-वर्ग में आने वाले व्यक्तियों को सैनिक सेवा में रखने की कार्यवाही द्वारा देश की प्रतिरक्षा को मजबूत करने के लिए किसी कार्यवाही का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है।" (454)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि उड़ीसा के पुरी तथा गंजम जिलों और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में बाढ़ तथा तूफान से बेघर हुए तथा राजस्थान के अकाल-ग्रस्त जिलों में पीड़ित लाखों लोगों को पर्याप्त सहायता देने की आवश्यकता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (455)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि बिड़ला बन्धुओं के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करने के लिए विवियन बोस आयोग के ढंग का एक जांच आयोग नियुक्त करने की आवश्यकता का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है।" (456)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि मध्यावधि चुनावों में सरकारी हस्तक्षेप का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (457)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि 20 लाख रुपये खर्च करके प्रधान मंत्री के निवास के लिए एक भवन तैयार करने के कथित प्रस्ताव का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप गांधी शताब्दी वर्ष में यह फिजूल खर्ची होगी जब कि लाखों लोगों के पास रहने के लिए झोपड़ी तक नहीं है।" (458)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि हाल में हुए चुनावों के दौरान केवल बिहार में प्रधान मंत्री के चुनाव दौरे पर खर्च हुए 19 लाख रुपये की बात का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (459)

श्री महन्त दिग्विजय नाथ (गोरखपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि गो-वध पर प्रतिबन्ध लगाने, ईसाई पादरियों द्वारा आदिम जातियों के लोगों का बड़े पैमाने पर धर्म-परिवर्तन और भारत में पाकिस्तानी मुसलमानों की भारी संख्या में घुसपैठ को रोकने के बारे में अभिभाषण में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।" (464)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को जो कि भारतीय संस्कृति और लोकतंत्र के लिए घातक है, बन्द करने के लिए किसी कार्यवाही के किये जाने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (465)

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि कर्मचारियों और सरकार के बीच किसी समझौते का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (466)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि कर्मचारियों को अपने विचार निर्बाधरूप से प्रकट करने देने और उनकी आवाज दबाने वाले कानून वापस लेने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (467)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि विरोधी दलों का दमन करने वाले आपराधिक तथा निर्वाचन विधियां (संशोधन) विधेयक, 1968 को वापस लेने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (468)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि राष्ट्रीयता और धर्म-निरपेक्षता के नाम पर जनता को आपस में लड़ाने वाली शक्तियों का कोई उल्लेख नहीं है।" (469)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि राजस्थान नहर को अपने हाथ में ले लेने का कोई उल्लेख नहीं है।" (470)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि बड़ौली और गांधी सागर आणविक बिजली घरों का पर्यटन-केन्द्रों के रूप में विकास किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (471)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश के विकास तथा परिवार नियोजन कार्यक्रमों में अल्पसंख्यकों का सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (472)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि राजस्थान में बाढ़ और सूखे का कोई उल्लेख नहीं है।" (473)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि इंजीनियरों की बेकारी और उसको समाप्त करने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (474)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल तथा उनके विरुद्ध अपनाये गये दमनकारी उपायों का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (481)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि केन्द्रीय सरकार के 10,000 से अधिक कर्मचारियों के विरुद्ध की जा रही अनुशासनात्मक कार्यवाहियों तथा न्यायालयों में दायर किये गये मुकदमों को वापस लेने के किसी सुझाव का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (482)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि शिव सेना तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी साम्प्रदायिक तथा धर्मनिरपेक्षता-विरोधी शक्तियों की भयंकर बढ़ोतरी का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (483)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित लोगों तथा उनको बसाने की आवश्यकता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (484)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि सरकार देश की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों का पर्याप्त 'बफर स्टाक' बनाने में असफल रही है।" (485)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि सरकार द्वारा जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य को मान्यता देने से इन्कार का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (486)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि सरकार वियतनाम से अमरीकी सेनाओं के वापस हट जाने की स्पष्ट रूप से मांग करने में असफल रही है।" (487)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि सरकार गैर-कांग्रेसी राज्य सरकारों के साथ उचित व्यवहार करने में असफल रही है।" (488)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि सरकार अपने कर्मचारियों के साथ विवाद को सुलझाने में असफल रही है।" (489)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के साथ अपने विवादों को पंच के सपुर्द नहीं कर त्रिदलीय फैसलों का उल्लंघन किया है।" (490)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि बिहार सरकार के अराज-पत्रित कर्मचारियों को उनकी 20 दिनों की हड़ताल की अवधि के वेतन को चुकाने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (491)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि बिहार सरकार के अराज-पत्रित कर्मचारियों की समय-समय पर चल रही छंटनी को रोकने के सम्बन्ध में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (492)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि सरकार की मजदूर विरोधी नीति में परिवर्तन करने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (493)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि मजदूरों के जीवनमान को ऊंचा उठाने के लिए किसी ठोस कदम का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (494)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि मजदूरों के वेतन तथा दूसरी सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में किसी कार्रवाई का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (495)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि मजदूरों एवं कर्मचारियों को हर हालत में बोनस की अदायगी करवाने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (496)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि श्रम-कानूनों को सख्ती के साथ लागू करने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (497)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि पूंजीपतियों को श्रम-कानूनों का उल्लंघन करने पर सजा देने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (498)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि श्रम-आन्दोलनों का दमन करने में पुलिस का उपयोग नहीं करने का अभिभाषण में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।" (499)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि सरकारी तंत्र पर नौकर-शाहों का नियंत्रण समाप्त करने में सरकार की असफलता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (500)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते है कि शिक्षा को सस्ता बनाने का उल्लेख नहीं है ताकि यह सर्वसाधारण को सुलभ हो सके।" (501)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते है कि संपूर्ण देश के लिए सामान्य पाठ्यक्रम की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।" (502)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि पढ़ाई के स्टैण्डर्ड को ऊंचा उठाने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।" (503)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि मातृ एवं प्रादेशिक भाषाओं में शिक्षा देने की आवश्यकता का अभिभाषण में उल्लेख नहीं है।" (504)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि हरिजनों पर हो रहे अमानवीय जुल्मों को खतम करने के लिए कारगर कार्रवाई करने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (505)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि चीन और पाकिस्तान के साथ अच्छे पड़ोसी के साथ रहने पर जोर नहीं दिया गया है।" (506)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि चीन के साथ झगड़ों को निपटाने के लिए पहल करने की बात का उल्लेख नहीं किया गया है।" (507)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि पूर्वी जर्मनी को मान्यता देने की नीति पर चलने का उल्लेख नहीं है।" (508)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और क्यूबा के साथ व्यापार करने और बढ़ाने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (509)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि पी० एल० 480 के तहत अनाज मंगाने पर रोक लगाने का उल्लेख नहीं है।" (510)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालयों में अमरीकी घुसपैठ को रोकने का उल्लेख नहीं है।" (511)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि देश से अमरीकी शांति दल को निकालने का अभिभाषण में उल्लेख नहीं है।" (512)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि पेय जल की समस्या का समाधान निकालने का उल्लेख नहीं है।" (513)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि जम्मू और काश्मीर सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों की नजरबन्दी को समाप्त कर उन्हें रिहा करने का उल्लेख नहीं है।" (514)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि बंगाल के राज्यपाल को हटाने की मांग को क्रियान्वित करने का उल्लेख नहीं है।" (515)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि बिहार के बिजली मजदूरों की न्यायोचित मांगों को मंजूर कर उनकी राज्यव्यापी हड़ताल को समाप्त करने का उल्लेख नहीं है। (516)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि पटना कारपोरेशन का चुनाव शीघ्र करवा कर नागरिकों के हाथ में उसकी व्यवस्था सौंप देने का उल्लेख नहीं है।" (517)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि वियतनाम की समस्या के समाधान के लिये उत्तर वियतनाम सरकार के चार सूत्री प्रस्तावों के समर्थन की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।" (518)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश तथा अन्य पिछड़े राज्यों को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।" (519)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि पटना तथा अन्य बड़े शहरों की गंदी बस्तियों के विकास के लिये सरकार की ओर से शत-प्रतिशत अनुदान देने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।" (520)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि पटना में गंगा नदी पर पुल बनाने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।" (521)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि बिहार में उद्योग धंधों के विस्तार तथा विशेषकर उत्तर बिहार में कल-कारखाने खोलने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।" (522)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि कोयला खनिकों की दयनीय आर्थिक स्थिति में सुधार करने का उल्लेख नहीं है।" (523)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि विभिन्न उद्योगों के मजूरी बोर्डों के फैसलों को क्रियान्वित कराने के लिये ठोस कदम उठाने का उल्लेख नहीं है।" (524)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि बिहार के डाक-तार विभाग के मुअत्तल कर्मचारियों की बहाली का उल्लेख नहीं है।" (525)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि राष्ट्रीय जीवन में व्याप्त घूसखोरी एवं भ्रष्टाचार के उन्मूलन का अभिभाषण में उल्लेख नहीं है ।" (526)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि मंत्रियों एवं बड़े अफसरों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिये सर्वोच्च अधिकार प्राप्त जांच समिति के गठन का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।" (527)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि किसानों की जमीन से बेदखली को रोकने के लिये कारगर कार्यवाही करने का उल्लेख अभिभाषण में नहीं किया गया है ।" (528)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अलाभकर खेती से मालगुजारी प्रथा उठा देने का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है ।" (529)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि मालगुजारी प्रथा का अन्त कर क्रमशः बढ़ता हुआ आय कर लगाने का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है ।" (530)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि सिंचाई के लिये बिजली की दरों में कमी करने का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है ।" (531)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अल्पमतावलम्बियों के अधिकारों की रक्षा के लिये ठोस कदम उठाने का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है ।" (532)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि उर्दू भाषा को सम्मानजनक स्थान देने का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है ।" (533)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि उर्दू भाषी जनता को न्यायालयों में उर्दू में दरख्वास्त देने तथा स्कूलों में उर्दू पढ़ाने का पूर्ण अधिकार प्रदान करने का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है।" (534)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि रेलवे स्टेशनों पर उर्दू भाषा में नाम लिखने, राशन कार्ड तथा मतदाता सूची उर्दू भाषा में छपवाने का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है।" (535)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि हिन्दी के साथ-साथ देश की सभी भाषाओं का सम्यक विकास करने के लिए प्रयत्न करने का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है।" (536)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि आदिवासी जनता की जमीन की रक्षा करने के लिये उचित एवं कानूनी कदम उठाने का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है।" (537)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि कृषि में कर्ज-गुलामी की प्रथा का सर्वदा के लिये अन्त कर देने का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है।" (538)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि समाज से जातिवाद, सम्प्रदायवाद, प्रान्तवाद तथा दूसरे संकुचित वादों का अन्त करने के लिये ठोस कदम उठाने का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है।" (539)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि कृषि और औद्योगिक जिन्सों के मूल्यों में समानता लाने की आवश्यकता का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है।" (540)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि शिक्षा के प्रसार पर विशेष धन व्यय करने की आवश्यकता का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है।" (541)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि स्कूलों तथा कालेजों के शिक्षकों के वेतनमान को बढ़ाने तथा उनमें एकरूपता लाने की आवश्यकता का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है ।" (542)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि कोठारी कमीशन की सिफारिशों को संपूर्ण देश में लागू करने की आवश्यकता पर अभिभाषण में बल नहीं दिया गया है ।" (543)

श्री रंगा (श्री काकुलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करने में सरकार असफल रही है ।" (544)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि राष्ट्रीय एकता को भंग करने को बढ़ावा देने वाली नीतियों को समाप्त करने में सरकार असफल रही है ।" (545)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि खाद्य क्षेत्र और राशन व्यवस्था को समाप्त करने में सरकार असफल रही है ।" (546)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि गुजरात में मीठापुर में और उड़ीसा में तालचेर औद्योगिक सार्थ संघ में उर्वरक परियोजना के लिए मंजूरी देने में सरकार असफल रही है ।" (547)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि गुजरात में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह और खम्भात की खाड़ी में तेल संसाधनों का विकास करने में सरकार असफल रही है ।" (548)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि मैसूर में मंगलौर बन्दरगाह का विकास करने और उड़ीसा में प्रदीप बन्दरगाह की पृष्ठभूमि के कारगर विकास के लिये तालचेर-मिमलगढ़ रेलवे लाइन का निर्माण करने में सरकार असफल रही है ।" (549)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि कपड़ा उद्योग पर लगे अत्यधिक कर-भार को दूर करने और रेशमी कपड़े की मिलों और हथकरघा बुनकरों की समस्याओं का कारगर रूप से सामना करने में सरकार असफल रही है।" (550)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि बोकारो इस्पात परियोजना पर और आगे फजूलखर्ची को रोकने में सरकार असफल रही है।" (551)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि राजस्थान के भारत-पाकिस्तान सीमावर्ती क्षेत्रों में सहायता और पुनर्वास की समस्याओं का सामना करने और वहां पर तथा कच्छ, त्रिपुरा और मणिपुर में सीमावर्ती सड़कों का एक लाभप्रद ताना-बाना बनाने में सरकार असफल रही है।" (552)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि मध्य प्रदेश तथा गुजरात के बीच नर्बदा नदी के बेसिन सम्बन्धी विवाद को हल करने में सरकार असफल रही है।" (553)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि आंध्र प्रदेश, मैसूर तथा महाराष्ट्र के बीच कृष्णा/गोदावरी जल विवाद को हल करने में सरकार असफल रही है।" (554)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि महाराष्ट्र और मैसूर के बीच सीमा विवाद को हल करने में सरकार असफल रही है।" (555)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि औद्योगिक विकास, कम्पनी-कार्य तथा अन्तर्देशीय व्यापार मंत्री श्री फरुरुद्दीन अली अहमद को, जो कि देश के समस्त क्षेत्रों में उद्योगों के तीव्र विकास में मुख्य बाधा हैं, हटाने अथवा स्थानान्तरित करने में सरकार असफल रही है।" (556)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया में क्षेत्रीय सामूहिक सुरक्षा की प्रणाली द्वारा भारत की प्रभावी प्रतिरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार असफल रही है। (557)

श्री रंगा (श्री काकुलम) : उस दिन, सभापति महोदय, आप हमसे कुछ नाराज हो गये थे क्योंकि हमने प्रधान मंत्री के प्रति बहुत सम्मान प्रकट नहीं किया था । मैं श्री दशरथ राम रेड्डी के इस कथन पर प्रसन्न हूं जब कि उन्होंने कहा कि सभा के माननीय सदस्यों को दलीय अथवा व्यक्तिगत मतभेदों के होते हुए भी प्रधान मंत्री के प्रति यथेष्ट सम्मान प्रकट करना चाहिये विशेषतः क्योंकि वह एक महिला हैं । मैं सम्मान प्रकट करने में किसी से भी पीछे नहीं हूं तथा इन्दिरा जी से मुझे बड़ा स्नेह भी है । परन्तु अब वह प्रधान मंत्री हैं तथा उनकी भांति ही मुझे भी अपना कर्तव्य-पालन करना है ।

प्रधान मंत्री सब दलों से कह रही हैं कि वे उनके कर्तव्य को निभाने में अपना सहयोग दें । परन्तु सहयोग प्राप्त करने का भी एक तरीका होता है । वह एक सही पद्धति और ठीक नीति तथा कार्यक्रम का अनुसरण नहीं कर रही हैं ताकि उन्हें सहयोग दिया जा सके ।

कुछ समय पूर्व प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्रीय एकता के प्रश्न पर सहयोग देने को कहा । एकता परिषद के अध्यक्ष पद पर प्रधान मंत्री का आसीन होना ही पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि प्रधान मंत्री की अपनी सीमाएं और असमर्थताएं होती हैं । देश में हो रही विभिन्न घटनाओं को देखते हुए हमने यह सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय एकता परिषद के पद पर राधाकृष्णन, राजाजी अथवा जयप्रकाश नारायण जैसे व्यक्तियों को होना चाहिए । हां प्रधान मंत्री का भी वहां समर्थन आदि देने के लिये उपस्थित रहना आवश्यक है, हमें यही सबसे अच्छी प्रणाली लगी । दुर्भाग्यवश प्रधान मंत्री और उनके सलाहकारों ने यह ठीक नहीं समझा ।

मध्यावधि चुनावों से पूर्व सबकी यह धारण बनी हुई थी कि किसी एक दल के लिए किसी राज्य में बहुमत प्राप्त करना कठिन होगा और इस प्रकार वह दल स्थायी सरकार बनाने में असमर्थ होगा । जहां तक हमारा सम्बन्ध है, मैंने कहा था कि ऐसी सरकार में ऐसे दलों का गठबंधन ठीक रहेगा जो कि प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं परन्तु हमारी सलाह को अनसुना कर दिया गया ।

कल ही गृह मंत्री जी इस बात पर बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि कुछ समाचार पत्रों ने लिखा था कि कांग्रेस 22 वर्ष तक सत्तारूढ़ रही जबकि संयुक्त विधायक दल 22 महीने भी नहीं टिक सके । क्या यही योग्यता उन्हें मिली हैं । सभी जानते हैं कि पंचतंत्र में इसके बारे में क्या कहा गया है । मुझे उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

सरकार हिंसात्मक घटनाओं की भर्त्सना करती है और इसको रोकने के लिए सहयोग मांगती है । वह इसके लिए कई और बातें बनाती हैं । कल ही गृहमंत्री जी कह रहे थे कि महा-राष्ट्र की सरकार को आरम्भ में इस संकट की गम्भीरता का पता नहीं था । तब सरकार का क्या कर्त्तव्य है ? उनका गुप्तचर विभाग क्या काम कर रहा है ? क्या उनको पहले ही यह

सूचना नहीं मिल जाती है कि क्या होने वाला है तथा उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाये जाने चाहिए ? वे न केवल बंबई में स्थिति नहीं सभाल सके हैं अपितु आंध्र प्रदेश में भी कानून व व्यवस्था बनाए रखने में असफल रहे हैं ।

तेलंगाना के सम्बन्ध में सरकार ने सदा उपेक्षा का भाव अपनाया है । तेलगांना वासियों का यह अनुरोध था कि सरकार उन्हें सरंक्षण दे परन्तु ऐसा नहीं किया गया । यह सत्य है कि विपक्षी सदस्यों को तथ्यों के बारे में उतने शीघ्र पता नहीं चलता जितना शीघ्र सरकार को पता चला जाता है । सरकार को इस स्थिति की जांच करवानी चाहिए कि तेलंगाना वासियों के लिए जो पद सुरक्षित रखे गए थे, उनमें से कितने भरे गए हैं तथा उनकी सुरक्षा और विकास के लिए कितना धन व्यय किया गया है । अब एकाएक सरकार कहती है कि उन्हें यह मालूम नहीं था कि ऐसा होने वाला है । जब वहां के लोगों ने अपनी आवाजें उठाईं तो सरकार ने सब दलों के नेताओं को मंत्रणा के लिए बुलाया और तब पता चला कि उन हजारों पदों पर तेलंगाना से भिन्न प्रदेश के लोगों को नियुक्त किया गया है जब कि वे पद तेलंगानावासियों को दिए जाने थे ।

शिव सेना एक खतरनाक और फासिस्ट संगठन है । हमने इसके परिणामों को देख लिया है । गत दो वर्षों में इसने बहुत सा साहित्य वितरित किया है जिससे इसके उद्देश्यों के बारे में पता चलता है । हम जानते थे कि यह क्या शरारत करेगी । कई बार सरकार को भी आगाह किया गया था परन्तु सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की । मेरे माननीय मित्र श्री राममूर्ति ने ठीक कहा है कि जब कम्युनिस्ट इस प्रकार की कार्यवाही कर रहे थे तब उन्हें जेल में बन्द कर दिया गया परन्तु शिव सेना को कुछ नहीं कहा गया । नक्सलवादी नेताओं ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दंगें-फसाद किये । मैंने उन्हें मना किया परन्तु उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और खून-खराबी करते रहे । इस सरकार ने उन्हें रोकने के लिए क्या किया ? सरकार कहती है कि यह आंध्र प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी है । परन्तु वास्तव में यह आंध्र प्रदेश की सरकार और भारत सरकार दोनों की जिम्मेवारी है । भारत सरकार अपने कर्त्तव्य निभाने में असफल रही है । गो हत्या विरोधी आंदोलन को रोकने में असफलता के कारण तत्कालीन गृह मंत्री जी ने त्यागपत्र दिया था जिसे प्रधान मंत्री ने स्वीकार कर लिया था । परन्तु वर्त्तमान गृहमंत्रीजी ऐसा नहीं कर रहे हैं । प्रधान मंत्री उनसे ऐसा करने के लिए क्यों नहीं कह रही हैं । श्री अशोक मेहता ने अपना त्यागपत्र इस-लिए दिया था कि सरकार में इतना साहस नहीं था कि वह चैकोस्लोवाकिया पर रूसी हमले की निन्दा कर सके । प्रधान मंत्री हमारे गृहमंत्रीजी की प्रशंसा करती हैं परन्तु मेरा विश्वास है कि जनता को हर समय बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है । मध्यावधि चुनाव से पूर्व कांग्रेस बढ़-चढ़ कर कहा करती थी कि वह हर राज्य में बहुमत प्राप्त करेगी परन्तु ऐसा नहीं हुआ । अन्य राजनीतिक दलों ने कांग्रेस को बहुमत में आने से रोक दिया । इसका कारण यही है कि कांग्रेसी सत्ता के अभिमान में मदहोश हो गए हैं तथा उनमें जिम्मेवारी की भावना नही रही है । अभी एक रेल दुर्घटना में चालीस व्यक्ति मारे गये हैं । स्टेशन मास्टर तथा अन्य अधिकारी यह जानते

थे कि रेलगाड़ी को चलाने में इस प्रकार की दुर्घटना अवश्य होगी परन्तु फिर भी रेलगाड़ी को चलाया गया। कुछ समाचार पत्रों में यह कहा गया था कि वे दूसरी रेलगाड़ी आने तक ठहर सकते थे और इस प्रकार लोगों के प्राण बचाये जा सकते थे।

चेकोस्लोवाकिया में रूसी अतिक्रमण के फलस्वरूप वहां के एक युवक ने आत्मदाह किया था। मैं उसको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे मन में उस एक युवक तथा स्वतंत्रता के लिये ज्वाला धधक रही है। परन्तु यहां 40 व्यक्तियों के मरने पर भी सरकार ने सहानुभूति का एक शब्द भी नहीं कहा है।

अभी प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि प्रत्येक की अपनी-अपनी जिम्मेदारी है। अगर ऐसा है, तो वह अपने दल की प्रधान मंत्री न होकर राष्ट्रीय सरकार की प्रधान मंत्री क्यों नहीं बनती हैं जिसमें सारे दलों का प्रतिनिधित्व हो, जनता ने उन्हें दो बार अस्वीकार कर दिया है परन्तु फिर भी वे प्रधान मंत्री बने रहना चाहती हैं, अब हमसे कहा जा रहा है कि हम उनकी जिम्मेवारियों में हाथ बटायें, हम इस प्रकार की जिम्मेवारियों में सहयोग नहीं देना चाहते हैं जिसमें कांग्रेसियों को सब कार्य करने की छूट है।

कृषि के क्षेत्र में भी सरकार की नीति असफल रही है। सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण के उपायों के अभाव के कारण इस देश के विकास को भारी धक्का पहुंचा है। मैंने बहुत समय पहले यह सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय स्तर पर एक अखिल भारतीय बाढ़, अकाल तथा अन्य संकटों के लिए 100 करोड़ रुपये की बीमा निधि का निर्माण किया जाए ताकि हम किसानों को समय-समय पर सहायता दे सकें। अभी मेरे सहयोगी श्री दशरथ राम रेड्डी ने कहा है कि इस बार फसल अच्छी हुई है, यह सच है कि फसल अच्छी हुई है, परन्तु अगर हम उचित बाढ़ नियंत्रण उपायों तथा सिंचाई आदि की ओर ध्यान देते तो 50 प्रतिशत और अधिक खाद्यान्न उत्पादन हो सकते थे।

नर्मदा नदी सम्बन्धी विवाद को अभी तक सुलझाया नहीं जा सका हैं। श्री खोसला निष्पक्ष तथा कुशल इंजीनियर और प्रशासक हैं, उनको इस मामले पर निर्णय देने के लिए कहा गया। परन्तु जब उन्होंने निर्णय दिया तो सरकार उसको कार्यरूप नहीं दे रही है। अगर सरकार इस निर्णय को स्वीकार नहीं करती है, तो वह न्यायाधिकरण की स्थापना क्यों नहीं करती है? गुजरात के किसानों को अपने खेतों के लिए जल की बहुत आवश्यकता है, एक ओर तो उन्हें जल की कमी हो रही है तो दूसरी ओर सूरत तथा अन्य शहरों में बाढ़ आ रही है, मैं नहीं समझता कि सरकार इस सम्बन्ध में कुछ करने के काबिल है।

गोदावरी और कृष्णा जल विवाद को भी अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है, इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री से अपना निर्णय देने को कहा गया है। मैं नहीं समझता कि प्रधान मंत्री इस सम्बन्ध में अपना निर्णय दे सकेंगी क्योंकि यह तकनीकी मामला है। अगर वे अपना निर्णय दे सकने में समर्थ हैं तो फिर देरी क्यों की जा रही है।

मूल्यों के प्रश्न पर चर्चा करने से पूर्व मैं क्षेत्रीय नियंत्रण पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं, मेरे राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में खाद्यान्नों के लाने-लेजाने पर नियंत्रण लगा हुआ है। कई विधायक इसको हटाने की मांग कर रहे हैं परन्तु कुछ नहीं किया जा रहा है, इसका कारण यह है कि इस प्रकार की पद्धति से तहसीलदार आदि की जेबें गरम होती हैं, और इसके पीछे राजनीतिक हित विद्यमान हैं। क्या क्षेत्रीय नियंत्रण को हटाने का अभी समय नहीं आया है ?

राष्ट्रपति महोदय ने अपने भाषण में लाभप्रद मूल्यों के बारे में कहा है परन्तु आज ऐसे कोई मूल्य नहीं मिल रहे हैं। लाभप्रद मूल्य वसूली मूल्य की भांति नहीं होने चाहिए। लाभप्रद मूल्य बाजार के वसूली मूल्य के बराबर नहीं होने चाहिए। खाद्य निगम को अन्य लोगों की भांति प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्य पर खाद्यान्न खरीदने चाहिए, क्योंकि खुले बाजार में खाद्यान्न खरीदने से ही किसानों को लाभ मिल सकता है। यह समझना ठीक नहीं है कि मैं स्वतंत्र उपक्रम की विचारधारा का समर्थक हूं परन्तु किसान स्वतंत्रता के अनुयायी हैं, वह चाहता है कि उसे कृषि के मामले में पूर्ण स्वतंत्रता मिले तथा उसे अपने उत्पादन का उचित मंडी मूल्य भी मिलें। सरकार उसे उचित मूल्य क्यों नहीं देती है ?

मेरा श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रति सम्मान है क्योंकि वे हमारी तरह स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, परन्तु मेरा उनसे एक बात में विरोध था कि वे किसान और उसकी स्वतंत्रता के विरोधी थे, यहां तक कि गांधीजी ने उनसे कई बार कहा था कि वे किसानों पर लगे नियंत्रण में ढील दें, परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। कृषि की भांति उद्योगों में लगे नियंत्रण भी समाप्त कर देने चाहिए। हमने इस सम्बन्ध में कई सुझाव दिए हैं। श्री राजाजी ने कहा था कि लाइसेंस, कोटा आदि देने के लिए एक आयोग की स्थापना की जानी चाहिए और यह आयोग गैर-राजनीतिक तथा पक्षपातरहित होना चाहिए। इस आयोग के समक्ष लाइसेंस तथा कोटा के लिए सब तथ्य रखने चाहिए ताकि वह यह निर्णय करे कि किसको पहले कोटा व लाइसेंस दिये जायें, परन्तु इस सुझाव पर गौर नहीं किया गया। मेरे मित्र श्री दांडेकर ने, जोकि इस मामले के विशेषज्ञ हैं, एक योजना पेश की थी परन्तु इसको अस्वीकार कर दिया गया।

सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की है। सरकार 22 वर्ष से गद्दी पर है और भगवान ही जानता है कि यह आयोग कब तक प्रतिवेदन पेश करता जायेगा, अपने एक प्रतिवेदन में आयोग ने यह कहा था कि प्रधान मंत्री को योजना आयोग का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए परन्तु प्रधान मंत्री ने इस सुझाव को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि बहुमत की धारणा है कि प्रधान मंत्री को योजना आयोग के अध्यक्ष पद पर आसीन होना चाहिए। सरकार का आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने का यही रवैया है। श्री बी० आर० सेन ने जो खाद्य तथा कृषि संगठन के महानिदेशक रहे हैं, यह सुझाव दिया था कि योजना आयोग में कोई मंत्री नहीं होना चाहिए, और यह पूर्णतया स्वतंत्र तथा परामर्शदात्री संगठन होना चाहिए, मेरे माननीय मित्र श्री मसानी का भी यही सुझाव था। उन्होंने फ्रांस में जाकर वहां की योजना

व्यवस्था का अध्ययन किया तथा सरकार से कहा कि हम भी कुछ संशोधन करके इस प्रकार की व्यवस्था को यहां लागू कर सकते हैं परन्तु ऐसा कुछ नहीं किया गया । सरकार इन सुझावों के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती है । अभी प्रधान मंत्री जी भ्रष्टाचार के बारे में कह रही थीं परन्तु भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ? प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष श्री हनुमन्तय्या ने कांग्रेस अध्यक्ष के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और इसको प्रधान मंत्री तथा राष्ट्रपति के समक्ष रखा परन्तु इस पर कुछ नहीं किया गया ।

अब मैं उत्पादन शुल्क के बारे में कहना चाहता हूं । अभी मेरे मित्र श्री दांडेकर ने सरकार को कृषि आयकर लगाने के बारे में सावधान किया है । ऐसा करना बहुत ही खतरनाक होगा । परमात्मा का धन्यवाद है कि यह विषय राज्य सूची के अन्तर्गत आता है और मुख्य मंत्रियों की अपनी बुद्धिमत्ता पर आधारित है कि वह इसे लागू करें या नहीं करें । अभी बजट पेश होने वाला है । कुछ समाचारपत्रों में यह कहा जा रहा है कि बहुत से कर लगेंगे । मेरा प्रधान मंत्री से अनुरोध है कि वह उत्पादन शुल्क में और वृद्धि न करें, वे कम से कम उत्पादन शुल्क में 25 प्रतिशत की कमी करें, मुझे विश्वास है कि अगर उनके मन में जनता के दुःखों के प्रति कोई भावना है तो वे ऐसा करेंगे । क्या वे यह कह सकते हैं कि उत्पादन शुल्क में लगातार वृद्धि करके वे जनता की भलाई कर रहे हैं ?

मैं श्रीमती सुशीला रोहतगी को उनके प्रभावशाली वक्तव्य पर धन्यवाद देता हूं । यह प्रसन्नता की बात है कि वे मंत्रिमण्डल में नहीं हैं परन्तु मैं प्रधान मंत्री को चुनावों के समय उनकी अपील और वक्तव्यों आदि के लिये धन्यवाद नहीं दे सकता हूं । मुझे आशा है कि वे अन्त में हमारे देश के बुद्धिमान राजनीतिज्ञों की सलाह पर उचित ध्यान देंगे ।

Dr. Govind Das (Jabalpur) : I have been a Member of the Congress Party for the last 48 or 49 years and even now I intend to remain in this Party. But I have to say with great regret that this Party is not following the principles and ideals set forth by Mahatma Gandhi. The first ideal that Mahatma Gandhi had put forth was of self-denial and sacrifice. But we find that neither in the Central Government nor in the State Governments that feeling is there.

A new proposal was made recently that a house should be constructed for the Prime Minister at a cost of about Rs. 20 lakhs. I think that much more amount will be spent on that house. I was astonished to hear that proposal. It is a very strange proposal. I fail to understand the propriety in spending such a huge sum on the construction of the house for the Prime Minister of a poor country like ours. When Pandit Jawahar Lal Nehru was living in Teen Murti House, then also a proposal was made for the construction of a bungalow for the Prime Minister. But when Panditji saw that lakhs of rupees will be spent on the construction of a bungalow, he himself had rejected that proposal. So, the present Prime Minister should also follow the example of her father in this regard. She should decide either to live in Teen Murti House or in a part of Rashtrapati Bhawan which is very spacious.

We have forgotten also the other ideals of Mahatma Gandhi. We want the democracy to function in our country. But the question is whether democracy can work properly when English is being used continuously in our country. I want to bring this thing to your notice that only two per cent people of our country know English. Hindi was adopted unanimously as our national language by the Constituent Assembly. It is amazing to know that some English language newspapers continue to propagate that Hindi was voted to be the national language by a majority of one or two votes. It is the language of most of us. Therefore, it is my humble submission that if we want democraey to flourish in our country then we should adopt Hindi for our official purposes. We had also passed a Bill regarding the use of Hindi in Government offices in the year 1967. Along with that Bill we had also passed a resolution. I would like to ask the Government to tell us as to what they have done to implement the provisions of that Bill and the Resolution.

The President had made a mention of political stability in the country. He had also made an appeal to all the political parties to give full co-operation to the Government so that they may achieve the desired stability. But I fail to understand how all the parties can give their co-operation to the Government when it represents only one party. I, therefore, feel that the time has now come when we should have an all-party Government in our country. I think that by forming an all-party Government only we can maintain the democratic system in the country, otherwise not.

The President had also laid emphasis on the increase in food production. I think that this matter has a great importance in our country. We must pay more attention to this matter. Food production cannot be increased without granting total protection to cows. I think that this matter is closely related with the question of family planning. Therefore, much attention should be paid towards family planning also. But so far as the programme of family planning is concerned it has covered certain sections of society only and not all the sections. In one community there is a system of only one marriage whereas in the other community four marriages are allowed. Hence my submission is that steps should be taken to see that the programme of family planning covers all the communities.

A controversy was raised about the views reported to have been expressed by Shri Shankracharya of Puri on the caste system in an article published in "**Kalyan**" issued from Gorakhpur. In fact it was not an article but an interview. Shri George Fernandes raised this issue in this House giving a distorted version of the views expressed by Shri Shankaracharya. I was very much pained to hear the comments of the Hon. Home Minister Shri Chavan who challenged the high position held by Shri Shankaracharya. It caused a country wide indignation and Shri Shankaracharya, Sharda Peeth of Dwaraka sent a telegram protesting against comments of Shri Chavan. I will humbly submit that the Hon. Home Minister should correct his earlier statement.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Shri George Fernandes had read out certain portion from the "Kalyan" magazine, Shri Govind Das should not have raised this issue in his absence.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Shri Govind Das should not have raised this issue.

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) : मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

विरोधी दलों के सदस्यों ने देश की भीतरी सुरक्षा तथा मध्यावधि चुनावों के परिणामों के बारे में कुछ विशेष प्रश्न उठाये थे और कहा था कि उनसे कांग्रेस सरकार की असफलता का पता चलता है। एक प्रश्न में यह कहा गया था कि जो कुछ आन्ध्र प्रदेश तथा बम्बई में हुआ है उसके लिये केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है। बम्बई में जो कुछ हुआ है अर्थात् शिव सेना ने जो कुछ वहां किया है वह हम सब के लिये शर्म की बात है। परन्तु इसके लिये हमें केन्द्रीय सरकार की निन्दा नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसका उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है।

हमें देश का विकास देखने के लिये विशाल पहलू पर ध्यान देना चाहिए तथा यदि हम उस दृष्टि से देखें, तो हमें पता चलेगा कि देश की अर्थव्यवस्था में दिन प्रति दिन सुधार हो रहा है। आंकड़े देखने से पता चलता है कि 1967-68 में अनाज का उत्पादन 1964-65 के उत्पादन से 60 लाख टन अधिक था। इसी प्रकार नई तापीय परियोजनाओं से देश में बिजली की क्षमता बहुत बढ़ जायेगी। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अनेक नलकूप लगाये जा रहे हैं। उनसे पंजाब में कृषि का विकास अनेक विकाशशील देशों से अधिक हुआ है।

ऐसा भी कहा गया है कि मध्यावधि चुनावों में कांग्रेस को बुरी तरह से असफलता मिली है। परन्तु ऐसी बात नहीं है। विरोधी दल बिन्दा नामक पक्षी की तरह कहीं-कहीं सफलता प्राप्त होने से स्वाभिमानी हो रहे हैं। परन्तु मेरा उनसे निवेदन है कि उन्हें ऐसा करने की बजाय सारी चीज के लिये संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

जहां तक हमारी विदेश नीति का सम्बन्ध है यह नीति बहुत अच्छी साबित हुई है। भिन्न भिन्न देशों के साथ हमारे सम्बन्धों में बहुत सुधार हुआ है। यह सुधार भी हमारी तटस्थता और सह-अस्तित्व की नीति के कारण हुआ है। हम देखते हैं कि बहुत से देश अब गुटों से निकलने लग गये हैं। उन्होंने भी अब तटस्थता की नीति अपनानी आरम्भ कर दी है। इससे पता चलता है कि हमारी विदेश नीति कितनी अच्छी है।

एक बात मैं पढ़े-लिखे लोगों में बेरोजगारी के बारे में भी कहना चाहता हूं। हमारी शिक्षा प्रणाली में बहुत त्रुटियां हैं। त्रुटि तो यह है कि हम भी वही प्रणाली अपना रहे हैं जो अंग्रेजों ने अपनाई हुई थी। हमारे विश्वविद्यालयों में छात्रों को ऐसी शिक्षा ही जाती है जिसकी अब हमारे देश को जरूरत नहीं है। हमें आज कल क्लर्कों की जरूरत नहीं है। हमें तो ऐसे लोगों की जरूरत है जिन्हें कृषि के बारे में ज्ञान हो। इस लिए हमारी कृषि प्रणाली कृषि-प्रधान तथा उद्योग-प्रधान होनी चाहिए। दूसरे, हम अपने बहुत से राज्यों में निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। इससे बेरोजगारी और बढ़ जायेगी। इसलिये हमें अपने विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे वे हम से रोजगार न मांग कर स्वयं उद्योग अथवा कृषि में अपने आपको लगा सकें।

मैं अकाल, सूखे और बाढ़ के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

हमारे किसी न किसी राज्य में या तो अकाल पड़ जाता है या सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है या बाढ़ आ जाती है । इन स्थितियों का सामना करने के लिये सरकार ने पहले ही अकाल दल तथा बाढ़ दल बना दिये हुए हैं । मैं समझता हूं कि उन्हें और अच्छी तरह से संगठित कर देना चाहिए ताकि वे उनके बारे में पहले ही अनुमान लगा लिया करें और बाद में हानि न होने पाये ।

एक बात मैं प्रादेशिक विवाद के बारे में भी कहना चाहूंगा । हम देखते हैं कि हर राज्य में यही हो रहा है कि दूसरे राज्यों के लोगों को बाहर निकालने का प्रयत्न किया जा रहा है । हम देखते हैं कि बम्बई में गैर-मराठी लोगों को बाहर निकालने का प्रयत्न किया जा रहा है । इसी प्रकार तेलंगाना और आन्ध्र के बीच झगड़ा चल रहा है । मैं चाहता हूं कि इन झगड़ों को मिटाया जाये और प्रादेशिकता अथवा भाषावाद का मामला उठाने वाले समाज-विरोधी तत्वों अथवा राजनीतिक दलों को दबाया जाये । यदि शिव सेना मराठी और गैर-मराठी का प्रश्न उठाती है तो उस पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए । प्रादेशिकता को समाप्त करने के लिये सब राजनीतिक दलों को मिलकर काम करना चाहिये । इससे यह प्रादेशिकता की बीमारी दूर हो जायेगी ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I have listened to the Address of the President very attentively and find that no mention has been made in that Address regarding Shiv Sena because the Party in power is involved in that. At the same time I would like to say that in that Address no mention has been made of the strike of 19th September, 1968. Although the Hon. Minister had given an assurance that the cases of those employees who had taken part in the strike or who were being proscuted would be reconsidered but we find that there are still about nine thousand employees who are being prosecuted or whose services have been terminated. It is, therefore, my humble submission that either their cases should to decided at an early date or we will be compelled to take some action in this regard. All India Defence Employees Federation has said that in case no decision was taken by 23rd March, they would be compelled to go on hunger strike. Therefore, I feel that some decision must be taken in accordance with the assurance given by the Prime Minister otherwise people in the country will not trust the words of the Prime Minister.

Secondly, though it has been said in the address that the joint consultative machinery will be given legal shape but the right of the employees to go on strike is being snatched. I fail to understand this paradoxical thing.

Thirdly, I have to say with great regret that in Uttar Pradesh President's rule is stilll going on. Had a Government been formed there I would not have raised the issue of the teachers of degree colleges of Uttar Pradesh. But now I am helpless to put forth their demands. Their demands are quite genuine and do not require much amount. They want that they should be given dearness allowance at par with State Government employees and I have been told that it will involve Rs. 36 or 37 lakhs only. Their second demand is that the recommendations made by the Kothari commission should be implemented, as early as possible. I hope that keeping in view the fact that the examinations are fast approaching, Government will take a decision on their case without further delay.

I would have been very happy had the President made a mention of National Fitness Corps in his Address. You must be aware that whenever the foreigners came in our country they had a liking for two things—one was National Physical Laboratory and the other was National Fitness Corps. National Fitness Corps was started by General Bhonsle but our Government thought of decentralising it. I would like to submit that the report given in this connection is not correct. Barring two or three states all the states have said that they are not prepared to accept it. Therefore, seven thousand instructors of this corps will be rendered unemployed w. e. f. 1st March as a result of this decision.

Now I request Dr. Rao to consider this matter **de novo** so as no wrong decision based on wrong facts may be taken. I can authoritatively state that the Director General, National Fitness Corps, and his Joint Secretary have presented a wrong picture to the Prime Minister and have suppressed the facts. Your decision on the issue has rendered 7,000 National Fitness Instructors jobless who have helped numerous children of the country to be vigorous and imbued them with feelings of patriotism. That is why I request Dr. Rao to give a sympathetic consideration to their case.

I am sorry to note what Seth Govind Dass has said. He is a senior member of this House. He said that Shri George Fernandes had uttered some objectionable words in respect of Guru Shankaracharya. I do not agree with him. If even today we are to care for the Hindu religion and if in that context we mean to keep "the Shudras" as, "Shudras" for all times, to come then I am sorry to say that I do not agree to that concept of a **Hindu Rashtra**. So many patriots, like Sardar Bhagat Singh and Ashfaq Ullah Khan, sacrificed their lives for the sake of freedom. Nobody from their families would ever like that the tendency of considering in terms of Shudra or a Brahman should prevail any more. On behalf of 40 crores Hindus, I request that the Prime Minister should say something to dispell the impressions leading to communal hatred which Seth Govind Das sought to spread. For ourselves, we have put up a stiff resistance not to allow communal hatred to prevail in Kanpur to which city the late Shri Ganesh Shanker Vidyarthi belonged.

During the recent elections the members of the Congress party circulated a pamphlet, written in Urdu language, in the Muslim localities wherein it was stated that the elections were an open challenge to their sense of Hubbulwatni i. e. patriotism. Now patriotism is a term which is related to a country itself and not to the Congress party. Again the Muslims were warned that if they did not cast their vote for the Congress party then their votes may indirectly help the Jan Sangh party to form Government in the country. The Prime Minister in the course of her speech has said, "We believe in secularism". But, I am sorry to say that it is not a proper way of bringing about secularism in its real sense by delivering such speeches in Hindu localities which may please Hindus and, on the other hand, delivering different kinds of speeches in Muslim localities which may please Muslim. I may tell you that Muslims ladies were often invited to gatherings in the name of **'Meelad Sharif'**. At these gatherings half of the time was devoted to references to the Prophet and the remaining half of the time was spent on pleadings for the vote for the Congress party. For information of these masters of the Muslim masses, I want to tell them that no mention has been made by the President in his Address regarding the promotion of the Urdu language. In Uttar Pradesh and other places an equal status for Urdu language was demanded. In the manifesto of the Congress party the members of the Congress party have promised to promote Urdu language. But if they are really interested in the betterment of Urdu,

they should declare that it will definitely be done; mere speeches on the matter, organising **Mushayras** and asking Muslims to vote for the Congress in the name of Urdu would not help. Therefore, I want to request that Urdu language should prosper and some feelings will have to be created in regard to bring about secularism and steps will have to be taken to suppress activities and organisations like the **Shiv Sena** which stand for separation. It would be of no use if we do not make Hindus and Muslims understand that it is not the concept of religion, caste and creed, but that really it were the vested interests which are root cause for creating disputes amongst them. In this context, I want to invite your attention to the point that it was Abdul Hameed who delivered a death blow to Pak Paten Tanks and it was he who died as a true patriot. I am sorry to say that the President did not say anything in connection with the urdu language and the retrenchment. Yesterday a reference was made to the formation of the Government in Bengal and to the increasing percentage of votes. But I think, if it was to be decided on the basis of percentage of votes, this Government will not remain here any more.

I want to tell an instance to show you that how much expenditure is incurred during the election period. Our Prime Minister attended three meetings one in Unnao, the other one in Kanpur city and the third one in Kanpur District. A heavy amount of Rs. 5 lakhs was spent on these three meetings. I have full regards for Smt. Indira Gandhi and I do not want to criticize her but as Seth Govind Das has correctly stated, she should not shift to the new house. Our elders like Mahatma Gandhi and Pandit Nehru had full faith in simplicity. I want to tell the followers of Gandhiji that they have killed his principles and ideals. I request that Dr. Rao and the Government should solve the problems of the Government employees, National Fitness Corps and those of teachers.

In conclusion, I want to refer to two candidates who were shot dead in U. P. When we tried to raise that issue we were told that the Governor of U. P. should be approached in the matter. I request the Government that the State Governor should be transferred. Mr. Dharam Vir should also be asked to leave Bengal, if possible, and he should be posted where **Shiv Sena** is to be controlled.

श्री वेदब्रत बरुआ (कलियाबोर) : उपाध्यक्ष महोदय : यद्यपि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में देश की अनेक समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है तथापि कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों का ध्यान इस समय भी चुनावों की ओर है। प्रजातंत्र प्रणाली में केवल कांग्रेस ही नहीं कोई भी विपक्षी दल बहुमत प्राप्त कर सकता है।

प्रोफेसर रंगा सभी नियन्त्रणों को यहां तक कि खाद्यान्न नियन्त्रण को भी हटाना चाहते हैं तथा चाहते हैं कि विशेषज्ञों के विचारों को सुना जाय। किन्तु श्री बैनर्जी का विचार है कि बेरोजगारी और निर्धनता के कारण अर्थ-व्यवस्था पर कुछ नियन्त्रण रहना चाहिये। सम्भवतः संकटपूर्ण परिस्थितियों से गुजरने, कठिन समस्याओं को सुलझाने तथा देश से भ्रष्टाचार को मिटाने और अर्थ-व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिये सरकार वर्तमान शक्तियों से अधिक शक्तियों को प्राप्त करने की अपेक्षा रखती है।

[**श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए**
Shri Vasudevan Nair in the Chair]

मैं विपक्षी दल के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह चुनाव जैसी बातों को तूल न देकर देश की व्यावहारिक समस्याओं पर बल दें। क्योंकि उन बातों से राष्ट्र के दल संकुचित होते जाएंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर मैं केवल इतना ही कहना चाहता था कि उन पर अनुचित बल नहीं दिया जाना चाहिए। जहां तक विदेशी नीतियों का प्रश्न है, यदि हम मूल समस्या को देखें तो, वे विपक्षी दलों के लिए जो महत्व रखती हैं सत्तारूढ़ दल के लिये नहीं। ब्रिटेन में यह तय हो गया है कि जब सरकार विदेशी नीति बनाए तो उस पर विपक्षी दल आपत्ति न उठाए। उनका भारत के साथ जो कुछ लगाव है, उसका चाहे कंजरवेटिव पार्टी हो या रेडीकल पार्टी हो, अनुमोदन करेगी ही। वे लोग देश की आवश्यकता को ध्यान में रखकर अपनी राजनीतिकता चलाते हैं किन्तु हमारे यहां विदेश नीति तय करने में आवेश का प्रदर्शन होता है जिससे गलतफहमियां बढ़ती हैं तथा देश का अहित होता है।

हम सभी को किसी भी देश के साथ सम्बन्धों पर चर्चा करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि कोई बात देश के हित में है या नहीं। अखबारी खबरों से एक दम आवेश में नहीं आना चाहिए।

चीन पाकिस्तान या अमरीका आदि देशों के विषय में भी मैं कहना चाहता हूं कि यदि इस दल के स्थान पर किसी अन्य दल की सरकार बने भी तो उसे भी इसी प्रकार की विदेश नीति अपनानी पड़ेगी जैसी कि अब है, कारण नीति निर्धारण के मूल में देश का हित अर्न्तनिहित रहता है और कोई भी दल उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता।

इससे कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं और हमें उनको पार करना है। इस प्रकार ही हम अपने मित्रों की संख्या बढ़ा सकते हैं। मेरी विरोधी पक्ष के सदस्यों से प्रार्थना है कि इस मामले पर अधिक बल न दें। मैं श्री चरनसिंह का उदाहरण पुनः दोहराता हूं। यदि वह जनता की दूसरी समस्याओं की ओर अधिक ध्यान देते तो मैं समझता हूं कि वह स्थान ले लेते जिसको उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने ग्रहण कर लिया था।

विघटन की प्रवृत्तियों की समस्या के सम्बन्ध में मुझे मलय राजनीतिज्ञों के पिछले वर्ष के कथनों का ध्यान हो आता है, जिन्होंने कहा था कि यदि चीनी, मलय और भारतीयों ने अपनी उत्पादन दर 6 प्रतिशत नहीं की तो उनमें आपसी तनाव पैदा हो जायेगा। हमारे देश में भी विकास प्रयत्नों में रुकावट होने के कारण तनाव बढ़ जाता है। और पहले की अपेक्षा यह तनाव तब और अधिक बढ़ जाता है जब कि मंदी आ जाती है इसके अतिरिक्त रोजगार, विकास आदि जैसी अन्य समस्यायें भी हमारे सामने हैं। मैं समझता हूं कि हमारा विकास कार्य जिस प्रकार हो रहा है उसके आधार पर सम्भवतः इन समस्याओं का निराकरण नहीं हो सकता। हम अपने पूरे प्रयत्नों, योजना आयोग के पूरे प्रयत्नों और सारी योजनाओं के पूरे प्रयत्नों के बाद भी इन

असंतुलनों को तब तक दूर नहीं कर सकते जब तक प्रगतिशील अर्थ-व्यवस्था का विकास नहीं हो जाता है । इसके विकास की जिम्मेदारी केवल गैर-सरकारी क्षेत्र पर ही नहीं है, इसके लिए हमें विकसित और विस्तृत सरकारी क्षेत्र बनाने की आवश्यकता है । उदाहरणतया, आसाम जैसे अविकसित क्षेत्रों में यातायात के साधनों के विकास की कमी के कारण सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को कुछ रियायतें तो देनी ही चाहिए ।

हिंसा की प्रवृत्ति के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इस समस्या से हमें निबटना ही पड़ता है । क्योंकि सम्पूर्ण शिक्षा नीति, हमारी प्रकृति और दूसरी अन्य चीजें लोकतांत्रिक पद्धति को चलाने के लिए वातावरण बनाने के लिए सहायक नहीं हैं । हिंसा की प्रवृत्ति की इस समस्या का उन्मूलन करने के उपाय ढूंढने के लिए हम सबको एक होकर जुटना होगा । हिंसा केवल तभी नहीं भड़कती है जब क्षेत्रीय असंतुलन हो परन्तु तब भी भड़कती है जब क्षेत्रीय असंतुलन बनाये जायें मैं इसको भी हिंसा की प्रवृत्ति भड़काने में सहायक मानता हूं । इसके कारणों को इस प्रकार समाप्त करना है जिससे अधिक से अधिक लोगों को न्याय का पूर्ण आश्वासन मिले । हिंसा शोषित वर्ग से नहीं बढ़ती परन्तु उन लोगों द्वारा बढ़ाई जाती है जो राजनैतिक चेतन नहीं होते अथवा जिनमें राजनैतिक स्थिरता नहीं होती । ये सब समस्याएं इसलिए पैदा हुई हैं क्योंकि आर्थिक विकास से पहले राजनैतिक चेतना आई है । भारतवर्ष और एशिया में आर्थिक विकास से पूर्व राजनैतिक चेतना आई है । पश्चिम के लोगों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संस्थानों के उत्थान से पूर्व आर्थिक विकास हुआ है । परन्तु यहां इसका उलटा हुआ है और ऐसी दशा में असंतुलनों को दूर करने के लिए ठोस पूर्ण और प्रभाव पूर्ण कार्यवाही करनी चाहिए ।

मेरे आदर्णीय मित्र श्री स०मो० बनर्जी ने धर्म निपेरक्षिता के बारे में बताया है । सम्भवतः धर्म निपेक्षिता को चुनौती दी गई है । परन्तु, इसके लिए कांग्रेस ही दोषी नहीं हैं । इसके लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ये गांधी जी, कांग्रेस और शासक दल द्वारा निर्धारित किये गये हैं । यह दूसरी बात है कि एक दूसरे पर छींटाकशी की जाय और कहा जाए कि अल्प-संख्यक वर्ग का अपमान हुआ है । आदरणीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि ऐसे विवादों को न उठाएं जो विवादस्पद हों । इतिहास की शिक्षा किस प्रकार दी जाती है ? अल्पसंख्यकों पर आक्रमण के मूल में कौन सी शक्तियां हैं ? इतिहास की सारी शिक्षा त्रुटिपूर्ण है । हमने प्रत्येक राज्य, प्रत्येक सरकार के प्रशासन में शिक्षा और प्रशिक्षण के उस रूप को लिया है जो भ्रम उत्पन्न करने वाला था । इतिहास से ज्ञात होता है कि भारत ग्यारहवीं शताब्दी में परतन्त्र हो गया था । यह एकदम गलत तथ्य है । भारत पर हिन्दुओं या मुसलमानों के कुछ वंशों का शासन रहा होगा परन्तु हम इतिहास को दो या तीन कालों में बांटते हैं, हिन्दू काल और मुसलमान काल । परन्तु, बौद्ध काल नहीं क्योंकि उनकी संख्या उतनी नहीं थी । शिक्षा का यह रूप प्रत्येक दशा में है । वंश परम्परा, जिसने भारत पर शासन किया था, के आधार पर देश के इतिहास का विभाजन बिल्कुल ही अलग है । जब तक हम इस समस्या को बुनियादी रूप में नहीं लेते शिक्षा एक ही दिशा में चली जायगी, छोटी पीढ़ी

एक ही दिशा में बदलती जायगी। समाजवादी दल के लिए और कांग्रेस के लिए वोट लेने के लिए हम अल्पसंख्यकों की रक्षा करने का बहाना करते हैं परन्तु उनकी दशा में तब तक सुधार नहीं होगा जब तक हम उनके लिए कोई ऐसा उचित स्तर न बनाएं जिसको हम भारतीय लोकतंत्र कहते हैं।

भ्रष्ट्राचार की समस्या को भी यहां पर उठाया गया है। पूर्वी और पश्चिमी देशों की तुलना में कहा जाता हैं कि भारत बहुत कम भ्रष्ट देश है। यह कोई आश्वासन नहीं है। मैं अनुभव करता हूं कि भ्रष्टाचार पर जोर देने की कमी से ही जनसाधारण हित के लिए प्रयत्नशील मनुष्य लड़खड़ा जाता है। मैं समझता हूं कि निजी अथवा सरकारी क्षेत्र में विफलता का कारण ही भ्रष्टाचार है। लोग कानूनों के अनुसार काम नहीं करते हैं। यहां तक कि कानूनों के द्वारा किए गए छोटे से छोटे परिवर्तनों को भी लागू करना बड़ा कठिन होता है।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाल ही में शिकायत की है कि 30 प्रतिशत कम मूल्य होने पर भी उनका उर्वरक नहीं खरीदा जाता। यह बहुत डांवाडोल स्थिति है। इसको क्यों नहीं खरीदा जाता क्योंकि उनको वह कमीशन नहीं मिलता जो गैर सरकारी क्षेत्र से उनको मिलता है। हम इस दिशा में सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं को नहीं चला सकते। केवल यह कहने मात्र से कि भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाना चाहिए समस्या का समाधान नहीं होता। हमें यह निर्देश देना चाहिए कि यदि सरकारी क्षेत्र की कोई संस्था कोई चीज खरीदना चाहती है तो उसको सरकारी क्षेत्र से ही खरीदे क्या आपको यह कहने का साहस है? मैं समझता हूं कि हम यह कह सकते हैं कि यह होना चाहिए। परन्तु, निश्चय ही इस सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही जा सकती है ये कहा जा सकता है कि ये जिंक अच्छा नहीं है इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोई न कोई बहाना बनाकर वे इसको नहीं खरीदेंगे। जब तक हम भ्रष्टाचार को नष्ट करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाते हम अपना विकास नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि इस समस्या से निबटने के लिए सही कदम नहीं उठाये गये हैं। पाश्चात्य लोकतांत्रिक प्रणाली की चर्चा करना लाभकर नहीं है क्योंकि वहां की अर्थ-व्यवस्था उद्योगपतियों द्वारा संचालित होती है और जहां वे 60 या 70 रुपये का वेतन देते हैं परन्तु यहां उद्योगपतियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमें केवल कानूनों को ही नहीं देखना चाहिए बल्कि उसकी क्रियान्विति पर भी विचार करना चाहिए इसके लिए हम कुछ नहीं करते। इससे कांग्रेस दल को भय नहीं है। संभव है कि सही-सही प्रयत्न न करने के कारण कांग्रेस दल को हानि हो परन्तु यह भी सम्भव है कि विपक्षी दलों को भी हानि हो सकती है और उनकी दशा भी वैसी ही हो सकती है जैसी उत्तर प्रदेश, पंजाब और दूसरे स्थानों पर उनकी हुई है।

बेरोजगारी की समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब हमारा आर्थिक विकास हो, सरकारी क्षेत्र में हमें सफलता मिले। अतिरिक्त क्षमता का उपयोग हो। मुझे आशा है सरकार इस दिशा में कदम उठायेगी। जहां एक सरकारी क्षेत्र का दूसरे सरकारी क्षेत्र से सम्बन्ध होता है तो वहां पर भ्रष्टाचार नहीं होता। यह समस्या तो गैर सरकारी क्षेत्र के आने से उत्पन्न होती

है, जब सरकारी क्षेत्र का व्यक्ति गैर-सरकारी क्षेत्र से सम्बन्ध स्थापित करता है और गैर-सरकारी क्षेत्रों के आपसी सम्बन्ध से भी यह समस्या उत्पन्न होती है। कर्मचारी जब गैर-सरकारी क्षेत्र से सम्बन्ध करता है तो भ्रष्टाचार हो जाता है। भ्रष्टाचार की समस्या का हल केवल सरकारी क्षेत्र को आशातीत सफलता प्रदान कराना है। इसका भी ध्यान रखा जाए कि सरकारी क्षेत्र, सरकार और प्रशासन वित्त सम्बन्धी कार्यों में एक रूपता लाये और तभी हम आज व्याप्त भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : मैंने बहुत से सदस्यों को सुना है। आज श्री राममूर्ति को अविश्वास प्रस्ताव की बहस का उत्तर देते हुए भी सुना। जहां गन्दगी और गरीबी होती है वहीं पर साम्यवादी इकट्ठा हो जाते हैं ये इसी प्रकार के हैं। जब तेलंगाना अथवा बम्बई में संकट फैलता है तो ये लोग वहां जाकर उस संकट को और भी अधिक बढ़ाते हैं वे यह भूल जाते हैं कि वे भी इस संकट में पड़ सकते हैं। श्री राममूर्ति ने हमारे मुख्य मंत्री पर दोष लगाया जिसे कोई भी सहन नहीं कर सकता। वह नहीं जानते कि तेलगांना में क्या घटना घटी। यदि वह वहां होते तो उनको स्वयं ही पता लग जाता और अपने इस कथन के लिए वह खेद प्रकट करते जो आज उन्होंने कहा है। तेलंगाना में संकट बेरोजगारी के कारण है, वहां गरीबी और बेरोजगारी दोनों ही हैं। इसके लिए योजना आयोग जिम्मेदार है जिसने आंध्र प्रदेश में विकास कार्यों में पक्षपात का रवैया अपनाया है, क्योंकि वह आंध्र प्रदेश के हितों को नुकसान पहुंचाकर दूसरे राज्यों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। इसी कारण आंध्र प्रदेश की जनता में असंतोष है। तेलंगाना एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और वहां विकास कार्य पूरे पैमाने पर होना चाहिए था परन्तु धनाभाव के कारण वहां ऐसा नहीं हुआ।

श्री उमानाथ : 10 करोड़ रुपये की राशि लौटाई गई।

श्री चेंगलराया नायडू : क्योंकि योजना आयोग हमारी योजनाओं को स्वीकार नहीं करता है और उद्योग मंत्री लाइसेंस नहीं देते इसलिए विकास-कार्य नहीं होता। इसके लिए मैं केवल एक उदाहरण देता हूं। उस समय के उद्योग मंत्री श्री संजीवय्या ने हैदराबाद में एक कारखाने का शिलान्यास किया था। बहुत वर्ष बीत गये हैं। अब के उद्योग मंत्री कहते हैं कि वित्त मंत्री ने आवेदन को मन्जूर नहीं किया है। अब बताया जाये कि इस सबके लिए कौन दोषी है? कहा जाता है कि वित्त मंत्री किसी गैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजना को सहायता देना चाहते थे इसीलिए इस सरकारी क्षेत्रीय परियोजना को हानि हुई है। क्या यह ठीक है कि वित्त मंत्री ने इसको रोका हुआ है? मुझे प्रश्न का उत्तर दिया जाये। वित्त मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय और योजना आयोग के पापों के कारण आन्ध्र प्रदेश के साथ अन्याय हुआ है और इसीलिए वहां संकट है। बिना स्थिति ज्ञान के श्री राममूर्ति हमारे मुख्य मंत्री को दोषी ठहरा रहे हैं। प्रदेश में संकट पैदा होते ही मुख्य मंत्री ने तत्काल साम्यवादी सहित सब दलों की बैठक बुलाई और कुछ कदम उठाये जाने के लिए सब राजी हो गये। पर वे कुछ और कहना चाहते थे। इसके लिए कौन दोषी है? तेलंगाना, आन्ध्र और रायलासीमा में सब तेलुगु भाषा-भाषी हैं। पर दुर्भाग्यवश भ्रामक विचारधारा के कारण यह सब कुछ हुआ।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज अपने भाषण के दौरान प्रधान मंत्री ने कहा कि देश भर में प्रत्येक व्यक्ति को बोलने, आने-जाने और कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है। बहुत अच्छा है। परन्तु कश्मीर के सम्बन्ध में क्या है ? कश्मीर में जाने से लोगों को क्यों रोका जाता है ? सरकार कोई आदेश क्यों नहीं देती या संविधान में संशोधन क्यों नहीं करती ताकि भारतवासी देश भर में कहीं भी जमीन खरीद सकें ? जब यहां नहीं हो सकता तो तेलंगाना और बम्बई के प्रति यह कटु आलोचना क्यों है। जब हम अपने आपको नहीं सुधार सकते तो दूसरे को सुधरने के लिए कहने का क्या हक है ?

मध्यावधि चुनावों के बीच रूसी रेडियो ने हमारी सरकार, हमारे राजनीतिक नेताओं के विरुद्ध गलत प्रचार किया, कांग्रेस प्रधान और जनसंघी नेताओं के विरुद्ध आक्रामक प्रचार किया। विदेशियों को यह क्या अधिकार है कि हमारे नेताओं के विरुद्ध ऐसा प्रचार करें। उनको दूसरे देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। चुनावों के समय क्या हुआ ? उन्होंने इसके लिए इतना धन पाया कि कांग्रेस, जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी भी नहीं उठा सकी।

श्री स० मो० बनर्जी : धन किसने दिया ?

श्री चेंगलराया नायडू : यह कांग्रेस की नीतियों का फल है। कोई भी धनी कांग्रेस दल को सहायता देने नहीं आता। इस चुनाव के लिए हमने एक-एक रुपया लिया है। जन-साधारण से बहुत कम चन्दा। यदि आप यह कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने धनी लोगों से धन लिया तो गलत है। वे तो अपने पापों को छुपाने के लिए कांग्रेस, जनसंघ, और स्वतंत्र पार्टी के शिर पर दोषा-रोपण करना चाहते हैं।

बंगाल में साम्यवादियों की विजय बंगला कांग्रेस की आड़ में हुई है अन्यथा वे कभी सफल नहीं होते और यदि वे अब भी अपना वास्तविक रूप लेकर जनता के समक्ष जायें, तो कभी सफल नहीं हो सकते। मेरी धारणा अब भी ऐसी है कि पश्चिमी बंगाल में वर्तमान सरकार छः महीने से अधिक नहीं टिकेगी।

जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, हमारी सरकार ने कृषि के क्षेत्र में तथा देश की अर्थ-व्यवस्था सुधारने की दिशा में यद्यपि सराहनीय कार्य किया है लेकिन फिर भी वह पर्याप्त नहीं है। यदि वह कृषि पर ध्यान केन्द्रित करती, तो आज तक 50 प्रतिशत उत्पादन और बढ़ सकता था और हमें अनाज के मामले में विदेशों का मुंह ताकने की जरूरत नहीं पड़ती।

केन्द्रीय सरकार तथा योजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में बिजली के विस्तार की योजना बनाई है लेकिन इस सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश के लिये बहुत कम राशि का नियतन किया गया है और आन्ध्र प्रदेश को बिजली की अपनी वर्तमान क्षमता बढ़ाने के लिए थोड़ी और राशि की आवश्यकता है, जिसके न मिलने पर उसकी प्रगति अगले दस साल तक रुक जायेगी और लोगों को हानि होगी। सरकार ने मद्रास राज्य में निवेली परियोजना खोली है

जिसकी पूरी बिजली का मद्रास सरकार सस्ती दर पर उपयोग कर रही है। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार ने गुजरात राज्य, बम्बई तथा अन्य राज्यों में ऐसी ही केन्द्रीय परियोजनाएं आरम्भ की हैं और मद्रास राज्य में अब उसने दूसरी योजना अर्थात् कलपक्कम परियोजना आरम्भ की है, लेकिन आन्ध्र प्रदेश में अब तक ऐसी कोई केन्द्रीय परियोजना नहीं खोली है। यह पक्षपात-पूर्ण रवैया है।

केवल बिजली के विस्तार के मामले में ही नहीं अपितु अन्य परियोजनाओं के सम्बन्ध में भी केन्द्रीय सरकार का बर्ताव उदासीन रहा है। वहां की कई परियोजनाएं धन के अभाव में अपूर्ण तथा अनिष्पादित पड़ी हैं, लेकिन केन्द्रीय सरकार उन्हें पूरा करने के लिये धन नहीं देती अन्यथा वह राज्य उत्पादन बढ़ा सकता था और अनाज के मामले में देश की सहायता कर सकता था।

देश में फसल बीमा योजना लागू करने की आवश्यकता है क्योंकि उससे अकाल अथवा फसल के नष्ट होने पर लोगों को राहत मिलेगी। कृषि को छोड़कर हर क्षेत्र में बीमा योजना है। सरकार को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। ताकि किसानों को संकट के समय राहत मिल सके।

जहां तक उत्पादन में स्थिरता का सम्बन्ध है, गत वर्ष गन्ने की कमी हो गई थी और सरकार ने हर एक को और अधिक गन्ना उगाने का प्रोत्साहन दिया और इस वर्ष जब गन्ने की फसल अधिक हुई तो उसके भाव गिर गये। यदि सरकार ने उसके न्यूनतम मूल्य निश्चित किये होते, तो मूल्य उस स्तर से नीचे गिरने पर सरकार गन्ना खरीदती। लेकिन सरकार ने चुप्पी रखी है जिसके परिणामस्वरूप कृषकों की हालत इतनी खराब हो गई है कि वे अगले पांच अथवा दस वर्ष तक उठ नहीं सकते।

इसी प्रकार मूंगफली के बारे में हमने इस सभा में चर्चा उठाई थी और मंत्री जी ने कहा था कि उन्होंने अपने सचिव से इस प्रश्न पर विचार करने को कह दिया है, लेकिन आज छः महीने हो गये हैं उस पर अभी तक विचार ही नहीं हो सका है और मूंगफली के मूल्य बहुत नीचे गिर गये हैं जिस कारण किसान लोग मूंगफली बाजार में नहीं ला रहे हैं और महाराष्ट्र तथा दक्षिण भारत में तेल की बहुत-सी मिलें बन्द हो गई हैं अथवा समाप्त होने वाली हैं। क्या मंत्री जी को स्थिति का पता नहीं है? क्या वह इस बारे में निर्णय नहीं ले सकते? मैं जानना चाहता हूं कि इस देश पर मंत्री लोग शासन कर रहे हैं अथवा सचिव या अवर सचिव लोग। सभी देशों में कृषि जन्य वस्तुओं के निम्नतम मूल्य निर्धारित किये जाते हैं लेकिन दुर्भाग्यवश, हमारा ही देश ऐसा है जहां अब तक ऐसा नहीं किया गया है। सरकार ने कृषि उपज मूल्य निर्धारण समिति तथा कृषि उपज सलाहकार समिति नियुक्त करने के आश्वासन दिये थे लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह इस मामले में शीघ्र निर्णय लें और न्यूनतम मूल्य निश्चित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठायें।

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : इस वाद-विवाद में हम उस राजनैतिक तस्वीर को नजर-अन्दाज नहीं कर सकते जो हाल में चुनावों के बाद निकल आई है। आज हमारे देश में समाजवाद है और ऐसी आशा की जाती है कि चुनावों के दौरान राजनैतिक दल अपने विशेष राजनैतिक सिद्धान्तों तथा दृष्टिकोण के बारे में लोगों को शिक्षित करेंगे, लेकिन पिछले चुनावों में मैंने देखा कि अधिकतर दलों ने इस महत्वपूर्ण पहलू की उपेक्षा की और उन्हें ऐसा करना पड़ा है।

यह केवल जीवित रहने के लिये एक संघर्ष था इसलिये, इस प्रयोजनार्थ कुछ महत्वपूर्ण दलों द्वारा विघटनकारी कुछ तत्वों के प्रादेशिक भावनाओं का लाभ उठाया गया है अन्यथा पिछले दो महीनों में सारी राजनैतिक तस्वीर इतनी अधिक कैसे बदल जाती जबकि राजनैतिक शिक्षा का लगभग पूर्ण लोप रहा। यह बीमारी का एक लक्षण है जो देश को गिरफ्त में ले रही है।

चुनावों के बाद हम देख रहे हैं कि समाजवाद के सिद्धान्त वाले दल तथा कुछ अन्य सिद्धान्तों में आस्था रखने वाले दल मेल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब दल अपनी नीतियों के बारे में राजीनामा कर रहे हैं, तो ऐसा कब तक चलेगा। संयुक्त सरकारों के पतन का कारण ही यही है कि उनमें मूल समंजन नहीं हो सकता जिसका परिणाम यह होता है कि उनकी नीतियों में मतभेद हो जाता है।

[श्री रा० ढो० भण्डारे पीठासीन हुए]
[Shri R. D. Bhandare in the Chair]

जहां तक समाजवाद का सम्बन्ध है, वह ऐसे वातावरण में जहां हिंसा तथा प्रादेशिकवाद है, कैसे पनप सकता है? दूसरी बात, पिछले चुनावों में केवल कांग्रेस को ही नहीं अपितु भारत के राजनैतिक जीवन को भी धक्का लगा है। आज कोई भी दल यह नहीं कह सकता कि भविष्य में उसकी स्थिति क्या होगी। केवल पश्चिम बंगाल में साम्यवादियों को सफलता मिली है। लेकिन इसके साथ यह भी सच है कि वे उन लोगों के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके राजनैतिक सिद्धान्तों से वे मेल नहीं खा सकते—यह सिर्फ इसलिये कि वे सत्तारूढ़ होना चाहते हैं। देश में ऐसा इसलिये हो रहा है कि समूची भारतीय जनसंख्या को राजनैतिक शिक्षा, जो चुनावों का मूल उद्देश्य था, नहीं दी जा रही है।

राजनैतिक स्थिरता पर ही अधिकतर किसी देश की अर्थक्षमता तथा आर्थिक विकास की प्रगति निर्भर रहती है। लेकिन क्या राज्यों में हम राजनैतिक स्थिरता कायम कर सकने में सफल हो रहे है? यदि राज्य लुढ़कते हैं, तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से केन्द्र पर भी महसूस होगा और यदि सब कुछ लुढ़क जाये, तो उसका क्या परिणाम निकलेगा?

आज देश में नवयुवकों में, चाहे वे विश्वविद्यालय में हों, सरकारी नौकरी में हों अथवा कहीं और छोटी-छोटी बातों को लेकर आन्दोलन करने की प्रवृति पैदा हो गई है, जो देश के भविष्य के लिये अच्छी निशानी नहीं है और इसे रोकना जरूरी है। इसे रोक कौन सकता है? इन सभी तत्वों के विरुद्ध एकमात्र संभाव्य रोक राजनैतिक दल हैं।

हम देश की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं और लोगों की आवश्यकताएं भी पूरी करना चाहते हैं । ऐसा करने के लिये संसाधनों का जुटाना लाजमी है । लेकिन जब संसाधन जुटाने का प्रश्न आता है, तो हर आदमी जिम्मेदारी से भागता है । आज कोई भी राज्य अपने लोगों पर कर लगाना नहीं चाहता । यदि कल केन्द्र करारोपण में वृद्धि कर दे, तो सभी राजनैतिक दल उसका भर-पूर विरोध करेंगे । जहां तक संसाधनों को जुटाने का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि राज्य सरकारें आज योजना आयोग को सहयोग दे रही हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि कर लगाये जायें और लोगों का कोप-भाजन बना जाये । जिसका परिणाम यह है कि आज हर व्यक्ति संसाधनों के मामलों में केन्द्रीय सरकार पर निर्भर होने का प्रयत्न कर रहा है और अपने आप कुछ नहीं करेंगे ।

इसमें सन्देह नहीं कि हमने अपनी आर्थिक स्थिति सुधार ली है लेकिन जिस गति से संसार आगे बढ़ रहा है उसके मुकाबले में हम अभी बहुत पीछे हैं । देश में आज भी लोगों की स्थिति दयनीय है । उन्हें ऊपर उठाने के लिये सभी राजनैतिक दलों को मिल जुलकर प्रयत्न करना बहुत जरूरी है और जब तक राज्य और केन्द्र मिलकर कोई ठोस कदम न लें, गरीब लोगों की हालत सुधरना संभव नहीं है । वर्तमान हालातों का परिणाम तो "निरन्तर संघर्ष" ही निकलेगा क्योंकि भिन्न-भिन्न राज्यों में आज, सौभाग्यवश, अथवा दुर्भाग्य से, विभिन्न राजनैतिक दल सत्तारूढ़ हैं ।

जहां तक आसाम में दूसरा तेल शोधक कारखाना खोलने का सम्बन्ध है, हमेशा यही कहा जाता है कि कुछ आर्थिक कारणों से ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है । लेकिन सवाल यह है कि तेल मंत्रालय इस क्षेत्र की आर्थिक आवश्यकता तथा बेरोजगारी के प्रश्न पर गहन रूप से विचार क्यों नहीं करता ? ऐसा कहना काफी नहीं है कि वहां पर्याप्त मात्रा में तेल नहीं है । इस बारे में बहुत दिनों से बातें चल रही थीं लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है । यदि पहले कहा जाय कि ऐसा किया जा सकता है, और फिर उसे किया नहीं जाता है, तो उसका परिणाम बहुत बुरा निकलता है जिस पर नियंत्रण करना कठिन हो जाता है । यही कारण है कि हम आज क्षेत्रीय असन्तुलनों तथा उसके परिणामों के बारे में सुनते हैं ।

जहां तक हमारी विदेश नीति का सम्बन्ध है, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी सरकार ने विभिन्न देशों के साथ हमारे सम्बन्धों का व्यावहारिक दृष्टिकोण लेना आरम्भ किया है जो एक अच्छा लक्षण है ।

यह बहुत उत्साहवर्धक बात थी कि हाल ही में विभिन्न देशों से राजदूत यहां बुलाये गये थे ताकि वे हमारे कार्यों का मूल्यांकन कर सकें ।

हम किसी भी गुट में शामिल न होने की बात करते हैं परन्तु आज के युग में यह भ्रांति-मूलक सिद्धान्त है । आज के सन्दर्भ में हमारा किसी एक देश के साथ मित्रता रखना तथा दूसरे के साथ अमैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना सम्भव नहीं है ।

आज देश में शिक्षित बेकारों की एक नई श्रेणी पैदा हो रही है। इस तथ्य में कोई सन्देह नहीं है कि ये शिक्षित युवक कृषि की ओर कम जा रहे हैं। अतएव शिक्षित बेकारों को रोजगार देने के लिए यह आवश्यक है कि हम औद्योगिक क्षेत्र में उन्नति करें। यह कहना ठीक नहीं है कि कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में ही आगे बढ़कर शिक्षित बेकारों को रोजगार दिया जा सकता है।

श्री जी० एस० रेड्डी (मिरियाल गुडा) : राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि देश में व्याप्त क्षेत्रीयवाद आदि को समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने धर्मनिरपेक्ष की भावना को भी बनाए रखने के लिए कहा है, इस सन्दर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि आंध्र-तेलंगाना के उपद्रवों को शिव-सेना के उपद्रवों के साथ नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि आंध्र-तेलंगाना के उपद्रव तो एक ही परिवार के भाइयों के बीच में हो रहे हैं।

एक समय हैदराबाद राज्य में रजाकारों ने शासन किया था जिसके फलस्वरूप तेलंगानावासियों को वहां से भागना पड़ा और वे आंध्र क्षेत्र में आकर बस गए। परन्तु आंध्र प्रदेश के निर्माण के समय संघर्ष आरम्भ हो गया। विवाद यह उत्पन्न हुआ कि तेलंगाना क्षेत्र को आंध्र प्रदेश के साथ मिलाया जाये या उसका एक अलग क्षेत्र बनाया जाये। यह विवाद कई दिन तक चलता रहा और अन्त में केन्द्रीय सरकार को मामला सुलझाने के लिए दे दिया गया। यह तय किया गया कि इन दो प्रदेशों को मिला दिया जाये ताकि बड़े आंध्र प्रदेश का निर्माण किया जा सके तब मद्रास, हैदराबाद, आंध्र और तेलंगाना के प्रदेशों को मिलाकर आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया। उस समय यह तय हुआ कि आंध्र प्रदेश के पिछड़े इलाके जैसे तेलंगाना का विकास किया जाये और उसके हितों की रक्षा की जा सके। यह तय हुआ कि तेलंगाना में पिछड़े हुए इलाकों को आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की बराबरी में लाया जाये। परन्तु प्रशासन और कुछ अधिकारियों की भूलों के कारण तेलंगाना की उपेक्षा की गई और उस क्षेत्र में लगाये जाने वाले धन को वहां न लगाकर आंध्र प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में लगाया गया अतएव यह अशान्ति फैली। तेलंगाना क्षेत्र में कालेजों में पढ़कर निकलने वाले क्षात्रों की संख्या बहुत थी और उनको कोई रोजगार नहीं मिला क्योंकि सभी रोजगारों पर आंध्रवासियों का अधिकार बनता चला गया। इस प्रकार वहां बेकारी बहुत फैलती चली गई तथा आर्थिक रूप से वह क्षेत्र पिछड़ता चला गया। तेलंगाना क्षेत्र के रोजगारों को वहां तेलंगानावासियों को ही दिए जाने चाहिए थे क्योंकि वहां उन्हीं का धन लगा हुआ था परन्तु वास्तव में वे रोजगार आंध्रवासियों के हाथों में जा रहे थे। गत पांच-छः वर्षों में काफी संख्या में आंध्रवासियों ने उन रोजगारों पर अधिकार कर लिया था इससे तेलंगाना क्षेत्र के युवकों में असंतोष की भावना फैली और उन्होंने उपद्रव करने आरम्भ कर दिये, मैं कह नहीं सकता कि इसके पीछे कोई राजनीतिक हाथ था क्योंकि ऐसा अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। वहां के युवकों के मन में एक ही बात थी कि आंध्रवासियों को चले जाना चाहिए तथा तेलंगानावासियों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। इस प्रकार की भावना को लेकर यह उपद्रव आरम्भ हुआ। समाचार-पत्रों में तो बहुत

कुछ बढ़ा-चढ़ा कर कहा गया है जो कि ठीक नहीं है। और इससे उत्तेजना फैली। मुझे विश्वास है कि कई तेलंगाना वासियों ने अपने भाई आंध्रवासियों को उपद्रव के दौरान मदद दी है। यह सम्भव है कि छोटी मोटी घटनाएं हुई हों। इस समाचार से भी दूसरे पक्ष वालों में यह क्षोभ फैला कि करीब 4,000 आंध्रवासियों को, जो कि तेलंगाना में कार्य कर रहे हैं, 28 फरवरी तक लौट आना है।

सबसे पहले यह व्यवस्था की जानी चाहिए थी कि तेलंगाना धन पर कार्य कर रहे आंध्रवासियों से यह पूछा जाना चाहिए था कि क्या वे वहां कार्य करना पसन्द करेंगे या वापिस जाना। और अगर उनमें से कुछ वहां कार्य करना चाहें तो उतनी ही संख्या में तेलंगानावासियों को आंध्र के धन पर लगाया जाना चाहिए। यह एक अच्छा उपाय था परन्तु इसे स्वीकार नहीं किया गया। तेलंगानावासियों ने इस बात पर सहमति प्रकट की कि एक निश्चित तिथि तक इन कर्मचारियों को वापिस चले जाना चाहिए।

इस पर कर्मचारियों ने न्यायालय में अर्जी दायर की और यह निर्णय दिया गया कि यह संविधान और नियमों के विरुद्ध है। अब एक विधेयक संसद् के समक्ष आ रहा है जिसमें और आगे पांच वर्ष तक के लिए संरक्षण मांगा गया है।

अतएव तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के उपद्रवों को बम्बई में हुए शिव-सेना के उपद्रवों के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। मेरा यह अनुरोध है कि तेलंगाना को संरक्षण दिया जाये। इस सम्बन्ध में आश्वासन दिए गए हैं और उनको क्रियान्वित किया जाना चाहिए। हमारे मुख्य-मंत्री भी यह आश्वासन दे रहे हैं कि तेलंगानावासियों को संरक्षण की गारंटी दी जायेगी और इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा तो वह भी किया जायेगा।

आंध्र और तेलंगाना के लोगों को मिल-जुल कर रहना चाहिए और इस प्रकार का सम्बन्ध बनाना चाहिए जिससे उन दोनों के मध्य एकता की कड़ी बनी रही, उनके मध्य सामाजिक सम्बन्ध बनाये जाने चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में भविष्य निर्भर है तथा दोनों पक्षों में नेताओं को इसी प्रकार का दृष्टिकोण पैदा करना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि वहां जाकर दोनों पक्षों को शान्त करके उनमें भाई-चारे की भावना पैदा करनी चाहिए और इसी में भलाई है।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण का स्वागत करता हूं। उन्होंने अपने अभिभाषण में कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि तथा विश्व के क्षेत्र में भारत की स्थिति का वर्णन किया है तथा साम्प्रदायिक, जातिवाद, क्षेत्रवाद की प्रवृत्तियों को समाप्त करने के लिए कहा है। इस सम्बन्ध में मैं कृषि के उन्नति के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। गत वर्ष कृषि उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है परन्तु इससे सरकार में आत्म संतुष्टता की भावना नहीं चाहिए। अगर सरकार यह बता सके कि कितना उत्पादन उनके नीति और कार्यक्रमों के द्वारा होगा और कितना प्रकृति की कृपा से तो यह अधिक ठीक

रहेगा। आज का किसान कीटाणुनाशक औषधि, उर्वरक तथा सिंचाई का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहता है। वह चाहता है कि सरकार उसे उन्नत बीज, बिजली के पंप, उचित मूल्य दे ताकि वह अपना उत्पादन बढ़ा सके परन्तु सरकार ने इस दिशा में क्या किया ? सरकार इस सम्बन्ध में आंकड़े प्रस्तुत कर सकती है परन्तु यही पर्याप्त नहीं है। किसान इस बात को जानने के लिए उत्सुक नहीं है कि संसद् में क्या हो रहा है और न उसका विदेश नीति आदि में कोई दिलचस्पी ही है। वह केवल अपने खेतों के लिए पानी चाहता है। आंध्र प्रदेश में करीब 30,000 ट्रैक्टरों की मांग है परन्तु सरकार ने क्या किया मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने कुछ नहीं किया परन्तु जो कुछ भी दिया गया है वह अपर्याप्त है।

आप जानते ही होंगे कि कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिए बिजली की कितनी आवश्यकता रहती है। हम चाहते हैं कि पम्पों के लिए बिजली दी जाये और सरकार केवल कागजों में ही यह स्वीकार करती है कि पम्प सेटों के लिए बिजली देने में प्राथमिकता देनी चाहिए परन्तु वास्तव में ऐसा कुछ नहीं किया जाता। आज किसान के पास इतना धन नहीं है और अगर है भी तो वह एक एकड़ भूमि में 6,000 से 7,000 रुपये नहीं लगा सकता है। इन सब बातों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। सरकार को यह देखना चाहिए कि किस प्रकार उनको लाभ पहुंचाया जा सकता है। मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि मेरे राज्य में पर्याप्त बिजली है परन्तु कठिनाई यह है कि ट्रांसफारमर, बिजली के खंभे आदि खरीदने के लिए धन नहीं है। बिजली वहां उपलब्ध है परन्तु उसका उपभोग नहीं किया जा रहा है इस प्रकार यह राष्ट्रीय अपव्यय हो रहा है मैं मंत्री महोदय तथा सरकार का ध्यान इन बातों की ओर दिलाना चाहता हूं।

मैं सरकार को यह बता देना चाहता हूं कि अगर किसानों की खेती के औजार व धन आदि दिये जायें तो वे 10 वर्षों के अन्दर पर्याप्त अन्न पैदा कर सकते हैं, इतना ही नहीं वे इसका निर्यात भी कर सकते हैं तथा इस प्रकार विदेशी मुद्रा कमाने में सहायक हो सकते हैं। यह दुख की बात है कि हमें अन्न के लिए विदेशों की ओर ताकना पड़ता है। हममें अधिक अन्न उत्पन्न करने का सामर्थ्य है तथा इस काम में लोग आगे बढ़ने को तैयार हैं।

हमने संविधान द्वारा यह स्वीकार किया हुआ है कि हमें निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए क्योंकि आज शिक्षा का प्रचार करने की बहुत आवश्यकता है। अगर लोगों को शिक्षा न दी गयी तो वे अज्ञान ही बने रहेंगे। मैं कई राज्यों को शिक्षा की ओर उचित ध्यान देने के लिए बधाई देना चाहता हूं। परन्तु एक तथ्य की ओर ध्यान देना चाहिए वह यह कि स्नातकों में बेकारी फैल रही है। यह बेकारी शिक्षित नवयुवकों में ही नहीं है अपितु यह हर जगह फैली हुई है। गांवों में भी लोग रोजगार की तलाश में रहते हैं। हमारी व्यवस्था ऐसी नहीं है कि इन सबकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अगर कोई थोड़ी सी भी शिक्षा ले लेता है तो वह समझता है कि वह सरकारी नौकरी में जा सकता है। अगर किसान का लड़का बी० ए० पास कर लेता है तो वह सरकारी नौकरी की ओर भागता है जबकि उसका अशिक्षित भाई खेतों में काम करता है। यह एक तरह से राष्ट्र का अपव्यय है। क्योंकि वे गांवों में जाकर काम नहीं

करना चाहते और न अपने परम्परागत व्यवसायों में लगना चाहते हैं। इस प्रकार उनमें असंतोष की भावना फैलती है।

हम मशीनरी आदि पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। गांधी जी हमेशा बड़े पैमाने के उत्पादन के विरुद्ध रहे हैं। वे चाहते थे कि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था मजबूत बनी रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन बहुत सीमित है। हथकरघा उद्योग को ही लीजिए। आज वह उपेक्षित पड़ा हुआ है। यह प्रसन्नता की बात है कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कृषि पर आधारित उद्योगों के बारे में चर्चा की है।

प्रधान मंत्री जी ने सब विपक्षी दलों से सहयोग की जो प्रार्थना की है उसका मैं समर्थन करता हूं। प्रोफेसर रंगा ने इस पर आपत्ति प्रकट की है जो ठीक नहीं है। प्रधान मंत्री ने यह सहयोग सामाजिक क्रांति तथा जागृतता के लिए मांगा है न कि शासन चलाने के लिए यह सहयोग विस्तृत राष्ट्रीय मामलों को सुलझाने के लिए मांगा गया है।

मैं विदेश नीति के सम्बन्ध में भी अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। स्वतंत्रता के पश्चात हमें अपनी विदेश नीति का निर्माण करना पड़ा। दुर्भाग्यवश विपक्षी सदस्यों ने इसकी आलोचना इस आधार पर की कि यह किसी दल विशेष की नीति है। परन्तु ऐसा नहीं है। हमारी विदेशी नीति समस्त राष्ट्रीत हितों को ध्यान में रखकर बनायी गयी है। इस सभा में कोई यह नहीं कहेगा कि यह कांग्रेस दल की नीति है। कई राजनैतिक दलों का झुकाव पश्चिमी या पूर्वी अथवा किसी अन्य देशों की ओर रहता है अतएव मतभेद विद्यमान रहते हैं। दुर्भाग्यवश इस प्रकार का मतभेद रखना एक प्रकार का फैशन सा बन गया है। मेरा भी किसी विशेष बात से मतभेद हो सकता है परन्तु विदेश नीति बनाते समय इस प्रकार के मतभेद बीच में नहीं आने चाहिए। अगर मैं अमुक दल का हूं जिसका झुकाव पश्चिमी देशों की ओर है तो मुझे विदेशी नीति का निर्माण करते समय उन देशों के प्रति पक्षपात रवैया अपनाना नहीं चाहिए।

मैं सरकारी उपक्रमों के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में बहुतों ने आलोचना की है। कांग्रेस दल ने लोकतांत्रिक समाजवाद का नारा दिया हुआ है। स्वभावतः इस क्षेत्र में सरकारी उपक्रमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और यह ठीक भी है। हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि इस क्षेत्र में उत्पादन अच्छा हुआ है परन्तु हम इस तथ्य से भी आंखें नहीं मूंद सकते कि सरकारी उपक्रम भलीभांति कार्य नहीं कर रहे हैं और ये घाटे में चल रही हैं। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि आज के समय सरकारी उपक्रमों की कितनी आवश्यकता हैं। यहां तक कि पूंजीवादी देश इस बात को मानने लग गए हैं कि कुछ उपक्रमों में सरकार का भाग लेना अत्यावश्यक है। आज सरकारी उपक्रमों की असफलता के कुछ कारण हैं। मेरा विचार है कि सरकारी उपक्रमों में कार्य कर रहे कर्मचारियों में कार्य करने के प्रति अधिक रुचि नहीं है। सरकार के लिए करोड़ों रुपये देना तथा कर्मचारी-वृन्द को रखना

आसान तो है परन्तु जब तक कर्मचारियों में काम के प्रति रुचि पैदा नहीं की जाएगी तब तक सरकारी उपक्रमों के संचालन में संदेह रहेगा।

Shri Mirtyunjay Prasad (Maharajgunj) : I want to support this motion.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 21 फरवरी, 1969/2 फाल्गुन, 1890 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, the 21st February, 1969/2 Phalguna, 1890 (Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow. 15-5-69—600.